खण्ड-349, अंक-7
मंगलवार, 12 फाल्गुन, शक संवत् 1902
(3 मार्च, 1981 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 349 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1982

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य ..	901–904
प्रश्नोत्तर ..	905–994
भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा चौधरी खजान सिंह के निधन पर शोकोद्गार ..	994–996
झांसी जनपद में समय पर नहर न चलने के कारण रबी की फसल को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	996–997
झांसी आयुर्वेदिक कालेज में अध्यापकों के अभाव से शिक्षण कार्य बन्द होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	997
अलीगढ़ जिले के ग्राम अखईपुर में श्री जोध पाल सिंह के परिवार के पांच व्यक्तियों की हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	998
सीतापुर जनपद में शारदा सहायक परियोजना द्वारा निर्मित नहर में सीपेज से फसल को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	698–999
जिला अल्मोड़ा के ग्राम दोलतपुर में सवर्णों द्वारा हरिजनों पर अत्याचार तथा उनकी अलग ग्राम सभा बनाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	999
श्री लल्लू सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की रिहाई की सूचना ..	999–1000
पुलिस अधीक्षक, देवरिया श्री अजय सिंह के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	1000–1001
पुलिस अधीक्षक, बदायूं श्री जे० एस० शर्मा के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय श्री बाबू लाल सदस्य, विधान सभा द्वारा दल परिवर्तन के सम्बन्ध में सूचना ..	1001–1003
श्री मोती लाल देहलवी द्वारा दिया गया औचित्य का प्रश्न ..	1003
मेरठ शहर में ट्रक ड्राइवर श्री रमेश की पुलिस द्वारा हत्या के सम्बन्ध में कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें ..	1003–1011

विषय	पृष्ठ–संख्या
1981–82 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 22––राष्ट्रीय एकीकरण, अनुदान संख्या 55––ग्राम्य विकास, अनुदान संख्या 56––पंचायती राज, अनुदान संख्या 57––क्षेत्रीय विकास, अनुदान संख्या 61––मत्स्य, अनुदान संख्या 90––पंचायती राज–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 95––ग्राम्य विकास–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 96––क्षेत्रीय विकास पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 101––मत्स्य विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 119––राष्ट्रीय एकीकरण ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या 123––क्षेत्रीय विकास–ऋण और अग्रिम (स्वीकृत)	.. 1012–1066
श्री मसरूर जाफरी सदस्य, बिधान सभा की रिहाई की सूचना	.. 1066
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	.. 1066
विद्युत् चोरी के सम्बन्ध में लखनऊ विद्युत प्रदेय उपक्रम द्वारा चलाए गये अभियान में पकड़े गये अधिकारियों और कर्मचारियों के विषय में 20 फरवरी, 1981 के तारांकित प्रश्न 7 नत्थो (ख) के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा	.. 1066–1071
कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	.. 1071–1073
अनुपस्थिति	.. 1075–1083

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 3 मार्च, 1981

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 304

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अमीरउद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलू अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अंसारी, श्री (बरेली)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (उर्फ सुत्तन भैय्या) (खीरी)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊबल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
किरन पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी-गढ़वाल)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरीशंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्रशेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)

जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जमना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अलमोड़ा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल विकल साकेती, श्री (फैजाबाद)
जोराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनारायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दर्लासगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पान्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्मल कुमार, श्री (फैजाबाद)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रतापनारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायू)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूप सिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मशरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्दवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)

माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मान पाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (राय बरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधे श्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
राम जी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायन पाठक, श्री (कानपुर)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लूटरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी-गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, श्री (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)

विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
शम्भूनाथ श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी-गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सच्चिदानन्द श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूरजभान, पंडित (अलीगढ़)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरगोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिबंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

नोट--मुख्य मन्त्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा श्रम मन्त्री, श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित भी सदन में उपस्थित थे ।

मंगलवार, 3 मार्च, 1981

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

बयालसी इण्टर कालेज, जलालपुर, जौनपुर में प्रधानाचार्य की नियुक्ति

*1--श्री हरदेव (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बयालसी इन्टर कालेज, जलालपुर, जौनपुर में अवैधानिक ढंग से विद्यालय के वरिष्ठतम अध्यापक को बिना साक्षात्कार में बुलाये एवं समय से वैधानिक ढंग से प्रार्थना-पत्र दिये योग्य अभ्यर्थियों के प्रार्थना-पत्र वापस कराकर दिनांक 30 दिसम्बर, 1979 को एक अयोग्य व्यक्ति को प्रधानाचार्य नियुक्त कर लिया गया ? यदि हां, तो क्या विभाग इस अवैधानिक कार्यवाही को निरस्त करके सम्बन्धित व्यक्तियों को न्याय दिलाने की कृपा करेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

[मंगलवार 3 मार्च, 1981 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

बस्ती जिले के सदस्य विधान परिषद श्री शिव हर्ष उपाध्याय की हत्या

*1---श्री जयवन्त सिंह विष्ट---

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि भूतपूर्व विधान परिषद सदस्य एवं बस्ती जनपद के प्रतिष्ठित नेता श्री शिवहर्ष उपाध्याय की दिनांक 1-7-80 को गोली मारकर की जाने वाली हत्या की जांच दिनांक 1-8-80 को अपराध अनुसंधान विभाग को सरकार द्वारा सौंपी गयी थी ? यदि हां, तो विवेचना से अब तक क्या तथ्य प्रकाश में आये ? कितनी गिरफ्तारियां की गयीं ? क्या शासन उक्त काण्ड की जांच केन्द्रीय गुप्तचर विभाग से कराने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? श्री उपाध्याय के परिवार को शासन द्वारा क्या-क्या सहायता अब तक प्रदान की गई ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)---

जी हां लेकिन प्राप्त सूचना के अनुसार हत्या दिनांक 1-7-80 को नहीं अपितु 31-7-80 को हुयी थी । विवेचना से यह पाया गया कि श्री उपाध्याय की हत्या श्री शंभू शरण पान्डेय तथा उनके पुत्र श्री कैलाश कुमार पान्डेय ने अपराधिक षड़यन्त्र करके दो किराये के हत्यारों विनेश चन्द्र मिश्रा एवं रंजीत सिंह से करवायी । इन चारों को गिरफ्तार किया गया । चूंकि अपराध अनुसंधान विभाग की जांच से हत्या के रहस्य का अनावरण हो चुका है अतः सी० बी० आई० से जांच की आवश्यकता नहीं है । श्री उपाध्याय एक सम्पन्न व सम्भ्रान्त व्यक्ति थे अतः उनके परिवार को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गयी ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

माननीय अध्यक्ष जी, क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे की श्री शम्भूशरण पान्डेय तथा उनके पुत्र क्या काम करते हैं और हत्या कराने का उद्देश्य क्या था ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

श्री शम्भूशरण पान्डेय उसी विद्यालय में कुछ दिन के लिए प्रधानाचार्य नियुक्त हुए थे, जिसमें श्री उपाध्याय मैनेजर थे और उनके पुत्र वकालत करते हैं ।

श्री ऊदल—

मैं मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि जैसा मंत्री जी ने बताया कि शम्भू-शरण पान्डेय उक्त विद्यालय में प्रधानाचार्य थे जिसमें श्री शिवहर्ष उपाध्याय मैनेजर थे और मैनेजर ने उनके खिलाफ गबन की काफी शिकायतें की थीं इसलिए जालशाजी करके उनकी हत्या करायी गई, तो क्या इसकी जांच करायेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

प्रश्न नहीं समझा ।

श्री ऊदल—

श्री शिव हर्ष उपाध्याय ने जिनकी हत्या की गई उसी विद्यालय में मैनेजर थे और उन्होंने श्री पान्डेय के खिलाफ गबन की शिकायत की थी जिसकी रंजिश से शाजिस करके उन्होंने उनकी हत्या कराई है तो क्या इस चीज की सरकार जांच करायेंगी ? और जांच के तथ्यों से विधान सभा को अवगत करायेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है । शासन इस पर गम्भीरता से जांच करायेगा और जो जांच से जो तथ्य होगा उससे विधान सभा के माननीय सदस्यों को अवगत करायेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि श्री शम्भूशरण पान्डेय जिस विद्यालय में प्रिंसिपल थे उनके खिलाफ गबन का मामला था जिसके कारण उनकी हत्या इन्होंने करायी तो क्या गबन की जांच सी० आई० डी० द्वारा माननीय मंत्री जी करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यही तो ऊदल जी का प्रश्न था उसका उत्तर दे चुके हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा—

सी० आई० डी० द्वारा जांच करायेंगे गबन की ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

चूंकि यह गबन का मामला शिक्षा विभाग का है उनसे पूछतांछ की जा रही है, वह जैसा चाहेंगे वैसी जांच करा ली जायेगी ।

श्री माता प्रसाद पान्डेय--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कोई षडयंत्र इनकी पार्टी में वहां पर चल रहा है, जिसके कारण इसके पहले भी एक हत्या वहां पर हुई थी। इनकी पार्टी में राजनीतिक द्वन्द चल रहा है, जिसके कारण यह हत्या हुई ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को पुकारा नहीं गया)

*2--श्री प्रदीप कुमार यादव--

[10वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न सं0 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विधान सभा सदस्यों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमें एवं हिस्ट्रीशीटर होने का आरोप

*3--श्री आसरे वर्मा--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान विधान सभा के कितने सदस्य ऐसे हैं जिनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं अथवा चल रहे हैं ? क्या ऐसे भी विधायक हैं जो हिस्ट्रीशीटर रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

इस प्रश्न का उत्तर देने हेतु सूचना एकत्र करने में जितना समय व श्रम का व्यय होगा वह उसके उत्तर से प्राप्त लाभ के अनुपात में बहुत अधिक होगा।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, यह आपका अपमान है।

श्री राम आसरे वर्मा--

वर्तमान विधान सभा के कितने सदस्य ऐसे हैं जिनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमें हैं या चल रहे हैं और कितने ऐसे हैं जो हिस्ट्रीशीटर हैं यह प्रश्न था, मान्यवर, और जो उत्तर दिया है मंत्री जी ने उससे लगता है कि उन्होंने विधान सभा को बनिया की दुकान समझ लिया है। जब आपने अनुमति दे दी और एजेन्डा में आ गया तो शासन बाध्य हो जाता है उत्तर देने के लिए। अतः मैं अनुरोध करूंगा कि आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें और हमें उत्तर दिलायें।

श्री सूबेदार सिंह--

जब आपने स्वीकार कर लिया प्रश्न को तो उसका उत्तर न दिया जाये, यह सदन की मर्यादा का उल्लंघन का प्रश्न बन जाता है। मैं समझता हूं कि यह सदन की मर्यादा का उल्लंघन है अतः आप आदेशित करें कि उत्तर दे। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी के पास उत्तर भी है लेकिन उसे फाइलों के अन्दर रखना चाहते हैं।

श्री मोहन सिंह--

अगर यह स्पष्ट कर दें तो मंत्री बनने वालों की संख्या कम हो जायेगी।

श्री हुकम सिंह--

माननीय सूबेदार सिंह जी ने स्पष्ट आरोप लगाया है कि मंत्री जी के पास उत्तर है लेकिन किन्हीं कारण वश उत्तर नहीं देना चाहते। अगर ऐसी स्थिति है, तो मैं विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना देता हूं कि उत्तर होते हुए भी सदन को गुमराह करना चाहते हैं।

श्री विजय सिंह राना--

मंत्री जी कहते हैं कि खर्च ज्यादा होगा और लाभ कम, लेकिन मैं कहता हूं कि खर्च कम होगा और लाभ ज्यादा। जो डकैत और हत्यारे हैं अगर यह उजागर हो जायं, तो प्रदेश का कल्याण होगा।

श्री धर्म सिंह--

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सब सदस्यों को हिस्ट्रीशीटर बना रखा है ? किन नियमों के आधार पर सरकार ने इस प्रश्न को एलाऊ किया और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी ?

शोर (विपक्ष के लोग खड़े होकर शोर करने लगे)

इस प्रश्न को एजेन्डों में नहीं आना चाहिये था। इसको डिसएलाऊ करना चाहिये था। हम लोग 10 करोड़ जनता के प्रतिनिधि हैं, हमको चुनकर के जनता ने भेजा है। हम लोगों के लिये इस तरह का सवाल बिलकुल नहीं आना चाहिये था। मन्त्री जी इसको नोट करें।

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पिछले विधान सभा सत्र में मैंने लगभग इसी आशय का एक सवाल पूछा था, वह सवाल निरस्त कर दिया गया और जवाब यह आया कि प्रश्न व्यापक है, इस कारण जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन तत्कालीन गृह राज्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश सरकार माननीय हरी सिंह जी ने बुलन्दशहर में अपने खास मित्रों से यह बताया कि इसकी जांच करा ली गयी है और 90 लोगों पर आपराधिक मुकदमें चल रहे हैं और वे सभी कांग्रेस (आई0) को बिलांग करते हैं। क्या माननीय मन्त्री जी यह बात बतायेंगे कि वे सभी कांग्रेस (आई0) को बिलांग करते थे, क्या यह बात सही है ?

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मुझे बड़ा खेद है, इस प्रश्न को एजेन्डे पर देखकर भी और माननीय मन्त्री जी का जवाब देखकर भी। यह प्रश्न एजेन्डे पर भी नहीं आना चाहिये था और माननीय मन्त्री जी का जवाब यह आना चाहिये था कि "जनहित में नहीं है"। माननीय मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया है, वह उचित नहीं है। हम सभी माननीय सदन के सम्मानित सदस्य हैं। हम किसी भी ऐक्ट से गवर्न नहीं होते, न आई0 पी0 सी0 से, न पुलिस ऐक्ट से और न सी0 आर0 पी0 सी0 से किसी से भी गवर्न नहीं होते। यह प्रश्न अनुचित है और श्रीमन्, आप इसकी व्यवस्था करें।

श्री ऊदल--

(श्री राजेन्द्र त्रिपाठी की ओर इंगित करते हुये) अभी इनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं कुछ स्पष्टीकरण करना चाहता हूं।

मान्यवर, जिस माननीय सदस्य ने पहले हमारे पूर्ववर्ती, जो इस कार्य को देखते थे माननीय मन्त्री हरी सिंह जी का नाम लिया कि उन्होंने कहीं ऐसे ही कहा

कि 90 लोगों के विषय में जानकारी आयी है, यह न तो पत्रावली में है और न इस प्रकार की कोई बात मेरी जानकारी में है। माननीय सदस्य को भ्रम हो गया है, यह सूचना सत्य के परे है।

श्री अध्यक्ष---

ऐसा जो प्रश्न आया है एजेन्डे पर, तो ऐसा प्रश्न विगत विधान सभा में पूछा जा चुका था और वह एजेन्डे पर भी आ चुका था, उसी को देखते हुए इस प्रश्न की स्वीकृति दे दी गई और एजेन्डे पर आया। यह तो एक बात हुई कि प्रश्न पहले पूछा गया था, एजेन्डे पर आया, आज पूछा गया और एजेन्डे पर आया। दूसरे, इसका उत्तर जो यह आया कि इसमें जितना श्रम और खर्चा लगेगा उसके हिसाब से लाभ नहीं होगा, इस सम्बन्ध में एक दूसरे प्रश्न के सन्दर्भ में एक निर्णय पहले हो चुका है कि किसी प्रश्न के उत्तर में यह कहना कि इसमें जो खर्चा, समय या श्रम लगेगा, वह सार्वजनिक हित में नहीं है, अनुचित नहीं है। 2 सितम्बर, 1958 को नारायण दत्त तिवारी ने एक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था का प्रश्न उठाया---

"मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि हमारे नियमों के अनुसार इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि मंत्री लोग इस प्रकार का जवाब दें कि अमुक प्रश्न का उत्तर देना समय और श्रम या खर्चे के अनुकूल नहीं है। वह केवल यही कह सकते हैं कि हम जवाब देना पब्लिक इंटरेस्ट में उचित नहीं समझते। इसके अलावा जब आप सवाल स्वीकार कर देते हैं, तो उन्हें उत्तर देना लाजिमी हो जाता है, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि इस प्रकार का उत्तर कि "समय या खर्च या श्रम अधिक लगेगा" जो समय पर दिया जाता है, कहां तक पार्लियामेन्टरी पद्धति के अनुकूल है। मैंने मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस भी देखी, उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे नियमों में केवल एक ही बात है कि गोपनीय है या सार्वजनिक हित में नहीं है, इसलिये हम उत्तर नहीं देते।"

श्री अध्यक्ष ने इस पर व्यवस्था दी---

"मैं 10, 12 साल से देख रहा हूं कि यहां उत्तर देने की यही प्रथा रही है, चाहे यह कहीं और हो या न हो यह कोई अनुचित भी नहीं है, इतना ही उत्तर देने से कि उत्तर देना सार्वजनिक हित में नहीं है, बहुत से लोगों को तसल्ली नहीं होती, इस कारण उत्तर में कहा जाता है कि क्या बात सार्वजनिक हित में नहीं है। इसलिए यह बताते हैं कि इतना खर्चा और मेहनत उत्तर देने में खर्च करना सार्वजनिक हित में नहीं है।"

इस तरह की बात यहां आयी थी। मैं इस पर पुनः विचार करके अपना विचार आपके सामने रखना चाहता हूं। जहां तक किसी प्रश्न के सम्बन्ध में श्रम और उसमें होने वाले खर्च का सम्बन्ध है वह इसी से आंका जा सकता है कि प्रश्न का उत्तर स्वतः कितना लाभकर और जनहित में होगा। अगर उसका उत्तर देना जनहित में है, तो उसके खर्च और श्रम के सम्बन्ध में कोई मात्रा की गणना करना उचित नहीं है। आज जो यह प्रश्न उठा है, मैं समझता हूं कि जब यह प्रश्न कभी उठाया और एजेन्डे पर आया, आज भी यह एजेन्डे पर आया और माननीय रियासत हुसैन ने जो मेरे सामने बात रखी और माननीय धर्मसिंह ने एक बात रखी उस पर मैंने विचार किया। यहां सदन में किसी के चुने जाने के लिए किसी को यहां आने के लिए, एक कानून के अन्तर्गत हमारे संविधान में, हमारे देश के जो बौद्धिक लोग थे उन्होंने एक नतीजा निकाल

था कि इस सदन में आने के लिए कुछ लोग अनर्ह होंगे और बाकी अर्ह होंगे। उन अनर्हताओं को उन्होंने निश्चित कर दिया है। उन अनर्हताओं के होते हुये कोई यहां नहीं आ सकता है, तो जो अर्हतायें निश्चित की गयीं थीं, उनके अन्तर्गत जो माननीय सदस्य यहां चुनकर आ गये, इसके अतिरिक्त और कोई अर्हतायें या अनर्हतायें सदन में उनको लाने के लिए आवश्यक नहीं है। यहां पर इस तरह का प्रश्न पिछली विधान सभा में पूछा गया था और पिछली बार भी शायद विपक्ष की तरफ से पूछा गया होगा और इस विधान सभा में पूछा गया है और इसमें भी विपक्ष की तरफ से पूछा गया है। कभी विपक्ष में बैठ कर हम इस प्रश्न की आवश्यकता महसूस करते हैं और सरकारी पक्ष में बैठकर महसूस नहीं करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो अर्हतायें निश्चित की गयी हैं उनके अन्तर्गत जो माननीय सदस्य चुनकर आ गये उनके सम्बन्ध में ऐसे प्रश्नों के लिए कृपया आप अपने को सीमित रखें और ऐसे प्रश्नों को न करें। ऐसे प्रश्न करना सदन की मर्यादा के लिए और प्रजातंत्र के आधारभूत जो सिद्धांत हैं, उनकी मर्यादा के लिये यह अमर्यादित प्रश्न है।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें।)

इनका हल आप निकाला करें। सदन की मर्यादा के लिये जब जिस कानून से वह योग्य होकर, चुनकर यहां आ गये तो ऐसे प्रश्न से किसी चीज को उद्घाटित करना प्रजातन्त्र और सदन की मर्यादा के हित में नहीं है। अतः इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना आवश्यक नहीं है।

श्री ऊदल—

मान्यवर, हम लोगों को तो आपने हिदायत दे दिया और हम लोग मान गये, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है और उसका उल्लंघन नहीं करेंगे। लेकिन आप उनको भी राय दें कि प्रश्नों का उत्तर समझबूझ कर दिया करें। मान्यवर, आज ही श्री जगदीश प्रसाद के 2-3 प्रश्नों का उत्तर मिला है कि—श्रम लगेगा और पैसा खर्च होगा—तो इनको भी ट्रेनिंग दे दें कि जिनका उत्तर देना ठीक नहीं है उनके बारे में उत्तर देना जनहित में ठीक नहीं होगा, ऐसा उत्तर दिया करें, ऐसी प्रक्रिया में भी हैं, इसलिए ट्रेनिंग आप इनको भी दे दें। मान्यवर, ज्यों ही यह प्रश्न आया, मैंने कहा था कि इसका उत्तर देना जतहित में ठीक नहीं है यह कह दें लेकिन मंत्री जी ने उल्टा उत्तर दे दिया जो कि ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि शासन कोई भी उत्तर सदन में दे, तो सदन को विश्वास में लेकर उत्तर दे और प्रश्न को कम से कम ऐसा बनाया जाय जिसको जनहित में कहकर उसके उत्तर को रोका न जाय अन्यथा सदन को विश्वास में लेकर उत्तर देना चाहिये और राष्ट्र के हित के अनुसार ऐसा प्रश्न आता है तो उनको ही रखा जाय, अन्यथा सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाय।

*4—श्री पंचानन—

[12वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

मुजफ्फरनगर के ग्राम लांक निवासी श्री पारस की हत्या

*5—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मंत्री को मालूम है कि थाना फुगाना, जिला मुजफ्फरनगर में 31-8-79 को चिक नं0 126 द्वारा धारा 364 के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम

हुआ ? जिसमें ग्राम लांक, थाना फुगाना के निवासी पारस पुत्र मेवा को उसी ग्राम के संतू द्वारा बुलाया गया और उसी समय से उसके गुम होने की रिपोर्ट हुई, बाद में थाना अध्यक्ष ने पारस की लाश को हरपाल आदि की निशानदेही पर जंगल से बरामद किया ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि पुलिस ने इस केश में अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत घटना के सम्बन्ध में दिनांक 31-8-9 को थाना फुगाना, जिला मुजफ्फरनगर पर श्री माहो चन्द्र पुत्र श्री मेघा जाट निवासी ग्राम लांक की सूचना पर अपराध सं0 126 अन्तर्गत धारा 364 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत हुआ । प्रथम सूचना में कथन था कि उसी ग्राम का सतपाल उर्फ सत्तू प्रार्थी के भाई को बुलाकर ले गया था और तभी से प्रार्थी का भाई घर वापस नहीं आया । दिनांक 3-9-79 को पुलिस द्वारा उक्तवादी के भाई श्री पारस की लाश जंगल में खेत में गड़ी हुई बरामद की गई । उक्त लाश हरपाल आदि की निशानदेही पर बरामद नहीं की गई । अभियोग में सभी पांचों अभियुक्तों का चालान न्यायालय किया जा चुका है तथा अभियोग न्यायालय के विचाराधीन है ।

*6--श्री राम आसरे वर्मा--

[15वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न सं0 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*7--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[24-2-81 का अतारांकित प्रश्न सं0 158 द्वारा उत्तरित]

बेसिक शिक्षा अधिकारी, श्री कमलापति प्रधान, जिला बस्ती के विरुद्ध आरोपों की जांच

*8--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में बेसिक शिक्षा अधिकारी (श्री कमलापति प्रधान) द्वारा की गई अनियमितताये एवं विद्यालयों से मिल कर शासकीय धन के अपहरण की जांच वर्तमान जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा की गई है ? यदि हां, तो क्या आरोप सत्य पाये गये ? तो क्या शासन द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं विद्यालयों के प्रति कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां । प्रारम्भिक जांच आख्या में श्री कमलापति प्रधान, तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस्ती के विरुद्ध शिक्षा अधीक्षक के पद पर अनियमित नियुक्ति, अध्यापकों का अनियमित स्थानान्तरण, विभागीय आदेशों की अवहेलना करते हुए विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, अनशासनहीनता दुराचरण एवं कर्त्तव्य विमुकता आदि के आरोप थे । अतः उन्हें दिनांक 15-11-80 से निलम्बित कर दिया गया है और अब उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है । जांच पूरी होने के उपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा मंत्री जी से कि मान्यवर, पूरे सवाल का जवाब नहीं आया है। मैंने प्रश्न किया था जिसके अंत में है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं विद्यालयों के प्रति कोई कार्यवाही की जा रही है और मान्यवर, हुआ यह है कि बैक डेट में मान्यता देकर लाखों रुपये अनुदान के रूप में कक्षा 1 से 5 तक में एक ही स्कूल को 44 हजार रुपये दे दिया और कई स्कूलों को लाखों रुपये दे दिया। तो मैं जानना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जो अवैध धन से अपने अधिकार का दुरुपयोग करके, इन विद्यालयों से, जो कार्यवाही कागज में हुई है, उनको जो धन दिया इन्होंने, तो उसको वापस कराने के लिए और इनके मैनेजमेन्ट के खिलाफ कार्यवाही करने की कौन सी प्रक्रिया अपना रहे हैं, यह बताने का कष्ट करें ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री सच्चिदानन्द)—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई थी और उसी के आधार पर बेसिक शिक्षा अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया है, जांच के जो परिणाम सामने आयेंगे, कार्यवाही की जायेगी।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जांच की प्रक्रिया में कोई विद्यालय नहीं दोषी पाया गया जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में पढ़ा कि दुराचरण, अनुशासनहीनता एवं कर्तव्य की विमुकता आदि आरोप थे, तो क्या जांच की प्रक्रिया में किसी विद्यालय में ऐसा दोष नहीं पाया गया कि उन्होंने फर्जी तरीके से रुपया निकाल लिया हो, इस सम्बन्ध में आपको अभी तक कोई आख्या मिली या नहीं ?

श्री सच्चिदानन्द—

अभी शिकायतों के आधार पर निलम्बन किया गया है। जांच के आधार पर यह सारी चीजें आ जाने के बाद सारी कार्यवाही की जायेगी।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, क्या कोई आख्या इसके ऊपर है या नहीं, मान्यवर, इसका उत्तर दिला दें।

श्री सच्चिदानन्द—

शिकायतों की जांच चल रही है, जांच हो जाय तब कोई कार्यवाही की जायेगी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

कोई आरोप ऐसे रह ही नहीं गये ? मैं माननीय मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहता हूं कि साढ़े चार लाख रुपया निकाला गया और फर्जी प्राइमरी स्कूल चल रहा है, जो विद्यालय चलते नहीं थे, उन्हें रुपया बैक डेट से दे दिया गया। फर्जी वाउचर सबमिट करके जो लोग इस षड़यंत्र में शामिल थे, उनको निलम्बित किया गया है या नहीं ?

श्री सच्चिदानन्द—

जो इस तरह के रिकार्ड है, उन्हें शासन को उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है । शिकायतों के आधार पर इनका निलम्बन किया गया है, इसमें दूसरा प्रश्न कहां उठता है ।

कुमारी अलमेलु अम्माल—

निलम्बित करने के लिए शिक्षा मंत्री को धन्यवाद देती हूं और साथ ही यह जानना चाहती हूं कि कितना धन उन्होंने गबन किया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, इस विषय पर जांच हो रही है । मैं आपको आश्वासन देती हूं कि जो भी जांच की रिपोर्ट आयेगी, उचित कार्यवाही की जायेगी ।

श्रीमती कमला साहनी—

मान्यवर, प्राइमरी अध्यापकों के माध्यम से श्री कमलापति प्रधान बलाली का काम करते थे और श्री गया प्रसाद तिवारी सहायक अध्यापक, हरैया भी इसमें शामिल थे, तो क्या इन अध्यापकों के प्रति कोई कार्यवाही विभाग द्वारा की जा रही है ?

श्री सच्चिदानन्द—

12 विद्यालयों के सम्बन्ध में कहा गया है, चाहे वहां के अध्यापक दोषी हों या चाहे मैनेजमेन्ट के पास रुपया हो, जांच की रिपोर्ट आ जाने पर उनके खिलाफ कार्यवाही निश्चित रूप से शासन करेगा ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि जांच की जा रही है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जांच किसके द्वारा की जा रही है, सी० आई० डी० के द्वारा या विजिलेन्स के द्वारा, सारा मामला कब तक सामने आ जायेगा ?

श्री सच्चिदानन्द—

जांच के लिए शिक्षा निदेशक से कहा गया है कि इसकी जांच करावें । प्रारम्भिक रूप से जिला विद्यालय निरीक्षक को सरसरी तौर से देखने को कहा गया है और इस पर कार्यवाही करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

श्री हुकम सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिससे आपने सरसरी जांच कराई है, उसकी कोई अनन्तरिम रिपोर्ट आपके पास आयी है ?

श्री सच्चिदानन्द—

उस सरकारी जांच की रिपोर्ट आने पर ही कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं बड़े गौर से माननीय मन्त्री जी का उत्तर सुन रहा था और मैं सोच रहा था कि क्या बाजपेयी जी केबिनेट के मंत्री हो गये हैं और श्रीमती बख्शी राज्य मन्त्री, क्योंकि उत्तर तो श्रीमती बख्शी जी ने पढ़ा और प्रश्नों के उत्तर

श्री बाजपेयी जी दे रहे हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विद्यालयों को मान्यता देने के लिये जो कमेटी होती है उस कमेटी का अध्यक्ष होता है जिला विद्यालय निरीक्षक आरोप यह भी है कि गलत मान्यता दी गई । गलत मान्यता देने के लिये जिला विद्यालय निरीक्षक ही दोषी हैं, तो इसकी जांच जिला विद्यालय निरीक्षक से कराने का क्या औचित्य है ?

श्री सच्चिदानन्द--

केवल मान्यता का प्रश्न नहीं है , इसी तरह के दूसरे भी आरोप हैं और उनकी जांच कराई जा रही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जो भी आरोप लगे हैं, आरोप की सत्यता का तो मुझे पता नहीं लेकिन जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है उस बारे में जानना चाहता हूं कि गलत मान्यता दी गई, तो क्या उस आधार पर बेसिक शिक्षा अधिकारी को निलम्बित करेंगे और जिला विद्यालय निरीक्षक के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री सच्चिदानन्द--

बेसिक शिक्षा अधिकारी को तो निलम्बित कर ही दिया गया । दूसरे जो मान्यता का प्रश्न है वह जिला विद्यालय निरीक्षक ने नहीं दिया । आपको तो यह प्रशंसा करनी चाहिए थी कि विभाग द्वारा कितनी त्वरित कार्यवाही की गई । उससे आगे भी जांच हो रही है और उसी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, यह 12 स्कूलों का मामला है, इसमें आफिसर्स भी इन्वाल्व हैं और एक टेंटेटिव एमाउन्ट को लेकर इन्क्वायरी शुरू हुई है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वह एमाउन्ट कितना है ?

श्री सच्चिदानन्द--

मान्यवर, यह सारे प्रश्न विचाराधीन हैं और जांच हो रही है ।

श्री रियासत हुसन--

कोई एक एमाउन्ट तो होगा जैसे 8 लाख या 10 लाख कुछ भी कोई एक एमाउन्ट होगा उसे माननीय मंत्री जी बताय ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री मुईद अहमद--

बेसिक शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया जिससे यह बात साबित हो गई कि वहां पर भ्रष्टाचार था , मान्यता के सम्बन्ध में पूछना चाहूंगा कि मान्यता अकेले बेसिक शिक्षा अधिकारी नहीं देता है । मान्यता बेसिक शिक्षा अधिकारी, डी0 आई0 ओ0 एस0 और डी0 वाई0 आई0 एस0 तीनों के द्वारा मान्यता दी जाती है तो फिर अकेले बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मान्यता कैसे दे दी दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जो मान्यता दे दी गई और जो अनुदान दे दिया गया, तो वह मान्यता डिरिकग्नाइज कब तक करेंगे और अनुदान को रिकवर कराने की कार्यवाही करेंगे कि नहीं ?

श्री सच्चिदानन्द--

मान्यवर, प्राइमरी पाठशालाओं के सम्बन्ध में मान्यता उन्हें नहीं देनी चाहिये थी और चूंकि प्राइमरी पाठशाल की मान्यता बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दिया है और इसीलिए उसका निलंबन किया गया है ।

इलाहाबाद, उच्च न्यायालय की बेन्च मेरठ म स्थापित किये जाने के सम्बन्ध मे किया गया निर्णय

*9--श्री किरन पाल सिंह---

क्या सरकार बतायेगी कि गत सरकार ने (श्री बनारसी दास की) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की मेरठ बेंच स्थापित करने का फैसला कर लिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

न्याय मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)---

श्री बनारसीदास जी के मुख्य मन्त्रित्व में सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक बेन्च मेरठ में स्थापित करने का निर्णय लिया था । भारत सरकार को उक्त निर्णय की सूचना देते हुये भारत सरकार से मामले में शीघ्रता से औपचारिक निर्णय लेकर आवश्यक विधायन बनाये जाने का अनुरोध किया गया था । भारत सरकार ने मामले में वर्तमान सरकार के विचारों से अवगत कराने को कहा है । यह मामला भारत सरकार तथा राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच मेरठ में स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार को क्या लिखा ? कृपया इसे सूक्ष्म में पढ़कर सुना दें ।

श्री जगदीश प्रसाद---

श्रीमन्, भारत सरकार ने 10 अक्तूबर, 1979 को यह सूचित किया था कि जो न्याय की पीठ संसद के लिए स्थापित किया जायेगा, इस मामले को आगे लोकसभा में उनका पुनर्गठन होने के बाद इस पर विचार किया जायेगा ।

उसके बाद श्रीमन्, 20 अगस्त के पत्र द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को इससे अवगत कराया गया । 6 सितम्बर को मंत्रि परिषद् की बैठक हुई । उस पर विचार हुआ । उसमें एक सब कमेटी का निर्माण हुआ केबिनेट की । सब कमेटी ने अपनी रिकमन्डेशन दे दी है केबिनेट को । अब यह मामला मंत्रि परिषद् के विचाराधीन है ।

श्री हुकम सिंह--

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सब कमेटी की रिपोर्ट क्या हैं और क्या उत्तर प्रदेश सरकार सिद्धान्त रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेन्च की स्थापना के प्रश्न को स्वीकार करती है ? यदि हां, तो कब बेन्च की स्थापना होने की सम्भावना है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

चूंकि मामला अभी मंत्रि परिषद् के विचाराधीन है, इसलिए अभी हम इस स्थिति में नहीं हैं कि कोई बात बतलाई जाय ।

श्री हुकम सिंह---

सब कमेटो की रिपोर्ट क्या है ? रिपोर्ट, तो आपके सामने आ गई है ।

श्री अध्यक्ष---

हुकम सिंह जो यह केबिनेट को सब कमेटी है । केबिनेट की रिपोर्ट यह कैसे बतायेंगे ?

श्री सूबेदार सिंह---

आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट किस तारीख को मंत्रि परिषद् को दी है और उसके बाद मंत्रि परिषद् की कितनी मीटिंग हुई ? क्या किसी मीटिंग में इस विषय पर कोई चर्चा आई ?

श्री अध्यक्ष---

मंत्रि परिषद् के अन्दर चर्चा आई या नहीं इसको कैसे बतायेंगे ?

श्री रियासत हसैन---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो बनारसी दास की सरकार ने रिकमन्डेशन केन्द्र को भेजी थी, केन्द्र ने अपनी टिप्पणी लगाकर उसे आपके पास भेज दिया है, क्या उसमें इफ्स एण्ड बट्स केन्द्र ने लगाये हैं, या येज सच वापस भेजी है कि मौजूदा सरकार अपनी राय इस पर भेजे ।

श्री जगदीश प्रसाद---

श्रीमन्, जैसा मैंने आप से निवेदन किया मई, 1979 में सरकार ने कुमाऊं गढ़वाल पर्वतीय अंचलों की जनता की सुविधा को ध्यान में रख कर उच्च न्यायालय की बेंच को स्थापित करने का विचार किया । मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया गया । मेरठ में उच्च न्यायालय की बेंच स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया था । उसके कार्य क्षेत्र में मेरठ, कुमाऊं और गढ़वाल मंडल, बुलन्दशहर, सहारनपुर, चमोली, 13 जिले होंगे...।

रियासत हुसैन---

श्रीमन्, प्रश्न यह था कि केन्द्रीय सरकार ने जो मौजूदा सरकार से इसके ऊपर टिप्पणी मांगी है, तो उसने उसमें एज सच जैसा कि पिछली सरकार ने भेजा था, केवल उसी को टिप्पणी मांगी है अथवा कोई इफ्स एण्ड बट्स लगाकर रिपोर्ट मांगी है ?

श्री जगदीश प्रसाद---

वह मामला मंत्रि-मंडल के विचाराधीन है, इसलिये इस समय उसके बारे में बताना उचित नहीं है ।

श्री अध्वक्ष---

उनका प्रश्न यह है कि यहां से जो प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजा गया था और केन्द्रीय सरकार ने उस पर आपसे टिप्पणी मांगी है, तो उसके बारे में ज्यों की त्यों आपसे पूछा है या कोई विशेष बात वहां से उसमें पूछी गई है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

मान्यवर, उसने राज्य सरकार के विचारों से अवगत कराने के लिये कहा है और कोई विशेष बात नहीं है ।

श्री धर्म सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि बनारसी दास को सरकार ने जो संस्तुति की थी, इलाहाबाद की एक बेंच खोलने के लिये, उसके बारे में मैं स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि उस वक्त सेन्टर में किसकी सरकार थी और उसके सामने क्या मजबूरियां थीं जिसकी वजह से वह नहीं हो सका ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय धर्म सिंह जी, यहां की सरकार ने निर्णय लिया कि वहां पर बेंच खोल दी जाय, अब आप किस सरकार की मजबूरी की बात पूछना चाहते हैं ?

श्री धर्म सिंह--

मैं पूछ रहा हूं कि वहां किन लोगों की सरकार थी और उसके सामने कौन सी मजबूरियां थीं कि वह इस काम को न कर सकी ?

श्री अध्यक्ष--

आप प्रदेशीय सरकार की मजबूरियां पूछ रहे हैं या केन्द्रीय सरकार की मजबूरियां पूछ रहे हैं ?

श्री धर्म सिंह--

मैंने प्रश्न किया है कि माननीय बनारसी दास की सरकार ने यहां से कुछ संस्तुतियों की थीं, तो उस समय सेन्टर में किस पार्टी की सरकार थी और उसके सामने कौन सी मजबूरियां थीं कि वह बेंच न खोली जा सकी ?

श्री अध्यक्ष--

यहां जो भी सरकार थी...

श्री धर्म सिंह--

मान्यवर, मैं आपसे उत्तर नहीं मांग रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके प्रश्न का उत्तर दिलाऊं या न दिलाऊं । आपके प्रश्न का उत्तर दिलाना आवश्यक है या नहीं यह मैं आपको बता रहा हूं : यहां पर प्रदेशीय सरकार जो भी रही हो उसने एक निर्णय लिया और उस निर्णय को केन्द्रीय सरकार के पास भेज दिया । केन्द्रीय सरकार ने उसको इस वक्त तक नहीं लिया । केन्द्रीय सरकार की क्या मजबूरियां थीं, उसको प्रदेशीय सरकार चाहे वह तब की हो या अब की हो, वह नहीं बता सकती है ।

अलीगढ़, बागपत काण्ड के सम्बन्ध में प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी

*10--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 23-7-80 को जिला अलीगढ़ में बागपत काण्ड के सिलसिले में प्रदर्शन करते हुये प्रदर्शनकारियों को निषेधाज्ञा भंग

करने के अपराध में भा0 दं0 वि0 को धारा 242/7 सी0 आर0 एमेन्डमेन्ट ऐक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार कर थाने ले जाया गया ? क्या यह भी सच है कि पुलिस लाइन्स में पुलिस की हिरासत से प्रदर्शनकारी फरार हो गये, जिनमें से कुछ दिन बाद उनको उनके घरों से पकड़कर दुबारा भा0 द0 वि0 की दूसरी धारा 225/224 के अन्तर्गत चलान किया गया ? यदि हां, तो उन पुलिस अधिकारियों जिनकी हिरासत से प्रदर्शनकारी फरार हो गये, के विरुद्ध क्या सरकार सख्त कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

दिनांक 23-7-80 को जिला अलीगढ़ में बागपत काण्ड के सिलसिले में प्रदर्शन करते हुये प्रदर्शनकारियों को निषेधाज्ञा भंग करने के अपराध में भा0 दं0 वि0 की धारा 242/7-सी0 आर0 अमेन्डमेन्ट ऐक्ट के अन्तर्गत नहीं गिरफ्तार किया गया था बल्कि उन प्रदर्शनकारियों द्वारा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उनका घेराव करने तथा बल प्रयोग करने को उतारू होने पर तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की लिखित रिपोर्ट पर, धारा 342 भा0 दं0 वि0 तथा 7 क्रिमिनल ला एमेन्डमेन्ट ऐक्ट के अधीन उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस लाइन में जुडीशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था तथा वहीं पर उनके वारन्ट बनवाये गये थे ।

प्रदर्शकारियों को जब जेल ले जाया गया तो वे जेल के फाटक से अपने अन्य समर्थकों की भीड़ में घुस कर भागने में सफल हो गये । फरार बन्दियों के विरुद्ध धारा 224/225/342 भा0 दं0 वि0 का अपराध संख्या 615 थाना सिविल लाइन, अलीगढ़ पर पंजीकृत किया गया । फरार प्रदर्शनकारियों में से 10 अभियुक्तों, जिनमें 7 महिलायें एवं 3 पुरुष थे, को उनके घरों से दिनांक 25-7-80 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया । इसके अतिरिक्त 178 ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया । शेष 41 फरार प्रदर्शनकारियों को पकड़ने की कार्यवाही की जा रही है ।

बन्दियों के फरार होने के सम्बन्ध में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (आपूर्ति) अलीगढ़ द्वारा मजिस्ट्रियल जांच कराई जा रही है और यदि इस जांच से किसी की असावधानी या लापरवाही पाई जाती है, तो आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । यह जांच अभी पूरी नहीं हुई है ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि यह जांच अभी पूरी नहीं हुई है, यह सन् 1980 के सातवें महीने की बात है, तो मैं जानना चाहता हूं कि जो मन्त्री जी ने कहा कि भागे प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध तो कार्यवाही कर रहे हैं, लेकिन जिनके नियन्त्रण से वह भागे उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहे हैं । दूसरा प्रश्न यह जुलाई, 1980 की बात है जिसकी जांच अभी तक चल रही है, तो मैं जानना चाहता हूं कि यह कब तक पूरी कर दी जायगी और जो 40 फरार हैं, उनको कब तक पकड़ लेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, मैंने पहले प्रश्न का उत्तर दिया कि जिनके नियन्त्रण से वह भागे और कैसे वह गये इसी के लिये अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अलीगढ़ से जांच कराई जा रही है । जब जांच की संस्तुति आ जायेगी तो जो भी दोषी होंगे उनको दण्ड दिया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें कई प्रश्न उठते हैं। प्रदर्शन कारियों में एक महिला एम0 पी0 थी जो कि प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही थीं। मैं जानना चाहूंगा कि कितने बजे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया, उसमें कितनी महिला थी और कितने पुरुष थे, उनको जेल ले जाने वाले कितने पुलिस कर्मचारी थे और जेल कितनी दूर है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, पहला प्रश्न माननीय नेता विरोधी दल ने किया कि वह पुलिस ने कितने बजे उनको अपनी गिरफ्त में लिया, तो उस दिन प्रदर्शनकारी पहले कहते रहे कि जो घेराव किया है, वह हम साढ़े 4 बजे उठा लेंगे। लेकिन बाद में यह जो प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रही संसद सदस्या थीं उन्होंने यह कहा कि हमने अभी माननीय चौधरी चरण सिंह से टेलीफोन पर बात की है और उन्होंने कहा कि घेराव मत उठायें। और जब तक घेराव करने वालों की गिरफ्तारी न हो जाए, तब तक स्थान न छोड़ा जाए। तो 7 बज कर 10 मिनट पी0 एम0 (अपराह्न) में उनको उन्होंने अपनी गिरफ्त में लिया। प्रदर्शनकारी महिलाओं की संख्या 30 थी और उनको ले जाने वाले 1 अफसर तथा एक प्लाटून पी0 ए0 सी0 के सिपाही थे।

श्री रियासत हुसैन—

आपने कहा है कि वह अपने समर्थकों से मिल कर भागे हैं, लेकिन जैसा बताया गया उनकी इतनी फोर्स थी कि उसमें कुछ शंका मालूम पड़ती है। इससे स्पष्ट होता है कि उनकी नेग्लीजेंस से वह भागे, तो जो वहां पर ड्यूटी पर थे, जिनकी नेग्लीजेंश आफ ड्यूटी, में वह भागे क्या उनको कोई इसके लिए नोटिस दी गई है ? उनके खिलाफ कोई ऐक्शन क्यों नहीं लिया गया है ?

श्री अध्यक्ष—

बताया तो उन्होंने मैजिस्टीरियल जांच हो रही है।

श्री मुईद अहमद—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है . . .

श्री अध्यक्ष—

देखिये, प्रश्न पूछने के बीच में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

माननीय सदस्य ने यह इच्छा जाहिर की है कि जिनकी नेग्लिजेंस आफ ड्यूटी हुई, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और क्यों नहीं की गई, इस सन्दर्भ में उन लोगों से पूछा गया और उन्होंने जिन परिस्थितियों का वर्णन किया है कि कैसे वह भागे, आप कहें तो संक्षेप में उसका वर्णन कर दूं।

श्री राजेन्द्र सिंह—

इतनी फोर्स के होंते हुए, इतने लोगों का जिनके साथ एक महिला एम0 पी0 भी थी, भागना सही नहीं है, तो आप यह बताएं कि उससे पहले क्या डिस्ट्रिक्ट जेल, अलीगढ़ के अधीक्षक ने शासन को और डी0 एम0 को यह सूचित

कर दिया था कि इस जेल में फर्दर अन्य कैदियों को लाने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है दूसरी बात उन्होंने भागने का स्थान कहां बताया है पुलिस ने बताया है कि जब हम उनको स्टेशन ले जा रहे थे । आप उसको पढ़ दें ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

वैसे नेता विरोधी दल तो स्वयं जेल के फाटक के अन्दर थे और वह जानते थे कि वहां क्या-क्या हो रहा है । वे लोग जेल के पास तक फाटक तक ले जाय गये और वहां जेल के अन्दर जो पहले के प्रदर्शनकारी थे वे कहते थे कि इनको अन्दर न लाया जाय, इनको अन्दर लायेंगे तो दिक्कत होगी और उनकी दिक्कत यह थी कि उन्होंने यह कहा कि चूंकि उनको दूसरे सेक्शन में बन्द किया गया है। फिर उनमें ही आपस में भगदड़ मच गयी । उसका भी कारण था, वह यह था कि वह समझे थे कि सिर्फ घेराव करना है और उन पर जब दूसरे अपराध लगें और उनको लगा कि अब ज्यादा दिन अन्दर रहना पड़ेगा, तो उनमें आपस में भगदड़ मच रही थी । जब उनको वहां लाया गया, तो वहां अधिकारियों ने तय किया कि जब जेल में जगह नहीं है, तो उनको बरेली जेल ले जायेंगे और बरेली जेल में ले जाने से पहले थोड़े दिन उनको यहां ही रखा जाय । वे यह सुनते ही डर गये और सिनेमा छूटा तो उनके साथ ही भागने लगे । महिला की जहां तक बात है, उनका नाम नहीं लूंगा, एक महिला कह रही थी कि यदि तुम लोगों ने पकड़ा, तो मैं बागपत तैयार कर दूंगी, तो अब सारे मामले की जांच कराई जा रही है । महिलायें यह कह रही थी कि अगर तुम लोग पकड़ोगे तो बागपत वाला काण्ड कर देंगे ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

जिस सिनेमा का जिक्र कर रहे हैं, उसका जिला जेल से कितना डिस्टेन्स हैं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

वह डिस्टेन्स कुछ फर्लांग में है । अगर आप आज्ञा देंगे, तो मैं पता लगा कर माननीय नेता विरोधी दल को सूचना भिजवा दूंगा ।

श्री मोहन सिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस घटना की मजिस्टीरियल जांच किस तारीख से करा रहे हैं और कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मजिस्टीरियल जांच शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिये गये हैं ।

श्री मोहन सिंह—

मैं जानना चाहता हूं कि किस तारीख से करा रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

31 से, उसी महीने की ।

श्री मोहन सिंह—

आप निश्चित तारीख बताइये मेरी जानकारी है कि जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न कर दिया, तो विभाग की लापरवाही को छुपाने के लिए शासन ने तब आदेश दिए और मजिस्टीरियल जांच करा दी। इसकी निश्चित तारीख तो आप बता दें ?

श्री अध्यक्ष—

31 जनवरी बतायी है ।

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में प्रदर्शनकारी और आन्दोलनकारी करके सम्बोधित किया जा रहा है । प्रदर्शकारी जो होते हैं, वे बड़े बहादुर होते हैं, वे जेल जाने से भी नहीं डरते हैं ...

(व्यवधान)

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

जातिवाद, साम्प्रदायिकता एवं अव्यवस्था के सम्बन्ध में न्यायाधिकरण की स्थापना का मांग

*11—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश में जातिवाद, साम्प्रदायिकता एवं अव्यवस्था को दूर करने के लिए स्वतन्त्र न्यायाधिकरण की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

प्रदेश में ऐसे किसी न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है ।

विधान में जो प्राविधान उपलब्ध हैं वे इस सम्बन्ध में पर्याप्त हैं ।

श्रीमती गौरी देवी—

प्रदेश के मन्त्रिमंडल और सत्तारूढ़ दल में भी जाति संघर्ष है, उनके उच्च अधिकारियों, विधायकों और मंत्रियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर हत्या, लूट, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, जिनमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है लेकिन सच होते हुए भी दोषी व्यक्तियों का पर्दाफाश नहीं हो पाता है, न ही वे दण्डित हो पाते हैं, तो क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी के विचार में इसके लिए एक स्वतन्त्र न्यायाधिकरण की आवश्यकता नहीं है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, यह प्राविधान भारतीय दण्ड सहिता की धारा 153–ए, 153–बी, 295–ए, 124–ए में है । इसमें दण्डित किया जा सकता है । कोई दूसरे की आवश्यकता नहीं है ।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 11 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

लखनऊ इण्डस्ट्रियल कालेज, लखनऊ के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के अध्यापकों का चयन

*12--श्री सन्त बख्श रावत--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के इन्डस्ट्रियल इन्टर कालेज, लखनऊ में अंग्रेजी तथा वाणिज्य विषयों के लिए आरक्षित स्थानों की पूर्ति के लिए एल0 टी0 वेतन-क्रम के अन्तर्गत साक्षात्कार, दिनांक 14-12-79 को हुआ था ? क्या यह सही है कि उक्त पदों पर अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के व्यक्तियों को न चुनकर अन्य व्यक्तियों को लिया गया ? यदि हां, तो क्यों और कैसे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

शिक्षा संशोधित अधिनियम के अध्याय 2 के विनियम 10(ध) के अनुसार साक्षात्कार हेतु सात अभ्यर्थियों के नाम भेजे गये थे । चयन समिति ने सामान्य अभ्यर्थी का चयन किया था । पद आरक्षित कोटे के थे। अतः चयन समिति द्वारा चुने गये दोनों अभ्यर्थियों की नियुक्तियां अमान्य घोषित कर दी गयीं । चयन किये गये अध्यापकों ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की है । प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन है ।

बाराबंकी जिले के थाना कुर्सी के शौचालय का निर्माण

*13--श्री श्याम लाल बाजपेयी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत थाना कुर्सी के निर्माण के समय पुलिस जनों की सुविधा के हेतु जो शौचालय बना था, क्या उसे किसी को देकर दूकानों का निर्माण करा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध शासन कार्यवाही करेगा ?

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

थाना कुर्सी के निर्माण के समय उसमें कोई शौचालय बना ही नहीं था । अतः दुकानों के निर्माण हेतु उसे किसी को देने आदि का प्रश्न ही नहीं उठता ।

*14--श्री धर्मवीर सिंह त्यागी--

[माननीय सदस्य ने वापस लिया ।]

प्रदेश में बेरोजगार बी0 टी0 सी0 एवं बी0 एड0 अध्यापक

*15--श्री सूबेदार सिंह तथा श्री केदार नाथ सिंह--

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में बी0 टी0 सी0 एवं बी0 एड0 उत्तीर्ण किये हुये बेरोजगार अध्यापकों की संख्या लाखों में है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि इन प्रशिक्षित अध्यापकों को रोजगार प्रदान करने की क्या योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्रदेश में बी० टी० सी० एवं बी० एड० प्रशिक्षित बेरोजगारों की संख्या लाखों में नहीं, हजारों में है । इन प्रशिक्षित अध्यापकों को रोजगार प्रदान करने की कोई विधिवत् योजना शासन द्वारा नहीं बनाई गयी है और न ही इन प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापकों को रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराने का शासन ने कोई दायित्व ही लिया था । कार्यरत अध्यापकों की सेवा निवृत्ति, मृत्यु एवं पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त होने वाले पदों पर और नये विद्यालयों के खोले जाने के फलस्वरूप नये सृजित पदों पर नियुक्तियां करके उनको यथासंभव सेवायोजित किये जाने का प्रयास किया जाता है ।

शाहजहांपुर के ग्राम खेडारट के श्री सोदान सिंह के विरुद्ध लिखायी गयी चोरी की रिपोर्ट

*16--श्री राम करन तथा श्री परमाई लाल--

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि शाहजहांपुर के थाना जैतीपुर के ग्राम खेड़ारट में अक्तूबर, 1980 के आखिरी सप्ताह में दरोगा ने चोरी के धान मुलजिमान से बरामद किये फिर भी चारों के विरुद्ध अन्तिम रिपोर्ट लगा दी ? क्या यह सही है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में मुलजिमान नामजद थे ? यदि हां, तो दरोगा के विरुद्ध गलत कार्य करने हेतु क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

यह गलत है कि शाहजहांपुर के थाना जैतपुर के ग्राम खेड़ारट में अक्तूबर, 1980 के आखिरी सप्ताह में दरोगा ने चोरी का धान मुल्जिमान से बरामद किये और बाद में चोरों के विरुद्ध अन्तिम रिपोर्ट लगा दी ।

तथ्य यह है कि दिनांक 25-10-80 को श्री सौदान सिंह पुत्र श्री नौबत सिंह, निवासी ग्राम खेड़ारट ने थाना जैतीपुर में एक अभियोग अपराध संख्या 306 धारा 379 आई० पी० सी० के अन्तर्गत दर्ज कराया । विवेचना में अभियोग गलत पाये जाने के कारण अंतिम रिपोर्ट न्यायालय को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर दी गई है । अतएव दरोगा के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

नगरपालिका क्षेत्र फर्रुखाबाद के बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों एवं कर्मचारियों की भविष्य निधि

*17--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका क्षेत्र फर्रुखाबाद के अंतर्गत कार्यरत बेसिक शिक्षा अध्यापक एवं अध्यापिकाओं की भविष्य निधि का लेखा-जोखा तथा धन 1972 से अब तक बेसिक शिक्षा परिषद्, जनपद फर्रुखाबाद को नगरपालिका फर्रुखाबाद द्वारा नहीं दिया गया है जिसके फलस्वरूप अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं में घोर असंतोष व्याप्त है ? यदि हां, तो शासन इस कार्य को कब तक पूर्ण करने की कार्यवाही करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

हां, बेसिक शिक्षा परिषद्, फर्रुखाबाद के नगर क्षेत्र फर्रुखाबाद के अध्यापकों एवं कर्मचारियों का 1-7-72 से पूर्व का पूरा लेखा जोखा एवं धन 3,60 611 रुपया अभी तक नगरपालिका फर्रुखाबाद द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद् को हस्तान्तरित नहीं किया गया ।

नगरपालिका फर्रुखाबाद ने अपने बजट 1980-81 में इस दायित्व को निपटाने के लिये प्राविधान कर लिया है और इस वित्तीय वर्ष में इसका हस्तान्तरण प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका ने बेसिक शिक्षा परिषद् को कर दिये जाने को कहा है ।

*18--श्री मोती लाल देहलवी--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण हटाया गया ।]

बी० टी० सी० परीक्षाफल की घोषणा

*19--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि बी० टी० सी० आंशिक पुराना पाठ्यक्रम जिनकी परीक्षा अप्रैल, 1980 में हुई थी का परीक्षाफल अभी तक घोषित नहीं किया गया ? क्या यह सच है कि इस अनावश्यक विलम्ब से सैकड़ों अध्यापकों के जीविकोपार्जन पर असर पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या शासन शीघ्र परीक्षाफल घोषित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

परीक्षाफल सितम्बर, 1980 में घोषित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*20--श्री मित्रसेन--

[8-2-81 की तारांकित प्रश्न संख्या 97 द्वारा उत्तरित]

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बन्च मेरठ में स्थापित किये जाने की मांग

**1--श्री नरेन्द्र सिंह--

क्या न्याय मंत्री को ज्ञात है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना की पुरानी मांग को लेकर उक्त क्षेत्र की जनता तथा वकील समुदायों में भारी रोष है और मेरठ मण्डल तथा मुरादाबाद मण्डल की जनता एवं वकील समुदाय दिनांक 2-2-81 से तीन दिन के लिये न्यायालयों का बहिष्कार कर रहे हैं तथा लम्बे संघर्ष के लिए कटिबद्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय (इलाहाबाद) की पीठ की स्थापना करेगी ?

श्री जगदीश प्रसाद—

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना की मांग के समर्थन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों, विशेष तौर पर सहारनपुर, देहरादून तथा मेरठ के बार संघ के सदस्यों द्वारा मेरठ में उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना की मांग के समर्थन में दिनांक 3 से 5 फरवरी, 1981 तक न्यायालयों का बहिष्कार किये जाने की सूचना शासन को प्राप्त हुयी है । पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों के लिये मेरठ में उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना का मामला भारत सरकार तथा राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

श्री हुकम सिंह—

माननीय, केवल 5 फरवरी तक की बात नहीं है, बल्कि उस तमाम क्षेत्र में काफी समय तक अनिश्चित काल के लिए न्यायालयों का बहिष्कार जारी रहा । माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इससे पूर्व में जब कांग्रेस आई के मंत्रिमण्डल में श्री नारायण दत्त तिवारी जी थे । उनके शासन काल में इस सम्बन्ध में केन्द्र को भेजी गयी थी और फिर श्री बनारसी दास जी ने भी अपनी सिफारिश केन्द्र को भेजी थी । उस पर अब तक क्या किया गया ? क्या अभी तक सिद्धान्तरूप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ को स्थापित किये जाने का प्रश्न भारत सरकार तथा राज्य सरकार के बीच विचाराधीन है ?

श्री जगदीश प्रसाद—

श्रीमन्, यह विषय राज्य सरकार की मंत्रि परिषद् के विचाराधीन है और उसके निर्णय के बाद ही कुछ बतलाया जा सकता है ।

श्री हुकम सिंह—

जब तक आन्दोलन हो कर दो चार घर नहीं जल जाते, दो चार दूकानें नहीं लूट ली जाती तब तक सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती । 15 दिन से आन्दोलन हो रहा है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ जब कि आन्ध्र प्रदेश जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि में सब जगह खंड पीठ की स्थापना हो चुकी है । यह सबसे बड़ा प्रदेश है । इलाहाबाद से मेरठ, मुजफ्फरनगर तथा सहारनपुर का फासला बहुत दूर बैठता है । एक तरफ तो यह मामला सरकार के विचाराधीन है, लेकिन क्या दूसरी तरफ इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के कुछ वकीलों को स्पष्टरूप से माननीय मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि खंड पीठ की स्थापना मेरठ अथवा किसी पश्चिमी जिले में वह नहीं होने देंगे ?

श्री जगदीश प्रसाद—

यह मामला ऐसा है, जो आन्दोलन से नहीं, बुद्धि से, लीगली, आपस में विचार विनिमय करके तय होना चाहिये था । लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि यह आन्दोलन वहां हो रहा है । जहां तक माननीय सदस्य ने मेरे द्वारा किसी का आश्वासन देने की बात कही तो इस तरह की कोई बात नहीं है । यह गलतफहमी माननीय सदस्य के दिमाग में है । यह मामला मुख्य रूप से मंत्रि परिषद् के विचाराधीन है और यह मामला किसी मंत्री अथवा विधायक का व्यक्तिगत मामला नहीं है, इसलिये मंत्रि परिषद् के निर्णय के बाद ही कुछ किया जा सकता है ।

श्री धर्म सिंह--

यह मामला पिछली सरकारों तथा इस सरकार के विचाराधीन रहा है लेकिन कोई सकारात्मक हल नहीं हो पाई है, तो क्या मुख्य मंत्री जी कोई केबिनेट की सब कमेटी बना कर विशेष रूप से कोई डेलीगेशन भिजवायेंगे ताकि उस पर कार्यवाही हो सके ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जैसा मैंने पहले निवेदन किया था पूर्व की सरकारों ने इस विषय पर निर्णय लिया था, लेकिन निर्णय लेने के बाद यह मामला कुछ राजनीतिक स्तर से ऐसे उलझाया गया, जिससे आज तक समस्या हल नहीं हो पाई। यह हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है कि जब कभी विरोध पक्ष के किसी माननीय नेता ने मुख्य मंत्री बनने की ख्वाहिश की हो उसने इस प्रदेश के बटवारे की बात कही अथवा प्रधान मंत्री बनने की बात की तो उसने प्रदेश में अलग-अलग हाई कोर्ट्स की स्थापना की बात की और जब उसे मौका मिला, तो उसने उसकी स्थापना नहीं की। यह हमारा दुर्भाग्य रहा है लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया यह मामला हमारे विचाराधीन है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

व्यवस्था का प्रश्न है। मैं इसमें नहीं जाता कि इलाहाबाद के वकीलों को क्या आश्वासन दिया गया, लेकिन यह सही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश आन्दोलित है 17 जिलों के वकील आन्दोलन कर रहे हैं। मैं भी इसे अच्छा नहीं समझता कि आन्दोलन किया जाय लेकिन असंतोष जब सीमा पार कर जाता है, तो आन्दोलन मजबूर हो कर लोग करते हैं। माननीय मंत्री जी विषय की गम्भीरता को समझते हुए उत्तर देते कि जल्दी निर्णय लिया जायगा, लेकिन माननीय मंत्री जी ने उलटे आरोप लगाया विपक्ष के नेताओं पर और कहा कि नेता पद के लिये अपनी सरकार बनाने के लिये ऐसे सवाल कर देते हैं। क्या माननीय मंत्री जी को किसी की नियत पर शंका करने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, वह कुछ इस पर कह देते तो अच्छा होता।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुख्य मंत्री जो कुछ कहना चाहेंगे।

श्री रियासत हुसैन--

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आन्दोलन चल रहा है माननीय मुख्य मंत्री जी इस सम्बन्ध में कुछ कह दें तो उचित होगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मान्यवर, यह कहा जा चुका है कि विचाराधीन है और इस समय मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि गम्भीरता पूर्वक विचार किया जायेगा।

क्राइस्ट चर्च डिग्री कालेज, कानपुर के अध्यापकों की कथित हड़ताल

**2—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री को इसकी जानकारी है कि कानपुर के क्राइस्ट चर्च डिग्री कालेज के अध्यापकों द्वारा आजकल हड़ताल कर देने से अध्यापन कार्य की भीषण क्षति हो रही है ? यदि हां, तो हड़ताल के कारण क्या हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

आजकल क्राइस्ट चर्च कालेज, कानपुर में अध्यापकों ने कोई हड़ताल नहीं कर रखी है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जब मैंने प्रश्न की सूचना दिया था, जनवरी के आखिरी सप्ताह में, क्या उस समय क्राइस्ट चर्च कालेज में हड़ताल थी या नहीं ? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि क्या यह सही है कि 26 जनवरी को जो अनेक अध्यापक माननीय मुख्य मन्त्री से मिले थे और उन्होंने यह शिकायत दी थी कि कानपुर के रहने वाले राज्य मन्त्री के सुपुत्र के द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने के कारण अध्यापक आंदोलित हैं और वह हड़ताल कर रहे हैं । उनकी शिकायतों से अपने को संतुष्ट करते हुए माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जिलाधिकारी को आदेश भी दिया था ? यदि हां, तो माननीय मुख्य मन्त्री जी को उन्होंने क्या शिकायत की थी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, हड़ताल वहां रही 2–3 दिन और वहां पर उचित व्यवस्था कर दी गयी थी और वहां पर जिस अध्यापक को शिकायत थी, उनकी सुरक्षा का और महाविद्यालय को सुरक्षा का तुरन्त प्रबन्ध कर दिया गया था । उस दिन के बाद से बिलकुल वहां पर शांति है । न मालूम इस प्रश्न को क्यों उठाया जा रहा है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, क्या यह सही है कि 26 जनवरी को कानपुर से क्राइस्ट चर्च कालेज के अनेक अध्यापक माननीय मुख्य मन्त्री से मिले थे ? यदि हां, तो अध्यापकों ने कोई शिकायतनामा भी दिया था कि कानपुर के रहने वाले राज्य मन्त्री के सुपुत्र के द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने के कारण अध्यापक आंदोलित हैं और हड़ताल कर रहे हैं और उस पर माननीय मुख्य मन्त्री ने जिलाधिकारी को जांच का आदेश भी दिया था । मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां के अध्यापकों ने माननीय मुख्य मन्त्री को क्या शिकायत दी थी तथा माननीय मुख्य मन्त्री ने जो जिलाधिकारी को जांच का आदेश दिया था, उसमें जांच के उपरान्त क्या तथ्य पाये गये ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, उन्होंने यह शिकायत की थी कि वहां पर जो अध्यापक श्री ए0 एन0 दीक्षित हैं, उनके लिए सम्पूर्ण व्यवस्था तथा सुरक्षा का इन्तजाम तुरन्त ही कर दिया जाय । माननीय मुख्य मन्त्री ने तुरन्त ही आदेश कर दिया था और आश्वासन दिया था कि तुरन्त उचित कार्यवाही की जायगी और उसके लिए जिलाधिकारी महोदय को आर्डर भी दे दिया गया था और अब तो वह स्ट्राइक 30 तारीख को वापस भी हो चुकी है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय गुप्ता जी ने पूछा कि जिलाधिकारी की रिपोर्ट क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

इसको मान्यवर, सूचना की आवश्यकता पड़ेगी । आपने हड़ताल के बारे में पूछा था, तो मैंने हड़ताल के बारे में बता दिया कि हड़ताल वापस ले ली गयी है ।

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, माननीया मन्त्री जी ने बताया कि कुछ अध्यापकों ने शिकायत की थी और वह शिकायत भूतपूर्व छात्र के बारे में थी । मैं यह माननीया मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह भूतपूर्व छात्र क्या किसी मौजूदा राज्य मन्त्री का लड़का है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, जो बात पूछी गयी थी, मूल प्रश्न में, वह मैंने बता दिया और अब माननीय विधायक को इससे संतुष्ट हो जाना चाहिए ।

प्रश्न यह आता है कि हड़ताल है कि नहीं, तो, मान्यवर, हड़ताल समाप्त हो गयी है, नहीं है । वह जवाब दे दिया । कारण क्या है, वह भी बता दिया ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय रियासत हुसैन और माननीय भीखा लाल जी, अगर आप लोग चाहते हों, तो पुनः स्पष्ट कर दें अपनी बात को, वरना मैं समझाऊंगा ।

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, जब भूतपूर्व छात्र की बात है, तो भूतपूर्व छात्र का नाम क्या है और उसके पिता का नाम क्या है, कृपया माननीया शिक्षा मन्त्री जी बता दें ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, भूतपूर्व छात्र का नाम नवीन चन्द्र पाठक है जो राज्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश सरकार, श्री राम नरायन पाठक का पुत्र है ।

(शेम-शेम के नारे विरोध पक्ष में)

श्री धर्म सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से मालूम करना चाहता हूं कि क्या किसी मन्त्री के पुत्र का विद्यार्थी होना गुनाह है, जो इस तरह से लांछन लगाया जा रहा है, उधर से ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मुझको कृपया सुनने दें ।

एक सदस्य--

वह जो कहना चाहते थे, सुन लिया ।

श्री अध्यक्ष--

आपने सुन लिया लेकिन निर्देशित न करें । हमको भी सुन लेने दें ।

श्री धर्म सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या किसी मन्त्री का कोई बेटा होना और विद्यार्थी होना गनाह है जो उधर से इस तरह का लांछन लगा रहे हैं ? आखिर किस बात के लिये ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपया बैठ जायं ।

एक सदस्य--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगी कि किसी मन्त्री के बेटे द्वारा इस तरह की हरकत करने पर क्या सजा दी जायेगी ?

श्री अध्यक्ष--

कृपया शांत रहें । कृपया बैठ जायं ।

जो प्रश्न पूछा गया है, उस पर उत्तर देने के लिये मैंने मन्त्री को नहीं कहा । इस तरह से खड़े होना आवश्यक नहीं । कोई प्रश्न पूंछना चाहते हों, तो पूछ लें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मन्त्री जी से दो बातें जानना चाहते हैं । एक तो यह कि जिलाधिकारी की कोई रिपोर्ट है कि नहीं ? अगर जिलाधिकारी की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हुयी हो, तो बता दें । नम्बर 2--मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस अध्यापक के लिये सुरक्षा की व्यवस्था कर दी गयी है, तो जिस व्यक्ति से उक्त अध्यापक के लिये असुरक्षा का प्रश्न पैदा होता है, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, जब मैंने निवेदन कर दिया है कि सुरक्षा का प्रबन्ध कर दिया गया है, तो माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर उसी म समाहित हो जाता हैं । अकलमन्द के लिये इशारा काफी है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, प्रश्न है कि जिस व्यक्ति के कारण असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हुयी है, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

मैंने, मान्यवर, कह तो दिया कि अकलमन्द के लिये इशारा काफी है ।

(शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं एक प्रश्न और जानना चाहता हूं । केवल एक प्रश्न । अब माननीय मुख्य मंत्री जी आ गये हैं । बड़ा गम्भीर प्रश्न है और मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी से सम्बन्धित भी है क्योंकि जब माननीय मुख्य मंत्री जी 26 तारीख को वहां गये थे, तो वहां के आतंकित गुरुजनों ने उनसे शिकायत की थी । तब माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिलाधिकारी को यह आदेश दिये थे कि इसकी इन्क्वायरी की जाए, तो मान्यवर, इन्क्वायरी की गयी और इनके पास रिपोर्ट मौजूद है । उस लड़के के खिलाफ क्या-क्या शिकायतें स्वीकार की गयीं और उस पर क्या कार्यवाही अब तक की गयी । इसका उत्तर, माननीय मुख्य मत्री जी बैठे हैं, इनसे दिलवा दीजिए ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित सदस्य को बताया जा चुका है कि जो आतंकित सम्मानित अध्यापक हैं, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था कर दी गयी है और जहां तक जो अव्यवस्था की बात है, जो भी अव्यवस्था या आतंक फैलाया गया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उस पर पूरी कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से उनका सरमन सुनना नहीं चाहता कि जो कानून भंग करेगा, उसको सजा दी जायेगी । बल्कि यहां पर उस लड़के के प्रति जो कार्यवाही शासन द्वारा की गयी है, वह बता दें और जिलाधिकारी की रिपोर्ट क्या है ?

श्री सच्चिदानन्द---

मान्यवर, 30 तारीख से वहां की व्यवस्था ठीक से काम कर रही है । जो भी कार्यवाही की गयी माननीय सदस्य स्वयं आई० पी० सी० जानते हैं । मान्यवर, जिस तरह की उन्होंने शिकायतें की हैं, गाली आदि देने की, उस पर जो आवश्यक कार्यवाही की जा सकती थी, वह जिलाधिकारी द्वारा की गयी, जिससे पूरे कालेज के अध्यापक संतुष्ट हैं ।

अतारांकित प्रश्न

सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला बांदा के कर्मचारी, श्री जग्गू की पेंशन

1--श्री ऊदल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले की तहसील करवी के गांव खरौंधनिवासी जग्गू मेठ पुत्र चिल्हू ने 1-10-80 को एक प्रार्थना पत्र

सहायक अभियन्ता, सा० नि० वि० (डी० सी० यू०), करवी, जिला बांदा को दिया था जिसकी प्रतियां मुख्य अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, सा० नि० विभाग और सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पेंशन अनुभाग, लखनऊ को भेजी थी जिसमें शिकायत की गई थी कि लगातार 45 वर्षों तक सेवा करने के बाद रिटायर होने पर पेंशन स्वीकृत नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगदीश प्रसाद—

तथाकथित पत्र दिनांक 1-10-80 प्राप्त नहीं हुआ । कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता । श्री जग्गू वर्कचार्ज के कर्मचारी थे जिन्हें 1-3-77 से नियमित अधिष्ठान में लिया गया । वे 30-6-80 को सेवानिवृत्त हो गय । अतः कोई पेंशन देय नहीं है ।

गोंडा जिले के नवाबगंज कन्या इन्टर कालेज में लिपिकों का चयन

2—श्री छेदी लाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोन्डा में नगरपालिका, नवाबगंज के कन्या इन्टर कालेज में दिनांक 22-10-80 को लिपिकों का चयन सम्पन्न हुआ है ? यदि हां, तो क्या चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति-पत्र जारी कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कमला दत्त शर्मा, विद्युत् सुपरवाइजर, सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ की पेंशन

3—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कमला दत्त शर्मा, विद्युत् सुपरवाइजर, सार्वजनिक निर्माण विभाग के राज भवन, लखनऊ से 1972 में सेवा-मुक्त होने पर उनको पेंशन ग्रेच्युटी दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद—

10 वर्ष की स्थायी सेवा पूर्ण न होने के कारण नियमानुसार श्री कमला दत्त को पेंशन देय नहीं है । अतः भुगतान का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रेच्यूटी की धनराशि का 75 प्रतिशत का भुगतान किया जा चुका है । शेष भुगतान किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

4—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[स्पष्टीकरण के अभाव में हटाया गया ।]

देवरिया जिले के कुर्नानाला का पुल

5—श्री कुबेर भंडारी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जनपद के पास कुर्नानाला पर लगभग 10 लाख रुपये से बना पुल, जिसका निर्माण काल 10 वर्ष के लगभग है, ध्वस्त हो गया है जिससे यातायात पूर्ण अवरुद्ध हो गया है ? यदि हां, तो अल्प समय में ही पुल टूट जाने तथा ध्वस्त हो जाने के क्या कारण हैं ? दोषी निर्माणकारी अधिकारियों को दंडित करेंगे ?

श्री जगदीश प्रसाद—

जी नहीं ।

6—श्री पंचानन—

[6ठे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

7—श्री राजकुमार राय—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

जौनपुर जिले की पीली नदी पर सिंगरामऊ तथा सिरकिना ग्राम के पुल निर्माण की मांग

8—श्री जंगबहादुर—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद के विकास क्षेत्र, बदलापुर में सिंगरामऊ तथा सिरकिना ग्रामों के मध्य पीली नदी पर पुल निर्माण करने की कोई योजना उनके विभाग द्वारा विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसे शीघ्र पूरा करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगदीश प्रसाद—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय इण्टर कालेज, गदरपुर, जिला नैनीताल के प्रधानाचार्य, श्री ब्रह्मदत्त पाण्डेय का अवकाश

9—श्री जगदीश सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री ब्रह्मदत्त पाण्डेय, प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, गदरपुर (नैनीताल) वर्ष 1979 में कितने दिन विद्यालय से अनुपस्थित रहे और क्या अनुपस्थिति काल का पूरा वेतन बिना अवकाश स्वीकृत हुए, लेते रहे ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सत्य है कि श्री पाण्डेय दिनांक 7-12-78 से 20-12-78 तक बिना अनुमति के विद्यालय भवन में निवास करते रहे और वेतन का 10 प्रतिशत मकान किराया भी लेते रहे ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

10--श्री कृष्ण कुमार शुक्ल--

[स्पष्टीकरण के लिये हटाया गया ।]

शाहजहांपुर जिले के ग्राम अगरोली व नगरिया खुर्द के मुल्जिमानों को थाना जैतीपुर द्वारा प्राप्त सम्मन

11--श्री परमाई लाल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर के थाना जैतीपुर के ग्राम अगरोली व नगरिया खुर्द के मुल्जिमान के तलबी हेतु शाहजहांपुर के विभिन्न न्यायालयों द्वारा भेजे गये सम्मन 1-8-80 से 30-11-80 तक कितने थाना जैतीपुर की पुलिस को प्राप्त हुये और उपरोक्त अवधि में पुलिस द्वारा कितने सम्मन अदम तामील वापिस किये गये ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

शाहजहांपुर के थाना जैतीपुर के ग्राम अगरोली व नगरिया खुर्द के मुल्जिमान के तलबी हेतु शाहजहांपुर के विभिन्न न्यायालयों द्वारा 46 सम्मन 1-8-1980 से 3-11-1980 तक थाना जैतीपुर पर प्राप्त हुए थे । उनमें से 20 सम्मन उरोक्त अवधि में पुलिस द्वारा अदम तामील वापिस किये गये ।

12--श्री जंगबहादुर--

[3रे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

देवरिया जिले में थानों का निर्माण

13--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जिला के अन्तर्गत कितने थाने (पुलिस स्टेशन) सत्र 1980-81 में खुल रहे हैं तथा कितने प्रस्तावित हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

देवरिया जनपद के अन्तर्गत चार नवीन थाने सत्र 1980-81 में स्वीकृत किये गये हैं तथा पांच नवीन थानें प्रस्तावित हैं ।

14--श्री मित्रसेन--

[6ठे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

गोरखपुर जिले के भवन विहीन प्राइमरी, स्कूल एवं जूनियर हाई स्कूल

15--श्रीमती गौरी देवी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गोरखपुर जिले में कितने बेसिक व जूनियर विद्यालय भवन विहीन हैं ? पिछले 5 वर्षों में किन-किन विद्यालयों के मरम्मत हेतु कितना धन खर्च किया गया ? क्या भवन विहीन विद्यालयों के भवन निर्माण कराने की योजना है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

गोरखपुर जिले में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित 342 प्राइमरी स्कूल तथा 24 जूनियर हाई स्कूल भवनहीन है । वर्ष 1975–76, 1976–77 और 1977–78 में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों की मरम्मत हेतु शासन द्वारा कोई धन स्वीकृत नहीं किया गया था । वर्ष 1978–79 में मरम्मत हेतु कुल 1,40,965 रुपया जनपद गोरखपुर को उपलब्ध कराया गया जिससे मरम्मत हेतु विद्यालय भवनों का सूची संलग्न है । वर्ष 1979–80 में इस कार्य हेतु 19,500 रुपया स्वीकृत किया गया है जिससे मरम्मत होने वाले विद्यालयों की सूची जिला बेसिक शिक्षा समिति के विचाराधीन हैं ।

भवनहीन प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों के भवनों के निर्माण का कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा आरम्भ किया गया है किन्तु सीमित संसाधनों के कारण सभी भवनहीन स्कूलों का निर्माण निकट भविष्य में सम्भव नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1075 पर ।)

मदन मोहन मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज, गोरखपुर में एम० ई० की कक्षा चलाये जाने की मांग

16—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मदन मोहन मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज, गोरखपुर में एम० ई० की कक्षाएं चलाए जाने का प्रस्ताव प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार को भेजा गया है ? यदि हां, तो एम० ई० की कक्षाएं कब से प्रारम्भ की जाएंगी और विलम्ब का कारण क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां । भारत सरकार की स्वीकृति मिलते ही एम० ई० की कक्षायें शुरू कर दी जायेगीं । भारत सरकार की स्वीकृति अपेक्षित है ।

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के अनुदेशक, हास्टेल वार्डेन एवं सहायक भण्डारी की नियुक्ति

17—श्री मित्रसेन—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय में अप्रैल, 1980 से अब तक कितने हास्टल वार्डेन सु० स्टोर कीपरों तथा अनुदेशक की तदर्थ नियुक्तियां निदेशक द्वारा की गयी हैं ? उनमें से कितने अनुसूचित जाति के और कितने पिछड़ी जाति के कर्मचारी हैं ?

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित)—

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के अन्तर्गत अनुदेशक, हास्टल वार्डेन तथा सहायक भंडारी के नियुक्ति प्राधिकारी संयुक्त निदेशक (प्रशासन) हैं ।

कार्य के हित में संयुक्त निदेशक (प्रशासन) द्वारा निदेशक के अनुमोदन से, निम्नलिखित नियुक्तियां तदर्थ रूप से की गई :

(क) हास्टेल वार्डेन के कुल 28 पद रिक्त थे। उसके विपरीत केवल 13 पदों पर तदर्थ नियुक्तियां की गई। इसमें से एक अभ्यर्थी पिछड़ी जाति का और एक अनुसूचित जाति का था।

(ख) सहायक स्टोर कीपर के कुल 14 पद रिक्त थे। उसके विपरीत केवल एक पद पर तदर्थ नियुक्ति की गई।

(ग) अनुदेशक के कुल 69 पद रिक्त थे। उसके विपरीत केवल 34 पदों पर तदर्थ नियुक्तियां की गई। इनमें से 3 अभ्यर्थी पिछड़ी जाति के और 3 अनुसूचित जाति के थे।

प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ में अध्यापकों की नियुक्ति

18--श्री राजकुमार राय--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1978-79 में आजमगढ़ जनपद में घोसी तहसील में कितने प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले गये, कितने अध्यापक रखे गये और उस पर कितना रुपया व्यय हुआ तथा कितने प्रौढ़ों को शिक्षित किया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद आजमगढ़ की घोसी तहसील में वर्ष 1978-79 में अनौपचारिक शिक्षा योजना एवं किसान साक्षरता योजनान्तर्गत शासन द्वारा कुल 49 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले गये। इन प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों पर एक अध्यापक प्रति केन्द्र की दर से कुल 49 अध्यापक रखे गये, 45,615·55 रु0 का व्यय हुआ और 1,492 प्रौढ़ों को प्रशिक्षित किया गया।

कुमायूं के जंगलों में अग्निकाण्ड की घटना

19--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह मई-जून, 1980 में कुमायूं के जंगलों में आग लगने से झाड़ी पेड़, घास की जड़ जल गई थी जिससे पर्वतीय क्षेत्र में पेय जल का अभाव हो गया है ? यदि हां, तो ऐसी व्यवस्था करेंगे कि भविष्य में आग न लगे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

यह सच है कि माह मई, जून 1980 में कुमायूं के जंगलों में आग लगने से झाड़ी, पेड़ घास की जड़ें जल गयी थीं। परन्तु इसकी सूचना नहीं है कि झाड़ी, पेड़, घास की जड़े जलने से पर्वतीय क्षेत्र में पेय जल का अभाव हो गया है। बनों की अग्नि से सुरक्षा हेतु वन-विभाग द्वारा प्रतिवर्ष हर सम्भव प्रयास किये जाते हैं।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में उपाचार्य (साहित्य) की नियुक्ति

20--श्री राम अहसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में दिनांक 1-11-80 को उपाचार्य (साहित्य) पद पर स्थायी

नियुक्ति हेतु कौन-कौन अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु बुलाये गये थे ? क्या यह भी सही है कि जिस अभ्यर्थी की नियुक्ति उपरोक्त पद पर की गई है वह अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में कम योग्यता रखता था ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

उपाचार्य (साहित्य) पद के लिए कुल नौ अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु बुलाये गये थे । उनके नाम हैं :

1--डा0 राजकुमार द्विवेदी
2--डा0 दशरथ द्विवेदी
3--श्रीमती मंजु कुमारी शर्मा
4--डा0 वायुनन्दन पाण्डेय
5--श्री सूर्य प्रसाद मिश्र
6--श्री जनार्दन गंगाधर रटाटे
7--श्री इन्द्रदेव द्विवेदी
8--श्री शिवजी उपाध्याय
9--श्री बृज भूषण त्रिपाठी

चयन समिति ने केवल एक ही व्यक्ति को नियुक्ति हेतु उपयुक्त पाया और उसी की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बाराबंकी जिले में व्यक्तियों को प्रदान की गई शैडो की सुविधा

21--श्री श्यामलाल बाजपेयी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद में प्रदेश शासन अथवा जिला प्रशासन की तरफ से कितने लोगों को मुफ्त "शैडो" सुविधा प्रदान की गई है ? क्या शासन मुफ्त शैडो देने के कारण शैडो शुदा लोगों का स्तर तथा नाम बताने की कृपा करेगी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

राजनैतिक प्रतिद्वन्द्विता, स्थानीय गुटबन्दी एवं अवांछनीय तत्वों से जीवन भय होने के कारण जनपद बाराबंकी में तीन विशिष्ठ महानुभावों की सुरक्षार्थ अंगरक्षक नियुक्त हैं । इन महानुभावों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए नाम व स्तर बताना उचित न होगा ।

आजमगढ़ जिले में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

22--श्री राजकुमार राय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत जो सड़क बनी ह वह बरसात के कारण बह गई है ? क्या पुनः मरम्मत कराने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी नहीं । कोई भी मार्ग बहा नहीं है । केवल वर्षा से क्षति हुई है । यह धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

राज्य वस्त्र निगम लि0, गोरखपुर के अपर डिवीजन असिस्टेन्ट, श्री रामलक्षन सिंह का कथित आवेदन-पत्र

23--श्रीमती गौरी देवी--

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री रामलक्षन सिंह, भूतपूर्व अपर डिवीजन असिस्टेन्ट, उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लि0, गोरखपुर ने दिनांक 2 अप्रैल, 1974 को प्रधान कार्यालय, उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लि0, 7, सर्वोदय नगर, कानपुर को अपने वेतन एवं बोनस के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र दिया था ? यदि हां, तो क्या उन्हें अपना वेतन व बोनस प्राप्त हो गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्योग मंत्री (श्री नियाज हसन खां)--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहायक सब इन्सपेक्टर पुलिस कैडर की समाप्ति

24--श्री हरिवंश सहाय--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में सहायक सब इन्सपेक्टर पुलिस (ए0 एस0 आई0) की भरती हेतु कांस्टेबिलों से करने की योजना स्थगित है ? वह पुनः चालू कब से कर दी जायेगी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्रदेश में सहायक सब-इन्सपेक्टर पुलिस (ए0 एस0 आई0) कैडर को डाइंग कैडर दिनांक 26 सितम्बर, 1974 को घोषित किया जा चुका है । अब इस योजना को पुनः चालू करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

श्रम विभाग के अधिकारी, श्री राजनारायण मिश्रा द्वारा ली गई रिश्वत

25--श्री भीखालाल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 4 सितम्बर, 1979 को लेबर डिपार्टमेन्ट के एक अधिकारी (श्री राजनारायण मिश्रा) को सतर्कता विभाग के एक दल ने अम्बर होटल, कानपुर के कमरा नं0 28 में इन्डस्ट्रियल गैसेज लि0, कानपुर के एक अधिकारी से दस हजार रुपया रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था और जिसका मुकदमा कानपुर की अदालत में चल रहा है ? क्या यह भी सही है कि मंत्रिमंडल के एक सदस्य ने 16 अगस्त, 1980 को तथा 17 सितम्बर, 1980 को न्याय मंत्री को पत्र लिखे और कई विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक स्मृति-पत्र मुख्य मंत्री को दिया जिसमें यह अनुरोध किया था कि उक्त मुकदमा वापस ले लिया जाये ? यदि हां, तो उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

बेरोजगार बी० टी० सी० अध्यापक

26--श्री मित्र सेन--

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में बेरोजगार बी० टी० सी० की संख्या क्या है ? किस वर्ष तक के बेरोजगार बी० टी० सी० कार्यरत हो चुके हैं ? शेष कब तक कार्यरत कर दिये जायेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आई० टी० आई०, अलीगंज, लखनऊ में श्री केदारनाथ हरिजन को अनुदेशक मोटर मैकेनिक पद नियुक्त किये जाने सम्बन्धी पत्र

27--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या श्रम मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सही है कि प्रदेश कांग्रेस (आई०) के अध्यक्ष ने श्री केदारनाथ पासी (हरिजन) को अलीगंज, लखनऊ की आई० टी० आई० में मोटर मैकेनिक अनुदेशक के पद पर नियुक्त करने हेतु दिनांक 8-10-80 को पत्रांक अ० 4/605 का एक पत्र निदेशक, प्रशिक्षण सेवा-योजन को लिखा था ? यदि हां, तो श्री केदारनाथ के हरिजन होने के बावजूद नियुक्ति न करने का क्या कारण है ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

जी हां। चूंकि आई० टी० आई०, लखनऊ में अनुदेशक मोटर मैकेनिक का पद रिक्त नहीं था, अतः उक्त संस्थान में श्री केदारनाथ को नियुक्ति करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

आई० टी० आई० में इन्स्ट्रक्टर, हास्टेल वार्डेन एवं सहायक भण्डारी की नियुक्ति

28--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत माह अप्रैल, 1980 से 11 दिसम्बर, 1980 तक विभिन्न जिलों की आई० टी० आई० में जो नियुक्तियां इन्स्ट्रक्टर व हास्टेल वार्डेन तथा सहायक भण्डारी के पदों पर हुई हैं उनकी सिफारिशें किन-किन विधायकों व अन्य राजनैतिक व्यक्तियों ने की हैं ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

प्रश्नगत पदों पर नियुक्तियां विधायकों व अन्य राजनैतिक एवं अराजनैतिक व्यक्तियों की सिफारिशों पर नहीं की गई, वरन् कार्य के हित में उपयुक्तता और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये की गई ।

यू० पी० निवास, नई दिल्ली के व्यवस्था अधिकारी का कथित स्थानान्तरण एवं श्रीमती मीराकुमार द्वारा कक्ष का आवंटन एवं आवंटियों की सूची

29--श्री ऊदल--

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० निवास, नई दिल्ली के मैनेजर का ट्रांसफर कलकत्ता यू० पी० निवास के लिये कर दिया गया

था ? यदि हां, तो क्या उन्होंने वहां जाकर चार्ज लिया ? यदि नहीं लिया तो इसका क्या कारण है ।

श्री जगदीश प्रसाद--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

30--श्री ऊदल--

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 निवास, नई दिल्ली के मैनेजर का ट्रांसफर हो जाने के बाद वहां दूसरे मैनेजर की नियुक्ति हो गई थी ? यदि हां, तो कितने महीने बाद उक्त मैनेजर को हटा कर ट्रांसफर आदेश रद्द किया गया ?

श्री जगदीश प्रसाद--

यू0 पी0 निवास, नई दिल्ली में मैनेजर का कोई पद नहीं है, अतः उनके स्थानान्तरण का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

31--श्री ऊदल--

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जबसे मिसेस कुमार पुनः उक्त पद पर हैं तब से लेकर अब तक यू0 पी0 निवास के रूम किन-किन लोगों को कितने-कितने दिन के लिए उन्होंने दिये उनके नाम क्या हैं क्या उनमें विधायकों के अलावा भी लोग हैं उनके नाम, पद क्या हैं ? क्या पूरी लिस्ट सरकार, रोजाना की सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री जगदीश प्रसाद--

श्रीमती हीरा कुमार दिनांक 8-11-77 (अपराह्न) से व्यवस्था अधिकारी उ0 प्र0 निवास के पद पर तैनात हैं । तब से लेकर अब तक विधायकों के अलावा अन्य व्यक्तियो को भी नियमानुसार उ0 प्र0 निवास के कक्ष दिए गए हैं । इस दीर्घ अवधि में जिन-जिन लोगों को जितने-जितने दिन के लिए उ0 प्र0 निवास के कक्ष दिए गए हैं उनको रोजाना की पूरी लिस्ट बनाने में जो श्रम समय व धन व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप नहीं होगा ।

32--श्री ऊदल--

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 5-12-80 को यू0 पी0 निवास, नई दिल्ली में कमरे किन-किन लोगों को एलाट किए गए थे ? उनको एलाटमेन्ट किस तारीख के आदेश से हुआ था ? क्या यह सही है कि प्रश्नकर्त्ता के लिए एक रूम एलाट करने का आदेश स्टेट आफीसर (श्री प्रभुनाथ मिश्र) ने तारीख 20-11-80 को करके यू0 पी0 निवास के मैनेजर को टेलेक्स कर दिया था ? यदि हां, तो कमरा न देने का कारण क्या है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

दिनांक 5-12-80 को उत्तर प्रदेश निवास, नई दिल्ली में जिन महानुभावों को कक्ष आवंटित थे उनकी सूची संलग्न है जिसमें उन महानुभावों के नाम अंकित हैं जिन्होंने उक्त तिथि तथा उससे पहले से ही उ0 प्र0 निवास के कक्षों में रहने वाले महानुभावों के साथ ठहरने की व्यवस्था कर ली थी ।

उ0 प्र0 निवास में कक्षों का आवंटन किसी आदेश से नहीं वरन् सूचना प्राप्त होने पर "प्रथम आये प्रथम सेवा पावे" के आधार पर किया जाता है। राज्य सम्पत्ति अधिकारी द्वारा दिनांक 20-11-80 को व्यवस्था अधिकारी, उ0 प्र0 निवास को टेलेक्स द्वारा सूचित किया गया था कि प्रश्नकर्त्ता (श्री ऊदल, स0 वि0 स0) दिनांक 5-12-80 से दिनांक 9-12-80 तक उ0 प्र0 निवास में कक्ष चाहते हैं।

चूंकि दिनांक 5-12-80 को अप्रत्याशित रूप से बहुत बड़ी संख्या में माननीय विधायकगण पहले से ही उ0 प्र0 निवास में ठहरे हुए थे एवं दिनांक 5-12-80 को कुछ और विधायक आ गए थे, अतः उक्त तिथि में माननीय सदस्य (प्रश्नकर्त्ता) को कक्ष देना सम्भव नहीं हो सका था। उ0 प्र0 निवास में जिन माननीय विधायकों को दिनांक 5-12-80 को कक्ष देना सम्भव नहीं था उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराने और वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए व्यवस्था अधिकारी उ0 प्र0 निवास, नई दिल्ली ने दिनांक 3-12-80 को लखनऊ स्थित विधायक निवास नं0 1, 2, 3, 4 तथा 5 के व्यवस्था अधिकारियों को टेलेक्स भेज दिया था जिसमें माननीय सदस्य (प्रश्नकर्ता) का भी नाम था। उक्त तिथि में माननीय सदस्य (प्रश्नकर्ता) के अतिरिक्त 41 अन्य माननीय विधायकों, 72 शासन के सदस्यों एवं विधान मंडल के अधिकारियों तथा 5 सरकारी अधिकारियों को उ0 प्र0 निवास में कक्ष नहीं दिए जा सके।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 1078 पर)

33--श्री गोपी नाथ वर्मा--

[4थे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 31 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ की आशुलिपिक, कुमारी ऊषा तिवारी का उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर

34--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित 25वां वृत्त अस्थायी भवन खंड नं0 1 में वर्ष 1979-80 स्टेनों के पद पर किन-किन व्यक्तियों की नियुक्ति की गई ? क्या उन व्यक्तियों के हस्ताक्षर उक्त अवधि में उपस्थिति पंजिका पर हैं ? यदि नहीं, तो किस आधार पर उनका प्रतिमाह का वेतन भुगतान किया गया ?

श्री जगदीश प्रसाद--

सार्वजनिक निर्माण विभाग के 25वें वृत्त अस्थायी भवन नं0-1 में वर्ष 1979-80 में केवल कुमारी ऊषा तिवारी की आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति की गई। आशुलिपिक के संवर्ग के कर्मचारियों के लिए उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करना आवश्यक नहीं है। कुमारी ऊषा तिवारी ने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से केवल माह सितम्बर, 1979 में हस्ताक्षर किए। वेतन का भुगतान नियमानुसार कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दिया गया।

विकास खंड, मनकापुर एवं छपिया, जिला गोंडा में भवन विहीन प्राइमरी स्कूल एवं फर्नीचर

35--श्री छेदीलाल--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मनिकापुर एवं छपिया ब्लाक जनपद गोंडा में इस समय कुल कितनी ऐसी बेसिक प्राइमरी पाठशालायें हैं जिनमें

भवनों एवं अध्यापकों के बैठने के लिए फर्नीचर आदि की व्यवस्था नहीं है ? क्या मंत्री जी उक्त पाठशालाओं को भवन तथा फर्नीचर की व्यवस्था उपलब्ध करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद गोंडा के विकास खंड मनकापुर एवं छपिया म उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित 174 प्राइमरी स्कूल हैं जिनमें से 54 प्राइमरी पाठ-शाला के भवन नहीं हैं । इन 54 भवनहीन प्राइमरी पाठशालाओं में से विकास खंड मनिकापुर के 9 और विकास खंड छपिया के 7 प्राइमरी स्कूलों के भवनों के निर्माण कार्य ग्रामीण अभियंत्रण सेवा उत्तर प्रदेश को सौंपा गया है । शेष भवनों के निर्माण की व्यवस्था छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जैसे-जैसे धन उपलब्ध होगा, की जायेगी । सीमित संसाधनों और सीमेन्ट की कमी के कारण सभी भवनों के निर्माण की अवधि का कोई आश्वासन देना सम्भव नहीं है ।

जहां तक मनकापुर और छपिया विकास खंडों के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के बैठने के लिए फर्नीचर आदि का प्रश्न है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोंडा की रिपोर्ट के अनुसार सभी प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों के बैठने के लिए फर्नीचर और विद्यार्थियों के बैठने के लिए टाट-पट्टी की सामान्य व्यवस्था है यद्यपि यह आवश्यकतानुसार पर्याप्त नहीं बताई गई है और इस वर्ष जो अनुदान टाट-पट्टी आदि क्रय हेतु जनपद गोंडा को दिया गया है उससे और टाट-पट्टी तथा फर्नीचर की व्यवस्था की जा सकेगी ।

कारपेट इण्डस्ट्री, त्रिभुवन चन्द्र, शिव चन्द्र, हारूफा कम्पनी आदि खमरिया जिला वाराणसी पर लागू किया गया श्रम कानून

36--श्री ऊदल--

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कारपेट इण्डस्ट्री त्रिभुवन चन्द्र, शिवचन्द, हारूफा कम्पनी, एम0 आर0 इण्डस्ट्री, कोहनूर कारपेट, भोलानाथ एण्ड ब्रदर्स स्थान खमरिया, जिला वाराणसी के कारपेट कम्पनियों की जांच उच्च स्तरीय कराकर सभी श्रमिक कानून लागू करेगी ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

श्रम विभाग के प्रवर्तन तन्त्र द्वारा इन प्रतिष्ठानों में श्रम कानूनों के परिपालन की जांच होती रहती है और जहां आवश्यक होता है श्रम कानूनों के उल्लंघन के लिये प्राभियोजन आदि चलाये जाते हैं । बिना किसी विशेष कारण के उच्च स्तरीय जांच कराने की आवश्यकता नहीं है ।

37-39--श्री ऊदल--

[5वें बुधवार में अतांराकित प्रश्न सं0 68, 64 एवं 65 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उप विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद, के बेसिक शिक्षा परिषद् के हरिजन कर्मचारी

40--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् फैजाबाद के उप विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में कार्यरत लिपिकों में कितने हरिजन लिपिक

है और क्या ये स्थायी रूप से कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? किसी हरिजन लिपिक से इस्तीफा लेने या पद छोड़ देने पर उसकी रिक्ति पर अस्थायी तौर से कार्यरत 5 वर्ष या उससे अधिक समय से कार्य कर रहे लिपिक को स्थायी क्यों नहीं किया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही हैं ।

आई० टी० आई० में हरिजन इन्स्ट्रक्टर, हास्टेल वार्डेन एवं सहायक भण्डारी

41--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न जिलों के आई० टी० आई० में अप्रल, 1980 से 11 दिसम्बर, 1980 तक जिलेवार कुल कितने-कितने इन्स्ट्रक्टर व हास्टेल वार्डेन तथा सहायक भण्डारी की नियुक्तियां हुई हैं और इन नियुक्तियों में जिलेवार कितने-कितने हरिजन नियुक्त हुए हैं ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

कार्य के हित में प्रश्नगत अवधि में निम्नलिखित नियुक्तियां तदर्थ रूप से की गई हैं :--

(क) अनुदेशक (इन्सट्रक्टर) के कुल 69 पद रिक्त थे, जिसके विपरीत केवल 24 पदों पर तदर्थ नियुक्तियां की गई । इनमें से 3 अभ्यर्थी पिछड़ी जाति के और 3 अनुसूचित जाति के थे ।

(ख) हास्टेल वार्डन के कुल 28 पद रिक्त थे । इसके विपरीत केवल 13 पदों पर तदर्थ नियुक्तियां की गई । इनमें से एक अभ्यर्थी पिछड़ी जाति का और एक अनुसूचित जाति का था ।

(ग) सहायक भण्डारी के कुल 14 पद रिक्त थे । उसके विपरीत केवल एक पद पर तदर्थ नियुक्ति की गई ।

उपर्युक्त नियुक्तियां जिलेवार आधार पर नहीं की गई थीं ।

कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा का टेलीफोन

42--श्री बदन सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा के कार्यालय में फोन की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो आगरा बेसिक शिक्षा कार्य आधिक्य को ध्यान में रखकर उनके कार्यालय में फोन लगवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां । जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा के कार्यालय में फोन की व्यवस्था नहीं है । इस सम्बन्ध में पूर्ण औचित्य प्राप्त होने पर शासन द्वारा विचार किया जायेगा ।

मेसर्स लक्ष्मी देवी शुगर मिल्स प्रा० लि०, छितौनी, देवरिया के सेवामुक्त मजदूर

43—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि छितौनी चीनी मिल के 20 सेवामुक्त मजदूर 1 दिसम्बर, 1980 से आमरण अनशन पर अपनी मांगों के समर्थन में थे? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं और उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

मेसर्स लक्ष्मी देवी शुगर मिल्स प्रा० लि०, छितौनी, देवरिया के 19 सेवामुक्त मजदूर दिनांक 1 दिसम्बर, 1980 से अपनी 6 सूत्रीय मांगों, जिनमें श्रमिकों के वारिसों को कार्य पर रखा जाना, ग्रैच्युटी, बोनस, ओवर टाइम व रिटेनिंग एलाउन्स का भुगतान और अकुशल श्रमिकों के पदों पर बाहर से भर्ती बन्द किया जाना आदि सम्मिलित हैं, को लेकर आमरण अनशन कर रहे थे।

विभागीय हस्तक्षेप के फलस्वरूप दोनों पक्षों में आपसी समझौता वार्ता के पश्चात् दिनांक 8 दिसम्बर, 1980 की रात्रि 7 बजे से अनशन करने वाले श्रमिकों ने अपना अनशन समाप्त कर दिया था।

बुनकरों के कल्याणार्थ बनाई गई योजना की रूपरेखा

44—श्रीमती गौरी देवी—

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बुनकरों की दशा सुधारने के लिए सरकार कौन-कौन योजनाएं लागू करने जा रही है और उसकी रूपरेखा क्या है?

श्री नियाज हसन खां—

बुनकरों की दशा सुधारने के लिए सरकार जिन योजनाओं को लागू करने जा रही है, उनकी रूप-रेखा निम्नवत् है :—

1—प्रदेश के बुनकर बाहुल्य क्षेत्रों में कताई मिलों की स्थापना।

2—बुनकर बाहुल्य क्षेत्रों में जिला स्तर पर बुनकर सहकारी फेडरेशन की स्थापना।

3—100 से 150 करघों को मिला कर ग्रामीण क्षेत्रों में रंगाई घरों की स्थापना।

4—यूपिका द्वारा जनता वस्त्रोत्पादन केन्द्रों की स्थापना।

5—वाराणसी में रेशम वस्त्र उत्पादन परियोजना की स्थापना।

6—तहसील स्तर पर सहकारी समितियों द्वारा बिक्री केन्द्र की स्थापना।

7—हथकरघा तकनीक संस्थान की स्थापना।

8—प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में एक प्रोसेस हाउस की स्थापना।

9--ब्लाक स्तर की आई0 आर0 डी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत बुनकर परिवारों को वित्तीय सहायता दिए जाने की योजना ।

10--अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बुनकरों की सहकारी समितियों का गठन ।

11--मिर्जापुर तथा बुन्देलखंड क्षेत्र में टसर रेशम उत्पादन की योजना ।

45--श्रीमती गौरी देवी--

[5वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न सं0 62 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

शाहजहांपुर के थाना सहेरामऊ साउथ में अंकित मुकदमा एवं चार्जशीट

46--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जिला शाहजहांपुर के थाना सहेरामऊ साउथ के मुकदमा इल्जाम नम्बर 103/77 धारा 307/324/323 के अन्तर्गत पुलिस ने कोई चार्जशीट तैयार की थी जिसका नम्बर 57 था ? यदि हां, तो वह चार्जशीट अदालत में कब दाखिल की गई ? यदि दाखिल नहीं की गई, तो किस नियम के अन्तर्गत और इसके लिए उत्तरदायी कौन है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जिला शाहजहांपुर के थाना सेहरामऊ दक्षिणी के मुकदमा इल्जाम नम्बर 103/77, धारा 307/324/323 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत पुलिस द्वारा चार्जशीट संख्या 57 तैयार की गई थी, जो दिनांक 31-10-80 को न्यायालय भेज दी गई है ।

महिला जूनियर हाई स्कूल, जिला गोंडा के उच्चीकरण की मांग

47--श्री मसरूर जाफरी--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि उतरौला, जिला गोंडा में महिला जूनियर हाई स्कूल को हाई स्कूल कब तक करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

राजकीय जूनियर हाई स्कूलों के हाई स्कूल स्तर पर उच्चीकरण हेतु कोई समयावधि निर्धारित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर जिले के टांगिया मजदूरों की मांगें

48--श्रीमती गौरी देवी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 5 दिसम्बर, 1980 को गोरखपुर जिले के टांगिया मजदूरों ने अपनी मांगों के समर्थन में जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन एवं धरना दिया था ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं ? और इनकी मांगों को पूरा करने में सरकार को क्या कठिनाई है और क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां ।

टांगिया मजदूरों की निम्नलिखित मांगें थीं :--

1--वन टांगिया किसानों को जोतबही दी जाय ।

2--55 साला पेंशन व 100 रु0 मासिक दिया जाय ।

3--वन सम्पत्ति में उन्हें लाभांश दिया जाय ।

4--उनके बच्चों को निःशुल्क आवास, भोजन, कपड़ा, किताब आदि देकर डिग्री क्लास तक शिक्षा दी जाय ।

5--उनके बच्चों को वन विभाग में नौकरी दी जाय ।

6--उन्हें सरकारी नौकर मानकर सब सुविधायें दी जायं ।

7--हर पांच साल पर जो लकड़ी मिलती है वह तुरन्त दी जाय ।

8--बेगार कराना बन्द किया जाय ।

9--दर्रा नर्सरी भूमि को ट्रैक्टर से जुतवाया जाय ।

10--पकड़ी रेंज में जो पट्टा लिखाया गया है, उसे खारिज किया जाय ।

उपरोक्त मांगों में से मांग संख्या 1, 2, 3, 4, 5 तथा 6 को मानना सम्भव नहीं है । मांग संख्या 7 से सम्बन्धित कोई विशिष्ट मामला ज्ञान में नहीं आया । मांग संख्या 8 के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि मजदूरों से कोई बेगार नहीं कराई जाती । दर्रा नर्सरी भूमि को ट्रैक्टर से जुतवाने का कोई औचित्य नहीं है तथा पकड़ी रेंज में कोई पट्टा नहीं लिखाया गया है ।

एटा जिले के जैथरा-नदराला मार्ग एवं अलीगंज-हसूखेड़ा तोखैया मार्ग के निर्माण की मांग

49--श्री लटूरी सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा की तहसील अलीगंज के अन्तर्गत ब्लाक जैथरा व अलीगंज में जरायम रोकने की दृष्टि से जैथरा से नदराला मार्ग तक व अलीगंज से हसूखेड़ा-तोखैया तक सड़क बनाने की कृपा कर देंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

एटा जिले में जूनियर हाई स्कूल के लिये आवंटित धनराशि

50--श्री लटूरी सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा में नये जू0 हा0 स्कूल बनाने को कितना धन शेष पड़ा है ? क्या सरकार स्वीकृत विद्यालयों के भवन शीघ्र बनवाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आर0 बी0 एल0 आर्य इन्टर कालेज, एटा में फैली अराजकता सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

51--श्री लटूरी सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर0 बी0 एल0 आर्य इंटर कालेज, राजा का रामपुर, एटा में फैली हुई अराजकता के संबंध में जिला एटा के समस्त विधायकों ने अगस्त, 1979 तथा जनवरी, 1980 में अधिग्रहण करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिये थे ? यदि हां, तो अभी तक कोई कार्यवाही न होने का क्या कारण है ? क्या सरकार अधिग्रहण कर संस्था की रक्षा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है

देवरिया जिले की कथित मझने नाला-जोलहपुरवा-अहिरौली सड़क

52--श्री कुबेर भंडारी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जिला परिषद देवरिया द्वारा बन रही सड़क जो मझने नाला से जोलहापुरवा होते हुए अहिरौली जाती है, गन्ना विकास विभाग द्वारा कान्क्रीट बनाकर पूर्ण होने के पूर्व ही बदलकर मुख्य सड़क को छोड़कर नई सड़क बनाई जा रही है ? क्या उसमें हजारों एकड़ कृषि अतिरिक्त भूमि अधिग्रहीत हो रही है ? यदि हां, तो मूल कंक्रीट सड़क को छोड़कर सड़क बदलने का क्या कारण है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

मझने नाला से जोलहपुरवा होते हुए अहिरोली जाने के लिये कोई सड़क न तो जिला परिषद और न ही सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जा रही है ।

मझने नाला पुल से जोलहपुरवा होते हुए अहिरौली जाने के लिये भी पहले से कोई कान्क्रीट सड़क नही है जिसे छोड़कर सड़क के बदलने तथा भूमि अध्याप्त करने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

नैनीताल जिले के अरण्यपाल, पश्चिमी वृत्त को सूखा राहत कार्य हेतु धनराशि का आवंटन

53--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल स्थित उत्तर प्रदेश पश्चिमी वृत के अरण्यपाल को 1979-80 व 1980-81 में सूखा राहत कार्य हेतु कितना पैसा स्वीकृत किया गया और उसका उपयोग किस प्रकार किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

नैनीताल स्थित उत्तर प्रदेश पश्चिमी वृत्त के अरण्यपाल को 1979-80 में सूखा राहत कार्य हेतु कोई पैसा स्वीकृत नहीं किया गया था । वर्ष 1980-81

में पश्चिमी वृत्त को सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत रु0 19.50 लाख की धनराशि आवंटित की गई है । जिसका उपयोग निम्न कार्यों में किया हैं :—

	कार्य	हे0 में	व्यय की गई धनराशि रु0
1	वृक्षारोपण हेतु अग्रिम मिट्टी कार्य	1432	8,82,063
2	पुराने सूखे वृक्षों के स्थान पर वीटिंग अप	2216	9,64,243
3	नये नर्सरियों की स्थापना	5	50,000
4	सड़कों के किनारे वीटिंग अप	10 पंक्ति कि0 मी0	7,000
5	सड़कों के किनारे मिट्टी कार्य	50 पंक्ति कि0 मी0	45.209
	योग..		19,48,515

आवंटित की गई धनराशि रु0 19.50 लाख में से अब तक रु0 19,48,515 का व्यय हुआ है ।

जिला उद्योग, बांदा द्वारा उद्योगों को दी गयी सहायता

54—श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा—

क्या उद्योग मंत्री बताने को कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने बांदा जनपद के जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना से अब तक इनके कार्यकारण का कोई मूल्यांकन किया ह और वर्ष 1977–78, 78–79, 79–80 के दौरान जिला उद्योग केन्द्र द्वारा उद्योगों को दी गयी सहायता का ब्योरा क्या है ?

श्री नियाज हसन खां—

ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है । यह केन्द्र वर्ष 1978–79 में स्थापित किया गया व इसके द्वारा वर्ष 1978–79 से उद्योगों को सहायता दी गई ।

वर्ष 1978–79 तथा 79–80 में क्रमशः 139 व 160 इकाइयों का अस्थायी पंजीकरण किया गया जिनमें से क्रमशः 51 व 48 इकाइयों का स्थायी पंजीकरण किया गया । वर्ष 1978–79 में एक इकाई को 500 वैगन सीमेन्ट, चार वैगन कोयला, 3.5 टन लोहा तथा दो इकाइयों को 7 टन मोम आवंटित किया गया । वर्ष 1979–80 में एक इकाई को 4 वैगन कोयला, 7–5 टन लोहा तथा तीन इकाइयों को 4–5 टन मोम का आबंटन किया गया । वर्ष 1979–80 में 42 इकाइयों को 6.01 लाख रुपये का ऋण वितरित किया गया तथा 7 शेड व 5 प्लाट उद्योगियों को आवंटित किये गये ।

बड़हलगंज, जिला गोरखपुर में सूती मिल की स्थापना की कथित स्वीकृति

55—श्रीमती गौरी देवी—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के बड़हलगंज में सूती मिल स्थापित करने के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई है? यदि हां, तो यह मिल कब स्थापित की जायेगी ?

श्री नियाज हसन खां—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

56—श्री नन्द किशोर सिंह—

[5 वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न सं0, 55 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

एटा जिले के मोहल्ला चौधरी राम प्रसाद के निवासी श्री ओम प्रकाश के यहां चोरी

57—श्री लटूरी सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 4-10-79 को दिन दहाड़े 2 लाख रुपया की डकैती श्री ओम प्रकाश गुप्ता नि0 अलीगंज, जिला एटा के यहां पड़ी उसमें पुलिस ने क्या कार्यवाही की और सही मुलजिमों का चालान क्यों नहीं किया ? क्या इस बड़ी घटना की सही जानकारी करके सदन के समक्ष रखेंगे तथा सही अभियुक्तों को जेल भेजवायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

श्री ओम प्रकाश निवासी मोहल्ला चौधरी राम प्रसाद थाना अलीगंज द्वारा दिनांक 4-10-79 को अपने घर में हुई लगभग 13,024 रुपया के मूल्य के सामान चोरी चले जाने की घटना की सूचना उसी दिन थाना अलीगंज में अंकित कराई गई । इस सूचना पर थाना अलीगंज में अपराध धारा 392 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया । विवेचना से 9 अभियुक्त प्रकाश में आये। पांच अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय भेजी गई । 2 अभियुक्तों को धारा 169, दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत छोड़ा गया 12 अभियुक्त फरार हैं जिनके विरुद्ध 82/83 दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही की गई ।

सब इन्सपेक्टर श्री शिवनाथ सिंह की पत्नी श्रीमती उमरावती देवी ग्राम ककराखोर, जिला गोरखपुर, का जी0 पी0 एफ0 सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

58—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार बतायेगी कि सब-इन्सपेक्टर शिवनाथ सिंह की पत्नी श्रीमती उमरावती देवी, ग्राम व पो0 ककराखोर, जिला गोरखपुर ने उनकी मृत्यु के बाद जी0 पी0 फंड की धनराशि प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र दिया था ? यदि हां, तो क्या 1 जुलाई, 1980 को यह धनराशि देवरिया पुलिस को प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो श्रीमती उमरावती को अब तक यह धनराशि न प्राप्त होने का क्या कारण है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां । स्वर्गीय सब-इन्सपेक्टर शिवनाथ सिंह की पत्नी श्रीमती उमरावती देवी ने फरवरी, 1980 में निर्धारित प्रारूप में जी0 पी0 फन्ड धनराशि प्राप्त करने के लिए प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक देवरिया को दिया था ।

दिनांक 4-8-80 को प्राधिकार पत्र पुलिस अधीक्षक, देवरिया को महालेखाकार के कार्यालय से प्राप्त हो गया था ।

श्रीमती उमरावती देवी को अभी तक सामान्य भविष्य निधि की धनराशि का भुगतान इस कारण नहीं हो सका है क्योंकि अप्रैल, 1970 से लेकर मृत्यु के दिनांक तक की अवधि में दिये गये अग्रिमों का ब्योरा सम्बन्धित जिलों से एकत्रित नहीं हो सका है । ब्यौरा प्राप्त किया जा रहा है । प्राप्त होने पर अपेक्षित धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा ।

श्याम कृष्ण इन्टर कालेज थवई पार, जिला गोरखपुर के अध्यापकों का वेतन

59--श्रीमती गौरी देवी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगी कि श्याम कृष्ण इन्टर कालेज थवई-पार, गोरखपुर के अध्यापकों को पिछले जुलाई माह सन् 1980 से वेतन नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो वेतन न मिलने का कारण क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

स्वर्गीय डा0 भिक्षु धर्म रक्षित सारनाथ, वाराणसी के संग्रहालय की कलाकृतियों की चोरी की अपराध अनुसंधान अधिष्ठान द्वारा जांच

60--श्री गोरेलाल शाक्य--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 डा0 भिक्षु धर्मरक्षित जी सारनाथ वाराणसी के निजी संग्रहालय को संग्रहीत 50 लाख रुपये के ऊपर की अति प्राचीन कलात्मक एवं पुरातात्विक कलाकृतियों एवं सिक्कों के गायब होने की जांच तथा बरामदगी हेतु अपराध अनुसंधान शाखा, वाराणसी को सरकार ने सौपा था ? उसमें क्या प्रगति हुई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---

शासन द्वारा प्रश्न में उल्लिखित आशय की घटना की नहीं वरन् स्व0 डा0 भिक्षु धर्मरक्षित के आवास में उनकी मृत्यु के उपरान्त हुई चोरी की घटना तथा डा0 भिक्षु धर्मरक्षित के उत्तराधिकारी के विषय में विवाद से सम्बन्धित जांच अपराध अनुसंधान विभाग को सौंपी गई थी ।

61--श्री गोरे लाल शाक्य--

इन कलाकृतियों के प्राप्ति के बाद रसीद जो श्री रामू सिंह कार्यकारी प्रधानाचार्य महाबोध इन्टर कालेज, सारनाथ द्वारा लिखी गई है जिसे श्री रामू सिंह ने फर्जी बताया है उसकी असलियत क्या है ? यदि रसीद सही है तो अब तक कलाकृतियां बरामद क्यों नहीं हुई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

अपराध अनुसंधान विभाग की जांच से प्रश्न में उल्लिखित रसीद सही नहीं पाई गई ।

62—श्री गौरे लाल शाक्य—

इसके व्यापक घोटाले की जांच एक ऐसे इन्सपेक्टर को सौंपी गई जिसका चरित्र इस विभाग में आने के पूर्व पुलिस विभाग में घूसखोरी के लिए विख्यात है और उसके विरुद्ध अनेक विभागीय आरोप हैं ? क्या सरकार उससे जांच हटाकर किसी अन्य अधिकारी को देगी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

अपराध शाखा को सुपुर्द मामले की जांच का कार्य जिस निरीक्षक द्वारा किया गया है उसकी सत्यनिष्ठा कभी संदिग्ध नहीं रही है ।

महाबोध इन्टर कालेज, सारनाथ, वाराणसी की प्रबन्ध समिति में विदेशी नागरिक एवं अध्यापकों का बकाया वेतन

63-64—श्री गौरे लाल शाक्य—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाबोध इन्टर कालेज, सारनाथ, वाराणसी की प्रबन्ध समिति में कितने विदेशी नागरिक किस-किस पद पर हैं ? उन्हें राजकीय अनुरक्षण अनुदान किस नियम से दिया जा रहा है और क्या उक्त कालेज में प्रधानाचार्य का चयन हुए दो वर्ष हो चुके पर अभी तक प्रधानाचार्य की नियुक्ति क्यों नहीं हुई ?

क्या यह सही है कि उक्त कालेज के अध्यापकों का पूर्वकाल का 48 हजार रुपये का बकाया वेतन भुगतान न करने के कारण सरकार ने अपना साधिकार नियंत्रक नियुक्त किया ? क्या एक साल में भुगतान देने के बात का विश्वास करके पुनः इसी विदेशी प्रबन्ध समिति को विद्यालय सौंप कर शासकीय साधिकार नियंत्रक हटा लिया गया ? क्या अध्यापकों का बकाया वेतन प्रबन्ध समिति ने दिया ? यदि नहीं, तो सरकार क्या कर रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सीतापुर नगर में बी० काम० की कक्षाओं को खोले जाने की मांग

65—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री (उच्च) बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का इस आशय का कोई मांग-पत्र 1-12-80 को अथवा उसके आस-पास किसी दिन उन्हें मिला है कि सीतापुर नगर में बी० काम० कक्षाओं की पढ़ाई के लिए राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना की जाय ? यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

उक्त पत्र पर विचारोपरान्त सीतापुर नगर में सम्पत्ति वाणिज्य कक्षाओं के साथ राजकीय कालेज खोले जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ के जूनियर इन्जीनियर एवं स्टोर कीपरों का निलम्बन

66—श्री राम सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ खण्ड, लखनऊ में कितने जूनियर इन्जीनियर तथा स्टोर कीपर ऐसे हैं जिनके निलम्बन की अवधि छः माह से अधिक हो चुकी है परन्तु अभी तक उन्हें चार्जशीट नहीं दी गई है ? अब तक चार्जशीट न देने के लिए कौन दोषी हैं ?

श्री जगदीश प्रसाद—

सार्वजनिक निर्माण विभाग के लखनऊ स्थित खण्डों में एक अवर अभियन्ता तथा दो स्टोरकीपर छः माह से अधिक समय से निलम्बित हैं।

अवर अभियन्ता के विरुद्ध पुलिस द्वारा मामला न्यायालय में चलाया जा रहा है।

एक स्टोर कीपर को दिनांक 30 अक्तूबर, 1978 को चार्जशीट दी जा चुकी है। दूसरे स्टोरकीपर को अभी तक चार्जशीट नहीं दी जा सकी है क्योंकि जांच अधिकारी द्वारा आरोपों का सत्यापन मूल अभिलेखों से अभी पूर्ण नहीं हुआ है। चार्जशीट न देने के लिए कोई दोषी नहीं है।

श्री गुरु नरहरि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिला गोंडा के नव निर्वाचित प्रबन्धक, श्री गोपाल चन्द्र पाण्डेय की मान्यता

67—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गुरु नरहरि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पूरे तिवारी, जनपद गोंडा के अक्तूबर सन् 1979 में हुए विधिवत् चुनाव से निर्वाचित प्रबन्धक श्री गोपाल चन्द्र पाण्डेय को अब तक किन कारणों से मान्यता नहीं दी गई है ? क्या सरकार इसका पूर्ण ब्योरा सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

मुरादाबाद के थाना हसनपुर के पुलिस सब इन्सपेक्टर, श्री गोविन्द शरण शुक्ल का निलम्बन

68—श्री हरिवंश सहाय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यसूची दिनांक 30 सितम्बर, 1980 के नत्थी (ख) के अता0 प्रश्न संख्या 45 के संबंध में बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जिला मुरादाबाद, थाना हसनपुर के तत्कालीन

पुलिस सब इन्सपेक्टर श्री गोविन्द शरण शुक्ल के विरुद्ध 29-10-75 के बाद कोई विभागीय कार्यवाही नहीं चल रही है ? यदि हां, तो क्या तत्काल निलम्बन अवधि का वेतन आदि कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

झांसी नगर में देखी गयी उड़ने वाली चमकदार वस्तु

69--श्री शंकर सिंह--

क्या सरकार को जानकारी है कि दिनांक 8-12-80 को झांसी नगर में एक तेज रफ्तार से उड़ने वाली ऐसी चीज देखी गयी थी जो एक सिरे पर पतली और दूसरे सिरे पर चौड़ी थी तथा अपने पीछे चमकदार सुनहला धुआं छोड़ रही थी ? यदि हां, तो वह क्या चीज थी ?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)--

जी नहीं । ऐसी सूचना शासन को नहीं है ।

कानपुर के मजिस्ट्रेटों की न्यायालयों में लम्बित मुकदमें

70--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महानगर कानपुर में मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में इस समय कुल कितने मुकदमें विचाराधीन हैं और इन विचाराधीन मुकदमों में कितने-कितने मुकदमे कितने-कितने साल पुराने हैं ?

श्री जगदीश प्रसाद--

महानगर कानपुर के मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में दिनांक 31-12-80 को कुल 39,647 मुकदमें विचाराधीन थे जिनका वर्ष वार विवरण निम्न प्रकार है:--

वर्ष	संख्या
1969	1
1970	1
1971	2
1972	3
1973	125
1974	627
1975	838
1976	1,820
1977	2,963
1978	6,359
1979	10,918
1980	15,990
योग ..	39,647

कानपुर जिले के ग्राम मेवान निवासी, श्री कृष्ण बिहारी सुनार के यहां पड़ी डकैती

71—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना शिवली, जनपद कानपुर के अन्तर्गत गाव मेवान के कृष्ण बिहारी सुनार के घर पर पड़ी डकैती में मु० ई० नं० 318, धारा 395/397 के अन्तर्गत जो रिपोर्ट थाना शिवली में 7 दिसम्बर, 1980 को दर्ज की गई है उसमें किन-किन अभियुक्तों के नाम हैं तथा 14 दिसम्बर, 1980 तक इस सम्बन्ध में किन-किन लोगों की गिरफ्तारी और किन-किन लोगों की कुर्की की गई है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित अभियोग की प्रथम सूचना में सर्वश्री अशोक कुमार, कृष्ण कुमार, राम कुमार, राम औतार, कैलाश, शिशुपाल सिंह तथा बसन्त के नाम अंकित हैं। दिनांक 14-12-80 तक बसन्त, राम कुमार तथा विवेचना के दौरान प्रकाश में आये राम विलास को गिरफ्तार किया गया एवं अशोक कुमार, कृष्ण कुमार, राम औतार, कैलाश, शिशुपाल सिंह के विरुद्ध 82/83 जा० फी० की कार्यवाही की गयी।

उन्नाव जिले के गांव चंदौली बुजुर्ग के श्री नन्हू का पत्र

72—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या उनकी जानकारी में है कि विगत 10 दिसम्बर, 1980 को पुलिस भ्रष्टाचार सम्बन्धी श्री नन्हू हरिजन, निवासी गांव चंदौली बुजुर्ग, थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव का प्रार्थना-पत्र संलग्न कर जो पत्र प्रश्नकर्त्ता ने तत्समय के गृह राज्य मंत्री को दिया था उसे गृह राज्य मंत्री ने अपने आदेश संख्या 2202, दिनांक 12-12-80 द्वारा पुलिस महानिरीक्षक को भेज दिया था ? यदि हां, तो गृह राज्य मंत्री के आदेश क्या थे और उसका कियान्वयन किस रूप में तथा कब हुआ ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

73—श्री राम आसरे वर्मा—

[स्पष्टीकरण के अभाव में हटाया गया।]

गोरखपुर जिले में कत्ल एवं डकैती

74—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि माह सितम्बर-अक्तूबर, 1980 में गोरखपुर जिले में कितने कत्ल एवं डकैतियां हुई और इसमें कितने मुलजिम गिरफ्तार हुए ? क्या यह सच है कि इसी माह में 1979 से यह अपराध संख्या कई गुनी अधिक है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

पुलिस अधिकारियों के लिये रात्रि गश्त का प्राविधान एवं मुर्दा ढोने के लिये जीपों की व्यवस्था

75—श्री श्यामलाल बाजपेयी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अपराधों की बढ़ोत्तरी को देखते हुए जिलों में तैनात राजपत्रित पुलिस अधिकारियों को रात्रि में गश्त करने के आदेश देने पर सोच रहें हैं ? क्या शासन थानों के लिए आवंटित जीपों को क्षेत्राधिकारियों के प्रयोग करने पर रोक लगाने पर विचार करेगा ? क्या शासन जिला स्तर पर सरकारी मुर्दों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा घर पर पहुंचाने हेतु किसी वाहन की व्यवस्था पर भी विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

राजपत्रित पुलिस अधिकारियों द्वारा रात्रि गश्त का प्राविधान पहले से ही है तथा वे रात्रि गश्त कर भी रहे हैं। इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश समय-समय पर जारी किये जाते रहे हैं। थानों के लिए आवंटित जीपों का प्रयोग थानों के लिए ही किया जाता है, लेकिन आकस्मिक एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में क्षेत्राधिकारियों द्वारा भी उनका उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक सभी क्षेत्राधिकारियों को जीपें उपलब्ध नहीं कराई जा सकी हैं। शासन द्वारा जिला मुख्यालयों से दूर स्थित तथा अपराध बहुल पुलिस थानों को शवों को ढोने के लिए जीपों के साथ ट्रेलरों की व्यवस्था करने की योजना है जिसके अन्तर्गत अब तक 40 ट्रेलर स्वीकृत किये जा चुके हैं।

श्री शिवबली लाल, सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ के विरुद्ध शिकायती-पत्र

76—श्री पंचानन—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शिवबली लाल, शिविर सहायक, जिला वि0 नि0, आजमगढ़ के विरुद्ध भष्टाचार की शिकायतों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 21 नवम्बर, 1980 को शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसकी जांच किस स्तर के अधिकारी से करायी गयी और जांच के क्या परिणाम निकले तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां। जांच मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर से कराई जा रही है। जांच आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है।

श्री सत्येश्वर प्रसाद रतूड़ी, उप विद्यालय निरीक्षक, पौड़ी गढ़वाल के जी0 पी0 एफ0 का भुगतान

7—श्री विद्यासागर नौटियाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सत्येश्वर प्रसाद रतूड़ी, उप विद्यालय निरीक्षक, पौड़ी गढ़वाल से दिनांक 1-6-69 को सेवा निवृत्त हुए उनका जी0 पी0 एफ0, ई0 डी0 यू0 5208 का अन्तिम भुगतान कब तक किया जायेगा ?

ठारोरा भुगतान के इसी जम्बो अवधि तक न किये जाने का क्या कारण है तथा इसके लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की जायेगी ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

संदर्भगत सेवा-निवृत्त अधिकारी के सामान्य भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान का स्वीकृति पत्र महालेखाकार, उ0 प्र0, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 22-8-79, 4-9-79 को कोषाधिकारी, नरेन्द्र नगर को दिया जा चुका है । श्री रतूड़ी उक्त भुगतान को प्राप्त कर चुके हैं ।

आजमगढ़ जिले की टोंस नदी के पुल हेतु बोल्डर की आपूर्ति एवं ठेकेदार का भुगतान

78--श्री पंचानन--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मारकण्डेय मिश्र, ग्राम पोस्ट लाटघाट, जनपद आजमगढ़ का मुहम्मदाबाद (आजमगढ़) टोंस नदी पर बने पुल के पहुंच मार्ग पर सप्लाई किये गये बोल्डर का अन्तिम भुगतान न किय जाने से सम्बन्धित पत्र दिनांक 30 जुलाई, 1980 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो इस सम्बन्ध में 15 दिसम्बर, 1980 तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी हां । अन्तिम भुगतान विशिष्टियों के प्रतिकूल आपूर्ति होने के कारण, जब तक नहीं किया गया क्योंकि बोल्डर निम्न कोटि के पाये गये । ठेकेदार ने कम माप के (अन्डर साइज) बोल्डर को बदलकर अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार बोल्डर ठीक करने का आश्वासन दिया है । ठेकेदार द्वारा आश्वासित कार्य किये जाने के पश्चात् अन्तिम भुगतान कर दिया जायेगा ।

बुद्धी, जिला मिर्जापुर गोदाम गिरने से श्रमिकों की मृत्यु

79--श्री ऊदल--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 1980 में स्थान बुद्धी, जिला मिर्जापुर में एक बड़े गोदाम की दीवार निर्माण के वक्त ही गिर जाने से 15 श्रमिक मलवे में दब कर मर गये और 34 घायल हो गये हैं ? यदि हां, तो उन श्रमिकों को सहायता के रूप में क्या दिया गया और मालिक के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

जी हां ।

प्रत्येक मृतक श्रमिक के आश्रितों को सहायता के रूप में 1,000 रुपया की धनराशि दी गयी तथा प्रत्येक घायल श्रमिक को सहायता के रूप में 100 रुपये की धनराशि निःशुल्क सहायता मद से दी गई ।

मालिकों के खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया गया है ।

श्री अकबर सिंह, सतर्कता निरीक्षक "उच्च न्यायालय सेल" के विरुद्ध जाली हस्ताक्षर बनाये जाने के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

80—श्री सन्त बख्श रावत—

क्या मुख्य मन्त्री को श्री गुलाब सेहरा, विधायक आगरा का कोई पत्र दिनांक 27-5-1979 व पत्र दिनांक 9-10-80 बाबत श्री अकबर सिंह सतर्कता निरीक्षक "उच्च न्यायालय सेल" के द्वारा जाली हस्ताक्षर बनाने के सम्बन्ध में मिला है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लोक सेवा अधिकरण एवं प्रशासनाधिकरण में अनुसूचित जाति के सदस्य की नियुक्ति की मांग

81—श्री सन्त बख्श रावत—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण (पब्लिक सर्विसेज ट्रिबुनल) व प्रशासनाधिकरण (एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिबुनल) में अनुसूचित जाति का एक भी सदस्य (न्यायिक या प्रशासकीय) क्यों नहीं है ? क्या शासन लोक सेवा अधिकरण व प्रशासनाधिकरण में अनुसूचित जाति से सम्बन्धित प्रशासनीय व न्यायिक सदस्य नियुक्त कर इस विषमता को दूर करने का कोई प्रयत्न कर रही है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण य प्रशासनाधिकरण या नियुक्तियां योग्यता एवं उपयुक्तता के आधार पर की जाती हैं । किसी वर्ग विशेष को प्रतिनिधित्व देने के दृष्टिकोण मात्र से नियुक्तियां करना सम्भव नहीं है ।

हरिजनों को सरकारी धन से असलहा दिये जाने की मांग

82—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में हरिजनों की जानमाल सुरक्षा हेतु उनको असलहा सरकारी धन से दिये जाने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

हरिजनों को सरकारी धन से असलहा दिये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है ।

झांसी जिले के ग्राम गरौठा के श्री बृज बिहारी गुप्त की दुकान में चोरी

83—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 25-8-80 को ग्राम गरौठा, झांसी में बृज बिहारी गुप्त के यहां दिन दहाड़े चोरी की गई ? क्या इस सम्बन्ध में गृह सचिव को 19-12-80 को जांच हेतु प्रार्थना-पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

श्री बृज बिहारी गुप्त, निवासी गरौठा, जनपद झांसी ने दिनांक 25/26 अगस्त, 1980 की रात्रि में दुकान में चोरी होने की रिपोर्ट, थाना गरौठा पर 26-8-80 को प्रातः अंकित कराई थी। विवेचना से मामला झूठा पाये जाने पर अंतिम रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित की गई।

गृह सचिव को दिये गये प्रार्थना-पत्र की जाँच भ्रष्टाचार निवारण संगठन शाखा को सौंप दी गई।

बी0 के0 हायर सेकेण्डरी स्कूल, जिला कानपुर को प्रदान की गयी मान्यता एवं अध्यापकों का वेतन

84—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी0 के0 हायर सेकेण्डरी स्कूल, कुर्सी खेड़ा, जनपद कानपुर को जूनियर हाई स्कूल की मान्यता कब प्राप्त हुई थी तथा उसके प्रधानाचार्य सहित समस्त अध्यापकों एवं कर्मचारियों को मान्यता प्राप्त होने की सभी सरकारी सुविधायें कब से मिल रही हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

वर्ष 1961-62 में मान्यता प्राप्त हुई। विद्यालय वर्ष 1969-70 से अनुदान सूची पर आया है और तभी से अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को निर्धारित वेतन तथा भत्ते दिये जा रहे हैं।

लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पर तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979

85—श्री हरवंश प्रसाद पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिसूचना संख्या 19/8/75 (1)-का-1, दिनांक 14 मई, 1979 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 में निर्धारित 1-1-77 की तिथि का क्या आधार है ? उक्त अधिसूचना की तिथि को ही क्यों नहीं आधार रखा गया ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

अधिसूचना संख्या 19/8/75 (1)-का-1, दिनांक 14 मई, 1979 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 में दिनांक 1-1-77 की तिथि का निर्धारण कैलेन्डर वर्ष के आधार पर किया गया था। उपरोक्त पृष्ठभूमि में अधिसूचना के जारी किये जाने की तिथि को आधार नहीं बनाया गया।

86—श्री हरवंश प्रसाद पाण्डेय—

क्या उपरोक्त नियमावली 1-1-77 से तीन वर्ष की अवधि बीतने पर समाप्त हो जायगी तथा क्या सरकार उक्त नियमावली द्वारा प्रदत्त सुविधा 1-1-77 या बाद में नियुक्त व्यक्तियों को भी तीन वर्ष की अवधि बीतने पर सेवा अभिलेखों के आधार पर देने हेतु विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

नियमावली में किये गये प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही पूर्ण होने पर नियमावली अपने आप प्रभावहीन हो जायेगी, दिनांक 1-1-77 या उसके बाद तदर्थ रूप से नियुक्त व्यक्तियों को उक्त नियमावली द्वारा प्रदत्त सुविधा देने का शासन का कोई विचार नहीं है क्योंकि तदर्थ नियुक्तियों की निरन्तरता से कार्यकुशलता तथा लोकहित की उपेक्षा होती है ।

हरदोई जिले के श्री शिवराज सिंह के अपराधों की जांच किये जाने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

87--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक 30 सितम्बर, 80 को एक प्रार्थना-पत्र श्री शिवराज सिंह पुत्र श्री भुजा सिंह के अपराधों की जांच करने सम्बन्धी श्री सरनाम सिंह पुत्र श्री माधव सिंह ग्राम बम्नापुर, थाना बघौली, जिला हरदोई का प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्त्ता की संस्तुति सहित गृह सचिव को दिया गया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां ।

उक्त प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक, हरदोई को किसी उच्च अधिकारी द्वारा समुचित जांच कराकर यथोचित कार्यवाही करने हेतु भेजा गया । उनसे प्राप्त सूचना के अनुसार श्री शिवराम सिंह के विरुद्ध इस सम्बन्ध में यथा आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई है और उनकी व उनके भाई श्री जंगबहादुर सिंह की बन्दूक के लाइसेन्सों को निरस्त कराये जाने हेतु भी नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

88--श्री राम स्वरूप वर्मा--

[6ठे सोमवार में अतारांकित प्रश्न सं0 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

गोरखपुर जिले के थाना निचलौल के अन्तर्गत लूटपाट एवं हत्या

89--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना निचलौल, जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत माह नवम्बर, दिसम्बर, 1980 में लूटपाट एवं कितनी लूटपाट में हत्यायें हुई हैं ? इनमें से कितने लोगों ने रिपोर्ट लिखायी है और कौन-कौन से लोग नामजद हैं ? उन नामजद मुलजिमों में कितने लोगों की गिरफ्तारी आज तक पुलिस द्वारा की गयी है और कितने लोग गिरफ्तारी से आज तक वंचित हैं ? और उसका कारण क्या है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्राप्त सूचना के आधार पर प्रश्नगत अवधि में लूटपाट एवं लूटपाट में हत्याओं की कुल 6 घटनाएं पंजीकृत हुई हैं । वांछित विवरण निम्न प्रकार है :--

(1) मुकदमा अपराध संख्या 161 धारा 396, दिनांक 4-11-80 को वादी श्री रामदेव ने शारदा, नारद व त्रियुगी तीन अभियुक्तों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई । तीनों अभियुक्त 24-11-80 को हाजिर अदालत होकर अपनी जमानतें करा चुके हैं ।

(2) अपराध संख्या 164 धारा 395 भा0 द0 वि0, दिनांक 9–11–80 को श्री प्रसाद की सूचना के आधार पर अभियोग दर्ज किया गया। कोई अभियुक्त नामजद नहीं था।

(3) अपराध संख्या 170 धारा 394/307 भा0 द0 वि0, दिनांक 16–11–80 को का0 सत्यदेव यादव की सूचना के आधार पर उपयुक्त अभियोग कायम हुआ जिसमें दो व्यक्ति पुलिस मुठभेड़ में मारे गये।

(4) अपराध संख्या 188 धारा 396 भा0 द0 वि0 दिनांक 1–12–80 को वादी श्री लक्ष्मी प्रसाद ने मिठाई, अयोध्या व लियाकत उर्फ हौसिल के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट लिखाई। मिठाई दिनांक 21–1–81 को तथा अयोध्या दिनांक 8–1–81 को हाजिर अदालत होकर जमानत करा चुके है। अभियुक्त लियाकत उर्फ हौसिल की कुर्की दिनांक 10–1–81 को की जा चुकी है।

(5) अपराध संख्या 200 धारा 395/397 भा0 द0 वि0 दिनांक 10–12–80 को श्री ब्रह्मानन्द शाही की सूचना पर रमा शंकर सिंह, विश्वनाथ मिश्रा, बैज नाथ उर्फ इसहाक तथा मुन्ने खां के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। 13–12–80 को बैजनाथ उर्फ इशहाक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा दिनांक 13–1–81 को रमा शंकर सिंह व विश्वनाथ मिश्र ने अपनी जमानत कराई है। अभियुक्त मुन्ने खां, जो नैपाल राज्य का रहने वाला है, की गिरफ्तारी नहीं हो पाई।

(6) अपराध संख्या 201 धारा 395/397 भा0 द0 वि0 दिनांक 14–12–80 को वादी मोहन पुत्र भगवती बनिया ने 7–8 नफर डकैतों के विरुद्ध नाम, पता अज्ञात मुकदमा अंकित कराया।

गोरखपुर जिले की ग्राम गडौरा बाजार में डकैती

90––श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 13–12–80 के रात्रि में ग्राम गड़ौरा बाजार थाना निचलौल, गोरखपुर में एक जीप के साथ दर्जनों डकैतों ने असलहा से लैस होकर दर्जनों घरों को मुख्य बाजार गड़ौरा में लूटा है? क्या ग्राम वासियों ने जीप एवं जीप चालक को पहचाना है किन्तु थाना निचलौल में तथ्य से परे रिपोर्ट दर्ज की गयी है? ऐसी स्थिति में क्या सरकार उपरोक्त डकैती की जांच स्थानीय पुलिस से न कराकर गुप्तचर विभाग से करायेगी?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह––

प्राप्त सूचना के आधार पर घटना निम्न प्रकार है :––

दिनांक 13–12–80 की रात्रि में ग्राम गडौरा बाजार, थाना निचलौल, जनपद गोरखपुर में डकैती की घटना हुई। दिनांक 14–12–80 को वादी श्री मोहन पुत्र भगवती बनिया, साकिन गडौरा ने 7–8 नफर डकैत नाम पता अज्ञात के विरुद्ध सूचना अंकित करायी। मुकदमा अपराध संख्या 201 धारा 395/397 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत कर विवेचना की गई। यह कहना गलत है कि थाने पर तथ्य से परे रिपोर्ट दर्ज की गई। दौरान विवेचना 9 अभियुक्त प्रकाश में आये हैं जिसमें अभियुक्त सुरेन्द्र मणि त्रिपाठी को दिनांक 15–1–81 को गिरफ्तार कर जेल भेजा

गया तथा अभियुक्त ठगई, दिनांक 31-1-81 को हाजिर अदालत देवरिया हो चुका है। शेष 7 अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 82/83 जा० फौ० की कायवाही की जा रही है।

चूंकि अभियुक्त सुरेन्द्र मणि त्रिपाठी को कार्यवाही शिनाख्त में गवाहान ने पहचाना है तथा अभियुक्त ठगई हाजिर अदालत हो चुका है और शेष अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 82/83 जा० फौ० की कार्यवाही की जा रही है। अतः ऐसी दशा में गुप्तचर विभाग द्वारा जांच कराने की कोई औचित्य नहीं है।

गोरखपुर जिले की ग्राम सभा जयश्री के श्री राम लखन की धान की फसल की चोरी

91--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सभा जय श्री, थाना निचलौल, जनपद गोरखपुर के राम लखन पुत्र ठगई, अराजी नं० 135 में खड़ी धान की फसल को तीलक पुत्र बंशी आदि ने चोरी से कटवा लिया जिसकी रिपोर्ट स्थानीय थाना निचलौल, गोरखपुर में गरीब काश्तकार के बार-बार अनुरोध पर नहीं लिखी गई जिस पर काश्तकार ने 16-10-80 को तार द्वारा सरकार को शिकायत भेजी तथा 27-10-80 को इन्सपेक्टर जनरल पुलिस, उत्तर प्रदेश तथा एस० एस० पी० गोरखपुर को लिखित शिकायत मुल्जिमों के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु लिखी ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्रश्नगत मामले में शिकायतें प्राप्त हुयी थीं। जांच के समय प्रार्थी ने इस आशय की तहरीर दे दी कि उसका झगड़ा पंचायत द्वारा तय हो चुका है और पंचायत का निर्णय उसे मान्य है। अतः इस मामले में अग्रेतर कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गई।

गोरखपुर जिले की ग्राम सभा, सिरौली के श्री चन्द्रिका दास की धान की फसल की चोरी

92--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्थानीय थाना निचलौल, गोरखपुर में ग्राम सभा सिरौली के चन्द्रिका दास की धान की फसल कुछ सरकस व्यक्तियों द्वारा 13-9-80 को काटी गई जिसकी रिपोर्ट स्थानीय थाना निचलौल पर काश्तकार द्वारा लिखाये जाने पर नहीं लिखी गई तथा जिसकी लिखित सूचना ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को 15-9-80 को दी गई उस पर भी कार्यवाही न होने के फलस्वरूप श्री चन्द्रिका दास की दो एकड़ धान की फसल काट ले गये क्या पुलिस ने दोबारा काश्तकार की सूचना पर रिपोट नहीं लिखी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त मामलों की जांच कराकर दोषी थाने के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेगी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री चन्द्रिका ने अपने धान की फसल काटे जाने का लिखित सूचना थाना कोठी भार जनपद गोरखपुर में दी थी जो कि थाना

निचलौल में हस्तान्तरित की गयी । थाना निचलौल में इस सम्बन्ध में अपराध सं0 143 धारा 379 भा0 द0 वि0 दर्ज किया गया । विवेचना से आरोप सिद्ध नहीं हुए । अतः 28-1-81 को अंतिम रिपोर्ट प्रेषित ी गई ।

ग्राम बढ़या, जिला गोरखपुर के श्री ब्रह्मानन्द शाही के यहां डकैती

93--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्थानीय थाना निचलौल, जनपद गोरखपुर के ग्राम बढ़या के ब्रह्मानन्द शाही के मकान पर दिनांक 10-12-80 को 6 बजे सायंकाल दर्जनों डकैतों ने लैस असलहे के साथ लूट-पाट की है ? क्या मुद्दई द्वारा पहचाने गये डाकुओं के गिरोह के कुछ व्यक्तियों को नामजद किया गया है ? यदि हां, तो उपरोक्त डकैती की लिखी गयी रिपोर्ट में से कितने मुल्जिमों को आज तक गिरफ्तार किया गया है ? यदि गिरफ्तारी आज तक नहीं की गई है, तो गिरफ्तार न करने का कारण क्या है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार इस घटना के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत हुआ है । इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट में चार अभियुक्त नामजद तथा 10-12 व्यक्ति अज्ञात अंकित कराये गये हैं । नामजद अभियुक्तों में से एक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है । तथा दो ने न्यायलय में आत्म समर्पण किया है । एक नामजद अभियुक्त तथा उसके साथी, जो नैपाल के रहने वाले हैं, अभी गिरफ्तार नहीं हो सके हैं ।

गोरखपुर जिले के ग्राम गदहिलवा, गड़ौरा आदि में डकैती

94--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र --

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्थानीय थाना निचलौल, जनपद गोरखपुर के ग्राम गदहिलवा, गड़ौरा, औराबार, मधुबनी में दिसम्बर, 1980 में डाकुओं द्वारा भारी लूटपाट की गई है ? क्या उक्त लूट की सही रिपोर्ट गृह स्वामियों द्वारा लिखाने पर स्थानीय पुलिस ने न लिख कर तथ्य को छिपाया है ? इसकी सही जांच गुप्तचर विभाग द्वारा कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिसम्बर, 1980 में कथित ग्रामों में डाकुओं द्वारा लूटपाट की घटनायें घटी हैं । इनके सम्बन्ध में गृह स्वामियों की लिखित तहरीर पर अभियोग पंजीकृत हुये हैं तथा पुलिस द्वारा कोई तथ्य छिपाये नहीं गये हैं । अतः गुप्तचर विभाग से जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

हरदोई जिले के ग्राम बीकापुर के श्री राम खिलावन का प्रार्थना-पत्र

95--श्री राम अधरे वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरदोई ग्राम बीकापुर निवासी एक छटनीशुदा कर्मचारी श्री राम खिलावन द्वारा 22 अप्रैल, 1980 को दिये गए प्रार्थना-पत्र पर जो प्रश्नकर्त्ता द्वारा अग्रसारित था अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद--

तथाकथित पत्र दिनांक 22 अप्रैल, 1980 प्राप्त नहीं हुआ । कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

सुल्तानपुर जिले के ग्राम सीतापुर, मजरे महमूदपुर के श्री शिव बहादुर सिंह द्वारा फर्जी बैनामा सम्बन्धी लिखवाई गई रिपोर्ट

96--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 21 अप्रैल, 1980 को थाना अमेठी, जिला सुल्तानपुर में शिव बहादुर सिंह आत्मज श्री रामेश्वर सिंह, ग्राम सीतापुर, मजरे महमूदपुर, थाना अमेठी, जिला सुल्तानपुर ने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि कुछ व्यक्तियों ने जाल व फरेब करके श्री केदार नाथ आत्मज श्री अक्षयवर नाथ पान्डेय, साकिन पान्डेयपुर, मजरे डेहरा, थाना अमेठी, जिला सुल्तानपुर के हक में एक फर्जी बैनामा मृतक श्री चतुर बिहारी सिंह की फर्जी पहचान कराकर 11 फरवरी, 1980 को निष्पादित करा लिया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां ।

मामले की विवेचना की जा रही है । विवेचना में विलम्ब का कारण यह है कि वादी स्वयं अपना बयान देने, गवाहों के बयान दिलाने तथा वांछित अभिलेखों को देने में रुचि नहीं ले रहे हैं ।

बाराबंकी जिले की रेठ नदी पर सतरिख स्थान पर पुल निर्माण की मांग

97--श्री श्यामलाल बाजपेयी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी की सरकार द्वारा जनहित सम्बन्धी उस निर्णय को अमली जामा पहनाने की सोच रहे हैं जिसमें उन्होंने बाराबंकी जिले के ग्राम शरीफाबाद विकास खन्ड हरख के अन्तर्गत रेठ नदी पर पुल बनाने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो इस पुनीत कार्य को आरम्भ करने में देर का क्या कारण है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

तत्कालीन मंत्रि परिषद् की मंडलीय समिति में यह निर्णय लिया गया था कि प्रश्नगत रेठ नदी पर सतरिख के पास पुल सेतु निगम द्वारा वित्तीय सहायता से बनाया जायेगा । चूंकि यह सहायता प्राप्त नहीं हो सकी, अतः इस पुल का निर्माण सम्भव नहीं हो सका ।

प्रदेश की सीमा के अन्तर्गत रेल यात्रियों की लूट की घटना

98--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्तमान शासन के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की सीमा के अन्तर्गत रेलगाड़ी में सफर करते हुए यात्रियों को लूट लिए जाने की अलग-अलग ट्रेन, स्थान, तिथि और लूटे गए माल की मूल्य और चोटहियों की संख्या सहित कितनी घटनायें हुईं तथा अलग-अलग घटनाओं के लूट के माल की बरामदगी और मुल्जिमों की गिरफ्तारी के विवरण क्या हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

वर्तमान शासन काल में (दिनांक 16 मई, 1980 से 31 जनवरी, 1981 तक) उत्तर प्रदेश की सीमा के अन्तर्गत रेलगाड़ियों में सफर करते यात्रियों को लूटे जाने की कुल 51 घटनायें हुईं जिसकी अलग-अलग ट्रेन, स्थान, तिथि, लूटे गए माल का मूल्य और घायलों की संख्या, बरामद माल एवं मुल्जिमों की गिरफ्तारी का विवरण नत्थी है ।

मुरादाबाद जिले में पकड़े गये अवैध शस्त्र के कारखाने

99--श्री शंकर सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अगस्त से नवम्बर, 1980 तक के महीनों में मुरादाबाद जिले में कितने अवैध शस्त्र कारखाने तथा अवैध हथियार पकड़े गये ? क्या पकड़े गये हथियारों में कुछ सेना या विदेशों से आये हथियार भी शामिल हैं ? सरकार इस समस्या से निपटने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जनपद मुरादाबाद में माह अगस्त से नवम्बर, 1980 तक 4 अवैध शस्त्र कारखाने तथा 396 अवैध शस्त्र पकड़े गये । पकड़े गये अवैध शस्त्रों में सेना या विदेशों से आये शस्त्र नहीं मिले । अवैध शस्त्रों एवं उन्हें बनाने वाली फैक्टरियों की बरामदगी के लिए अभियान चलाये जाते हैं और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाती है ।

भारतीय शिशु मन्दिर, सण्डीला हरदोई के अनुदान सम्बन्धी प्रत्यावेदन

100--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि भारतीय शिशु मन्दिर, संडीला, हरदोई का अनुदान बन्द कर दिए जाने के विरुद्ध फरवरी, 1978 में एक प्रत्यावेदन डाक्टर राम आसरे तिवारी की ओर से निदेशक, शिक्षा विभाग को भेजा गया ? यदि हां, तो अब तक निर्णय न लिये जाने के क्या कारण हैं और निर्णय कब तक हो जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मुजफ्फरनगर में कृष्णा नदी पर पुल निर्माण का प्रस्ताव

101--श्री सोमाँश प्रकाश--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में कृष्णा नदी पर दो पुलों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कार्य कब तक आरम्भ किया जायगा ?

---

†छापा नहीं गया ।

श्री जगदीश प्रसाद--

कृष्णा नदी पर दो पुल विचाराधीन हैं--

(1) बावरी-कैंडो मार्ग पर किलोमीटर 4 में कृष्णा नदी पर पुल ।

(2) जलालाबाद-लुहारी मार्ग के किलोमीटर 2 में कृष्णा नदी पर पुल ।

प्रस्तावित पुलों का निर्माण कार्य धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

प्राइमरी पाठशाला, बभनौली, जिला बलिया के अध्यापक श्री कृष्ण मुरारी वर्मा का बकाया वेतन

102--श्री गौरी शंकर भैया--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि बेसिक प्राइमरी पाठशाला, बभनौली, बलिया के सहायक अध्यापक श्री कृष्ण मुरारी वर्मा वर्तमान में प्रधानाध्यापक, बेसिक प्राइमरी पाठशाला, पलिया (बलिया) का मई तथा जून, 1972 के बकाये वेतन का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय इसे शीघ्र भुगतान का आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

जी हां ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया को यह निर्देश दे दिये गये हैं कि न केवल श्री कृष्ण मुरारी वर्मा वरन् अन्य सभी अध्यापकों एवं कर्मचारियों का बेसिक शिक्षा परिषद् के गठन के पूर्व के बकाया का भुगतान शीघ्रातिशीघ्र कर दिया जाय ।

103--श्री राम स्वरूप वर्मा--

[4थे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अल्मोड़ा जिले को सहायता प्राप्त औद्योगिक इकाइयां

104--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अल्मोड़ा जनपद में कितने उद्योग ऐसे हैं जिनको राजकीय अनुदान प्राप्त है और वे इस समय मृत अवस्था में हैं ? इन उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिये क्या सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नियाज हसन खां--

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा सहायता प्राप्त 33 इकाइयों में से नवम्बर, 1980 तक कुल दो इकाइयों को बीमार पाया गया । अन्य स्रोतों से सहायता प्राप्त इकाइयों के विषय में सूचना एकत्रित की जा रही है ।

प्रथम इकाई से पुनर्जीवित करने हेतु प्रस्ताव मांगे परन्तु इकाई द्वारा वांछित सूचना नहीं दी गई ।

दूसरी इकाई को आवश्यकतानुसार कच्चा माल उपलब्ध कराने हेतु प्रयास किया जा रहा है ।

अल्मोड़ा महाविद्यालय के राजकीय सेवा में लिये गये चतुर्थ क्षेणी कर्मचारी

105—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा महाविद्यालय में कार्यरत चतुर्थ क्षेणी कर्मचारी, जो प्रान्तोयकरण के पूर्व महाविद्यालय में सेवारत थे, को अन्य स्टाफ की भांति राजकीय सेवा में लेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

अल्मोड़ा महाविद्यालय में प्रान्तोयकरण के पूर्व से कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को उस महाविद्यालय के अन्य कर्मचारियों की भांति ही प्रान्तोयकरण के उपरान्त राजकीय सेवा में ले लिया गया था ।

नगरपालिका, भदोही, जिला वाराणसी की सुरियावां सड़क के पुनर्निर्माण की मांग

106—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने का कृपा करेंगे कि नगरपालिका, भदोही, जिला वाराणसी के अन्तर्गत सुरियावां रोड स्टेशन के आगे तक बहुत ही जोर्ण हालत में हैं और एक-एक फिट के गहरे गड्ढे हैं और सड़क पर पानी बह रहा है ? क्या यही स्थिति पालिका के अन्तर्गत भदोही-वाराणसी मार्ग की भी है ? यदि हां, तो इनको बनाने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जगदीश प्रसाद—

जी नहीं । नगरपालिका, भदोही, जिला वाराणसी की सीमा में सुरियावां रोड स्टेशन के आगे तक तथा भदोही-वाराणसी मार्ग जीर्ण हालत में नहीं है । उक्त सड़कों पर एक-एक फिट के गड्ढे नहीं हैं । घरों में प्रयोग होने वाला पानी घरों से निकल कर सड़कों पर बहता है ।

कारपेट इन्डस्ट्री, भदोही, वाराणसी, मिर्जापुर के लिये कार्यरत श्रम निरीक्षक

107—श्री ऊदल—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कारपेट इन्डस्ट्री, भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी के लिये कितने श्रम निरीक्षक एवं लेबर आफिसर कार्य कर रहे हैं ? और सन् 75 से लेकर नवम्बर, 80 तक कितने कारपेट उद्योग के मालिकों का चालान श्रम कानून के उल्लंघन करने के सम्बन्ध में निरीक्षकों एवं लेबर अफसरों ने किया है ? उन उद्योगों के नाम क्या है और अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

कारपेट उद्योग, भदोही, वाराणसी एवं मिर्जापुर में चार श्रम निरीक्षक कार्यरत हैं, जिन्होंने वर्ष 1975 में 40, वर्ष 1976 में 37, वर्ष 1977 में 52, वर्ष 1978 में 44, वर्ष 1979 में 56 तथा वर्ष 1980 में नवम्बर माह तक 29 प्रतिष्ठानों का श्रम कानून उल्लंघन करने के सम्बन्ध में चालान किया, जिनके विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया तथा उनमें से कुछ प्रतिष्ठानों को अर्थदंड दिया गया । जिन प्रतिष्ठानों के विरुद्ध मुकदमें चलाये गये उनकी सूची† संलग्न है । इस कार्य के लिए कोई लेबर आफिसर नियुक्त नहीं है ।

---

†छापी नहीं गई ।

श्रम हितकारी केन्द्र, भदोही, जिला वाराणसी के अधिकारी एवं कर्मचारी

108—श्री ऊदल—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रम हितकारी केन्द्र, भदोही, जिला वाराणसी में कितने अधिकारी एवं कर्मचारी कार्य कर रहें हैं और सन् 75 से लेकर नवम्बर, 80 तक इन्होंने श्रमिको के हितों में क्या-क्या कार्य किये हैं और अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर सालाना क्या व्यय हुआ है और हितकारी कार्य पर कितना व्यय हुआ है ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

श्रम हितकारी केन्द्र, भदोही में कुल दस अधिकारी एवं कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। इन्होंने श्रमिकों के हित में चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई, बाहरी खेल आयोजित किये, पुस्तकालय तथा वाचनालय की सुविधा प्रदान की, मातृका तथा बालहित कार्य की व्यवस्था की, सिलाई कक्षाओं का आयोजन किया तथा 447 विशेष कार्यक्रम आयोजित किये। वर्ष 1975 से कर्मचारियों एवं अधिकारियों पर और हितकारी कार्यों पर निम्नलिखित व्यय हुआ :

वर्ष	अधिकारियों व कर्मचारियों पर	हितकारी कार्यों पर
	रु0	रु0
1975	49,260	10,000
1976	51,660	10,000
1977	52,200	10,000
1978	48,750	10,000
1979	49,910	10,000
1980 (नवम्बर तक)	59,400	9,070

महावीर जूट मिल के कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग

109—श्रीमती गौरी देवी—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महावीर जूट मिल में वर्ष 80 माह नवम्बर, में कुल कितने अस्थायी व स्थायी कर्मचारी कार्यरत हैं ? कितने ऐसे अस्थायी कर्मचारी हैं, जो तीन साल से भी अधिक अवधि से काम करते आ रहे हैं ? सरकार उन्हें स्थायी करने के लिए क्या कदम उठाएगी ?

श्री नियाज हसन खां—

महावीर जूट मिल निजी क्षेत्र की इकाई है। अतः प्रश्नगत सूचना उपलब्ध नहीं है।

110—श्री मोहन सिंह—

[स्पष्टीकरण के अभाव में हटाया गया]

जौनपुर जिले के विकास क्षेत्र, बदलापुर तथा खुटहन में बाढ़ से क्षतिग्रस्त प्राइमरी पाठशालायें

111--श्री जंगबहादुर--

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि इस वर्ष गोमती एवं पीली नदियों की प्रलयंकारी बाढ़ के कारण बदलापुर तथा खुटहन विकास क्षेत्र, जौनपुर जनपद के बेसिक प्रा० पाठ०, नामीपुर, अहियापुर, गोपालपुर, शाहपुर सानी, उड़वा, बघाड़ी, मेढ़ा आदि क्षतिग्रस्त हुये हैं ? यदि हां, तो इनके निर्माण कराने की कोई व्यवस्था शासन द्वारा की जायगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

वर्ष 1980 के बरसात में बाढ़ और अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों की मरम्मत एवम् पुनः निर्माण हेतु रुपये 1,50,000 का अनुदान जिला परिषद्, जौनपुर को स्वीकृत किया गया है जिससे प्रश्नगत क्षतिग्रस्त विद्यालयों की मरम्मत और पुनर्निर्माण का कार्य जिला परिषद्, जौनपुर जिला बेसिक शिक्षा समिति की संस्तुति के आधार पर करायेगी ।

प्रदेश में नर्सरी एवं किंडर गार्टन विद्यालयों को दिया गया अनुदान

112--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या शिक्षा मन्त्री बतानें की कृपा करेंगी कि गत 5 वर्षों में पब्लिक विद्यालयों (मान्टेसरी) की शासन द्वारा चलाये जाने हेतु प्रतिवर्ष कितना धन दिया जाता है और कुल प्रदेश में कितने पब्लिक विद्यालय हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

गत पांच वर्ष में प्रतिवर्ष निम्नलिखित आवर्तक अनुदान नर्सरी तथा किन्डरगार्टन स्कूलों को स्वीकृत किया गया

		रु०
1975-76	..	3,16,923
1976-77	..	3,46,807
1977-78	..	3,32,546
1978-79	..	1,96,404
1979-80	..	3,23,874

प्रदेश में 48 सहायता प्राप्त नर्सरी एवं किन्डर गार्टन विद्यालय अनुदान सूची पर है ।

हल्द्वानी, जिला नैनीताल में चोरी के सम्बन्ध में सरदार के यहां मारा गया कथित छापा

113--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 24-9-80 को रामपुर रोड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल में चोरी की निशानदेही पर एक सरदार

जी के घर छापा मारा गया था जिसमें 1 टेपरिकार्ड, रिकर्ड प्लेयर, सायकिल आदि बरामद हुई थी ? यदि हां, तो वह सामान जमा कहां है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जालौन जिले के ग्राम नियामतपुर में पुलिस चौकी खोलने का प्रस्ताव

114—श्री शंकर सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद जालौन के ग्राम नियामतपुर में पुलिस चौकी खोलने के लिये जिला पुलिस अधीक्षक ने हाल ही में अपनी संस्तुति शासन को भेजी है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम में पुलिस चौकी कब तक खोली जायगी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जी नहीं । परन्तु पुलिस मुख्यालय से प्राप्त संहत प्रस्ताव के आधार पर चालू वित्तीय वर्ष (1980-81) में जनपद जालौन के ग्राम नियामतपुर में एक पुलिस चौकी खोलने की स्वीकृति की जा चुकी है ।

2—सभी स्वीकृत थानों/चौकियों के कार्यक्षेत्र की विज्ञप्ति शासकीय गजट में प्रकाशित हो जाने के बाद यह चौकी भी विधिवत् कार्य करने लगेगी ।

जालौन, उरई में मुठभेड़ में मारा गया डकैत फूल सिंह

115—श्री शंकर सिंह—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिनांक 12/13 नवम्बर, 1980 के आधा, उरई के बीच राष्ट्रीय मार्ग पर चनारी पुलिया के निकट फूल सिंह नामक जिस डकैत को जालौन पुलिस द्वारा मुठभेड़ में मारने का दावा किया गया है उस व्यक्ति को पुलिस उसके गांव हरकूपुर के घर से पकड़ लायी थी और हाथ बांध कर गोली मार दी थी ? क्या पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में उसके दोनों हाथों की हथेलियों में गोली मारने की बात है और हथेलियों में छेद है ? क्या सरकार इस घटना की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा करायेगी ? क्या मृतक के पिता रामदयाल ने कोई पत्र मुख्य मंत्री को 14-12-80 को भेजा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्राप्त सूचना से ज्ञात हुआ है कि 12/13 नवम्बर, 1980 के आटा, उरई के बीच राष्ट्रीय मार्ग पर चनारी पुलिया के निकट फूल सिंह डकैत मुठभेड़ में मारा गया । उसे पुलिस द्वारा उसके गांव हरकूपुर के घर से पकड़ कर और हाथ बांध कर गोली मारने के आरोप प्रमाणित नहीं हुये ।

पोस्ट मार्टम में उसके दोनों हाथों की हथेलियों में गोली लगना स्पष्ट नहीं है ।

जी नहीं । इस मामले की मजिस्ट्रीयल जांच में मुठभेड़ की बात सत्य पाई गई है । अतः मजिस्ट्रीरियल जांच के परिणाम को देखते हुये सी0 आई0 डी0 जांच की आवश्यकता नहीं है ।

मृतक के पिता का दिनांक 14-12-80 का कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । अतः उस पर कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता ।

देवरिया जिले के बेलडराड़-देवरिया कठिनाइया मार्ग का निर्माण

116--श्री मोहन सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला सार्वजनिक निर्माण अस्थायी खण्ड द्वारा बेलडोड़ कठिनाइयां मार्ग बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो इस पर दिसम्बर 1980 तक कितना रुपया व्यय हो चुका है और कितने लम्बे मार्ग का निर्माण हो चुका है ? और शेष मार्ग कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी हां । जनपद देवरिया में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अस्थायी खण्ड द्वारा बेलड़ाड़ देवरिया कठिनाइयां मार्ग पर 10 कि0 मी0 लम्बाई में मिट्टी व पुलिया का कार्य तथा 7 कि0 मी0 लम्बाई में खड़न्जा का कार्य किया जा रहा है । उक्त कार्य पर दिसम्बर 1980 तक 4·29 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं । मिट्टी का कार्य पूरी लम्बाई में, पुलियों का निर्माण 7·00 कि0 मी0 लम्बाई में तथा खड़न्जा का कार्य 4 कि0 मी0 लम्बाई में पूरा हो चुका है । शेष कार्य यथा सम्भव शीघ्र ही पूर्ण कराये जाने का प्रयास किया जायेगा ।

यू0 पी0 निवास, नई दिल्ली का आडिट एवं कक्षों के आवंटन का नियम

117--श्री ऊदल--

क्या राज्य सम्पत्ति मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 निवास, नई दिल्ली का हिसाब-किताब आडिट द्वारा कराया गया ? यदि हां, तो कब और नहीं कराया गया तो इसका कारण क्या है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी हां । पिछली बार उ0 प्र0 निवास का आडिट माह अप्रैल, 1978 तक की अवधि का माह मई, 1978 में कराया गया था ।

118--श्री ऊदल--

क्या राज्य सम्पत्ति मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि सन् 1977-78, 1978-79 तथा नवम्बर 1979-80 तक विधायक के अलावा किन-किन लोगों को यू0 पी0 निवास नई दिल्ली के कमरे एलाट किये गए हैं ? उनके नाम, पद तथा पते क्या हैं ?

श्री जगदीश प्रसाद--

इतनी लम्बी अवधि में उ0 प्र0 निवास में विधायकों के अलावा जिन व्यक्तियों को कक्ष दिये गये हैं उनके नाम पद तथा पते की सूची बनाने में जो श्रम, समय व धन व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप नहीं होगा ।

119--श्री ऊदल--

क्या राज्य सम्पत्ति मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मन्त्रियों, विधायकों एवं अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष विधान सभा, विधान परिषद् के अलावा यू0 पी0 निवास, नई दिल्ली में किन किन लोगों को कमरे दिये जा सकते हैं ?

श्री जगदीश प्रसाद--

शासन के सदस्यों, विधान मण्डल के अधिकारियों तथा विधायकों के अतिरिक्त निम्नलिखित को भी उ0 प्र0 निवास, नई दिल्ली के कक्ष दिये जा सकते हैं--

1--श्री राज्यपाल ।

2--माननीय उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश ।

3--महाधिवक्ता, उ0 प्र0 ।

4--लोक सेवा आयोग के सभापत्ति एवं सदस्यगण ।

5--उ0 प्र0 के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री ।

6--सचिवालय के अधिकारीगण ।

7--राज्य सरकार के वर्ग-1 के अधिकारीगण जिनमें वे भी सम्मिलित हैं जो भारत सरकार के पास प्रतिनियुक्ति पर गये हों और उ0 प्र0 में तैनात हों ।

8--उ0 प्र0 जिला परिषद्ों के अध्यक्ष जब वे शासकीय कार्य से दिल्ली जायें ।

9--श्री राज्यपाल के परिवार के सदस्य (श्री राज्यपाल की अनुपस्थिति में) ।

10--राज्य सरकार के वे अधिकारी जो प्रतिनियुक्ति में भारत सरकार में आ कर दिल्ली में नियुक्त हो अथवा राज्य सरकार के लायजों कार्य (Liaison wask) के लिए दिल्ली में नियुक्त हो (अस्थायी व्यवस्था) ।

11--राज्य के संसद सदस्य (अस्थायी व्यवस्था) ।

12--सरकार की अनुमति से कोई अन्य व्यक्ति ।

यू0 पी0 निवास, नई दिल्ली के कक्षों के आवंटन से प्राप्त किराया एवं कार

120--श्री ऊदल--

क्या राज्य सम्पत्ति मन्त्री को पता है कि विधायकों के अलावा सन् 1979 तथा 20 दिसम्बर, 1980 तक ऐसे लोगों को कमरे एलाट किये गये हैं जिनको

नियमतः नहीं देना चाहिए ? यदि दिया भी जाय तो 52 रु0 रोजाना की दर से किराया लिया जायगा ? यदि हां, तो ऐसे जिन लोगों को कमरे एलाट किय गये हैं उनसे किराया क्या लिया गया है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी नहीं । उत्तर प्रदेश निवास में उक्त अवधि में ऐसे किन्हीं व्यक्तियों को कक्ष नहीं दिये गये जो नियमानुसार वहां ठहरने के लिये अर्ह न हों ।

जिन गैर सरकारी व्यक्तियों आदि अथवा कार्पोरेशन्स आदि के अधिकारियों को वहां कक्ष दिये गये उनसे नियमानुसार नान ड्यूटी रेट पर किराया लिया गया है ।

121-श्री ऊदल--

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 निवास नई दिल्ली में सन् 1975 से लेकर आज तक कमरों का किराया कितना मिला है ? क्या वह किराया सरकार के खजाने में टाइम से जमा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद--

वित्तीय वर्ष 1975-76 से दिनांक 17-1-1981 तक उत्तर प्रदेश निवास नई दिल्ली का कुल रु0 2,49,959.84 किराया मिला । किराया प्राप्त होने के दिनांक से औसतन 18 दिन के अन्दर सरकारी खजाने में जमा किया गया है ।

122--श्री ऊदल--

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 निवास, नई दिल्ली का कमरा नं 9 मार्च, से 20 दिसम्बर, 1980 तक किसके नाम एलाट किया गया था ? उनका नाम, पद क्या है और उनसे किराये के रूप में कितना रुपया वसूला गया ? क्या वह कमरा हमेशा मार्च से लेकर दिसम्बर, 1980 तक उन सज्जन के नाम बन्द रहता है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

उत्तर प्रदेश निवास, नई दिल्ली का कक्ष सं0 9, मार्च, 1980 से 20 दिसम्बर, 1980 तक समय-समय पर जिनके अध्यासन में रहा तथा उक्त अध्यासियों से जो किराया वसूल हुआ उसकी स्थिति निम्नवत् है :--

अध्यासी का नाम	अवधि	किराया	वसूल किया गया	
			बिजली परिव्यय	धुलाई परिव्यय
श्री रामनरेश यादव, भू0 पू0 मुख्य मंत्री	8-3-80 से 9-3-80	12.00	6.00	1.00
श्री राम नरेश यादव भू0 पू0 मुख्य मंत्री	14-3-80 से 15-3-80	6.00	3.00	1.00

अध्यासी का नाम	अवधि	किराया	वसूल किया गया	
			बिजली परिव्यय	धुलाई परिव्यय
श्री आनन्दस्वरूप, नियोजन सचिव	18-3-80 से 20-3-80	18.00	9.00	1.00
श्री सुरेन्द्र सिंह, उद्योग सचिव	23-3-80 से 29-3-80	36.00	18.00	1.00
श्री धर्मवीर, अध्यक्ष	2-4-80 से	200.00	12.00	1.00
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं श्री बीरबहादुर	6-4-80			
श्री धर्मवीर अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी	12-4-80 से 15-4-80	200.00	12.00	1.00
तदव	19-4-80 से 20-4-80	50.00	3.00	1.00
तदेव	23-4-80 से 2-5-80	450.00	27.00	1.00
श्री बनारसीदास भूतपूर्व मुख्य मन्त्री	5-5-80	6.00	3.00	1.00
श्री रामनरेश यादव, भूतपूर्व मुख्य मंत्री	7-5-80	6.00	3.00	1.00
श्री नगेन्द्र सिंह, अतिरिक्त स्थानिक आयुक्त	14-5-80 से 18-5-80	24.00	12.00	1.00
श्री धर्मबीर, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी	19-5-80 से 24-5-80	250.00	15.00	1.00
श्री पी० सी० जैन, उद्योग सचिव	27-5-80 से 28-5-80	6.00	3.00	1.00
श्री संजय सिंह, स० वि० स०	2-6-80 से 4-6-80	12.00	6.00	1.00
श्री बीरबहादुर सिंह, स० वि० स०	4-6-80 से 6-6-80	30.00	15.00	1.00
श्री धर्मवीर, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कांग्रेस, कमेटी	12-6-80 से 15-6-80	150.00	9.00	1.00
श्री अम्मार रिजवी, पंचायती राजमंत्री	19-6-80	निःशुल्क		

अध्यासी का नाम	अवधि	किराया	वसूल किया गया	
			बिजली परिव्यय	धुलाई परिव्यय
श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी, राज्य मंत्री, पर्वतीय विकास	22-6-60	निःशुल्क		
श्री धर्मवीर, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, कांग्रेस कमेटी	23-6-80 से 26-6-80	150.00	9.00	1.00
श्री धर्मवीर, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी	30-6-80	50.00	3.00	1.00
श्री धर्मवीर, संसद सदस्य	6-7-80	6.00	3.00	1.00
श्री धर्मवीर, संसद सदस्य	7-7-80 से 11-7-80	..	..	..
श्री ब्रह्मदत्त नियोजन मंत्री	13-7-80 से 14-7-80	निःशुल्क		
श्री बलरामसिंह यादव, कृषि मंत्री	17-7-80 से 18-7-80	निःशुल्क		
श्री आर0 एन0 पाठक, श्रम मंत्री	18-7-80 से 21-7-80	निःशुल्क		
श्री धर्मवीर, संसद सदस्य	22-7-80 से 20-12-80	..	..	..

श्री धर्मवीर, संसद सदस्य ने उक्त कक्ष दिनांक 10-2-81 को खाली कर दिया ।

राज्य के नवनिर्वाचित संसद सदस्यों को दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के नियमित आवास न मिलने पर उनके ठहरने की अस्थायी व्यवस्था उत्तर प्रदेश निवास नई दिल्ली में की जाती है और उसके किराये के भुगतान का दायित्व लोक सभा सचिवालय का होता है जिन्हें उक्त कक्ष के किराये का बिल भुगतान हेतु भेजा गया है ।

123-श्री ऊदल--

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 निवास, नई दिल्ली में कितनी कारें सन् 1975 से लेकर अब तक प्रत्येक वर्षों में रही हैं ? क्या यह सही है कि मंत्रियों एवं अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभापति/उपसभापति के अलावा वे कारें चलायी जाती हैं जिससे लाखों रु0 का खर्चा बढ़ा है ? यदि हां, तो इसको रोकने हेतु सरकार ने कोई कार्यवाही किया ?

श्री जगदीश प्रसाद--

उत्तर प्रदेश निवास, नई दिल्ली में सन् 1975 से प्रत्येक वर्षों में गाड़ियों की संख्या निम्नवत् रही है :

सन् 1975	5 गाड़ियां
सन् 1976	6 गाड़ियां
सन् 1977	7 गाड़ियां
सन् 1978	8 गाड़ियां
सन् 1979	8 गाड़ियां
सन् 1980	9 गाड़ियां

शासन के सदस्यों, विधान मण्डल के अधिकारियों एवं शासन के उन अधिकारियों के द्वारा जो नियमानुसार उत्तर प्रदेश निवास की गाड़ियों का उपयोग करने के अनुमन्य हैं, गाड़ियों का उपयोग किया जाता है ।

गाड़ियों की संख्या में वृद्धि तथा गाड़ियों के उपयोग के लिए अनुमन्य महानुभावों की दिल्ली यात्राओं में वृद्धि के अनुपात में गाड़ियों के रख-रखाव तथा पेट्रोल व्यय में वृद्धि हुई है ।

प्रदेश प्रशासन की बढ़ती हुई आवश्यकताओं तथा प्रदेश के विकास कार्यों को ध्यान में रखकर उक्त वृद्धि अपरिहार्य है ।

यू0 पी0 निवास, नई दिल्ली के रखरखाव तथा कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन पर व्यय की गयी धनराशि

124-श्री ऊदल--

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 निवास, नई दिल्ली में सन् 1975 से लेकर अब तक कितना रुपया रख रखाव अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन भत्ते गाड़ियों की मरम्मत, पेट्रोल तथा टेलीफान आदि पर खर्च हुआ है और सरकार ने सन् 1975 से लेकर अब तक कितना रुपया यू0 पी0 निवास को प्रत्येक वर्षों में दिया है ? क्या सरकार यू0 पी0 निवास की अनियमितताओं की जांच कराने पर भी विचार करेगी ?

श्री जगदीश प्रसाद--

उत्तर प्रदेश निवास, नई दिल्ली में सन् 1975 से अब तक प्रत्येक वर्षों में रखरखाव, अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ते, गाड़ियों की मरम्मत, पेट्रोल तथा टेलीफोन आदि पर निम्नलिखित व्यय हुआ :--

सन् 1975-76	7, 72, 235.15
सन् 1976-77	12, 53, 688.25
सन् 1977-78	9, 79, 065.72
सन् 1978-79	12, 91, 318.25
सन् 1979-80	14, 16, 610.63
सन् 1980-81	14,00, 568.32

उपर्युक्त सभी धनराशि प्रत्येक वर्षों में शासन द्वारा ही व्यय की गयी ।

उत्तर प्रदेश निवास, नई दिल्ली में कोई अनियमितता की शिकायत शासन को प्राप्त नहीं हुई है । उत्तर प्रदेश निवास के लेखे–जोखे का लेखा परीक्षण समय–समय पर होता रहा है जिसमें कोई उल्लेखनीय अनियमितता नहीं पाई गई है ।

देवरिया जिले के नारायनपुर कान्ड से सम्बन्धित कर्मचारियों एवं अधिकारियों का निलम्बन एवं बहाली

125––श्री प्रदीप कुमार यादव––

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया के "नारायनपुर कान्ड" के सिलसिले में अलग–अलग नम और ओहदा सहित कितने पुलिस अधिकारी, कर्मचारी कब मोअत्तल किये गये थे ? उनमें से कितनों को (अलग–अलग नाम और ओहदा सहित) कब–कब बहाल किया गया, किन–किन को प्रोन्नति दी गयी तथा किस हैसियत में कहां–कहां और कब–कब उनको नियुक्ति प्रदान की गयी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह––

नारायनपुर कान्ड के सम्बन्ध में श्री महावीर प्रसाद, पुलिस उपाधीक्षक, जनपद देवरिया को 14 फरवरी , 1980 को तथा श्री लक्ष्मी नारायण चतुर्वेदी, थानाध्यक्ष थाना कप्तानगंज, देवरिया और श्री इन्द्रासन सिंह, थानाध्यक्ष, थाना हाटा, जनपद देवरिया प्रत्येक को 27 फरवरी, 1980 को व श्री अनिरुद्ध सिंह, उप निरीक्षक, थाना कप्तानगंज, जनपद देवरिया को दिनांक 13 फरवरी, 1980 को निलम्बित किया गया था ।

इनमें से श्री महावीर प्रसाद, उप पुलिस अधीक्षक को दिनांक 9 जून, 1980 को बहाल किया गया और वह जनपद फैजाबाद में तैनात हैं तथा श्री अनिरुद्ध सिंह उप निरीक्षक दिनांक 19 अक्तूबर, 1980 को बहाल किये गये और वह जनपद आजमगढ़ में तैनात हैं । शेष दो व्यक्ति अभी भी निलम्बित हैं । किसी को प्रोन्नति नहीं दी गयी है ।

प्राविधिक शिक्षा विभाग के जूनियर लेक्चरर कास्ट्यूम एवं डिजाइन एवं जूनियर लेक्चरर स्टेनोग्राफी की शैक्षिक योग्यता एवं वेतनमान

126––श्री जसवन्त सिंह विष्ट––

विधान सभा प्रथम सत्र 1980 के 2रे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 51 के उत्तर के क्रम में क्या मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जूनियर लेक्चरर कास्ट्यूम एन्ड डिजाइन की शैक्षिक योग्यता केवल हाई स्कूल या इन्टर के साथ एक वर्षीय आई० टी० आई० का कोर्स है और स्टेनोग्राफी एवं टंकण की शैक्षिक योग्यता इन्टर के साथ दो वर्ष का स्टेनोग्राफी का कोर्स है ? यदि हां, तो जूनियर लेक्चरर कस्ट्यूम एन्ड डिजाइन का वेतनमान 400––750 रु० और जूनियर लेक्चरर इन स्टेनोग्राफी का वेतनमान 325––575 रु० रखने का क्या कारण है ? जूनियर लेक्चरर स्टेनोग्राफी एवं टंकण को 400––750 रु० का वेतनमान सरकार देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

नहीं । जूनियर लेक्चरर कास्ट्यूम एन्ड डिजाइन तथा जूनियर लेक्चरर अंग्रेजी/हिन्दी स्टेनोग्राफी तथा टाइप राईटिंग की शैक्षिक योग्यता शासन ने निम्नवत् निर्धारित की है :––

(अ) जूनियर लेक्चरर कास्ट्यूम एन्ड डिजाइन--बैचलर-डिग्री अथवा उसके समकक्ष डिग्री और उसके साथ कम से कम 66 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ प्रथम श्रेणी में डिप्लोमा इन कास्ट्यूम डिजाइन एवं ड्रेस मेकिंग और एक वर्ष का कास्ट्यूम डिजाइन एवं ड्रेस मेकिंग अध्यापन अथवा क्रियात्मक अनुभव ।

अथवा

होम साइंस में बैचलर डिग्री और साथ में 3 वर्ष का कास्ट्यूम डिजाइन एवं ड्रेस मेकिंग में अध्यापन/अथवा क्रियात्मक अनुभव ।

(ब) जूनियर लेक्चरर अंग्रेजी/हिन्दी स्टेनोग्राफी तथा टाइप-राइटिंग--(1) अंग्रेजी/हिन्दी स्टेनोग्राफी तथा टाइप-राइटिंग के साथ वाणिज्य में द्वितीय श्रेणी में इन्टरमीडिएट परीक्षा पास या स्टेट बोर्ड आफ टेक्निकल एजूकेशन उ0 प्र0 द्वारा प्रदत्त स्टेनोग्राफी तथा सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस में दो वर्षीय डिप्लोमा तथा

(2) हिन्दी ज्ञान/सम्बन्धित विषय में अध्यापन अनुभव तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री को प्राथमिकता दी जायेगी ।

उपरोक्त दोनों पदों की अर्हताओं में भिन्नता होने के कारण जूनियर लेक्चरर कास्ट्यूम एन्ड डिजाइन का वेतनमान 400--750 रु0 तथा जूनियर लेक्चरर स्टेनोग्राफी एवं टंकण का वेतनमान 325--575 रु0 रखा गया है । अन्य पदों के वेतनमान के साथ इन पदों का वेतनमान भी वेतन आयोग के विचाराधीन है ।

प्रदेश सरकार को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग से प्राप्त धनराशि का आवंटन

127--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या उद्योग मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्रामोद्योग कमीशन से इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार को लगभग 6 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उसमें से कितनी-कितनी धनराशि किस-किस जिले को आवंटित की गयी और किस आधार पर ?

श्री नियाज हसन खां--

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग से उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग के विकास हेतु वर्ष 1980-81 में 15 फरवरी, 1981 तक 83·31 लाख रु0 की धनराशि प्राप्त हुई है जिला से क्षेत्रीय मांग एवं उद्योगों के विकास की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये संलग्न विवरण के अनुसार जिलों को आवंटित किया गया है । 25.91 लाख रु0 खादी बोर्ड में जिलों को वितरित करने के लिये शेष है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1080 पर)

128--श्री मोती लाल देहलवी--

[3 फरवरी, 1981 को अतारांकित प्रश्न सं0 93 द्वारा उत्तरित]

कानपुर जिले के बिल्हौर–मकनपुर मार्ग के लिये स्वीकृत पुल

129––श्री मोती लाल देहलवी––

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद कानपुर के अन्तर्गत बिल्हौर–मकनपुर पक्के मार्ग के रास्ते में पड़ने वाले नाले पर पुलों के बनाने को अन्तिम स्वीकृति शासन से होते हुये भी अभी तक उस पर कार्य प्रारम्भ न किये जाने का क्या कारण है तथा पुलों का निर्माण कब तक हो जायेगा ?

श्री जगदीश प्रसाद––

प्रश्नगत नालों पर पुलियों को बनाने हेतु ठेकेदारों से प्राप्त हुई निविदायें स्वीकृत दरों से अधिक होने तथा सीमेन्ट की अनुपलब्धता के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका । अब निविदायें पुनः मांगी गई हैं जिनके सही प्राप्त होने पर तथा सीमेन्ट की उपलब्धता पर कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण होना निर्भर करेगा ।

फैजाबाद, सरयू नदी के राजघाट पर पुल निर्माण की मांग

130––श्री गोपीनाथ वर्मा––

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में सरयू नदी राजघाट पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में क्षेत्रीय जनता जन प्रतिनिधि द्वारा वर्ष 1977–78 में पत्र लिख कर मांग की गयी ? यदि हां, तो उपरोक्त के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद––

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जालौन जिले के ग्राम थमना में डाकुओं द्वारा की गयी हत्याएं

131––श्री शंकर सिंह––

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जालौन जनपद के ग्राम थमना में दिनांक 29–11–80 को शाम दस्युदल द्वारा 6 व्यक्तियों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से इसलिए मार दिया गया कि उसी ग्राम में पुलिस ने चार महीने पहले तीन दस्युओं को गोली से मारा था ? क्या जो व्यक्ति दस्युओं द्वारा मारे गये हैं उनके परिवार के लोग पुलिस सेवा में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार मृतकों के परिवार को आर्थिक सहायता तथा सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देगी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह––

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 18–5–80 को स्थानीय पुलिस ने एक मुठभेड़ में 3 डकैतों को मारा था लेकिन यह सत्य नहीं है कि इसीलिए डकैतों ने दिनांक 29–11–80 को 6 व्यक्तियों को मार दिया । जांच से ज्ञात हुआ है कि यह लोग डकैतों को शरण देते थे और इनमें किसी प्रकार की अनबन हो गई जिसके कारण डकैतों ने 6 व्यक्तियों को जान से मार दिया । मृतकों में से एक, परशुराम, के परिवार के 5 व्यक्ति पुलिस सेवा में हैं ।

चूंकि मृतक डकैतों को पनाह देते थे इसलिए इनके परिवारों को आर्थिक सहायता तथा सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने का कोई औचित्य नहीं है ।

फैजाबाद जिले में बन्दूक, राइफल के लाइसेन्स के लिए प्राप्त प्रार्थना-पत्र

132--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 26-12-80 को जनपद फैजाबाद में मौजूदा समय में बन्दूक, राइफल और रिवाल्वर के लाइसेन्स प्राप्त करने के सम्बन्ध में कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं तथा उक्त अवधि तक कितने लाइसेन्स दिये जा चुके हैं तथा कितने लाइसेन्स किन कारणों से निरस्त किये जा चुके हैं ? क्या प्रशासन द्वारा निरस्त असलहा दुबारा जान-माल सुरक्षा हेतु दिया जाता है ? यदि हां, तो किस स्थिति में है और क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

दिनांक 26-12-80 को फैजाबाद जनपद में बन्दूक, राइफल और रिवाल्वर हेतु 1462 प्रार्थना-पत्र विचाराधीन थे । वर्ष 1980 के 26-12-80 तक 298 लाइसेन्स जारी किये गये । उक्त अवधि में नवीनीकरण न कराने, लाइसेन्सियों के मर जाने, असलहा न खरीदने तथा लाइसेन्सियों के विरुद्ध पुलिस रिपोर्ट पर कार्यवाही किये जाने के कारण कुल 68 लाइसेन्स निरस्त किये गये । जो हां, जिन कारणों से लाइसेन्स निरस्त किये गये हैं उनके निराकरण तथा पुनः जाँच करने के पश्चात् सक्षम अधिकारी द्वारा जान-माल की सुरक्षा हेतु निरस्त अस्त्र का लाइसेन्स दिया जा सकता है ।

प्रतापगढ़ जिले में ट्रैक्टर फैक्ट्री का निर्माण एवं मन्दिर का कथित निर्माण

133--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रतापगढ़ जिले में जो सरकारी ट्रैक्टर फैक्ट्री बन रही है उसका निर्माण उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा किया जा रहा है ? यदि हां, तो फैक्ट्री और क्वार्टरों का कितना निर्माण 25 दिसम्बर, 1980 तक हो चुका था ?

श्री नियाज हसन खां--

हां । प्रतापगढ़ जिले में बन रही ट्रैक्टर फैक्ट्री का निर्माण उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा किया जा रहा है किन्तु फैक्ट्री के कर्मचारियों के लिए बनाए जा रहे भवनों का कार्य अन्य ठेकेदारों द्वारा कराया जा रहा है ।

25 दिसम्बर, 1980 तक फैक्ट्री बिल्डिंग्स का का लगभग 30 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका था ।

134--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या फैक्ट्री और क्वार्टरों के बीच में उक्त सरकारी भूमि पर किसी मंदिर का निर्माण 25 दिसम्बर, 1980 को पूरा हो चुका था ? यदि हां, तो उक्त मंदिर का निर्माण किसने कराया और वह किसकी सम्पत्ति है तथा उस पर होने वाली चढ़ौती का कौन मालिक होगा और धर्मनिरपेक्षता के संविधान सम्मत सिद्धान्तों को देखते हुए क्या सरकार मस्जिद, गिरिजाघर, गुरुद्वारा आदि सभी धर्मों के उपासना गृहों को फैक्ट्री कम्पाउन्ड में बनवाएगी ?

श्री नियाज हसन खां--

नहीं । फैक्ट्री द्वारा 25 दिसम्बर, 1980 तक किसी भी मंदिर का निर्माण नहीं कराया गया ।

फैक्ट्री और क्वार्टरों के बीच में बहुत पहले से ही एक मंदिर बना हुआ है जो काफी जीर्णावस्था में है। यह मंदिर भूमि अधिग्रहण के पूर्व से विद्यमान है तथा फैक्ट्री परिसर (प्रेमिसेज) के बाहर है। चूंकि यह मंदिर बहुत पुराना है अतः यह बताना संभव नहीं कि इसका निर्माण किसने कराया। सरकार द्वारा किसी धर्म के उपासना गृह के बनवाने का प्रश्न नहीं उठता।

औरैया से मूसानगर तक मुगल रोड को क्षति

135--श्री रामस्वरूप वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि औरैया से मूसानगर तक मुगलरोड गत बरसात में बहुत खराब हो गई तो क्या उसमें मेटीरियल ठीक से नहीं लगाया गया था? या पानी के कारण खराब हुई या ठेलों के अधिक वजनी आमदोरफ्त से खराब हुई?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी नहीं। प्रश्नगत मार्ग पर मैटीरियल ठीक से नहीं लगाये जाने के बारे में इस समय कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। बढ़े हुए यातायात के कारण उक्त मार्ग की दशा खराब हो गई थी। अत्यधिक वर्षा के कारण अनेकों स्थलों पर बोगी ऐक्शन भी हो गया था। दो स्थानों पर उक्त मार्ग बाढ़ के पानी के द्वारा कट भी गया था।

शाहजहांपुर जिले में वृक्षों की कटान के लिए दिए गए परमिट

136--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की किन-किन तहसीलों में कितने-कितने वृक्षों को कटाने के परमिट वर्ष 1979 व 1980 में जारी किए गए? क्या यह सच है कि इस जनपद में हरे वृक्षों को कानूनी जामा पहनाकर कानूनी तथा गैर कानूनी ढंग से भारी संख्या में काटा जा रहा है? यदि हां, तो क्या शासन इस सम्बन्ध में शीघ्र कोई ऐसी ठोस कार्यवाही करेगा जिससे भविष्य में यह अवैधानिक कृत्य रुक सके?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जनपद शाहजहांपुर की जिन-जिन तहसीलों में जितने-जितने वृक्षों को काटने के परमिट वर्ष 1979 व 1980 में जारी किए गए उनका विवरण निम्न प्रकार है :--

वर्ष	तहसील का नाम	परमिटों की संख्या	पेड़ों की संख्या
1979	शाहजहांपुर	13	240
1979	पुवायां	16	1100
1979	तिलहर	16	221
1979	जलालाबाद	7	98
	योग (1979) ..	52	1659

वर्ष	तहसील का नाम	परमिटों की संख्या	पेड़ों की संख्या
1980	शाहजहांपुर	31	672
1980	पुवायां	43	3504
1980	तिलहर	24	722
1980	जलालाबाद	9	188
	योग (1980) ..	107	5086

परमिट जारी करने की पद्धति इस प्रकार है कि बाग मालिक, ग्राम सभा द्वारा सूखे गिरे पड़े मरने वाले व फलहीन वृक्षों को काटने हेतु प्रस्ताव पारित किये जाते हैं तथा उसके पश्चात् सम्बन्धित वन प्रभागों को प्रार्थनापत्र मय ग्राम सभा के प्रस्ताव की प्रति व खसरा खतौनी की प्रति सहित भेजी जाती है। वन विभाग द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र के रेंज अधिकारी से संस्तुति मांगी जाती है कि पेड़ काटने योग्य है कि नहीं। जहां तक सम्भव हो पाता है क्षेत्र के सहायक अरण्यपाल, जो परमिट जारी करने के सक्षम अधिकारी है, भी मौके का निरीक्षण करते हैं। इसके बाद ही परमिट जारी किये जाते हैं। उद्यान विभाग द्वारा परमिट जारी करने की पद्धति वन विभाग की तरह है परन्तु मौके की जांच जिला उद्यान अधिकारी जो कि परमिट देने के सक्षम अधिकारी हैं, स्वयं करते हैं तथा काटने योग्य वृक्षों के ही परमिट देते हैं। अतः यह कहना सच नहीं है कि शाहजहांपुर जनपद में हरे-भरे वृक्षों को कानूनी जामा पहनाकर कानूनी तथा गैर कानूनी ढंग से भारी संख्या में काटा जा रहा है। अतएव किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

जंगलों को तैयार करने वाले मजदूरों की मजदूरी

137—श्रीमती गौरी देवी—

क्या मुख्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में जंगलों को तैयार करने वाले मजदूरों को कितनी मजदूरी और कौन-कौन सुविधाएं दी जाती हैं? क्या सरकार इन्हें स्थायी आवास, निर्धारित मजदूरी, विभाग में उनके परिवार के व्यक्तियों को नौकरी देने और दिये गये खेतों को 5 साल कृषि उत्पादन करने के बाद जंगल लगाने की सुविधा दी जायगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्रदेश में जंगलों को तैयार करने वाले मजदूरों को स्थान की विशेषता के अनुरूप 5 रु0 से 8 रु0 प्रतिदिन तक मजदूरी दी जाती है तथा उनको आवश्यकतानुसार निम्न सुविधायें दी जाती हैं:—

1—निवास हेतु छप्परों की व्यवस्था।

2—कार्यस्थल पर पानी, राशन तथा प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था।

3—जंगलों में गिरी पड़ी जलौनी लकड़ी निःशुल्क दिया जाना।

4—श्रमिकों के पूरे परिवार के कार्य कर सकने वाले सदस्यों को यथा सम्भव कार्य पर लगाया जाना तथा यथासम्भव कार्य उपलब्ध कराना।

5—नर्सरी एवं वृक्षारोपण कालोनियों में सब्जी उगाने की सुविधा।

6—जहां टांगियां पद्धति है वहां पर कृषि हेतु निःशुल्क भूमि दिया जाना तथा जहां टांगियों स्कूल हैं, वहां उनके बच्चों को पुस्तकें, कापियां इत्यादि मुफ्त दिया जाना।

जहां तक स्थायी आवास, विभाग में उनके परिवार के व्यक्तियों को नौकरी देने, दिये गये खेतों को 5 साल कृषि उत्पादन करने के बाद जंगल लगाने की सुविधा देने का प्रश्न है। ये सुविधायें दिया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि वनों के कार्यक्षेत्र बदलते रहते हैं तथा नौकरियां पद विशेष के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता के अनुसार दी जाती है। 5 साल कृषि उत्पादन करने के बाद जंगल लगाने की सुविधा देने से अतिक्रमण को प्रोत्साहन मिलेगा तथा यह वनीकरण सिद्धान्त के प्रतिकूल भी है।

उत्तरकाशी वन प्रभाग एवं टिहरी वन प्रभाग के उखड़े हुए वृक्षों का मूल्य

138—श्री विद्यासागर नौटियाल—

दिनांक 5-9-80 के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि संबंधित अवधि में टिहरी वन तथा उत्तरकाशी बन प्रभाग के अन्तर्गत उखड़ने वाले वृक्षों की संख्या क्रमशः कितनी है, उनका मूल्य कितना होता है तथा वन विभाग ने उन वृक्षों का उपयोग किस रूप में किया है? यदि वृक्षों का उपयोग नहीं किया गया है, तो क्यों?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

सम्बन्धित अवधि में उत्तरकाशी वन प्रभाग में कोई चीड़ के वृक्ष नहीं गिरे हैं। टिहरी वन प्रभाग में उखड़े 1239 चीड़ के वृक्षों की कीमत 2,32,923 रु0 होती है। इनमें से 72 वृक्ष पूर्व में विक्रय किये गये लाटों के अन्तर्गत थे। अतः उन्हें सम्बन्धित लाटों के कार्यरत ठेकेदारों को लाट के नीलाम में प्राप्त मूल्य (लाट की रायल्टी) के अनुसार लघु मांग में दिये जाने का प्रस्ताव है। शेष 1167 उखड़े हुए चीड़ के वृक्षों का छपान कर उन्हें वन निगम उत्तर प्रदेश को कार्य करने हेतु दे दिया गया है। प्रश्न के अन्तिम भाग का प्रश्न नहीं उठता।

वन विभाग के सर्वे अमीन, सर्वे एक्सपर्ट एवं सर्वेयर की प्रोन्नति की नियमावली

139—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन विभाग में सर्वे अमीन, सर्वे एक्सपर्ट तथा सर्वेयर को प्रमोशन देने के लिये कोई नियम आज तक नहीं बना है जिसकी वजह से उक्त पदों के कर्मचारी उसी में भर्ती होते हैं और रिटायर भी हो जाते हैं? यदि हां, तो ऐसे नियमों को अब तक बदलने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है? प्रश्नकर्ता ने इस संबंध में एक पत्र भी 17 सितम्बर, 1980 को माननीय वन मंत्री को भेजा है कि ऐसे बाधक नियमों को बदल दिया जाय, उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां, वन विभाग में वन बन्दोबस्त के दौरान वन बन्दोबस्त अधिकारी जो राजस्व विभाग के एक अधिकारी होते हैं, द्वारा सर्वे अमीन सर्वे एक्सपर्ट तथा सर्वेयर की नियुक्तियां अल्पकालिक अवधियों के लिए की जाती हैं । चूंकि वन बन्दोबस्त की प्रक्रिया एक अस्थायी प्रक्रिया है अतः इन पदों की वार्षिक स्वीकृति मांगी जाती है तथा किसी विशेष जिले में वन बन्दोबस्त की कार्यवाही पूर्ण हो जाने पर ये पद भी समाप्त हो जाते हैं । अतः उक्त पदों के धारकों को प्रमोशन देने हेतु वन विभाग द्वारा कोई नियम नहीं बनाये गये हैं और न ही इस सम्बन्ध में कोई नियम बनाने अथवा बदले जाने का प्रश्न उठता है ।

उप-अरण्यपाल, सीतापुर द्वारा रिक्शा ठेलियों की खरीद

140--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उप अरण्यपाल, सीतापुर द्वारा माह अगस्त, सितम्बर तथा अक्तूबर, 1980 में पौधे की सिंचाई के लिए पानी ले जाने हेतु कुछ रिक्शा ठेलियां खरीदी गईं ? यदि हां, तो--

(क) कितनी खरीदी गई ?

(ख) प्रत्येक कितने रुपयों की खरीदी गई ।

(ग) खरीदने के लिए प्रक्रिया क्या अपनाई गई थी ?

(घ) क्या इस बात की जानकारी की गई है कि जिन दिनों यह रिक्शा ठेलियां खरीदी गई उन दिनों उनका बाजार भाव क्या था ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां, सीतापुर वन प्रभाग में माह अगस्त, सितम्बर तथा अक्तूबर, 1980 में सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई हेतु रिक्शा ठेलियां खरीदी गई थीं जिसका विवरण निम्न प्रकार है :

(क) उपरोक्त अवधि में सिंचाई कार्य हेतु 20 रिक्शा ठेलियां क्रय की की गई हैं ।

(ख) प्रत्येक रिक्शा ठेलियां ड्रम सहित 1200 रु0 में क्रय की गई हैं जिसमें बिक्री-कर भी सम्मिलित है ।

(ग) रिक्शा ठेलियों का क्रय कोटेशन आमंत्रित करके न्यूनतम कोटेशन के आधार पर किया गया ।

(घ) इस आशय की जानकारी कोटेशन के आधार पर एवं अन्य प्रभागों से प्रभागीय निदेशक, सीतापुर द्वारा कर ली गई थी कि रिक्शे का मूल्य बाजार दर तथा अन्य प्रमाणों में क्रय किये गये रिक्शों से अधिक नहीं था ।

वन विभाग में वृक्षों की सुरक्षा हेतु लोहे के जाल के फ्रेम की खरीद

141--श्री हुकम सिंह--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1980 में लगाये गये नये वृक्षों की सुरक्षा के लिये कितने लोहे के जाल के फ्रेम बनवाये गये । इन पर प्रति फ्रेम

कितना खर्चा आया और किस-किस फर्म द्वारा इनका निर्माण कराया गया ? क्या निर्माण कार्य कराने के लिये विधिवत् टेंडर आमंत्रित किये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

वर्ष 1980 में लगाये गये नये वृक्षों की सुरक्षा के लिये कुल 9361 लोहे के जाल के फ्रेम तथा 3258 लोहे के जाल बनवाये गये । इन पर प्रति फ्रेम जाल जितना खर्चा आया और जिस-जिस फर्म द्वारा इनका निर्माण कराया गया उसका विवरण निम्न प्रकार है :

फर्म का नाम जिनके द्वारा निर्माण कराया गया	लोहे के जाल के फ्रेमों की संख्या जितनी का निर्माण कराया गया	व्यय प्रति फ्रेम (रु० में)
1	2	3
1--मेसर्स स्टील फ्रेम, लखनऊ	4000	119·00
2--मेसर्स सिंह इन्टरप्राइज, कानपुर	225	174·00
3--भारत हार्डवेयर एन्ड इन्जीनियरिंग ट्रेडर्स, देहरादून	85	52·50
4--मेसर्स स्टैंडर्ड स्टील वर्क्स, फिरोजाबाद	1000	105·25
5--राज ब्रदर्स, जगतगंज, वाराणसी	1017	105·00
6--मेसर्स सिंह ट्रेडर्स, ऐशबाग, लखनऊ	400	87·00
7--मेसर्स सिंह ट्रेडिंग कारपोरेशन, लालबाग, लखनऊ	200	42·00
8--मेसर्स ओम चन्द्र गुप्ता, बरेली	74	65·00
9--मेसर्स माडर्न टूल्स, देहरादून	60	70·40
10--मेसर्स भारत कृषि संयंत्र संस्थान, चमोली	500	67·00
11--मेसर्स अतुल ट्रेडर्स, देहरादून	800	67·00
12--मेसर्स उत्तराखंड टूल्स उद्योग, मुनिकी रेती, ऋषिकेष	1000	65·10
13--मे0 अतुल ट्रेडर्स, देहरादून (केवल लोहे के तार के जाल)	1000	29·95
14--मेसर्स अतुल ट्रेडर्स, देहरादून (केवल महीन तार के जाल	2258	15·95
योग ट्री गार्ड	9361	
लोहे के जाल	3258	

उपरोक्त लोहे के जालों के फ्रेमों का निर्माण कार्य तथा लोहे के जालों का क्रय विधिवत् टेन्डर एवं कोटेशन आमंत्रित करने के बाद किया गया। केवल कुमाऊं वृत्त में 74 ट्री गार्ड मे0 ओम चन्द्र गुप्ता से बिना कोटेशन नमूने के तौर पर बनवाये गये ?

वन रक्षकों के पद पर होमगार्ड के सिपाहियों का आरक्षण

142—श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वन विभाग में वन रक्षकों की नियुक्ति में 20 प्रतिशत होमगार्ड के सिपाहियों में से भर्ती में आरक्षण के लिये निर्णय शासन ने कब लिया था ? तथा उस निर्णय के बाद कितने वन रक्षक नियुक्त हुये, उसमें कितने वन रक्षक होम गार्ड से रखे गये हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

वन रक्षकों की नियुक्ति में 20 प्रतिशत का आरक्षण होमगार्ड के सिपाहियों के लिये किये जाने का निर्णय दिनांक 19-7-1977 को लिया गया, परन्तु वन रक्षकों की सेवा नियमावली में विधिक कठिनाई के कारण उक्त प्रतिशत का आरक्षण करने के बजाय होमगार्ड के सिपाहियों को वरीयता देने का प्राविधान किया गया है। यह नियमावली दिनांक 13-6-1980 से प्रख्यापित की गई है तथा दिनांक 18-10-80 के गजट में प्रकाशित हुई है। इस नियमावली के प्रकाशन के बाद 69 वन रक्षकों के पदों पर नियुक्ति की गई जिनमें एक होमगार्ड का व्यक्ति है।

मुजफ्फरनगर में वन विभाग द्वारा लगाये गये वृक्ष

143—श्री हुकम सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मुजफ्फरनगर जनपद में जुलाई, 1980 से अक्तूबर, 1980 तक वन विभाग द्वारा कितने वृक्ष लगाये गये हैं ? इन पर प्रति वृक्ष सरकार का कितना खर्चा आया और इनके रख-रखाव की सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

मुजफ्फरनगर जनपद में जुलाई, 1980 से अक्तूबर, 1980 तक 3,99,675 वृक्ष लगाये गये। सुरक्षा तथा अग्रिम कार्य में हुए कुल व्यय को सम्मिलित करके इन पर 3·42 रु0 प्रति वृक्ष खर्चा आया और कांटेदार तार, ट्री गार्ड एवं कैटिल गार्ड रखकर इनके रख-रखाव की समुचित व्यवस्था की गई है।

बहराइच धर्मापुर प्रभाग (मुर्तिहा रेंज) के प्लाटों की नीलामी

144—श्री जटा शंकर सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 29 मई, 1975 को जनपद बहराइच स्थित मुर्तिहा रेंज का प्लाट नं0 763 कम्पार्ट नं0 58 रकबा नं0 50 हेक्टर 941 रुपया प्रति हेक्टर की दर से एवं बाद में तार फिनिशिंग चार्ज 25 रुपया प्रति हेक्टर की दर से लीज ठेकेदार रामनारायन पुत्र खरपत्, निवासी निद्धी पुरवा, बहराइच को देकर उससे कुल लीज चार्ज एवं तार फिनिशिंग चार्ज 38,640 रुपया (40 हेक्टर का) जमा कराया गया और मौके पर मात्र 31 हेक्टर का कब्जा दिया गया ? यदि हां, तो क्या 9 हेक्टर की अधिक जमा धनराशि 8,694 रुपया लीज ठेकेदार रामनरायन को वापस की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

बहराइच वन प्रभाग के धर्मापुर रेंज (जो अब मुर्तिहा रेंज है) में लीज लाट संख्या 763 नहीं बल्कि 783/74–75 श्री रामनारायन पुत्र श्री खरपत्तू को सार्वजनिक नीलाम में दिया गया था। नीलाम सूची में भूमि का क्षेत्रफल 40 हेक्टर था परन्तु मौके पर भूमि का कुल क्षेत्रफल 30·19 हेक्टर ही था जिसमें ठेकेदार ने कार्य किया। 9 हेक्टर के स्थान पर 9·81 हेक्टर की अधिक जमा धनराशि जो 9,476·46 रुपये थी ठेकेदार को इसलिए वापस नहीं की गयी क्योंकि बिक्री शर्त के अनुसार निर्धारित अवधि के अन्दर ठेकेदार ने सक्षम अधिकारी को कोई प्रार्थना–पत्र नहीं दिया।

मेसर्स पत्थर वस्तु औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति धौर्रा, ललितपुर को दी गयी पत्थर खनन की लीज एवं समय में वृद्धि किये जाने तथा भूमि के पट्टे के सम्बन्ध में प्रार्थना–पत्र

145—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मेसर्स पत्थर वस्तु औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति लि0 धौर्रा, जनपद ललितपुर को लीज की स्वीकृति हेतु कोई प्रार्थना–पत्र 29–9–80 को दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई तथा इसी से संबंधित 6–10–78 को पुनः सम्पूर्ण अभिलेख सहित सचिव, उद्योग अनुभाग–12 द्वारा अनुभाग–2 को सम्पूर्ण वृत्तान्त सहित भेजा गया था एवं 6–9–80 का प्रार्थना–पत्र तथा दिनांक 10–10–80 को प्रार्थना–पत्र दिया था उस पर अभी तक सहकारी समिति को लीज देने हेतु कोई कार्यवाही किन परिस्थितियों में नहीं की गयी है और कब तक ये कार्यवाही करेंगे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

मेसर्स पत्थर वस्तु औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति लि0, धौर्रा, जनपद ललितपुर ने दिनांक 25–9–78 (न कि दिनांक 29–9–78) को 20 वर्ष के लिए, 10 एकड़ क्षेत्र से पत्थर खनन के लीज की स्वीकृति हेतु जिलाधिकारी, ललितपुर को प्रार्थना–पत्र दिया था। उस समय खनन पर रोक थी। दिसम्बर, 1979 में खनन कार्य पुनः आरम्भ हुआ। समिति ने दिनांक 25–4–80 को एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने 10 एकड़ क्षेत्र के स्थान पर 2 एकड़ क्षेत्र से 3 वर्ष के लिए खनन हेतु लीज की मांग की। अरण्यपाल द्वारा सितम्बर, 1980 में लीज को स्वीकृति दे दी गयी थी परन्तु अक्तूबर, 1980 में भारत सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अध्यादेश, 1980 जारी किये जाने के परिणाम स्वरूप अग्रेतर कार्यवाही नहीं की जा सकी।

146—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मेसर्स पत्थर वस्तु औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति लि0 धौर्रा, ललितपुर का दिनांक 17–2–79, दिनांक 5–3–79 तथा दिनांक 20–4–79 एवं अभ्यर्थना अनुभाग–2 के पत्रांक संख्या 5/67, दिनांक 17–2–79 का अवलोकनार्थ तथा मुख्य सचिव के पत्रांक एम0 एस0/778/79, दिनांक 12–2–79 तथा 5–9–80 को एवं दिनांक 10–10–80 को माईनिंग की लीज 5 वर्ष बढ़ाने एवं शासनादेशानुसार 15 प्रतिशत छूट (रायल्टी) देने हेतु प्रार्थना–पत्र दिये गये हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई तथा अब तक कृत कार्यवाही से समिति को अवगत करायेंगे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां, मेसर्स पत्थर वस्तु औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति लि0 धौर्रा, जिला ललितपुर को वर्ष 1977 में 5 एकड़ क्षेत्र पर खनन का हेतु 3 वर्ष के लिए लीज की स्वीकृति दी गई थी जिसकी अवधि वर्ष 1980 में समाप्त हो गई। इस लीज की अवधि बढ़ाने एवं 15 प्रतिशत रायल्टी पर छूट दिये जाने विषयक प्रार्थना-पत्रों के उत्तर में समिति को सूचित किया जा चुका है कि उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया जाना सम्भव नहीं है।

147--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रस्तावित कृषि समिति धौर्रा, ललितपुर ने भूमि पट्टे पर देने हेतु दिनांक 17 फरवरी, 1979, दिनांक 10 मार्च, 1978 तथा 20 अप्रैल, 1979 एवं 5-9-80 को व 10-10-80 को प्रार्थना-पत्र दिए गए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई और कब तक ये कार्यवाही पूर्ण होगी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां। कथित प्रार्थना-पत्रों पर विचारोपरान्त समिति को सूचित कर दिया गया है कि उनकी प्रार्थना का स्वीकार करना सम्भव नहीं है।

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा तालकटोरा कालोनी की खरीद एवं पाइप लाइन सम्बन्धी शिकायती-पत्र

148--श्री संत बख्श रावत--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तालकटोरा कालोनी में जमीन के नीचे पाइप लाइन प्लास्टिक का बिछाने में हाउसिंग बोर्ड द्वारा स्टेट विभाग को ठगने की महान योजना सफल विषयक एक शिकायती-पत्र दिनांक 17 अगस्त, 1979 को राज्य सम्पत्ति अधिकारी को दिया गया था ? क्या उस पर अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ को जांच किए जाने हेतु आदेश दिए गए थे ? यदि हां, तो जांचोपरान्त कौन-कौन सी शिकायतें सही पाई गयीं और उन पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी हां। तालकटोरा कालोनी के एक कक्षीय दुर्बल आय वर्ग के तिमंजिले आवास राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् से क्रय किए गए हैं। इन आवासों में जल सम्पूर्ति हेतु पी0 बी0 सी0 पाइप लाइन आवास-विकास परिषद् द्वारा स्वीकृत मूल आगणन के प्राविधानों के अनुसार बिछायी गयी है। अतः इसमें न तो कोई अनियमितता है, और न ही राज्य सम्पत्ति विभाग को ठगने का प्रश्न उठता है। कहीं-कहीं प्लास्टर खराब होने तथा पानी की टंकियों के चूने की शिकायतें सही पाई गयी। इनका निराकरण किया जा चुका है।

जौनपुर जिले के विकास खंड खुटहन एवं बदलापुर के भवनहीन प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल

149--श्री जंगबहादुर--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद के विकास क्षेत्र खुटहन एवं बदलापुर में कितने बेसिक प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर स्कूल के भवन नहीं

है और कितनों में पठन-पाठन को साज-सज्जा की व्यवस्था नहीं है ? क्या सरकार भवन निर्माण कराने तथा साज-सज्जा की व्यवस्था शीघ्र करायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद जौनपुर के विकास खंड खुटहन एवं बदलापुर में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित भवनहीन प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों की संख्या निम्न प्रकार है --

विकास खंड का नाम	प्राइमरी स्कूलों की संख्या		जूनियर हाई स्कूलों की संख्या	
	कुल संख्या	भवनहीन स्कूलों की संख्या	कुल संख्या	भवनहीन स्कूलों की संख्या
खुटहन	56	9	6	3
बदलापुर	64	16	8	1

इन सभी विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार पठन-पाठन, साज-सज्जा की व्यवस्था है ।

छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भवनहीन विद्यालयों के निर्माण का कार्यक्रम और प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों में साज-सज्जा का समुचित व्यवस्था का कार्यक्रम आरम्भ किया गया है किन्तु सीमित संसाधनों के कारण सभी भवनहीन विद्यालयों का निर्माण कराया जाना या सभा विद्यालयों में समुचित साज-सज्जा की व्यवस्था किया जाना सम्भव नहीं है ।

शिक्षा विभाग के हरिजन अधिकारी एवं हरिजनों का आरक्षण कोटा

150--श्री पंचानन--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग में वर्तमान समय में राजपत्रित द्वितीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी में कुल कितने पद सृजित है ? इन पदों के सम्बन्ध में हरिजनों के 18 प्रतिशत आरक्षित कोटे की क्या स्थिति है ? यदि कोटा अपूर्ण है तो क्यों ? जनवरी, 1975 से अगस्त, 1980 के मध्य कुल कितने और कौन-कौन अधिकारी हरिजनों के लिए आरक्षित कोटे के अन्तर्गत द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी में कब पदोन्नति किए गए हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आजमगढ़ के शिक्षकों के सम्बन्ध में न्यायालय का निर्णय एवं वेतन का भुगतान

151--श्री पंचानन--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांधी उ0 मा0 विद्यालय कौड़िया, आजमगढ़ के तीन शिक्षकों के सेवा को विनियोजित करने के सम्बन्ध में न्यायालय का

कोई निर्णय 1 जनवरी, 1979 से 30 जून, 1980 के बीच हुआ है ? यदि हां, तो क्या उन शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों और उनका वेतन कब से बाकी है और न्यायालय का निर्णय कब हुआ है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

नहीं ।

जब से (1-11-76) विद्यालय वेतन वितरण अधिनियम 1971 के अन्तर्गत आया तभी से शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है क्योंकि वे अनुमोदित नहीं थे, न्यायालय के निर्णय के उपरान्त शासन द्वारा उनके वेतन भुगतान के सम्बन्ध में विधिक परामर्श के अनुसार आवश्यक आदेश निर्गत कर दिए गए है । न्यायालय का निर्णय दिनांक 6-11-79 को हुआ है ।

आजमगढ़ जिले के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की अनिवार्य जमा योजना की धनराशि

152--श्री पंचानन--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के किन-किन गैर सरकारी सहायता प्राप्त उ० मा० विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों की अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत काटी गई धनराशि का पूरा भुगतान किया गया है ? किन-किन विद्यालयों में कितनी-कितनी धनराशियों का भुगतान नहीं हुआ है और क्यों ? भुगतान करने के लिए शासन तथा विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जमुना देवी बालिका इंटर कालेज, कृष्ण नगर, कानपुर के सम्बन्ध मे शिकायती-पत्र

153--श्री पंचानन--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जमुना देवी बालिका इंटर कालेज, कृष्णानगर, कानपुर के प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध अनियमितता, पक्षपात एवं आर्थिक गोलमाल की शिकायतें शासन या शिक्षा विभाग को 1 मई, 1980 से 20 जून, 1980 के बीच प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं और उनकी जांच किस स्तर के अधिकारी से कराई गई तथा जांच के क्या परिणाम निकले और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

उक्त अवधि में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई प्रतीत नहीं होती है । अतः उसकी जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

आदर्श इंटर कालेज, मानिकपुर, जिला बांदा के प्रबन्धाधिकरण के सम्बन्ध में शिकायत

154--श्री पंचानन--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आदर्श इंटर कालेज, मानिकपुर, बांदा के प्रबन्धाधिकरण एवं साधिकार नियंत्रक द्वारा की गई अनियमितताओं के विरुद्ध कोई शिकायतें शासन एवं विभाग को वर्ष 1978-79 में प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायत क्या थी और क्या उनकी जांच कराई गई ? जांच के क्या परिणाम निकले तथा दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सम्राट अशोक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, करहना, जिला बस्ती के शिक्षकों एवं कर्मचारियों का वेतन

155--श्री पंचानन--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्राट अशोक उ0 मा0 विद्यालय, करहना (बस्ती) के कितने शिक्षक एवं कर्मचारियों को अक्तूबर, 1977 से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है ? और वेतन न देने के क्या प्रमुख कारण हैं ? इस सम्बन्ध में वेतन दिलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जूनियर हाई स्कूल, गंड़ेरुआ, जिला आजमगढ़ के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का वेतनमान

156--श्री पंचानन--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद को हरैया ब्लाक में स्थित जूनियर हाई स्कूल गंड़ेरुआ में कितने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्हें केवल 31 रुपये 50 पैसे प्रतिमाह वेतन मिलता है ? वेतन आयोग द्वारा 165 रुपये न्यूनतम वेतन तय किए जाने के बाद इन्हें मूल वेतन के क्रम में बारह रुपया दिया जाने का क्या औचित्य है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद आजमगढ़ के विकास खंड, हरैया में स्थित जूनियर हाई स्कूल, गंड़ेरुआ में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसे 31.50 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा है । इस पद पर श्री परदेशी राम, फरवरी, 1975 तक उक्त वेतन पर कार्य करते थे, जिन्होंने वृद्धावस्था के कारण कार्य करना बन्द कर दिया और उनके स्थान पर श्री रामानन्द राम से प्रधानाध्यापक ने मार्च, 1975 के कार्य लेना आरम्भ कर दिया और पूर्व वेतन 31.50 रुपये प्रतिमाह दिया जाने लगा । यह नियुक्ति नियमानुसार नहीं थी । जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़ को नियमानुसार नियुक्ति करने के आदेश दिए गए हैं ।

श्याम कृष्ण इण्टर कालेज, गोरखपुर के सम्बन्ध में शिकायत

157--श्री पंच नन--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्याम कृष्ण इन्टर कालेज, बवईपार, गोरखपुर के प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध आर्थिक अनियमितताओं, भ्रष्टाचार एवं पक्षपात की शिकायतें शासन एवं शिक्षा विभाग को 1 फरवरी, 1980 से 30 मई, 1980 के बीच प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं और उनकी जांच किस स्तर के अधिकारों से करायी गयी तथा जांच के क्या परिणाम निकले ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध शुल्काय, सी० डी० एस०, बाढ़ क्षतिपूर्ति, पी० एफ०/जी० पी० एफ० तथा जीवन बीमा की धनराशि को विधिवत् जमा न करके, विद्यालय की कृषि भूमि की पैदावार को निजी स्वार्थ में उपभोग करने, छात्रों से अनधिकृत शुल्क की वसूली, हरिजन छात्रों की छात्रवृत्ति को विधिवत् वितरित न करने, राष्ट्रीय बचत के रूप में वेतन से की गई कटौती का प्रमाण-पत्र अध्यापकों/कर्मचारियों को उपलब्ध न कराने, फर्जी छात्र संख्या दिखाकर पद सृजन कराने आदि की शिकायतें प्राप्त हुई थी ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, सह जिला विद्यालय निरीक्षक, निरीक्षक कार्यालय के लेखाधिकारी तथा लेखाधिकारी मण्डलीय आडिट इकाई के स्तर से जांच करने के प्रयास किया गया किन्तु संस्थाधिकारियों द्वारा अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण जांच की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी । फलतः वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत विद्यालय में प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति कर दी गई है ।

महाराजगंज इण्टर कालेज, आजमगढ़ के प्रबन्धाधिकरण के सदस्यों की सूची एवं सदस्यों के चन्दे की धनराशि

158--श्री दल सिंगार--

क्या शिक्षा मंत्री महाराजगंज इण्टर कालेज, महाराजगंज, आजमगढ़ के प्रबन्धक समिति के साधारण सदस्यों की एक सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे, जिन्होंने सदस्यता शुल्क की धनराशि जमा किया है ? यह धनराशि कब, किसके-पास जमा की गई और उसका विवरण क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूची संलग्न है ।

सदस्यता शुल्क की धनराशि अध्यक्ष द्वारा पोस्ट आफिस में खोले गये खाते में जमा है । प्रबन्धकीय विवाद के कारण अधिकारियों को पूर्ण विवरण प्राप्त नहीं हो सका ।

(देखिये नत्थो 'घ' आगे पृष्ठ 1083 पर)

159--श्री दल सिंगार यादव--

क्या यह सही है कि अधिकांश सदस्यों का चंदा अभी तक जमा नहीं है और वे समिति के सदस्य बने है ? यदि हां, तो कैसे ? और यह अवैध समिति अभी तक कार्य कैसे कर रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

एक सुलहनामे के आधार पर कुछ सदस्य जो चन्दा जमा नहीं किये थे, समिति के सदस्य बने रहे । सुलहनामा न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया है ।

सुलहनामा अवैध घोषित हो जाने के कारण अवैध समिति कार्यरत नहीं है एवं न्यायालय द्वारा विद्यालय में रिसीवर नियुक्त है ।

कन्या क्रमोत्तर विद्यालय, अमोला, जिला फैजाबाद की अध्यापिका श्रीमती सगुना देवी का वेतन

160--श्री फिरंगी प्रसाद बिशारद--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 10-8-79 ई0 को, जो आवेदन पत्र श्रीमती सगुना देवी, स0 अ0, कन्या क्रमोत्तर विद्यालय, अमोला, ब्लाक रामनगर, जिला फैजाबाद ने उप बालिका विद्यालय निरीक्षिका, फैजाबाद को 1975 के प्रधानाध्यापिका पद की ग्रेड न दिये जाने और माह अक्टूबर, 1978 व माह जुलाई, 1979 का कार्यरत वेतन न देने के बारे में दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

माह अक्टूबर, 1978 का वेतन श्रीमती सगुना देवी को भुगतान कर दिया गया है और माह जुलाई, 1979 के वेतन तथा 1976 के प्रधानाध्यापिका के पद के ग्रेड के बकाया के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है ।

जौनपुर जिले के सटवा, मछलीशहर आदि के प्राइमरी स्कूलों के चपरासियों का वेतनमान

161--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जौनपुर जनपद के मछलीशहर तहसील के सटवा, मछलीशहर, मुंगराबादशाहपुर के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत चपरासी आज भी मात्र पचास रुपये वेतन पाते हैं ? क्या इन पूर्णकालिक चपरासियों को अन्य चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भांति वेतन व अन्य सुविधायें दी जायेंगी ? यदि हां, तो कब से ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जौनपुर जनपद के मछलीशहर तहसील के सटवा, मछलीशहर, मुंगराबाद-शाहपुर के प्राथमिक विद्यालयों में जो चपरासी कार्यरत है वे अंशकालिक चपरासी हैं और उन्हें 25-50 रु0 मासिक पारिश्रमिक दिया जाता है । बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आवश्यकता से अधिक है । अतः ऐसे अंशकालिक चपरासियों को पूर्णकालिक चपरासियों के पद पर नियुक्ति करने का निकट भविष्य में प्रश्न नहीं उठता ।

बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

162--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी के भ्रष्टाचार के विषय में पिछले छः माह में कितनी शिकायतें प्रश्नकर्ता तथा शाहजहांपुर के लोगों द्वारा शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक व उप शिक्षा निदेशक, बरेली को की गयी हैं ? क्या इनकी जांच कराई गई ? यदि हां, तो अब तक उपरोक्त शिक्षा अधिकारी को शाहजहांपुर से हटा कर दंडित क्यों नहीं किया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

शाहजहांपुर जिले के प्राइमरी स्कूलों में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की अध्यापक पद पर नियुक्ति

163--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण उत्तीर्ण अध्यापकों की नियुक्ति में सन् 1974 व 1975 के उत्तीर्ण स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों की नियुक्ति कर दी गयी है और सन् 1973 के उत्तीर्ण अध्यापकों की उपेक्षा की गई है ? यदि हां, तो सरकार बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

शासन के आदेशों के अनुसार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति हेतु विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित हैं, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़े वर्ग आदि के अभ्यर्थियों के साथ-साथ स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर ने प्राइमरी स्कूल के सहायक अध्यापकों के 63 पदों पर नियुक्तियां की, जिसके फलस्वरूप स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों की श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थियों में से वर्ष 1972, 1973 के पश्चात् बी0 टी0 सी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थी नियुक्त किये गये किन्तु सामान्य श्रेणी के केवल 1972 के पूर्व के बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति संभव हो सकी, क्योंकि आरक्षित श्रेणी के लिए उपलब्ध रिक्तियों पर उस श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध थे जिससे सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का नियुक्ति किया जाना नियम के विरुद्ध होता। इसी कारण वर्ष 1972 या उसके पश्चात् के वर्षों के सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की नियुक्ति संभव नहीं हो सकी।

जिला बसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा रही है।

वाराणसी जिले के ग्राम कहरका एवं राजपुर में डकैती

164--श्री ऊदल--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव कहरका व गांव राजपुर, थाना फूलपुर, जिला वाराणसी में ता0 8/9 नवम्बर, 1980 की रात में डकैतों

ने कई घरों में डकैतियां डालीं और क्रमश: दो तथा एक को गोली से बुरी तरह घायल कर दिया ? इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी और थाने में रिपोर्ट दर्ज की गयी है ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने एस0 एस0 पी0, वाराणसी से मिलकर 9-11-80 को एक पत्र भी दिया था और बात भी किया था उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि उक्त डकैतियों की सूचना एस0 एस0 पी0 तथा एस0 पी0 आर0 ए0 को तुरन्त नहीं दी गयी थी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां । इस सम्बन्ध में थाना फूलपुर पर सूचना प्राप्त होने पर धारा 395/397 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत दो अपराध उक्त थाने पर पंजीकृत किये गये । इन दोनों अभियोगों की विवेचना से प्रकाश में आए एक डकैत को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, एक डकैत की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु हुई तथा शेष की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं । इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने डी0 आई0 जी0 को सम्बोधित एक पत्र एस0 एस0 पी0 को देकर उनसे आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया था । इस पत्र में उल्लिखित घटनाओं में से एक मामले को छोड़कर अन्य सभी घटनाओं के बारे में भा0 दं0 वि0 की सम्बन्धित धाराओं में अपराध पंजीकृत कर कार्यवाही की गई है । शेष एक मामले में डकैती पड़ना नहीं पाया गया । यह कहना सही नहीं है कि उक्त डकैतियों की सूचना एस0 एस0 पी0 व एस0 पी0 आर0 ए0 को तुरन्त नहीं दी गई ।

देवरिया जिले में हाई स्कूल के व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का रोका गया परीक्षाफल

165--श्री हरिवंश सहाय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979 में देवरिया में हाई स्कूल के व्यक्तिगत रूप से जो पंजीकृत परीक्षार्थी थे उसमें जिन छात्रों का परीक्षाफल सूची 'ई' के आधार पर रोका गया है उसका विस्तृत विवरण क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

देवरिया जनपद से वर्ष 1979 में हाई स्कूल परीक्षा में व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित परीक्षार्थियों में से 24 परीक्षार्थियों का परीक्षाफल सूची "ई" में रोका गया था । इनमें से 4 अभ्यर्थियों के परीक्षाफल विचारोपरान्त घोषित कर दिये गये हैं और शेष 20 के परीक्षाफल, जो अवैधानिक रूप से दूसरे केन्द्रों के परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, निरस्त कर उन्हें सूचना दी जा चुकी है । उल्लेख्य है कि इस सूची के अन्तर्गत केवल उन परीक्षार्थियों का परीक्षाफल रोका जाता है जिनके द्वारा तथ्य गोपन अथवा अवैधानिक केन्द्र परिवर्तन कर परीक्षा में सम्मिलित होने की सूचना प्राप्त होती है ।

पर्वतीय क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों का प्रान्तीयकरण एवं कर्मचारी

196--श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में सन् 1975 से अब तक कितने माध्यमिक विद्यालयों का पर्वतीय क्षेत्र में प्रान्तीयकरण किया गया तथा इनमें कार्यरत कर्मचारियों को अभी तक राजकीय सेवाओं में नियुक्त न किए जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनवरी, 1975 से अगस्त, 1980 (सूचना संकलन तक) कुल 99 अशासकीय विद्यालयों का पर्वतीय क्षेत्र में प्रान्तीयकरण किया गया। इन विद्यालयों के कितने कर्मचारियों को राजकीय सेवाओं में नियमित नहीं किया जा सका तथा इसके क्या कारण हैं, के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है।

गांधी मिशन एच0 एम0 के0 डी0 इन्टर कालेज, मोहान, उन्नाव में अध्यापकों की नियुक्ति एवं हरिजनों का आरक्षण कोटा

167—श्री हर गोविन्द वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांधी मिशन एच0 एम0 के0 डी0 इन्टर कालेज, मोहान, उन्नाव में मार्च-अप्रैल, 1980 में अध्यापकों के रिक्त पदों पर चुनाव हुआ था ? क्या हरिजन सुरक्षित अध्यापक पद पर अन्य व्यक्ति की नियुक्ति कर दी गयी है और हरिजन अभ्यर्थी को नहीं लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां। मार्च/अप्रैल में नहीं, किन्तु दिनांक 26-2-80 को तीन अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने हेतु चुनाव सम्पन्न हुआ था।

जी हां। हरिजन सुरक्षित अध्यापकों के पदों पर सामान्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी गई है, क्योंकि हरिजन या पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र उक्त पदों के लिये प्राप्त नहीं हुये थे।

बेसिक शिक्षा परिषद्, हरदोई के शिक्षकों का बकाया महंगाई भत्ता

168—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के बेसिक शिक्षा परिषद नगर क्षेत्र सण्डीला के शिक्षकों को वर्ष 1980 माह मई एवं जुलाई के मंहगाई भत्ते का बकाया अवशेष (एरियर) का भुगतान अभी तक नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? इस विलम्ब का कौन अधिकारी दोषी है ? तथा भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही।

भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा, चौधरी खजान सिंह के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

माननीय अध्यक्ष जी, 28 फरवरी को चौधरी खजान सिंह का निधन 90 वर्ष की अवस्था में हो गया। चौधरी खजान सिंह का जन्म बुलन्दशहर में 1892 में हुआ था, वह सेना में भरती हुए थे। 1924 में सेना से अलग होकर सरकारी सेवा में भरती हुए, निजी व्यवसाय में लगे और 1952 में वह सोशलिस्ट

पार्टी में शामिल हुए तथा 1957 में इस सम्मानित सदन के सदस्य हुए । उनके निधन से एक बहुत उच्च कोटि का जीवन हम लोगों के बीच में नहीं रहा । मैं अपनी और अपने दल की संवेदना शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की प्रार्थना करता हूं ।

*श्री राजेन्द्र सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, स्वर्गीय चौधरी खजान सिंह के निधन पर माननीय मुख्य मंत्री ने जो संवेदना के भाव व्यक्त किये हैं मैं व मेरा दल अपने को उससे सम्बद्ध करता है । श्रीमन्, जैसा सभी को पता है कि चौधरी खजान सिंह एक कर्मठ व्यक्ति थे, उन्होंने देश की सेना में नौकरी करके सीमा की रक्षा की, फिर सरकारी सेवा में आये और उसके बाद राजनीतिक जीवन में 52 में आये और 57 में इस माननीय सदन के सदस्य बनकर आये । तो श्रीमन्, ऐसे कर्मठ व्यक्ति के निधन से निश्चित तौर से एक गैप बना है, मैं उनके लिये अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि मेरी व मेरे दल की संवेदना उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री सूबेदार सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, चौधरी खजान सिंह के निधन पर जो संवेदना माननीय मुख्य मंत्री, माननीय नेता विरोधी दल ने व्यक्त किया है, मैं अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, निश्चित रूप से चौधरी खजान सिंह एक समाजसेवी व्यक्ति रहे हैं । सेना में रहकर उन्होंने देश की सीमा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिये, सरकारी सेवा में उन्होंने गरिमा के अनुरूप अपने कर्त्तव्य को किया । इस सदन के सदस्य रहे और इस सदन की गरिमा के अनुरूप उन्होंने यहां पर व्यवहार किया । मैं व मेरा दल उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और निवेदन करता हूं कि मेरी संवेदना उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

स्वर्गीय चौधरी खजान सिंह के निधन पर जो उद्गार माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल और नेता कांग्रेस अर्स ने व्यक्त किये हैं, मैं अपने को और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं ।

मान्यवर, यह बात सही है कि श्री सिंह एक कर्मठ और निस्पृह समाज-सेवी थे । अपने जिले और क्षेत्र में अपनी समाजसेवाओं के कारण अत्यन्त लोकप्रिय थे । उनके न रहने के कारण एक रिक्तता हुई है । उनकी आत्मा को सद्गति प्राप्त हो यह भगवान से प्रार्थना करता हूं । कृपया मेरी तथा मेरे दल की सम्वेदना उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

*श्री भीखा लाल--

चौधरी खजान सिंह जी के निधन के सम्बन्ध में जो भाव नेता सदन, विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं, मैं अपने तथा अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं । चौधरी खजान सिंह का सम्बन्ध हमारे जिले उन्नाव से था । वह बहुत ही कर्मठ समाजसेवी थे । समाज के निर्बल वर्गों के लिये हमेशा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री भीखा लाल---]

संघर्ष करते रहे मरते दम तक । समाजसेवा के साथ-साथ वह एक कुशल किसान भी थे । उन्होंने अपना एक छोटा सा फार्म कायम किया था जो शहर से नजदीक था । उसकी निगरानी वह स्वयं किया करते थे और मरने से 2 दिन पहले तक फार्म तक स्वयं जाकर लौटे थे । वह हमारी युवा-पीढ़ी के लिये एक प्रेरणा के स्रोत थे । उनके निधन से हमारे जिले और प्रदेश की काफी क्षति हुई है । मैं उस दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया उसे शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

*श्री रियासत हुसैन---

नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने जो भाव चौधरी खजान सिंह के निधन पर व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं । श्रीमन्, चौधरी खजान सिंह जी बहुत कुछ हम लोगों के लिये छोड़ गये हैं सीखने के लिये । उन्होंने, फौज में रहकर देश की सुरक्षा में भी भाग लिया और उसके बाद इस सदन में कार्य किया । प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के विधायक की हैसियत से थे। उन्होंने, प्रजातन्त्र की सुरक्षा तथा चकबन्दी कानून के अन्दर जो बड़ा असंतोष था, उसको लेकर बड़ा अहम काम किया, किसानों के लिये और इस सदन के सदस्य न रहने के बाद भी एक मिसाल पेश की एक प्रगतिशील किसान के रूप में । मैं एक बार फिर आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी तथा मेरे दल की संवेदनाएं उनके शोक सन्तप्त परिवार तक भेज दी जयं ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य विधान सभा के नेतागणों द्वारा जो विचार व्यक्त किये गये हैं चौधरी खजान सिंह जी के निधन पर, उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं । चौधरी खजान सिंह के निधन से निश्चित ही एक अच्छा सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता हमसे बिछुड़ गया है जिसकी पूर्ति साधारणतया सम्भव नहीं है । मैं आप सब की भावनायें उस शोक-सन्तप्त परिवार तक पहुंचा दूंगा ।

कृपया 2 मिनट मौन खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित करें ।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट के लिये मौन खड़े हुए ।)

झांसी जनपद में समय पर नहर न चलने के कारण रबी की फसल को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--- (12 बजकर 30 मिनट)

नियम 301 की कुल 16 सूचनायें प्राप्त हुई थीं, जिसमें से 5 सूचनायें स्वीकृत हुई ।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अति लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । झांसी जनपद की रबी की फसल पानी के अभाव में सूख रही है, जबकि किसानों को समय पर पानी छोड़ने के लिए नहर विभाग का प्रशासन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बचनबद्ध था । यदि एक सप्ताह के अन्दर किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध नहीं कराया, तब किसानों की रबी की फसलें सूख जायेंगी । सम्पूर्ण जिले का किसान कंगाली के कगार पर पहुंच जायगा । जिले का सम्पूर्ण किसान मर-मिटने के लिए आन्दोलित हो गया है । नहर में पानी न छोड़ने का कारण निर्माण कार्य और पुलिया आदि की मरम्मत जो अक्तूबर में ही पूरा हो जाना चाहिये थी, वह आज तक करायी जा रही है । निर्माण अवधि समाप्त होने पर पसा समाप्त हो जायगा । इस डर के कारण लहलहाती फसल को नष्ट करते हुए नहर में निर्माण कार्य किया जा रहा है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप माननीय मुख्य मंत्री को आवश्यक निर्देश दें कि वह ऐसी व्यवस्था करवायें जिससे नहर का तुरन्त निर्माण रोककर नहर चालू हो सके जिससे किसान कंगाली के कगार पर जाने से रोका जा सके । साथ ही आन्दोलित किसान की मनःस्थिति को रोका जा सके ।

झांसी आयुर्वेदिक कालेज, में अध्यापकों के अभाव से शिक्षण कार्य बन्द होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जटाशंकर सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अति लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । सन् 1974 में पीलीभीत ऋषिकुल एवं झांसी के आयुर्वेदिक कालेजों का एक साथ प्रान्तीयकरण हुआ था । प्रान्तीयकरण के तुरन्त बाद स्त्री रोग, प्रसूति विभाग एवं बाल रोग विभाग के एक मात्र प्रवक्ता रिटायर हो गये थे । सन् 1974-75 तथा 1975-76 के पूर्व दो सत्रों तक में विभाग बिना किसी शिक्षक चिकित्सक के चलते रहे थे । सन् 1976-77 में एक लेडी डाक्टर की नियुक्ति की गयी जो कि मात्र आठ माह बाद ही स्टेट आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ में स्थानान्तरित होकर चली गयी । तबसे अब तक पुनः यह विभाग बिना किसी चिकित्सक शिक्षक के खाली पड़े हैं तथा इन वर्षों के दौरान पढ़ने वाले चिकित्सा स्नातकों के शिक्षण तथा विद्यालय के चिकित्सालय में उक्त विभाग में चिकित्सा कार्य का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है, जिनसे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था तथा सम्बन्धित चिकित्सालय में क्षेत्रीय जनता को लगातार इन पांच वर्षों से कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है ।

आयुर्वेदिक मौलिक सिद्धान्त (चरक) विभाग में कार्यरत विभागाध्यक्ष डाक्टर सुरेश चन्द्र शास्त्री तथा प्रवक्ता डाक्टर भागवत राम गुप्ता, डिमान्सट्रटर डाक्टर पाण्डेय स्थानान्तरित हो चुके हैं, जिससे चरक एवं आयुर्वेद मौलिक सिद्धान्त का पूर्ण विभाग लगभग 5-6 माह से खाली पड़ा है । शल्य चिकित्सा, शालक्य चिकित्सा तथा कार्य चिकित्सा विभागों में मात्र एक दो प्रवक्ता हैं । प्रत्येक विभाग में मात्र एक दो आदमी ही पूरा विभाग हैं ।

अतः आपसे अनुरोध हैं कि आप माननीय मंत्री (सम्बन्धित) को आवश्यक निर्देश दें कि वह ऐसी व्यवस्था करवायें जिससे कालेज के समस्त विभागों में पूर्ण पद प्रोफेसर, रीडर, प्रवक्ता तथा डिमान्स्ट्रेटर आदि से भरे जावें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अलीगढ़ जिले के ग्राम अखईपुर में श्री जोधपाल सिंह के परिवार के पांच व्यक्तियों की हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय सिंह राना—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व की एक अत्यधिक क्रूर और बर्बर घटना को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जिसमें एक ही परिवार के 5 व्यक्तियों को गोलियों से भून दिया गया और गड़ासों से काट-काट कर फेंक गया ।

यह घटना अलीगढ़ जिले के थाना हाथरस जं0 के गांव अखईपुर की है । यहां विगत 20/21 फरवरी की रात को करीब 12 बजे श्री जोधनपाल सिंह के पुत्र श्री महेन्द्र सिंह उम्र 45 वर्ष, श्री सुरेश सिंह उम्र 35 वर्ष और उनके 3 पौत्र अर्थात् मृतक श्री महेन्द्र सिंह के तीन पुत्रों जिनकी आयु क्रमशः 22 वर्ष, 16 वर्ष और 12 वर्ष थी, की गोलियां से भूनकर हत्या कर दी । केवल एक बालक घायल होकर ही किसी प्रकार बच गया और वह अस्पताल में है । हत्यारों की क्रूरता यहीं समाप्त नहीं हुई कि वह गोलियों से भूनकर वापस चले जाते । उन्होंने लाशों को गड़ासों से काट-काट कर फेंका । पुलिस अभी तक मामले में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं कर सकी है । अभी तक किसी व्यक्ति को नहीं पकड़ा गया है । इससे सम्पूर्ण जनता में भारी रोष व्याप्त है । स्थिति यह थी कि इसी हत्यावाली रात को गांव से एक स्वर्णकार की बरात गई हुई थी और पहले से गश्ती पुलिस मौजूद थी । पुलिस ने यदि अपने कर्तव्य का पालन किया होता तो यह घटना कदापि घटित न होती क्योंकि कुछ दिनों पूर्व इसी परिवार के दो बालक जहर देकर मार दिये गये थे, यदि पुलिस ने उसी समय सक्रियता दिखायी होती और लोगों को गिरफ्तार करती तो घटना का यह दुर्दिन सामने नहीं आता ।

मैं शासन से मांग करता हूं कि घटना की जांच कराकर हत्यारों को तुरन्त गिरफ्तार कराया जाय तथा पुलिस के विरुद्ध कर्त्तव्य पालन न करने के लिए कठोर कार्यवाही की जाय ।

सीतापुर जनपद में शारदा सहायक परियोजना द्वारा निर्मित नहर में सीपेज से फसल को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरगोविंद वर्मा—

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करते हुये बताना चाहूंगा कि सीतापुर जिले में शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत बनी नहर जो लगभग 80 कि0 मीटर लहरपुर, बिसवां तथा महमूदाबाद, विधान सभा क्षेत्रों में होती हुयी बाराबंकी में प्रवेश करती है । इसके दोनों ओर दो किलोमीटर जमीन सीपेज के पानी से दलदल हो गयी है, फसल का उगना पूर्णतया समाप्त हो गया है । सीपेज का पानी अब गांव में प्रवेश कर रहा है । मकान भी गिरना प्रारम्भ हो गया है । लोगों के घरों में चूल्हों के अन्दर भी खाना बनाते वक्त पानी फौहारे की तरह निकलने लगता है । पूरा क्षेत्र आज खून के आंसू बहा रहा है । उसी मामले को लेकर 28 फरवरी को सीतापुर के अन्दर सीपेज से पीड़ित लोगों ने, लगभग 20 हजार लोगों ने प्रदर्शन किया । प्रदर्शन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया परन्तु अभी तक उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

अतः आपके माध्यम से मैं यह चाहता हूं कि सरकार अविलम्ब उन गरीब किसानों को फसलों का मुआवजा देकर तुरन्त उनके खेती से पानी उठान के लिये व्यवस्था करे। उसके लिये मेरा सुझाव है कि जो बालू के ढेर पर नहर बनायी गयी है उसको तुरन्त पक्का किया जाय। सीपेज का प्लास्टर इस्तेमाल करके सीपेज को रोका जाय। नहर के दोनों तरफ ट्यूबवेल लगाकर जब सीपेज की सम्भावना हो पानी खींच कर नहर में डाला जाय तथा नाले खोद कर सीवेज का पानी नदियों में गिराया जाय। अगर ऐसा नहीं होता है तो लगभग नहर के दोनों तरफ ढाई तीन लाख लोग मौत के कगार पर पहुंच जायेंगे और बेघरबार होकर दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। हो सकता है कि व्यवस्था से पीड़ित होकर वहां के जागरूक नवजवान आन्दोलन पर उत्तर आवें उससे जन और धन की हानि होने की सम्भावना हो सकती है। यदि सरकार ध्यान नहीं देती है और आन्दोलन चलता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।

जिला अल्मोड़ा के ग्राम दौलतपुर में सवर्णों द्वारा हरिजनों पर अत्याचार तथा उनकी अलग ग्राम सभा बनाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

दिनांक 30 जून, 1980 को ग्राम सभा घेटी, डाकखाना भिलकोट, जिला अल्मोड़ा के ग्राम दौलतपुर के 51 (इक्यावन) हरिजन परिवार जिनकी जनसंख्या लगभग 500 है ने माननीय मुख्य मन्त्री पंचायत राज मन्त्री व वनमन्त्री जी को प्रार्थनापत्र देकर अपनी वर्तमान दयनीय हालत को लिखकर निवेदन किया था कि सवर्णों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है तथा सरकार द्वारा हरिजनों को प्रदान की जा रही सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है वह मारने पीटने की धमकियां भी देते हैं। इसलिये हरिजनों ने अपनी सुरक्षा एवं सरकार से मिलने वाली सुविधाओं को प्राप्त करने के लिये अपनी अलग ग्राम सभा दौलतपुर बनाने व अपनी अलग वन पंचायत दौलतपुर बनाने तथा अलग माल गांव (रेवेन्यू ग्राम) दौलतपुर बनाने हेतु सरकार से निवेदन किया था।

हरिजनों ने बार-बार प्रार्थना-पत्र देकर अपनी दुःखमय जीवन को सुरक्षित रखने हेतु सरकार से आग्रह किया। इस करुणामय हालत को देखकर माननीय डा० शिवानन्द नौटियाल, विधायक एवं मेरे द्वारा भी 16 अक्तूबर, 1980 को माननीय मुख्य मन्त्री, मा० पंचायत राजमंत्री, माननीय वन मन्त्री, उ० प्र० को प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया कि सरकार हरिजनों की पुकार को सुने व उनको अलग ग्राम सभा दौलतपुर व अलग वन पंचायत दौलतपुर तथा अलग मालगांव (रेवेन्यू ग्राम) दौलतपुर को बनाने की अविलम्ब कार्यवाही करें। परन्तु इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुयी। अब स्थिति दिन प्रति दिन बिगड़ती जा रही है। यदि सरकार ने इस ओर न्यायोचित कदम नहीं उठाया तो सम्पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी क्योंकि हरिजनों व सवर्णों के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे हैं जिसके कारण कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है।

श्री लल्लू सिंह चौहान, सदस्य विधान सभा की रिहाई की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब एक सूचना सदन को देना है कि अधीक्षक, जिला कारागार, मैनपुरी ने अपने वायरलेस संदेश, दिनांक 28 फरवरी, 1981, जो 2 मार्च, 1981 को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष —]

प्राप्त हुआ, में यह सूचित किया है कि श्री लल्लू सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा, दोष-सिद्ध के पश्चात् दिनांक 28 फरवरी, 1981 को रिहा कर दिये गये ।

पुलिस अधीक्षक, देवरिया, श्री अजय सिंह के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य, श्री हरिवंश सहाय ने दिनांक 27 जनवरी, 1981 को पुलिस अधीक्षक, देवरिया, श्री अजय सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी है । माननीय सदस्य की शिकायत है कि दिनांक 24 जनवरी, 1981 को जब उक्त पुलिस अधीक्षक से मिलने गये तो उन्होंने माननीय सदस्य को उनके विरुद्ध आरोपों को, विधान सभा में न उठाने को कहते हुये यह धमकी दी कि यदि वे विधान सभा में उसे उठाते हैं तो वे 27 जनवरी, 1981 को और उसके आगे विधान सभा में माननीय सदस्य को उपस्थित नहीं होने देंगे । इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य की यह भी शिकायत है कि 25 जनवरी, 1981 को भी प्रातःकाल 5 बजे उनके निवास स्थान पर कुछ पुलिस कर्मचारी आये तो उन लोगों ने भी यह कहा कि पुलिस अधीक्षक, देवरिया ने उन्हें भेजा है और यदि माननीय सदस्य पुलिस अधीक्षक, देवरिया के विरुद्ध विधान सभा में कोई मामला न उठाने का वायदा करें तो वे लोग वापस चले जायेंगे अन्यथा माननीय सदस्य को मजबूर होकर जेल भेजना पड़ेगा । माननीय सदस्य द्वारा इससे इन्कार करने पर उन्हें गिरफ्तार कर देवरिया ले जाया गया, जहां सायंकाल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की अदालत से वे रिहा हुये । माननीय सदस्य का कहना है कि रिहा होने के बाद भी उन्हें धमकियां दी गयी हैं ।

इस सम्बन्ध में शासन से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गयी थी । राज्य मन्त्री गृह, माननीय श्री राजेन्द्र त्रिपाठी ने अपने दिनांक 30 जनवरी, 1981 के पत्र के साथ पुलिस अधीक्षक, देवरिया का स्पष्टीकरण प्राप्त कर संलग्न किया है । पुलिस अधीक्षक, देवरिया ने अपने स्पष्टीकरण में इस बात से इन्कार किया है कि दिनांक 24-1-81 को माननीय सदस्य, श्री हरिवंश सहाय की उनसे कोई मुलाकात हुई । जहां तक 25 जनवरी, 1981 को श्री हरिवंश सहाय की गिरफ्तारी का सम्बन्ध है, उनका कहना है कि माननीय सदस्य दिनांक 25-1-81 को प्रातःकाल 8 बजे अपने निवास-स्थान से मुकदमा अदालत संख्या 70, वर्ष 1980 के अन्तर्गत भारतीय दंड विधान की धारा 420/467/468/109 के अन्तर्गत विवेचनाधिकारी द्वारा कतिपय पुलिस अधिकारियों की मदद से गिरफ्तार किये गये थे । इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य द्वारा लगाये गये आरोपों का भी पुलिस अधीक्षक ने खंडन किया है ।

किसी सदस्य को तर्क के अतिरिक्त और किसी ढंग से प्रभावित करने की चेष्टा, जिसका उद्देश्य उन्हें अपने कर्तव्य पालन करने से रोकना हो, विशेषाधिकार भंग है । अतः सदस्यों को उनके संसदीय आचरण में प्रभावित करने के लिये धमकी देकर डराने की चेष्टा भी विशेषाधिकार भंग माना गया है । प्रस्तुत मामले में माननीय सदस्य ने 24-1-81 को पुलिस अधीक्षक से मुलाकात एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा दी गयी धमकी का उल्लेख किया है जब कि पुलिस अधीक्षक ने उनसे मुलाकात होने से इंकार किया है । इसी प्रकार 25 जनवरी, 1981 के सम्बन्ध में लगाये गये आरोप से भी पुलिस अधीक्षक ने इंकार किया है । शासन ने पुलिस अधीक्षक के

स्पष्टीकरण के अतिरिक्त अन्य कोई टिप्पणी वस्तुस्थिति के सम्बन्ध में नहीं की है। अतः मैं इस मामले को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 66 के अन्तर्गत जांच अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट करता हूं।

जहां तक माननीय सदस्य, श्री हरिवंश सहाय की सुरक्षा का प्रश्न है, राज्य मंत्री, गृह, श्री राजेन्द्र त्रिपाठी ने अपने दिनांक 6 फरवरी, 1981 के पत्र द्वारा यह सूचित किया है कि श्री हरिवंश सहाय की सुरक्षा हेतु एक अंगरक्षक पहले से ही उनके साथ नियुक्त है पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना, उ० प्र० को निर्देश दे दिये गये हैं कि श्री सहाय के साथ एक विश्वसनीय अंगरक्षक की व्यवस्था कर दें। पुलिस उप महानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र को भी निर्देशित कर दिया गया है कि श्री सहाय की सुरक्षा सुनिश्चित कर लें।

पुलिस अधीक्षक, बदायूं, श्री जी० एल० शर्मा के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

श्री फखरे आलम, सदस्य, विधान सभा ने 24 जुलाई, 1980 को पुलिस अधीक्षक, बदायूं, श्री जी० एल० शर्मा के विरुद्ध एक शिकायत दी थी। मैंने उसकी एक प्रतिलिपि माननीय मुख्य मंत्री जी को आवश्यक कार्यार्थ भेज दी थी। उसके उपरान्त माननीय सदस्य ने उसी दिन उक्त पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी जिसमें उन्होंने यह शिकायत की कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सदन में उठाये गये एक मामले के प्रसंग में पुलिस अधीक्षक, बदायूं ने उन्हें यह धमकी दी कि "आपने जसवन्त नगला के मामले को असेम्बली में उठाकर अच्छा नहीं किया, इसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे।" माननीय सदस्य की शिकायत के अनुसार पुलिस अधीक्षक, बदायूं ने श्री मलिक, थाना इंचार्ज, उसेहत, बदायूं द्वारा उनसे यह भी कहलाया कि उक्त मामले में असेम्बली में मजीद चर्चा न की जाय, वरना इसके परिणाम उनके लिये अच्छे न होंगे। माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि 21 जुलाई, 1980 को पुलिस अधीक्षक, बदायूं के कार्यालय में जिले के विधायकों की मीटिंग थी, उसमें भी उक्त पुलिस अधीक्षक ने इस बात को दोहराया और उक्त पुलिस अधीक्षक ने इन्स्पेक्टर, कोतवाली, बदायूं को बुला कर यह आदेश दिया कि यह विधायक जिले के मामलात असेम्बली में बहुत उठाते हैं, इनको गिरफ्तार कर लो और इसके बाद करीब आधे घण्टे तक अपने दफ्तर में पुलिस कस्टडी में बिठाये रखा।

मैंने इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी से वस्तुस्थिति की जानकारी देने के लिये कहा। माननीय मुख्य मंत्री ने अपने 3 अगस्त, 1980 के पत्र में बताया कि श्री फखरे आलम, विधायक ने एक और शिकायती-पत्र भी दिया था। माननीय मुख्य मंत्री ने उसकी प्रतिलिपि भी संलग्न करके भेजी है। माननीय मुख्य मंत्री ने यह इंगित किया है कि जहां मुझे दिये गये शिकायती-पत्र में यह आरोप लगाया गया है कि 20-7-80 को पुलिस अधीक्षक, बदायूं ने टेलीफोन पर श्री फखरे आलम से हो रही बात के दौरान उनसे कहा कि "आपने जसवन्त नगला के मामले को असेम्बली में उठाकर अच्छा नहीं किया——" वहीं इस वार्तालाप के सम्बन्ध में अपने दूसरे शिकायती-पत्र में कहा कि "पुलिस अधीक्षक, बदायूं, श्री जी०एल० शर्मा ने उन्हें टेलीफोन पर धमकी दी और उनसे कहा कि बदायूं के पुलिस के उत्पीड़न के कार्यों और उसकी त्रुटियों के बारे में सदन में मजीद चर्चा न की जाय——।"

[श्री अध्यक्ष—]

माननीय मुख्य मंत्री ने अपने पत्र के साथ ही श्री फखरे आलम के पत्र में लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में पुलिस उप महानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र की जांच की रिपोर्ट भी संलग्न की है जिसके अनुसार माननीय विधायक द्वारा लगाये आरोपों का सत्य होना नहीं पाया जाता। मैंने 15 सितम्बर, 1980 को इस प्रश्न की ग्राह्यता के सम्बन्ध में श्री फखरे आलम एवं अन्य माननीय सदस्यों और संसदीय कार्य मंत्री को सुना था।

उस समय श्री श्रीकृष्ण गोयल ने यह इंगित किया था कि माननीय श्री फखरे आलम ने अपनी शिकायत में यह कहा है कि एस0 पी0 ने एस0 ओ0 के जरिये धमकी भेजी, किन्तु माननीय फखरे आलम ने इस बात का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है कि धमकी पुलिस अधीक्षक ने भिजवायी थी और उन्होंने यह भी कहा कि 20 तारीख को वे जिलाधिकारी के कार्यालय में बैठे थे, वहां माननीय फखरे आलम का फोन आया और उन्होंने भोखमपुर काण्ड को साम्प्रदायिक रूप देने की कोशिश की जब कि वहां पर कोई साम्प्रदायिक मामला नहीं था। श्री श्रीकृष्ण गोयल ने, 21 मार्च को जो मीटिंग हुई उसका भी जिक्र किया और उन्होंने बताया कि उस बैठक में भोखमपुर काण्ड पर कुछ कहा-सुनी हुई, उनका कहना है कि श्री फखरे आलम ने अभद्र व्यवहार किया और फिर क्षमा याचना भी की। श्री ब्रज बल्लभ ने भी सदन में बताया कि वे भी उस मीटिंग में मौजूद थे और श्री फखरे आलम ने भी गृह सचिव को 23-7-1980 को लिखे गये पत्र में यह स्वीकार किया है कि श्री ब्रज बल्लभ उस मीटिंग में मौजूद थे। अतः माननीय श्री ब्रज बल्लभ सदस्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं। उनका भी कहना था कि उस मीटिंग में एस0 पी0 ने कोई ऐसी बात नहीं की जिसका आरोप माननीय फखरे आलम ने अपनी शिकायत में किया है।

इसी प्रकार श्री मलखान सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री अयोध्या प्रसाद, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जालौन के विरुद्ध अशिष्ट व्यवहार तथा सदन के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना के सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति ने यह सिफारिश की कि माननीय सदस्य को उक्त बेसिक शिक्षा अधिकारी से शिकायत में उल्लिखित दिनांक को भेंट होने तथा उक्त बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा माननीय सदस्य के प्रति अशिष्ट व्यवहार तथा माननीय सदन के सदस्यों के सम्बन्ध में अपशब्द कहे जाने का मामला संदिग्ध और अस्पष्ट होने के कारण इस मामले को समाप्त किया जाय।

इसी प्रकार, श्री चेतराम गंगवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 26 अप्रैल, 1970 को श्री के0 डी0 शर्मा, पुलिस अधीक्षक, बरेली के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के मामले में श्री गंगवार द्वारा लगाये गये आरोप निर्विवाद रूप से सिद्ध न हो सकने तथा श्री चेतराम गंगवार और के0 डी0 शर्मा द्वारा समिति के समय परस्पर सद्भावना व्यक्त करने के कारण विशेषाधिकार समिति ने यह सिफारिश की कि इस प्रश्न को समाप्त किया जाय।

श्री सूबेदार सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री इन्दु देव, जिला पूर्ति अधिकारी, मैनपुरी के विरुद्ध 11 अप्रैल, 1972 को उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के एक अन्य मामले में, जिसमें उक्त जिला पूर्ति अधिकारी पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने माननीय सदस्य द्वारा सदन में उठाये गये प्रश्न को लेकर उन्हें धमकी दी थी, समिति ने असंदिग्ध प्रमाण न मिल सकने के कारण, जिससे श्री सूबेदार सिंह द्वारा लगाये गये आरोप सिद्ध होते, यह आपत्ति की कि श्री इन्दु देव, जिला पूर्ति अधिकारी, मैनपुरी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन के अपमान का कोई प्रश्न नहीं उठता।

मैं यह मानता हूं कि माननीय सदस्य जो सदन में कोई बात कहते हैं, उसको सत्य माना जाना चाहिए, किन्तु यहां एक ओर माननीय श्री फखरे आलम का बयान है और दूसरी ओर माननीय श्री श्रीकृष्ण गोयल तथा माननीय श्री ब्रज बल्लभ का। ऐसी दशा में यह उचित नहीं होगा कि एक पक्ष की बात सही मानी जाय और दूसरे पक्ष की बात सही न मानी जाय। इसके अतिरिक्त माननीय श्री ब्रज बल्लभ का देहावसान हो चुका है और यदि यह मामला विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट भी कर दिया जाय, तो भी उनका साक्ष्य न हो सकेगा और न ही उनके कथन की सत्यता की जांच हो सकेगी। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं माननीय मुख्य मंत्री ने भी श्री फखरे आलम द्वारा गृह सचिव को लिखे गये पत्र और विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना में कही गयी बातों में विरोधाभास इंगित किया है और पुलिस उप महानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र की जांच आख्या के द्वारा भी श्री फखरे आलम द्वारा लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है।

अतः मैं माननीय सदस्य की शिकायत को विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री बाबूलाल सदस्य, विधान सभा द्वारा दल परिवर्तन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

मुझे यह सूचना देनी है कि श्री बाबू लाल, सदस्य, जिला हमीरपुर, जो कि अभी तक एक निर्दलीय सदस्य थे, कांग्रेस (आई) दल में सम्मिलित हो गये हैं।

श्री मोतीलाल देहलवी द्वारा दिया गया औचित्य का प्रश्न

(श्री मोतीलाल देहलवी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष --

श्री मोतीलाल जी मुझे आपका औचित्य का प्रश्न मिला जिसमें आपने सचिव, विधान सभा को सम्बोधित करते हुए लिखा है कि महोदय कृपया मुझे आज की कार्य-सूची के तारांकित प्रश्न संख्या 72 के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाने की अनुमति प्रदान की जाय। मैं चाहूंगा कि क्या बात है जो आप पूछना चाहते हैं उसको लिखित रूप में दे दें। यहां कहने से क्या होगा पहले आप उसको लिखकर दे दें ताकि मैं जान लूं कि आप क्या पूछना चाहते हैं, उसके बाद उस पर निर्णय होगा।

मेरठ शहर में ट्रक ड्राइवर श्री रमेश की पुलिस द्वारा हत्या के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज कार्य स्थगन की 8 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 3 सूचनाये की अस्वीकार गई हैं।

पहली सूचना है श्री मोहन सिंह की दूसरी श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री जटाशंकर सिंह तथा श्री रामलाल की है तीसरी सूचना श्री मित्रसेन यादव की, चौथी श्री हुकम सिंह की तथा पांचवी श्री किरन पाल सिंह और श्री विजय सिंह राणा की है। ये सभी विगत 26 फरवरी, 1981 को मेरठ शहर में ट्रक ड्राइवर श्री रमेश की पुलिस द्वारा पिटाई करने के फलस्वरूप हुई मृत्यु से जनता में व्याप्त आक्रोश के विषय में हैं।

[श्री अध्यक्ष—]

छठी सूचना श्री भोखा लाल एवं श्री ऊदल की उत्तर प्रदेश के किसानों के ऊपर सहकारी बेयों की माफी के समर्थन में जिला गाजीपुर कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के शान्तिपूर्ण प्रदर्शन करने पर कम्युनिस्ट कार्यकर्ता श्री जगदीश, श्री तहसीलदार सिंह एवं श्री श्याम को दिनांक 23-2-81 को डी० एम० एवं पुलिस द्वारा पीटे जाने के सम्बन्ध में है ।

सातवीं सूचना श्री चन्दन सिंह की दिनांक 24 फरवरी 1981 को श्री शिशिर कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष युवक कांग्रेस (आई), नगर कोसीकला द्वारा कुछ सहयोगियों के साथ जबरदस्ती बाजार बन्द करवाने, दुकानों की लूट-पाट करने, बर्जनों व्यक्तियों को घायल करने एवं महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने के सम्बन्ध में है ।

आठवीं सूचना श्री हरिवंश सहाय एवं श्री नन्द किशोर सिंह की जिला एटा थाना मगवाला, ग्राम सहरसा के कालेज प्रिंसिपल एवं डाक अधिकारी का डाकुओं द्वारा अपहरण एवं फिरौती मांगने से जनता में व्याप्त आतंक के सम्बन्ध में है ।

इनमें से एक ही विषय पर जो सूचनायें आयी हैं । उसी विषय पर नियम 51 में भी सूचना प्राप्त हुई है उनको स्वीकार किया गया है और कार्य-स्थगन की यह 5 सूचनायें तथा अन्य कार्य-स्थगन की सूचनायें सभी अस्वीकार की गई हैं ।

(अनेक सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे ।)

श्री मोहन सिंह—

बहुत ही नृशंस और अमानवीय घटना मेरठ की पुलिस ने किया है । जब से वहां पर बागपत काण्ड हुआ है तब से मेरठ की पुलिस क्रिमिनल गैंग के रूप में व्यवहार करने लगी है और यह घटना नई नहीं है ऐसी घटनाये रोज सुनने को मिलती है जिनको सुनते-सुनते आप भी ऊब गए है और हम भी ऊब गए है उनको उठाते-उठाते लेकिन यह सामने जो [***] बैठी है ।

श्री अध्यक्ष—

कृपया ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें । इसे आप वापस लें ।

(व्यवधान)

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप लोग बैठ जायं । आप भी बैठ जायं । माननीय मोहन सिंह जी आप भी बैठ जायं ।

मैं आप से प्रश्न पूछना चाहता हूं । आप प्रश्न पूछते हैं, मंत्री जी उत्तर देते हैं, मुझ से प्रश्न पूछते हैं मैं उत्तर देता हूं । आज एक नई परम्परा डालना चाहता हूं । मै आप से प्रश्न पूछना चाहता हूं । इस तरफ बैठने वालों

नोटः—[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

को आप माननीय सदस्य समझते हैं या नहीं। माननीय सदस्य समझते हैं तो इसकी गरिमा के अनुसार आप को शब्द प्रकट करना चाहिये इसको वापस लीजिए ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, इतनी गंम्भीर घटना हो गई ।

श्री ऊदल--

श्रीमन्, सरकार के लिए बेशर्म शब्द का प्रयोग किया जा चुका है । हमारी संसदीय प्रक्रिया नियमावली में, विधान सभा के ससदीय असदीय शब्दों में सरकार के लिए बेशर्म शब्द का इस्तेमाल हो चुका है ।

श्री अध्यक्ष--

ऐसा शब्द सरकार के लिए कभी प्रयोग किया गया हो लेकिन इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता । मैं तो कहूंगा कि ऐसे शब्दों का प्रयोग केवल जिसके लिए आप प्रयोग करते हैं उसके बारे में ही नहीं बल्कि प्रयोग करने वाले के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है ।

श्री मोहन सिंह--

संसदीय प्रणाली में, पार्लियामेंट में बेशर्म का प्रयोग किया गया है । चूंकि आप उस पार्टी के सदस्य थे, स्वाभाविक है . . . .।

श्री अध्यक्ष--

अगर मोहन सिंह जो इस सदन में किये गये कार्य के निर्णयों को यह समझते है कि मै पार्टी का सदस्य होने के नाते ऐसे निर्णय करता हूं तो उन से चाहूंगा कि वह ऐसे सवाल उठायें में इस पीठ को छोड़ कर चला जाऊंगा ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

ऐसा कोई इरादा नहीं है ।

श्री मोहन सिंह--

मुझको खेद है । आप का असम्मान करने का कोई उद्देश्य और कोई मंशा नहीं है । आपके सम्मान के लिए मैं सब से पहले लड़ता हूं मैं तो इस क्लास का एक अनुशासित छात्र हूं । आप मुझसे नाराज हैं, यह मेरा दुर्भाग्य है ।

मैं, मान्यवर, सिर्फ इतना निवेदन कर रहा था कि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है । यह एक शर्मनाक घटना है । इससे शासन का मुख कलंकित हुआ है । इनके मुंह पर और कालिख लग गई है । केन्द्रीय गृह मंत्री के पास यह मामला गया है और आज के समाचार पत्र के मुताबिक उन्होंने यह निर्देश दिये हैं कि इस घटना के ऊपर जांच की जाय । मैं, मान्यवर, चाहूंगा कि जो हमारी परिधि है, जो हमारी सीमा ह, उस के भीतर के क्रियाकलाप दिल्ली न जायं । दिल्ली में इस की चर्चा हो और हम इसकी चर्चा से वंचित

[श्री मोहन सिंह--]

रहें यह हमारे लिये अपराध साबित होगा । इसलिए मैं कहता हूं कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर, जो हाल ही में घटना घटी है, उत्तर प्रदेश का पुलिस महकमा जो जनता के मित्र की जगह जनता के साथ अपराधी प्रवृत्तिपों के लोगों जैसा व्यवहार करता है उसके कार्यकलापों के ऊपर, इस आदरणीय सदन में चर्चा करा दें । इतना ही आग्रह करता हूं ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं इस की ग्राह्यता पर दो शब्द कहना चाहता था । इतनी गंभीर घटना हो गई । इस बेचारे रमेश को पुलिस ने इसलिए मारा कि उसने दुस्साहस कर दिया था, पुलिस जीप क्रास कर के ट्रक ले गया था । उसे मार ही नहीं डाला किन्तु जब उस का भाई पता लगाने के लिए गया कि भाई कहां है तो पुलिस ने निर्दयता से यह कह दिया कि यह तो किसी अज्ञात व्यक्ति की लाश है । शरीर से उस का सिर अलग कर दिया गया था । निर्मम, नृशंस घटना हो गई । माननीय मोहन सिंह जी ने एक शब्द का प्रयोग किया । मान्यवर, मैं नहीं कहता बेशर्म वाली बात । लेकिन किस शब्द का प्रयोग प्रतिपक्ष करे जब ऐसे गंभीर घटना पर सरकार यथोचित कदम नहीं उठाती है दूसरा सबूत हमारे पास कोई नहीं रह जाता है । लोग दिल्ली भी गये और वहां पर केन्द्रीय गृह मंत्री का भी घेराव किया गया । यह बड़ी लज्जा की बात है । और आजतक उत्तर प्रदेश सरकार को इसकी जानकारी नहीं मिली है । ऐसी घटना हो गई लेकिन किसी पुलिस कर्मी को दंडित करने की जानकारी नहीं मिली है ।

मान्यवर, ऐसी भी सूचना मिली है कि जब तक किसी पुलिस कर्मचारी को दंडित नहीं किया जायेगा तब तक उस शव का दाह संस्कार नहीं करने दिया जायेगा । मान्यवर, प्रदेश की पुलिस जनता की रक्षा करने के लिये होती है, मैं यह भी नहीं कहता कि आप पुलिस संस्था को ही समाप्त कर दें क्योंकि हमको तो काम उन्हीं से लेना है । लेकिन उसमें कुछ ऐसे अभद्र और गन्दे लोग आ गये हैं जिनको कि यदि संरक्षण दिया गया तो यह अशंका पैदा होती है कि सरकार जानबूझकर सम्पूर्ण पुलिस प्रशासन को कलंकित करने का प्रयास कर रही है । मान्यवर, यह ऐसी घटना है जो एक विशिष्ट और अवलम्बनीय लोक महत्व की घटना है जिससे सम्पूर्ण पुलिस प्रशासन और अनुशासन को खतरा पैदा हो गया है इसलिये मान्यवर, आप इसमें चर्चा करा दें । 51 में तो यह होगा कि सरकार का वयान आ जायेगा और हम लोग प्रश्न पूछकर बैठ जायेंगे । लेकिन मान्यवर, हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं और सम्पूर्ण पुलिस प्रशासन की निन्दा करना चाहते हैं कि जब तक इसमें आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा, तब तक स्थिति सामान्य नहीं होगी । इसलिये मान्यवर, आप हमें इसमें चर्चा करने का अवसर दें ।

श्री हुकम सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी पुलिस का प्रशासन तथा अन्य राज्यों के पुलिस प्रशासन में यदि मुकाबला हो जाय कि कहां की पुलिस आतंक बढ़ाने वाली तथा निर्मम हत्या करने वाली है तो निसन्देह उत्तर प्रदेश की पुलिस फ्लाइंग कलर से विजयी होगी और इस सम्बन्ध में इसको राष्ट्रपति पदक भी मिल सकता है । मान्यवर, इस व्यक्ति को मारने की बात तो है ही लेकिन इसमें भी अधिक जघन्य अपराध यह है कि उसकी हत्या करने के बाद उसके सिर को धड़

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

से अलग कर दिया गया और अपने जुर्म को छिपाने का इस तरह प्रयास किया गया । मान्यवर, इस हत्या के बारे में किसी को मालूम ही न होता यदि उसका भाई अस्पताल में न पहुंच गया होता । जब उसके भाई को अस्पताल में यह मालूम हुआ तब उसके घर वालों को जानकारी हुई । इसलिए मान्यवर, इस घटना पर आप चर्चा करा दें ।

*श्री मिश्रसेन--

माननीय अध्यक्ष जी, इस घटना से एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि किसी अपराधी की मृत्यु नहीं की गई है बल्कि एक ट्रक चालक की हत्या कर दी गई है । मान्यवर, उस ट्रक चालक का यही अपराध था कि वह पुलिस की जीप को पास नहीं दे रहा था और इसी वजह से उसकी हत्या कर दी गई । मान्यवर, अगर कल से इस प्रदेश के अन्दर पुलिस के इस कर्म पर सारे ट्रक वाले या बस चालक हड़ताल कर दें तब प्रदेश की क्या दशा होगी । इस तरह से पुलिस प्रशासन हमारी मदद कर रहा है या उसको भंग करने पर लगे हुये हैं । आज हमारा जनजीवन इस तरह से खतरे में पड़ गया है । किस तरह से पुलिस को जनता का विश्वास पैदा हो, अब यह धारणा जनता में पैदा हो गई है । आज प्रदेश में निरपराधियों की हत्या की जा रही है और हमारे मुख्य मंत्री जी के नीचे जो सरकार बैठी हुई है वह इसको देखने में अक्षम रही है । इस तरह से हमारे जनजीवन में शंका पैदा हो गई है । अतः मान्यवर, हम चाहते हैं कि आप इस पर सदन में चर्चा करा दें ।

श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, मैं इस सन्दर्भ में आज की घटना का उल्लेख करना चाहता हूं कि सुल्तानपुर में एक डी-वाई० एस० पी०, जे० एस० राना को इसलिए मुअत्तल किया गया कि उसने एक इन्जीनियर को बन्द कर दिया था जब एक डी-वाई० एस० पी० की सर्विसेज इसलिये टरमिनेट की जा सकती है कि उसने एक इन्जीनियर को बन्द किया है तो एक आदमी को जान से मार दिया इस पर कोई कार्यवाही अभी तक क्यों नहीं की गई ? यह जो घटना हुई है वह और भी शर्मनाक है कि पुलिस ने स्वयं एक व्यक्ति की हत्या की और सबूत छिपाने के लिए उसका सिर ही काटकर गायब कर दिया । सरकार ने अब तक उसके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है । इसलिये मान्यवर, मैं मांग करूंगा कि आप इस पर सदन में चर्चा करा दें ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, इस घटना का महत्व इसलिए भी और बढ़ जाता है क्योंकि जो यह रमेश ड्राइवर था वह पुलिस की जीप को पास नहीं दे रहा था और आगे निकलकर उसको बाहर खींचकर उसकी जिस प्रकार से हत्या की गई है और साथ में पुलिस ने इसके शव को छिपाने का प्रयत्न किया है । उसका बड़ा भाई लालकुर्ती थाने में दो बार नहीं तीन बार नहीं अनेकों बार वहां गया । लेकिन वहां के सब-इन्स्पेक्टर ने कहा इस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई । रमेश को पकड़ा गया था और फिर छोड़ दिया गया । उसकी घड़ी और पैसा जब रमेश आयेगा वापस कर दिया जायेगा और इस प्रकार की घटना से अध्यक्ष जी आज सारे उत्तर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--]

प्रदेश के जनमानस के अन्दर भय और आतंक पैदा हो गया है और आज सड़क पर चलना बड़ा मुश्किल हो गया है । सारा पुलिस प्रशासन जो मित्र और साथी माना जाता है वह आज्ञा उससे समाप्त हो गई है । मैं मांग करना चाहता हूं कि इस पर आज चर्चा होना आवश्यक है इसमें और भी कई रहस्य छिपे हुए हैं कि क्यों उसको मारा गया है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें ।

श्री किरनपाल सिंह--

माननीय, इस घटना के सम्बन्ध में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं । यह घटना अत्यन्त लोकमहत्व की है और आज तक जितनी घटनायें इस सरकार के बनने के बाद घटी हैं उनमें सबसे बड़े कलंक की बात है जोकि सरकार के माथे में लगता है । इसमें सरकार की पुलिस ने एक निरपराध आदमी को मारा ही नहीं बल्कि नृसंशता से मारा । उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया । इस घटना का मामला दिल्ली तक पहुंच गया लेकिन इस सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा जिससे हम सबका सिर शर्म से झुक गया है । इसलिए इस घटना पर आप चर्चा करायें और पुलिस अधिकारियों को निलम्बित कराने के आदेश जारी करें ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, विषय की ग्राह्यता पर काफी कहा जा चुका है मैं रिपीट नहीं करूंगा लेकिन यह बात अपनी जगह पर सत्य है कि प्रदेश में पिछले दिनों से काफी घटनायें घटित हो रही हैं सिर्फ मेरठ में ही जिस तरह से पिछले दिनों चाहे मेरठ की हो या बागपत की हो, चाहे इनकाउन्टर में तीन चार लोगों को मारने की बात हो, हमारे सामने आई हैं । यह अत्यन्त शर्म की बात है पुलिस ने उसे मारने के साथ ही यह किया कि उसके सर को धड़ से अलग कर दिया । इसमें नियमों में बात आ सकती है और आप समय नहीं देंगे क्योंकि परिपाटी का पालन होता आ रहा है पीठ की तरफ से कि जब बजट सेशन होता है तो कार्यस्थगन प्रस्ताव को नहीं स्वीकार करेंगे ऐसी मुझे शंका है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि आप इसको स्वीकार करेंगे क्योंकि इस तरह की घटना घटित होने पर हमारा और क्या चारा रह जाता है । दिल्ली तक चीज पहुंच जाय और हम सदन में बैठे रहें और आप जैसे पीठासीन अधिकारी हमें मिले हों जोकि हमारी बातों को नियमों के तहत विचार करते हों । मैं पुनः उस परिपाटी पर आ रहा हूं कि अगर कार्यस्थगन स्वीकार नहीं होता है तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप उस परिपाटी को तोड़ दीजिए । यहां पर संसदीय कार्य मंत्री बैठे हुए हैं वह सदन में एनाउंस करें और इसे कार्यस्थन के रूप में स्वीकार करें । जिस आदमी ने इस प्रकार की कार्यवाही की है उसे सस्पेन्ड करें और वहां के एस० एस० पी० को अविलम्ब ट्रांसफर करने का आश्वासन दें । मैं आशा करता हूं कि आप इसे स्वीकार करेंगे जिसकी हम आपसे आशा करते हैं ।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय, यह बड़ा गम्भीर मामला है । यह जो कुछ हुआ है वह बात दिल्ली तक पहुंच गई । इसमें पुलिस ने बदले की भावना से काम किया और मामले

को खतम करने का पूरा प्रयास किया। केन्द्र से ज्ञानी जैल सिंह ने चिट्ठी उत्तर प्रदेश सरकार को लिखी है लेकिन इस सरकार ने कोई एक्सन की घोषणा नहीं की। एक और चीज इसमें यह है कि 23 मार्च को हमारा होम और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड्स पर डिसकशन होगा जिसके अभी 20 दिन बाकी हैं और तब तक बात नहीं आ पायेगी। अतः इसकी गम्भीरता को देखते हुए इस पर बहस करा दें।

संसदीय कार्य मंत्री मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, जहां तक घटना का प्रश्न है, सरकार का कभी भी ऐसा विचार नहीं है कि किसी भी दोषी अधिकारी को यहां पर या बाहर प्रोटेक्ट किया जाए। मान्यवर, अभी राना जी ने कहा है कि पुलिस अधिकारी जे0 एस0 राणा की सर्विस को भी खत्म किया गया है, तो यह चीज उन्होंने और आपने स्वयं देखा है कि किसी तरह का प्रोटेक्शन दोषी को नहीं दिया गया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से नेता विरोधी दल तथा अन्य माननीय सदस्यों को आश्वस्त करूंगा कि इस मामले में तत्परता से, पूरी तरह से जांच कराकर न केवल उसका ट्रांसफर ही, बल्कि यदि आवश्यक हुआ तो उसको नौकरी से भी अलग किया जा सकता है। किसी का प्रोटेक्शन करने के लिए यहां सरकार नहीं बैठी है...

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

सरकार का बयान असन्तोषजनक है, मैं आपसे तो प्रार्थना कर सकता हूं कि इस पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव आप कृपया स्वीकार करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अब सब आप लोग बैठें, मेरी जो समझ में आता है, मैं बताता हूं, आप उसे सुनें।

मैंने सभी माननीय सदस्यों की बात सुनी। माननीय नेता विरोधी दल की भी बात सुनी। उन्होंने आज इसको विशेष परिस्थिति मानते हुए कार्य-स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करने की बात कही है। उस पर भी मैंने गौर किया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया कि इसकी जांच के उपरान्त जो भी दोषी पाया जाएगा, उसको दंडित किया जायेगा दण्डित ही नहीं, बल्कि उसको निष्कासित भी किया जा सकता है। मैंने इस प्रश्न को लेने के साथ ही साथ यह बात स्पष्ट कर दी थी कि नियम 51 में भी इसी विषय पर सूचनायें आई हैं और मैंने उसमें देखा। आप अपनी तरफ से यह अभिव्यक्ति दे रहे हैं, जैसा कि रियासत हुसैन ने कहा है कि 23-24 को पुलिस प्रशासन पर बहस होगी, तब तक काफी देर हो जाएगी। आपकी तरफ से कहा गया। कि तत्काल नहीं होगा तो इसका प्रभाव खत्म हो जायेगा। मैं आपसे पुनः यह कहूंगा कि यह मैं कार्य-स्थगन के रूप में तो इसको स्वीकार नहीं करता। नियम 51 में मैंने इसको वक्तव्य देने के लिए कह दिया है, उस वक्तव्य की तारीख अभी आप निश्चित कर लें और उस पर उस दिन प्रश्न कर लें। मैं आपको निश्चित विश्वास दिलाता हूं कि प्रश्नोत्तर के बाद यदि आपको सन्तोष नहीं हुआ तो तुरन्त उसे चर्चा के लिए स्वीकार कर लूंगा।

श्री राजेन्द्र सिंह--

यह तो मुख्य मंत्री की तरह से बोलने की बात है । आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी आप तो सीधे बोल दीजिए । कम से कम उसको सस्पेंड कर दीजिए, एस०एस०पी० का ट्रांसफर किया जाए । यह बढ़ता चला जा रहा है ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, उसका दाह-संस्कार रुका हुआ है । तारीख का ऐलान करने से पहले इसका भी ध्यान रखा जाए कि उसका जो दाह-संस्कार रुका हुआ है वह जल्दी से जल्दी हो सके । इस तरह से तारीख तय हो कि मामला तय हो जाए और उसका दाह-संस्कार हो सके ।

श्री अम्मार रिजवी--

जहां तक उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का सम्बन्ध है, मैंने यह बात कही कि उसकी जांच कराकर उसे सस्पेंड ही नहीं, उस दोषी व्यक्ति के विरुद्ध जो भी सख्त कार्यवाही हो सकती है, की जाएगी, लेकिन किसी अधिकारी के विरुद्ध बिना समुचित जांच किए कोई कार्यवाही करना मुनासिब नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष--

जांच कब तक होगी ? जैसी बात बताई जा रही है, उस सन्दर्भ में जांच की प्रक्रिया कितनी जल्दी होगी ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

केन्द्र सरकार ने जो आपसे पूछा है, उसका क्या हो रहा है ?

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

उनके घरवालों को गिरफ्तार किया जा चुका है ।

श्री किरनपाल सिंह--

निलम्बन के लिए जांच रिपोर्ट आने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री अम्मार रिजवी--

जांच के लिए तीन दिन तो कम से कम चाहिए ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

जब ऐसा ही है तब तो मैं अपने दल के साथ इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं । (श्री राजेन्द्र सिंह अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

(व्यवधान)

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मैंने प्रश्न उठाया था कि केन्द्रीय सरकार का भी पत्र इनके पास आया है कि दाह-संस्कार हो गया है या नहीं। अगर दाह-संस्कार रुका हुआ है तो मामला टेम्पो पकड़ता चला जायेगा। तो इस सम्बन्ध में अगर सदन में बता दिया जाय तो मालूम हो जायेगा।

श्री अम्मार रिजवी--

इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री रियासत हुसैन--

जब माननीय गृह मंत्री से यहां पर कोई पत्र आया है तो उसके बारे में सरकार क्यों नहीं बताती है कि दाह-संस्कार हुआ है या नहीं। माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह बड़ा ही असंतोषजनक है और उसे सुनकर मुझे बड़ा ही खेद हुआ है जिसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री रियासत हुसैन अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

(श्री भीखा लाल भी अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, प्रदेश में स्थिति गम्भीर होती जा रही है और इस प्रकार का प्रदेश में यह पहला मौका है। मान्यवर, प्रदेश की स्थिति को देखते हुए इसे नियम 56 में स्वीकार होना चाहिये था लेकिन आपने इसे····

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

माननीय राजेन्द्र त्रिपाठी वहां पहुंच गए हैं।

श्री सूबेदार सिंह--

माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है मैं भी उसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(श्री सूबेदार सिंह सदन त्याग कर चले गये।)

श्री जसवंत सिंह विष्ट--

मान्यवर, प्रदेश में एक ऐसी घटना घटी है····

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

माननीय विष्ट जी, आप तो हमारे दोस्त हैं। आप तो बहिष्कार मत कीजिए ?

श्री जसवंत सिंह विष्ट--

मान्यवर, आप की पुलिस जनता की सुरक्षा न करके केवल उच्चाधिकारियों की सुरक्षा में लगी हुई है। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखकर मैं भी सदन का बहिष्कार करता हूं।

(जसवंत सिंह विष्ट भी सदन त्याग कर चले गये।)

1981-82 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 22-राष्ट्रीय एकीकरण, अनुदान संख्या 55-ग्राम्य विकास, अनुदान संख्या 56-पंचायती राज, अनुदान संख्या 57-क्षेत्रीय विकास, अनुदान संख्या 61-मत्स्य, अनुदान संख्या 90-पंचायती राज-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 95-ग्राम्य विकास-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 96-क्षेत्रीय विकास-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 101-मत्स्य विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 119-राष्ट्रीय एकीकरण-ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या 123-क्षेत्रीय विकास विभाग-ऋण और अग्रिम

(1 बजकर 17 मिनट)

*ग्राम्य विकास मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 22-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 55--ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 49,51,45,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 56-पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,56,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 57- क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 67,14,61,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 61-मत्स्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,25,64,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 90-पंचायती राज विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 79,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संख्या 22-राष्ट्रीय एकीकरण, अनुदान संख्या 55-ग्राम्य विकास, अनुदान संख्या 56-पंचायती राज, अनुदान संख्या 57-क्षेत्रीय विकास, अनुदान संख्या 61-मत्स्य, अनुदान संख्या 90-पंचायती राज-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 95-ग्राम्य विकास पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 96-क्षेत्रीय विकास-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 101-मत्स्य विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 119-राष्ट्रीय एकीकरण-ऋणऔर अग्रिम तथा अनुदान संख्या 123-क्षेत्रीय विकास विभाग ऋण और अग्रिम

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 95--ग्राम्य विकास विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 65,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 96-क्षेत्रीय विकास विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 45,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 101-मत्स्य विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 92,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 119-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,38,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(इस समय 1 बजकर 22 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राजेन्द्र सिंह यादव पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 123-क्षेत्रीय विकास विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,12,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, इस समय ग्राम्य विकास, राष्ट्रीय एकीकरण और मत्स्य विभाग का बजट मैं प्रस्तुत कर रहा हूं । ग्राम्य विकास, पंचायती राज जो हमारा सिस्टम है, उसकी एक कड़ी है और आधारशिला है । अगर ग्रामों का उत्तर प्रदेश में 1,12,272 गांवों का ग्राम्य विकास नहीं होता, तो इसका मतलब यह है कि उत्तर

[श्री अम्मार रिजवी—]

प्रदेश का 90 प्रतिशत भाग जो है, उसका विकास नहीं होता । इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें सरकार ने पूरा ध्यान भी दिया है । इन्हीं ग्रामों के विकास के सम्बन्ध में एकीकृत ग्राम्य विकास योजना लागू की गयी । उत्तर प्रदेश में जितने 885 ब्लाक हैं, उसमें 2 अक्तूबर, 1980 से सबको एकीकृत योजना के अन्तर्गत ले लिया गया । इसके पहले कुछ ब्लाक लिये गये थे, कुछ नहीं लिये गये । लेकिन 2 अक्तूबर, 1980 के बाद सारे ब्लाक एकीकृत योजना के अन्तर्गत ले लिये गये हैं और उत्तर प्रदेश में 16 करोड़ रुपये की लागत आयेगी । उत्तर प्रदेश के सारे परिवारों को जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, उनके विकास का कार्य होगा । इसी प्रकार से अन्त्योदय कार्य चलाया गया और प्रत्येक ग्राम सभा में इस बात का प्रयास किया गया कि जो सबसे कम आय वाले परिवार हैं, उनको उसमें चुना गया जिससे वह अपनी गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सकें । इस कार्य के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट है जिसका प्राविधान किया गया । स्पेशल कम्पोनेंट कराया गया है, ताकि गांवों की प्रगति कराई जा सके । इससे पहले आपको याद होगा कि खाद्यान्न योजना के अन्दर काफी काम कराया गया और इसके अन्तर्गत करीब 35 हजार सड़कों का निर्माण हुआ, 42 हजार पुलियां बनीं । लेकिन यह इतना बड़ा कार्य था और इतना बड़ा काम हुआ कि जिसका बाकी रखना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि मिट्टी डलवा देने के बाद कोई काम पूरा नहीं होता, जब तक उसमें खड़ंजा न लगाया जाय, वरना वर्षा ऋतु में वह सब खत्म हो जाते हैं और इतनी पिछली जो वर्षा हुई है, उससे काफी क्षति पहुंची है । इस कार्य के लिए दूसरी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना एक केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को, हर सरकारें जितनी हैं, उन्होंने भेजी । केवल मिट्टी का कार्य नहीं बल्कि और भी खड़ंजे का काम, सुदृढ़ीकरण करने के लिए खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत कराया जा रहा है ।

श्री भीखा लाल—

यह राष्ट्रीय एकीकरण की योजना कहां लागू है ?

श्री अम्मार रिजवी—

मैं अभी बतलाऊंगा । तो राष्ट्रीय ग्रामीण योजनायें लागू की गयी हैं । इसके अन्दर, मान्यवर, इस साल 74,500 मैट्रिक टन खाद्यान्न मिला है । इसमें केवल खाद्यान्न न देकर मजदूरी पैसे में दी जायेगी और सामान खरीदने के लिये 4,17,40,000 रुपये केन्द्रीय सरकार ने दिया और 13 करोड़ 4 लाख और भी करने के लिये मिला है । इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है कि जो कुछ कार्य पहले हो चुका है, उनमें बाकी को करने का प्रयास इसके द्वारा किया जायगा ।

अभी एक माननीय सदस्य ने प्रश्न किया कि लागू हुयी कि नहीं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसे थोड़ा देर से लागू किया क्योंकि 30 नवम्बर तक ही खाद्यान्न योजना लागू थी ।

पिछले दिनों में जो काम हुआ था, उसमें मजदूरी नहीं दी जा सकी । खाद्यान्न नहीं बट सका और इसकी गम्भीर शिकायतें आ रही थीं । काम करा लिया गया और खाद्यान्न नहीं दिया गया तो उसमें 42,000 मैट्रिक टन गल्ला दिया था । तो इस बात को सुनिश्चित किया है कि 30 नवम्बर के बाद पिछली

मजदूरी का गल्ला बंटवा दिया जाय। उसके बाद आगे का कार्य किया जाय यद्धस्तर पर कार्य को शुरू किया है और जब माननीय सदस्य अपने क्षेत्र में जायेंगे, तो वहां से संतुष्ट हो कर वापस आयेंगे।

मान्यवर, इसी तरह से निर्बल वर्ग के लिये आवास की व्यवस्था करायी जा रही ह और इसमें काफी कार्य हो रहा है। अभी तक हमारे मैदानी क्षेत्र में 11,880 और 750 निर्बल वर्ग के आवास के लिये लक्ष्य हैं। तो मान्यवर, पिछले दिनों इनमें काफी निर्बल वर्गों के लिये आवास बने। प्रयास किया जाता है कि हर जगह जहां पर निर्बल वर्ग के लोग ज्यादा हों, वहां पर इस प्रकार के साधन उपलब्ध कराये जायं।

मान्यवर, दूसरी समस्या गांवों की पेयजल की है जहां पर साफ पानी नहीं मिल पाता और निर्बल वर्ग के भाइयों को इसकी व्यवस्था नहीं हो पाती। पिछले दिनों में जनवरी 81 तक 43,058 इस तरह के कार्य पूरे कर लिये जिनमें नलकूप, हैंड पम्प और कुयें भी थे। इस साल इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि 1666 नलकूप लगायें जायं और इसमें 300 डिग्गियां बनायी जायं और कुयें खोदे जायं ताकि हर गांव में जहां-जहां पानी की कठिनाई है, वहां पानी की व्यवस्था हो सके।

मान्यवर, इसी तरह से लघु सिंचाई के कार्यक्रमों को काफी तेजी से चलाया जा रहा है और पिछले दिनों 8.175 लाख हेक्टर जमीन को सिंचित किया गया। इस साल का लक्ष्य पिछले दिनों से ज्यादा है ताकि उन तमाम जमीनों को, जहां पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो सकी है, वहां लघु सिंचाई के द्वारा सिंचाई करा सकें।

मान्यवर, इस लघु सिंचाई के सम्बन्ध में भू-गर्भ जल संस्था है जिसका कार्य है उन क्षेत्रों का सर्वेक्षण करना जहां पर कि पानी बहुत नीचे है और खारी है या यह देखना कि किस तरह से ट्यूब वेल वगैरह लगाये जायं। पिछले दिनों इसमें काफी कार्य हुआ। 670 साइट इन्होंने चयन किया जहां पर ट्यूब वेल लगाये जा सकते हैं। इस साल 700 ऐसे स्थानों का चयन हुआ है जहां पर नये ट्यूब वेल लगाये जा सकें और सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध करायी जा सके।

मान्यवर, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज प्रसार प्रशिक्षण का कार्यक्रम है कि जो सारे कार्य होते हैं, उसमें जो लगे हैं, उनकी सही ट्रेनिंग हो। उनकी सही स्कूलिंग होनी चाहिए, ताकि पूरी तरह से जो भी कार्य उनको सौपा जाए, उनको वह सही तरीके से कर सकें। इस समय हमारे प्रदेश में 21 प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र हैं। जिनमें उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा भारत सरकार के सहयोग से बक्शी तालाब का जो आदर्श केन्द्र है, वहां पर एक इन्स्टीट्यूट आफ रूरल डेवलपमेन्ट ट्रेनिंग बनाया जा रहा है। यह बहुत बड़ा इन्स्टीट्यूट बनेगा, जिसमें बहुत से लोगों को एक साथ ट्रेनिंग दी जायेगी। ताकि बहुत सी चीजों में ग्रामीण योजनाओं और विकास कार्यों में उनको स्पेशलाइज्ड कर सकें।

[श्री अम्मार रिजवी---]

दूसरे मान्यवर, ग्रामीण रूरल इन्जीनियरिंग सर्विस है, इसमें भी काफी काम हुआ है । आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि इस साल 2000 (दो हजार) किलोमीटर सड़क की मरम्मत को ले रहे हैं । जो पिछले साल कच्ची बनी थी । इस साल उसमें खड़ंजा बिछाया जा रहा है तथा और भी तमाम कार्य इसके जरिये कराये जा रहे हैं जैसे स्कूल्स बिल्डिंग, ब्लाक्स आदि की तथा इसमें हरिजन मकानों के लिंक रोड, स्टेडियम हैं, ब्लाक डेवलपमेन्ट के आफिसेज हैं, का निर्माण इसके अन्तर्गत किया जा रहा है । और जो 2 हजार किलो मी0 सड़क का निर्माण किया जा रहा है, वह बहुत बड़ा कार्य होगा और मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी कामयाबी होगी । और इससे ग्रामों का बहुमुखी विकास होगा और जो खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत कच्ची सड़कें बनायी गयी थीं, उन मार्गों को भी नया शेप दिया जा रहा है रूरल इन्जीनियरिंग द्वारा ।

प्रादेशिक दल विभाग द्वारा जो ग्रामीण आंचलों के नवजवान हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है और इसके अन्तर्गत उन्हें खेल-कूद के लिए प्रोत्साहित किया जाता है । जिसमें 28,626 छात्र भाग ले सकेंगे । इसके अतिरिक्त और भी विभिन्न लक्ष्य हैं कि इसकी शाखाएं उत्तर प्रदेश के कोने-कोने में खोली जाएं ताकि प्रदेश के नवयुवक पूरी तरह से लाभान्वित हो सकें ।

पिछले वर्ष एक पुष्टाहार योजना चलायी गयी, जिसके द्वारा 47 हजार लोगों (परिवारों) को लाभान्वित किया गया । और इस साल उम्मीद है कि इस योजना के अन्तर्गत करीब 80 हजार लोग लाभान्वित होंगे । मान्यवर, उसके बाद 2 कमान्ड, राम गंगा, गण्डक और शारदा सहायक हैं । जिनका 333 कमाण्ड एरिया है, जिन पर पूरी तरह से सिंचाई का कार्य किया जाता है और गूलें बनवाई जाती हैं । इसके अतिरिक्त हमारा यही प्रयास है कि जितना अधिक से अधिक एरिया जो इसके करीब-करीब में आता है, उनको सिंचित किया जा सके । ताकि वहां के लोग अपना जीवन-स्तर ऊंचा कर सकें और इस साल इस बात का प्राविधान किया गया कि 1981-82 में करीब 4 हजार 25 सौ हेक्टेयर जो जमीन है, उसे सिंचित करें और मान्यवर, जिन क्षेत्रों में सूखा है, वहां उस सूखे से निपटने के लिए ट्यूबवेल्स की व्यवस्था की जा रही है और यही व्यवस्था पहाड़ी इलाकों पर भी करने के प्रयास में हम हैं और यह कार्य बहुत तेजी से युद्ध स्तर पर अमल में लाया जा रहा है ।

इसके अतिरिक्त जो मंडी विकास निगम हैं, उनके द्वारा भी मिनी शुगर मिलें लगायी गयी है । एग्रीकल्चर सर्विस सेन्टर्स खोले गये हैं । ईंट के भट्ठे कायम किये गये हैं, बाल मिलें कायम की गयी हैं और एग्रीकल्चरल इम्पलिमेन्टस को कायम करने के लिये कारखाने कायम किये गये हैं । क्षेत्रीय आवश्यकताओं को देखते हुए यहां इस तरह के केन्द्र कायम किये गये हैं ताकि वहां के ग्रामीणों को उससे फायदा हो सके । फिशरीज में काफी काम हुआ है । जितने जलाशय हैं उनमें मत्स्य पालन अगर हो सकता है तो उसका इन्तजाम किया गया है और उनको प्रोत्साहन दिया जाय इसकी व्यवस्था की गयी है । यह व्यवस्था की गयी है कि जो लोग इस ट्रेड में लगे हुए हैं उनको नगरों में इसके ठेके उनको ही दिये जायं जो निर्बल वर्ग के लोग हैं और मल्लाह भाई हैं उनको वरीयता दी जाय (व्यवधान) माननीय रियासत साहब फूलन देवी का नाम लेकर यह साबित कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा सहमे हुए वही बैठे हैं । (व्यवधान) पिछले साल 4 करोड़

69 लाख का बीज दिया गया। इस साल 6 करोड़ 3 लाख का बीज पैदा किया गया है और उसे वितरित किया जा रहा है। इसके साथ-साथ वर्ल्ड बैंक के अन्तर्गत 17 जिलों में एक वृहद् योजना बनाई जा रही है जहां मछलियों के उत्पादन का कार्य पूरी तरह से हो सकेगा। फिशरीज डेवलपमेंट कारपोरेशन बना दिया गया है। वह कार्य तेजी से हो रहा है। कुछ दिन पहले एक टीम विदेश से आई थी। उसमें वर्ल्ड बैंक के लोग भी थे। वह टीम साउथ ईस्ट एशिया तथा तमाम मुल्कों में गयी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जितनी तेजी से कार्य हो रहा है कहीं नहीं हुआ है। वर्ल्ड बैंक की यह योजना है और इसके अन्तर्गत यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ दिनों में हमलोग इस दिशा में काफी तरक्की कर सकेंगे।

राष्ट्रीय एकीकरण के सम्बन्ध में, मैं दो तीन शब्द कहना चाहूंगा। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसमें जिला स्तर की कमेटियां बनाई गयी हैं। राज्य सरकार की एक कमेटी गठित की गयी है। उसके अन्दर विरोधी दल के जो हमारे सम्मानित नेतागण हैं वे सब शामिल हैं और तमाम दलों को मिला कर राष्ट्रीय एकीकरण स्तर पर कमेटी बनाई गयी है। इस कमेटी का कार्य पूरे सूबे में आपसी सद्भावना से हो रहा है और इसका काम मेल मोहब्बत का वातावरण पैदा करना भी है।

इसके साथ-साथ जो दक्षिणी भारत की भाषायें हैं उनको पढ़ाने के लिये भी केन्द्र खोले गये हैं जो कई नगरों में चल रहे हैं जैसे इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, झांसी तथा कानपुर आदि में। जो लोग दक्षिणी भाषायें पढ़ना अथवा सीखना चाहते हैं वे उनको वहां सीख सकते हैं ताकि उत्तर और दक्षिण भारत के रहने वाले एक दूसरे की कल्चर तथा संस्कृति से वाकिफ हो सकें।

इसी के साथ इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि उर्दू के बढ़ने तथा फलने-फूलने का पूरा मौका हो। इसके लिये उर्दू एकेडेमी तो कायम हो गयी है। इसके अलावा फखरूद्दीन अली अहमद मेमोरियल फंड भी कायम किया गया है। दूसरी वलेंटरी आर्गनाइजेशंस भी हैं जैसे अन्जुमे तरक्की हिन्द है। इनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय किया है जो निर्णय उर्दू के सिलसिले में समय-समय सरकार ने लिये हैं उनको लागू किया जाय। हमारे सम्मानित सदस्य बिहार के बारे में मुझसे पूछ रहे थे, मैं बिहार गया था वहां पर लोगों से जो बातचीत हुई उसका एक नोट मैंने सरकार को भेज दिया है। बहुत से पहलुओं पर विचार कर रहे हैं उसमें यह चीज भी शामिल है। मान्यवर, उर्दू एकाडमी ने हमको सूचित किया है लखनऊ में वह उर्दू का कांफ्रेंस करेंगे जिसमें

[श्री अम्मार रिजवी—]

सारे विश्व के उर्दू के जानने वाले कवि जो तमाम उर्दू के ख्याति प्राप्त लोग आयेंगे और उसमें हिस्सा लेंगे इसको उर्दू एकाडमी करने जा रहा है लखनऊ में यह होगा ।

श्री सूबेदार सिंह—

ग्रामीण क्षेत्रों में जो हायर सेकेन्डरी, इन्टर कालेज व डिग्री कालेज में उर्दू खोलना चाहते हैं वहां पर उर्दू विषय खोलने को बिना प्रतिबन्ध स्वीकृति देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उसको नोट कर लिया है विचार किया जायेगा । मान्यवर, अन्तरजातीय विवाह को भी प्रोत्साहन दिया गया है जो लोग ऐसा विवाह करते हैं उसमें से एक पक्ष हरिजन होना चाहिये । ऐसे लोगों को एक हजार रुपया नकद इनाम और 15 हजार रुपया कर्ज के रूप में दिया जाता है जिसको वह आसान किश्तों में चुका सकता है और उससे अपना कारोबार कर सकते हैं । मान्यवर स्टेट माइनारटी कमीशन भी कायम किया गया है उसके अन्तर्गत अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर विचार होता है । एक महत्वपूर्ण कदम और उठाया गया है कि जो कोटा हरिजनों का निर्बल वर्ग का होता था वह यदि उपयुक्त प्रत्याशी नहीं मिलते थे तो अन्य जातियों से भर लिया जाता था अब निर्णय लिया गया है कि यदि हरिजन प्रत्याशी नहीं मिलते हैं तो वह खाली रहेगी और उसको हरिजन प्रत्याशी से ही भरा जायेगा । इस प्रकार हरिजनों का जो 18 प्रतिशत है वह उनको पूरा मिलेगा । यह क्रान्तिकारी कदम है । मुझे विश्वास है इससे निर्बल वर्ग और हरिजनों की जो दिक्कतें हैं वह दूर होगी । अभी नवम्बर में राष्ट्रीय एकीकरण सप्ताह मनाया गया उसमें पूरे देश में जगह-जगह कवि सम्मेलन हुआ मुशायरा हुआ और जलसे हुए। इस उत्सव को सारे प्रदेश में बड़े उत्साह से मनाया गया । जो माननीय मोहन सिंह को पसन्द नहीं आयेगा एक उत्सव मनाया गया फतेहपुर सीकरी में जो 4 सौ साल पहले सुलह कुल की पोलशी थी कि सब के साथ शान्ति की भावना इस पर प्रकाश डालने की योजना की गई । जिसमें सब लोग आये और इसमें इस बात का प्रयास किया गया राष्ट्रीय एकीकरण आपस में हो । इस तरह का दूसरा झांसी में लक्ष्मीबाई के स्थान पर नवम्बर व अक्तूबर में मनाया जायेगा इसी के साथ बेगम हजरतमहल पार्क में भी एक उत्सव मनाया जायेगा । जिसमें भारत के रहने वालों को एक दूसरे के करीब किया था जो लोग साम्प्रदायिक विष फैलाते हैं । मैं आपके माध्यम से उनसे अपील करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय एकीकरण का जहां तक सवाल है वहां हम सब को एक होकर एक स्तर से आगे बढ़ना चाहिए । इन चन्द शब्दों के साथ, मैं आशा करता हूं कि यह सम्मानित सदन इस बजट को पारित करेगा ।

श्री भीखा लाल—

जिला परिषद् भंग पड़ी है । पंचायतों का कार्यकाल भी समाप्त हो गया है । इनके चुनाव कब तक कराने का इरादा है ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रजातंत्र में चुनाव न कराने का तो सवाल ही नहीं है । जिस समय उनको होना चाहिए, हो जायेंगे ।

संख्या 22-राष्ट्रीय एकीकरण, अनुदान संख्या 55-ग्राम्य विकास, अनुदान संख्या 56-पंचायती राज, अनुदान संख्या 57-क्षेत्रीय विकास, अनुदान संख्या 61-मत्स्य, अनुदान संख्या 90-पंचायती राज-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 95-ग्राम्य विकास-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 96-क्षेत्रीय विकास-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 101-मत्स्य विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 119-राष्ट्रीय एकीकरण-ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या 123-क्षेत्रीय विकास विभाग-ऋण और अग्रिम

*श्री मोहन सिंह--

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 22--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना ।

मान्यवर, अनुदान संख्या 55--ग्राम्य विकास विभाग के अधीन मांग की राशि घट कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मैं, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 56--पंचायती राज विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

अनुदान संख्या 57--क्षेत्रीय विकास विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

अनुदान संख्या 61--मत्स्य विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

अनुदान संख्या 90--पंचायती राज विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 95--ग्राम्य विकास विभाग--पूंजीगत परिव्यय, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, अनुदान संख्या 96--क्षेत्रीय विकास विभाग पूंजीगत परिव्यय के अधीन मांग की राशि घट कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देन ।

अनुदान संख्या 101--मत्स्य विभाग पूंजीगत परिव्यय के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोहन सिंह --]

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 119--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग- ऋण और अग्रिम, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग को रशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

अनुदान संख्या--123 क्षेत्रीय विकास विभाग-ऋण और अग्रिम के अधीन मांग की धनरशि घट कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

इसलिये इसके बारे में आप एक विधान मण्डल की सर्वदलीय कमेटी बनाकर कार्य करें क्योंकि इस बात की मुझको आशंका है कि जो भी मन्त्रीगण हैं, ये शासन पक्ष में बैठे हुए लोग हैं, अपने क्षेत्रों की सुविधा के हिसाब से विकास खण्डों का परिसीमन कर सकते हैं । माननीय मन्त्री जी के ही क्षेत्र में कुछ विकास खण्ड बनाने की योजना थी । इसलिये यह आवश्यक है कि विकास खण्ड पूरे प्रदेश में परिसीमित हो जायं । दूसरी बात, अशोक मेहता साहब के नेतृत्व में एक कमेटी बनायी गयी थी पिछले शासन के दौरान, लेकिन इस शासन की एक ही स्पष्ट नीति है और वह यह है कि अच्छा हो या बुरा, जो भी नीति जनता पार्टी या लोक दल की सरकार ने बनायी, उसे उलट देना, यही इनका दायित्व और कर्तव्य है । मेरा सुझाव है कि एक सर्वदलीय कमेटी बन इये, उसका परीक्षण हो दो-तीन महीने के अन्दर समयबद्ध करके और उसके अनुसार एक विधेयक लाया जाय । मुझे इस बात का खेद है कि जिला परिषद् भंग कर दी गयी हम लोगों के जमाने में । लेकिन जब आपके हाथ में संचालन है तो अब यह कहने से काम नहीं चलेगा कि जब समय आएगा, चुनाव हो जायगा । अफसरशाही के चंगुल में जकर के इनका सत्यानाश हो रहा है और विकास नहीं हो रहा है । जनता से कटी हुई अफसर-शाही और जन प्रतिनिधियों का नेतृत्व न होने से भ्रष्टाचार घुसा हुआ है और विकास की सारी गतियां अवरुद्ध हैं । यह मैं जानता हूं कि आप यह कर सकते थे कि इनमें कुछ अपने दल के लोगों को विधेयक लाकर बिठा दे, लेकिन आपके दल के अन्दरूनी झगड़े इतने उग्र हो गये हैं कि आप जिला परिषद् के अध्यक्ष को नामित नहीं कर सकते, अन्यथा हो गया होता ।

अतः मेरा यह अनुरोध है कि अविलम्ब और तत्काल एक सर्वदलीय अधिकार सम्पन्न कमेटी की घोषणा आप इसी सदन में इसी बजट के दौरान कर दें । जनगणना चल रही है । अभी तक यही नहीं बताया है कि जिला परिषद् के चुनाव, उनकी समितियों के चुनाव प्रत्यक्ष रीति से होंगे या अप्रत्यक्ष रीति से होंगे । इसके बारे में शासन को स्पष्ट होना चाहिये । यदि आप चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से कराना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी घोषणा होनी चाहिये और यदि आप प्रत्यक्ष रीति से कराना चाहते हैं तो उसकी भी घोषणा होनी चाहिये । लेकिन अभी तक इसकी घोषणा न होने से शासन की साफ मंशा झलक रही है । एकीकृत ग्रामीण विकास की उक्त अच्छी योजना 1978 में हम लोगों ने चलायी, आपने एक अच्छा काम किया कि सभी ब्लाकों को उसमें ले लिया । बजट प्राविधानों के अनुसार 5 लाख रु० प्रति ब्लाक को आप देंगे और वह भी तब जब कि उसकी आधी रकम केन्द्र सरकार आपको देने के लिए तैयार है । 24 फरवरी को ही केन्द्र सरकार ने आपको इस आशय का परिपत्र भेजा कि जिलों के स्तर पर अधिकारी नियुक्त किये जायं । जिले के हिसाब से हम बजट देंगे । जहां के आंकड़े आ जायेंगे, उसका पचास फीसदी हम देंगे । अभी तक जिला स्तर पर न तो कोई अधिकारी नियुक्त किये गये और न ही एकीकृत

ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत कितना पैसा आपको खर्च करना है, इसकी कोई योजना बनाकर केन्द्र सरकार को भेजी गयी है । 5 लाख रु0 फी विकास खण्ड बहुत ही सीमित मात्रा है, इसको बढ़ाया जाना चाहिये ।

एक योजना आपने चलायी है जो हरिजन कल्याण विभाग भी चलाता है । हरिजनों के मकान बनने के लिए आपने निश्चित किया है कि जितनी पूंजी लगेगी मकान बनाने में उसका 75 प्रतिशत या अधिकतम 2 हजार रुपये मैदानी इलाके में और पहाड़ी इलाके में 3 हजार रुपया आप देंगे । मैं इस बात की सराहना करता हूं लेकिन इन मकानों को हरिजन कल्याण विभाग और आपके विभाग ने भी बनाया है । आपके विभाग ने जो मकान बनाये ह वह उनके मुकाबले अच्छे हैं । आपने कुछ अच्छा काम किया है । एक नीति बनायी गयी है कि सड़क के ऊपर कालोनी बनेगी । यह अच्छी चीज है । आपके विभाग का नाम तो है ग्राम्य विकास विभाग । लेकिन जितने बड़े से बड़े अफसर हैं वह गांवों में जाना पसन्द नहीं करते हैं । जो आपके विभाग की इकाई है जिसको ग्राम सेवक कहते हैं, हर ब्लाक में 10–15 की संख्या में उनको रखा गया है, उनका वेतनमान निर्धारित नहीं किया गया है और उनके जिम्मे काम बहुत है । तो आपने जो दो हजार की रकम मकान बनाने के सम्बन्ध में रखी है वह बहुत कम है इसमें बढ़ोत्तरी होनी चाहिये । इसके साथ ही साथ हरिजनों के लिये पेयजल की योजनायें बनायी गयी हैं । 1972–80 तक के आंकड़े हमारे सामने हैं । 1972 से 1980 तक 15 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी तरफ से खर्च किया है, पेयजल योजनाओं के ऊपर डिग्गियां बनाने में, हैंड पम्प लगाने में और कुयें बनाने में, 15 करोड़ रुपया आपने खर्च किया है और साढ़े 18 करोड़ रुपया इन 8–9 वर्षों में अनुदान की शक्ल में दिया गया है । तो यह 15 करोड़ और साढ़े 18 करोड़ रुपया एक बहुत बड़ी रकम होती है । इतना रुपया खर्च करने के बावजूद मेरा कहना है कि अगर मौके पर निरीक्षण किया जाय तो जितना काम पिछले दो वर्षों में किया गया है, पिछले दो वर्षों में देवरिया और खीरी में आपने 2 हजार कुंये बनाये हैं, अगर अलग से कमेटी बनाकर देखे कि इन दो हजार में कितने वास्तव में बने हैं । अगर बने हैं तो कितने दिन चले हैं । यह आपका 15 करोड़ और साढ़े 18 करोड़ रुपया कुयें में चला गया है । मौके पर कुयें नहीं बने हैं जिससे पेयजल समस्या का समाधान नहीं हुआ है । जल निगम भी इस सम्बन्ध में काम कर रहा है ।

मैं आग्रह करूंगा कि यह काम इस विभाग को ट्रान्सफर करिये और आग्रह करिये कि जहां कहीं हरिजन बस्तियां हैं वहां तत्काल तत्परता से युद्धस्तर पर पेयजल योजनाओं को कार्यान्वित करें । अब तक की जो नीति रही है पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में वह निरर्थक रही है, थोथी और अनर्गल रही है इससे हरिजनों को कोई लाभ नहीं हुआ है । मैं कहना चाहता हूं कि यह जो आपकी समावेश परियोजनायें हैं, एक तो राम गंगा, दूसरी शारदा सहायक और तीसरी

[श्री मोहन सिंह---]

गंडक परियोजना है इसमें अधिकारियों की एक लम्बी पलटन है। 22 करोड़ रुपया आपने मांगा है। इसमें साढ़े आठ हजार कर्मचारी अराजपत्रित हैं और 249 राजपत्रित अधिकारी हैं जिसमें कि अधिकांशतः आई० ए० एस० और पी० सी० एस० अधिकारी हैं, यह अधिकारी गांवों में नहीं जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह जो आई० ए० एस० का सर्प है यह अपना घोंसला नहीं बनाता है जो पुराने बने हुये घोंसले हैं वह उनमें प्रविष्ट होकर बाकी को बाहर कर देता है। मैं कहन चाहता हूं कि ग्राम्य विकास विभाग में इनकी आवश्यकता कम से कम है।

आज बी० डी० ओज० आन्दोलन के पथ पर हैं। इनकी तादाद 1,200 के करीब है। इनमें से थोड़े अधिकारी हैं जो क्लास वन में हैं, 1,100 से 1,750 के स्केल में बहुत कम अधिकारी हैं। हर जिले से मांग आ रही है कि प्रोन्नति के अवसर जारी किये जायं। लेकिन जहां एक तरफ इन परियोजनाओं में इतनी लम्बी पलटन अधिकारियों की रखी है, मैं कहना चाहता हूं कि इसको कम करिये। आपके जो मंडलीय विकास निगम हैं उनको भी इन कामों को सुपुर्द करिये। जो मंडलीय विकास निगम हैं उनकी कार्य प्रणाली के ऊपर मुझको असंतोष है। इन मंडलीय विकास निगमों को 3 करोड़ रुपये दिये गये हैं। एक तरफ इनका उद्देश्य यह है कि यह रोजगार मुहैय्या करेंगे और दूसरी तरफ मण्डलीय विकास को नीति तय करेंगे और तीसरी तरफ व्यवसायिक संगठनों को खुली छूट देंगे और उसमें पूंजी लगायेंगे। यह मण्डलीय विकास निगम अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में विफल साबित हुये हैं। इसका कारण यह है कि उप विकास आयुक्त और मण्डलीय विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक एक ही व्यक्ति हुआ करता था। लेकिन आपने अलग-अलग कर दिया, तो यह ठीक काम किया है किन्तु उसके साथ ही उसको बड़े अधिकारियों, आई० ए० एस० के चंगुल में फंसाने का नीति निर्धारित कर दिया और सी० डी० ओ० को पोस्ट क्रिएट करके उस पर आई० ए० एस० को नमने के तौर पर रखेंगे। यदि उन्होंने अच्छा काम किया तो सारे प्रदेश में सी० डी० ओ० पोस्ट कर देंगे, अच्छी बात है और इसमें हमको एतराज नहीं है किन्तु दूसरी तरफ बी० डी० ओ० को प्रोन्नति अवरुद्ध हो गयी लेकिन आई० ए० एस० अधिकारी, परियोजना अधिकारी, विकास आयुक्त आदि अधिकारियों की पल्टन आप बढ़ाते जायेंगे और विभागीय अधिकारियों जिन्हें विभाग का अनुभव है उनको नहीं किन्तु जिनका जनता और गांवों के लोगों से सम्पर्क नहीं ऐसे व्यक्तियों को इसमें आप काम दे रहे हैं। इसलिये मंडलीय विकास निगम को नये ढंग से पुनर्गठित करके शक्तिशाली और उसकी कार्यप्रणाली को मजबूत बनाने की जरूरत है। इसमें परियोजनाओं को समाप्त कर मंडलीय विकास निगम के जरिये काम करायें और प्रबन्ध निदेशक को जिम्मेदार बनायें। विकास निगम के आने वाले जिलों में साल भर में क्या समस्यायें आने वाली हैं, वहां क्या रा मटैरियल उपलब्ध है, कच्चा माल का सर्वे कराकर उसके ऊपर आधारित कौन उद्योग वहां चल सकते हैं, जिससे अधिक से अधिक ग्रामीण लोगों को रोजगार दे सकें, इसकी वह 6 महीने में योजनायें प्रस्तुत करें और आप की ओर से संस्तुतियां और अपेक्षित अनुदान और बजट दिया जाय जिससे हम ग्रामीण स्तर के लोगों को रोजगार दे सकें और क्षेत्रीय विकास की जो परिकल्पना है उसको साकार कर सकें।

मान्यवर, मुझे खुशी है कि खाद्यान्न योजना के बारे में कहा जाता है कि जनता पार्टी और लोक दल की सरकार ने इसको लागू किया लेकिन इन्होंने

खाद्यान्न योजना को समाप्त कर दिया और उसका एक नया नाम दे दिया "राष्ट्रीय रोजगार योजना" और उसको आप चला रहे हैं । जिस आधार पर खाद्यान्न योजना थी कि 40 प्रतिशत धन आपका और 60 प्रतिशत धन दिल्ली का सरकार देगी तो मेरा कहना है कि जब दिल्ली की सरकार अपेक्षित सहयोग देगी तो आपको इस योजना में अपने बजट की मात्रा को बढ़ाना चाहिए और पुलिया, पुल और खड़ंजे का काम 6 महीने में करना चाहिए ।

एक सदस्य--

तो कटौती का प्रस्ताव आप क्यों लाये हैं । उसको वापस ले लें ।

श्री मोहन सिंह--

कटौती का प्रस्ताव इसलिये लाये हैं कि आपने कोई समन्वित नीति नहीं दर्शायी है । मैं तो एक रुपया इसलिये कह रहा हूं कि यदि एक रुपया का कटौती का प्रस्ताव पेश न करूं तो संसदीय प्रथा में हमको और आपको अपने विचार व्यक्त करने का सवाल ही नहीं होगा, इसलिये कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है कि आप अपने विचार रखें । मुझे अफसोस है पिछले साल का बजट देखें श्री अम्मार रिजवी के रहते उनके विभाग का बजट गत वर्षों की तुलना में कम कर दिया जाय, जो इससे अफसोस की बात क्या होगी । सरकार ने यहां कटौती किया है लेकिन हम तो बढ़ोत्तरी की बात और योजना में बढ़ोतरी की बात कह रहे हैं । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अन्त्योदय की स्कीम चली, मुझको आशंका थी, और सरकार मौन थी, कि अन्त्योदय योजना को यह शायद बन्द करने वाले हैं मुझे खुशी है कि 10 करोड़ रुपये आपने अन्त्योदय योजना में मांगा है । पिछले साल इस योजना के आंकड़े देखें तो जिन अन्त्योदय परिवारों को इसमें पैसा दिया गया उसमें करीब आधे लोग हरिजन और अनुसूचित जन जाति परिवार के लोग थे, जिनके विकास के लिये योजना चली थी और बीच में आपने इस योजना को समाप्त कर दिया । इसके बारे में शासन स्पष्ट आश्वासन दे इसी सदन के अन्दर कि यह योजना चलाई ही जायेगी क्योंकि 10 करोड़ रुपया हम आपको बजट में दे रहे हैं, सहर्ष दे रहे हैं लेकिन कहीं ऐसा न हो कि यह पड़ा ही रह जाय आपकी अरुचि के कारण, आप यहां पर्दा डाले रहे और इस मद का पैसा किसी अन्य योजनाओं में खर्च करें या फिर अपनी संचित निधि में जमा करके वापस करने का प्रयत्न करें, तो यह देश के साथ, हमारे प्रदेश के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा ।

मुझे अपेक्षा थी कि माननीय ग्राम्य विकास मन्त्री जो अपने विकास की चर्चा में भू-गर्भ योजना जो थी, उसका कुछ जिक्र करेंगे । भू-गर्भ योजना आपके विभाग का एक महत्वपूर्ण संगठन है, एक महत्वपूर्ण अंग है । 25 कूप बना कर इसी से सिंचन की योजना थी, जो सिंचन क्षमता एवं उसके बारे में दिशा निर्दिष्ट करता है । जब सूखा इस प्रदेश में पड़ा तो आपने एक सुयोग्य निदेशक भी वहां

[श्री मोहन सिंह--]

रख दिया है, लेकिन वह सुयोग्य निदेशक भी वहां क्या करेगा ? मुझे अफसोस है कि उनसे ऐसे ढंग से कम लेने का सिलसिला रखाया । आपको हम 5 करोड़ 15 लाख रुपये देंगे इस संगठन के लिये । लेकिन जहां तक यह 5 करोड़ और 15 लाख रुपये का प्राविधान था उससे भी कम करके 3 करोड़ उसे कर दिया गया । एक मण्डलीय विकास निगम को आप धन देते हैं, पिछले साल से पहले 1 करोड़ 2 लाख रुपये आपने इस संगठन को दिये इसी सदन के अन्दर, 83 करोड़ रुपया 1980 में दिया और इस साल 60 करोड़ 63 लाख रुपये देने जा रहे हैं । आप स्वयं ही सोंचे कि कैसे आप इसको निर्धारित करेंगे और कैसे आप इसे संचालित करेंगे, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए ।

राष्ट्रीय एकीकरण के नाम पर अभी हमारे माननीय मन्त्री जी ने सुलहकुल का हवाला दिया । मैं दावे के साथ कहूंगा कि यह सुलहकुल केवल कांग्रेस का एक सम्मेलन था । यह सुलहकुल था या कुलहकुल था, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता । वह एक अधिवेशन मात्र था, सभी अपेक्षित लोग उसमें सम्मिलित हुए थे। 19 लाख रुपये में आप और क्या करेंगे ?

यहां पर उर्दू की बात बहुत चलती है, मैं भी उसका पक्षधर हूं मैंने भी उर्दू सीखी है, जब मैं 19 महीने जेल में बन्द था तभी वहां पर मैंने उर्दू पढ़ना और लिखना सीखा था । लेकिन उर्दू भाषा के लोग इस देश में कितने हैं ? यदि सचमुच राष्ट्रीय भाषा में आपकी दृष्टि है तो हमारे दक्षिण की भी भाषायें हैं उनके पठन-पाठन के लिए एक नीति बनानी चाहिए । जो विद्वान पुरुष हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं, जो उर्दू भाषा के योग्य लोग हैं, ऐसे लोगों को अकादमी में न रख कर के अपने खास लोगों को मनोनीत करते हैं । मेरे जैसे लोग अहर्निश इसके लिये प्रयत्नशील रहते हैं कि उस अकादमी में कुछ पढ़े-लिखे लोग ऐसे भी हैं जो दुर्भाग्य से आपकी नीति और आपकी राय में हां में हां नहीं मिलाते हैं, तो ऐसे लोग जो आपकी हां में हां नहीं मिलाते हैं ऐसे लोगों को भी अवसर दीजिए ऐसे लोगों को भी अवसर मिलना चाहिए और उनको जब तक अवसर नहीं मिलेगा तब तक राष्ट्रीय एकीकरण के जो हमारे काम हैं उन्हें पूरा कर सकना कठिन ही नहीं असम्भव भी है ।

इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव को पेश करता हूं कि यह ग्राम्य विकास की जो योजना है इसके लिये अपने कारगर सुझाव वे पेश करेंगे जिससे शासन की दृष्टि कुछ खुलेगी यह दुर्भाग्यपूर्ण कार्य करने का हम लोगों को दुर्भाग्य नहीं प्राप्त हो ।

श्री बिहारी लाल--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आपने इस बजट पर बोलने का मौका दिया ।

मैं बड़े दुख के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि जनपद नैनीताल को इस बजट में छोड़ा गया है । माननीय नारायण दत्त तिवारी जो, योजना मन्त्री, भारत सरकार के माध्यम से और माननीय मुख्य मन्त्री जी के माध्यम से इतना बड़ा बजट पर्वतीय क्षेत्र को मिला लेकिन जनपद नैनीताल को छोड़ा गया है । श्रीमन् सड़क मरम्मत, रख-रखाव हेतु जिला परिषदों को अनुदान दिये गये हैं । मैदानी क्षेत्रों को 60 लाख व पर्वतीय क्षेत्र को 40 लाख पत्र संख्या 96/65--22-33, दिनांक 27-12-1980 द्वारा जो धन दिया गया है उसमें अल्मोड़ा को 5 लाख,

पिथौरागढ़ को 7 लाख, देहरादून को 2 लाख चमोली को 14 लाख, गढ़वाल को 6 लाख, टेहरी गढ़वाल को 4 लाख, उत्तरकाशी को 2 लाख, टोटल 40 लाख पर्वतीय क्षेत्र को दिया गया है और नैनीताल को कोई धन नही दिया गया है, जब कि 8 लाख की मांग माह अगस्त, 80 में भेजी गयी। यह मांग जिलाधिकारी के माध्यम से भेजी गयी है। सड़क अनुदान दूसरे जिलों की जिला परिषदों के लिये 1 लाख से अधिक है, जबकि नैनीताल जनपद को केवल 75 हजार रुपया दिया गया है।

श्रीमन्, मैं चाहूंगा कि यह किस तरीके से हुआ, किस अधिकारी वर्ग की तरफ से हुआ है कि जो जिला नैनीताल जनपद को एक पैसा नहीं दिया गया है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। कहते हैं पर्वतीय क्षेत्र को काफी धन दिया गया है इस बार लेकिन आंकड़े मैंने आप के समने रख दिये हैं। जिला परिषद्, नैनीताल को किस तारीके से वंचित किया गया है, जब कि मननीय नारायण दत्त तिवारी जी, योजना मन्त्री, भारत सरकार द्वारा सारी योजना बनाई गई है। उनके माध्यम से सार रुपया भेजा गया। बड़े दुख के साथ कहन पड़ता है कि पर्वतीय क्षेत्र को विकास किस तरह से होगा, कैसे जिला परिषद् का विकास होगा, कैसे कुमाऊं का विकास होगा। श्रीमान्, मेरा क्षेत्र खटीमा है। आधा क्षेत्र तराई में पड़ता है और आधा पहाड़ में पड़ता है। मेरे क्षेत्र में आज तक पैदल चलने के लिए सड़क नहीं है। अधिकारी वर्ग को सिर्फ गाड़ी चाहिए। बगैर गाड़ी में बैठकर वे गांवों को नहीं देख सकते हैं। एक पोस्ट सी० डी० ओ० की हमारी सरकार ने क्रिएट की है, चीफ डेपलेपमेंट आफीसर। अभी तक देहात से उनको कोई सम्पर्क नहीं है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने क्षेत्र में इस पोस्ट को अभी तक स्वीकार नहीं किया। आज हमारे क्षेत्र में सी० डी० ओ० की पोस्ट रखी गयी है। अभी तक उन्होंने देहात देखा नहीं है। टनकपुर नगरपालिका है, जिसका आधा क्षेत्र पिथौरागढ़ में है आधा मेरे क्षेत्र में है। आज तक एक पैसा अनुदान के रूप में इसे नहीं दिया गया है। उसी तरीके से सितारगंज को कोई पैसा नहीं दिया गया है, खटीमा को कोई पैसा नहीं दिया गया है। पिछड़े जातियों की, पिछड़े क्षेत्रों की बात आप करते हैं, हरिजन जाति के लोगों को उठाने की बात आप करते हैं, छोटे लोगों को उठाने की बात करते हैं किस तरह से ये लोग ऊपर उठाये जायेंगे, जब कि सरकार के माध्यम से कोई पैसा नहीं मिलेगा। कोई अनुदान नहीं मिलेगा। मुझे बताया गया है कि 18 प्रतिशत हरिजनों के लिये रखा गया है।

मैं जानना चाहूंगा कि हरिजनों को कोई जगह क्यों नहीं मिलती। यदि कोई ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, नाई हो या अन्य किसी जाति का हो उसे तुरन्त जगह मिलेगी लेकिन अगर कोई हरिजन है तो उसे जगह नहीं मिलती है इसलिए 10 परसेन्ट का कोटा पूरा नहीं होता है। मैं ऐसे कई उदाहरण आपको दूंगा। श्रीमान्, यह हमारी सरकार तो भर्ती नहीं करती है, सब भर्ती

[श्री बिहारी लाल—]

अधिकारी वर्ग के माध्यम से होती है। सिर्फ वही हरिजन भर्ती होता है, जो उनके वहां झाड़ू लगा सके, बर्तन साफ कर सके सिर्फ इसी बात को वे देखते हैं। इस बात पर माननीय मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लिये ब्लाक करकांटा और ढोलीगांव जहां हरिजनों की बस्ती है उन हरिजन बस्तियों में बिल्कुल भी सुविधा नहीं है। न तो पानी की सुविधा है न सड़कों की सुविधा है। जिला परिषद् के स्कूलों की हालत खराब है। मैं अपने क्षेत्र का विधायक हूं और जब अपने क्षेत्र में जाता हूं तो वहां पर लोग पूछते हैं कि आपने वहां क्या कहा, कौन से बजट में आप बोले, क्या लाए हैं आप हमारे लिए। सच तो यह है कि हमारे अधिकारी लोग क्षेत्र के विधायक के साथ चलना नहीं पसन्द करते हैं और क्षेत्र का विधायक घूमता है। मैं चाहता हूं कि जब क्षेत्र का विधायक जाता है तो अधिकारी लोग उसके साथ जायें, दौरा करें तो समस्या हल हो सकती है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पर्वतीय क्षेत्र की सुविधाओं को बढ़ाया जाय। पर्वतीय क्षेत्र की गरीबी मिटाने के लिए जब तक न्यायसंगत विचार नहीं होगा, अच्छे अधिकारियों को वहां नहीं भेजा जायेगा तब तक पर्वतीय क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। मैं चाहूंगा कि जनपद नैनीताल से सी० डी० ओ० की पोस्ट को हटाया जाय और जो पोस्ट पहले थी, वी० डी० ओ० की, वही रहने दी जाय क्योंकि वह जानते थे कि गांव की समस्या क्या है। मैं आई० ए० एस० के खिलाफ नहीं हूं। इस सम्बन्ध में मैं जिस वर्ग से चुनकर आता हूं हमें अपनी बात उसी वर्ग के हित के लिए कहनी है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

(2 बजकर 17 मिनट)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैं माननीय मोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी एक तरफ तो पंचायती राज और दूसरी तरफ ग्राम्य विकास, एक म्यान में दो तलवारें सम्हाले हुए हैं। पंचायती राज, मान्यवर, जब हमारा देश आजाद हुआ था उसी के बाद 1949 से लोकतन्त्र की रीढ़ के रूप में इसे कायम किया गया। आज माननीय मंत्री जी भी इस बात को जानते हैं कि यह लोकतन्त्र की रीढ़ टूटने की कगार पर पहुंच गई है। आज हम देख रहे हैं कि जो एक कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया था ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जिसको लागू करने की जिम्मेदारी पंचायती राज की थी, वह कार्यक्रम ऊपर हो गया और पंचायती राज नीचे बटकर रह गया। ऊपर से नीचे तक आज इस पर दृष्टि डाली जाती है तो ऐसा लगता है कि पंचायती राज और ग्राम्य विकास दो प्रतिस्पर्द्धी संगठन जैसे बन गए।

मान्यवर, पंचायती राज संगठन संविधान द्वारा प्रदत्त है और उसके अन्तर्गत गांव-गांव में पंचायतों का जाल बिछाया गया है। लेकिन आज पंचायतों की क्या स्थिति है वह किसी से छिपी नहीं है। ये बिलकुल निष्क्रय हो गयी हैं और ऐसा लगता है कि उनके पास कोई काम नहीं है और एक जंग लगी हुई मशीन जैसी कोने में पड़ी हुई है। इसका कारण यह है कि शासन की ओर से इन पंचायतों के बारे में हमेशा उपेक्षा की जाती रही है। आज

हम देख रहे हैं कि नीचे से लेकर ऊपर तक शासन ने फाइलों और कागजों में पंचायती राज को कायम कर रखा है। व्यावहारिक रूप में उसका कोई नक्शा नजर नहीं आ रहा है। पता नहीं कितने सालों से चुनाव नहीं कराया गया है। मान्यवर, मैं ही नहीं, आज अगर कोई भी माननीय सदस्य देहातों में जाता है तो उससे यही पूछा जाता है कि पंचायतों के चुनाव होंगे या नहीं, ब्लाक समितियों के चुनाव होंगे या नहीं, जिला परिषदों के चुनाव होंगे या नहीं। शासन की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाता है। माननीय मंत्री जी यह कहकर टाल देते हैं कि जब समय आयेगा तो चुनाव हो जायेगा। इसी तरह से माननीय मंत्री जी कह देते हैं जब कोई इनकाउन्टर में मारा जाता है तो कहा जाता है कि उसकी मौत आ गई थी। इस तरह से चुनाव का समय कब आयेगा शासन की नीति स्पष्ट नहीं है। हम माननीय मंत्री जी से विशेष रूप से अपेक्षा करते थे कि वे आज स्पष्ट रूप से सदन के सामने इसकी घोषणा करेंगे जिससे प्रदेश के कोने-कोने में हमलोगों को बताने का आप मौका देंगे।

मान्यवर, देहातों में हम देखते हैं कि एक ही प्रकार का काम करने वाले दो कर्मचारी हैं और उनमें शासन की ओर से विभेद किया गया है। एक गांव की इकाई में काम करने वाला पंचायत सेवक है और दूसरा ग्राम्य विकास के अन्तर्गत काम करने वाला ग्राम सेवक। इन दोनों के वेतनमान, दोनों के अधिकार और दोनों के उत्तरदायित्वों में बड़ा फर्क है। शासन इसकी ओर नहीं देख रहा है। इसके अतिरिक्त विकास खन्ड हैं। उनके ऊपर जब शासन की ओर से कोई नई नीति और कार्यक्रम चलाने की बात होती है तो इनको सिर्फ विकास खन्ड ही नजर आते हैं। हर कार्यक्रम का बोझ विकास खन्डों के ऊपर लादा जा रहा है। खन्ड विकास अधिकारी पता नहीं कितने कार्यक्रमों का केन्द्र बिन्दु बना हुआ है। शासन की ओर से यह नहीं सोचा जा रहा है कि एक खन्ड विकास अधिकारी के ऊपर कितनी योजनायें थोपी जा रही हैं, उनको करने में वह सक्षम हो सकेगा या नहीं। इस बारे में भी शासन मौन है।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे पंचायती राज की अहमियत को कम न करें। अगर पंचायती राज की अहमियत को कम किया गया तो यह कहने में मुझे संकोच नहीं है कि लोकतन्त्र की जो झुकी हुई रीढ़ है उसको तोड़ने का काम माननीय मंत्री जी कर रहे हैं। ग्राम्य विकास के काम आगे बढ़ें, इससे कोई इनकार नहीं करता लेकिन लोकतन्त्र की रीढ़ की हिफाजत होनी चाहिए और उसके साथ ही साथ माननीय मंत्री जी ने अपने विभाग के बारे में जो बातें कहीं हैं जैसे ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा है, कोई विभाग ऐसा नहीं है जहां कि पदोन्नतियों के बारे में घांधलियां नहीं बरती गई हैं। आपके सहायक अभियन्ताओं ने कुछ रिप्रिजेन्टेशन दिये हैं, उनके सम्बन्ध में निर्णय नहीं हो पा रहा है। आपको

[श्री राम आसरे वर्मा--]

तुरन्त निर्णय लेना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि जब तक रिप्रिजेन्टेशन के मामले तय न हो जायं तब तक पदोन्नतियों के मसले रोक दिये जायं।

मान्यवर, मैं अन्त में निवेदन करूंगा कि मंत्री जी ने जो बजट यहां प्रस्तुत किया है वह पास हो जायेगा लेकिन जिस तरह से नीतियां चल रही हैं आप देखें आपकी खाद्यान्न योजना चली यहां से तो वह चली गयी लेकिन उसकी रूपरेखा क्या होगी, किस प्रकार कार्य होगा, वह निर्देश नहीं गया। अभी माननीय मंत्री जी ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की और काम करने के निर्देश दे दिये गये लेकिन काम किस तरह से शुरू किया जाय इस सिलसिले में निर्देश अभी तक नहीं गये हैं। निर्देश कब जायेंगे जब काम शुरू हो जायेगा। अन्त में मैं पुनः कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

डाक्टर बूज किशोर मिश्र--

मान्यवर, माननीय ग्राम्य विकास मंत्री द्वारा रखे हुये बजट प्रस्ताव का मैं दिल से अभिनन्दन करता हूं और साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय सदस्य भाई मोहन सिंह ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका विरोध करने के बावजूद मैं यह कहूंगा कि उन्होंने अपनी नीतियों के आधार पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है लेकिन उनका दिल कटौती करना नहीं चाहता है। मैं इसके पूर्व कुछ कहूं एक लाइन में कहना चाहता हूं--

साजिशे बागवा को समझता हूं मैं,
आसियां की हिफाजत मेरा काम है।

श्री ऊदल--

मान्यवर, हम लोग कमजोर हैं इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं।

डाक्टर बूज किशोर मिश्र--

मैं माननीय सदस्य से कहूंगा वह हमारे लीडर हैं इसलिए कमजोर कहां हैं।

नीतिगत आधार पर कटौती का प्रस्ताव आया है लेकिन दिल से उस पक्ष में बैठे हुए हमारे साथी भी अपने दिल में यही सोच रहे हैं कि ग्रामीण विकास के कार्यक्रम में गांवों का उत्थान हो हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की 10 करोड़ जनता जिसमें से 65 परसेन्ट लोग गरीबी की रेखा से नीचे है, उनके लिए यह अनुदान रखा गया है जो निश्चित रूप से कम है। हम आशा करते थे कि हमारे सुयोग्य और सक्षम मंत्री इस विभाग की मांग को और बढ़ायेंगे। बहरहाल आजादी के बाद कांग्रेस की हुकूमत को करीब-करीब 30 वर्ष गुजर गये और जब से हमने शासन संभाला और बर्तानियां हुकूमत का सत्यानाश किया तब से विकास की योजनाओं को कार्यान्वित करने में कोई कमी नहीं रखी। हमारे नेता पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के अथक प्रयासों से हम गांवों को उस स्तर तक पहुंचाने की कोशिश किए जहां पर गरीब दम तोड़ रहे थे, जहां पर गरीब की शिक्षा के लिए, उसके जीने के लिए राहत की कोई व्यवस्था नहीं थी उनको हमने ऊपर उठाया। लेकिन दुर्भाग्य से मान्यवर, पता नहीं किन परिस्थितियों में एक ऐसी सरकार का यहां गठन हुआ, विपक्ष की सरकार आयी जिसने हमारे 30 साल के कार्यों को 30 महीने में ही समूल नष्ट कर दिया। मान्यवर, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई समाजवादी

विचारधारा के लोग न हों, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो समाजवादी विचारधारा के हैं जो हमारी विचारधाराओं से अपने को सम्बद्ध करते हैं लेकिन परिस्थिति विशेष में ऊपर से यह बात कहते हैं।

मान्यवर, ग्राम्य विकास में मत्स्य पालन एक काम है। 1947 के आंकड़े मेरे पास है मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि वह पुस्तक में दिये हुए हैं उनको सब पढ़ सकते हैं। 1947 में डाक्टर स्वर्गीय वी0 सुब्रहमन्यम राज के अधीन एक मत्स्य विकास इकाई की स्थापना की गयी और 1948 में फिशरीज ऐक्ट हमने लागू किया, उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के 13 जनपदों को हमने इस कार्य हेतु लिया, जहां यह कार्यक्रम हमारा बड़े जोरों से चल रहा है। उसके बाद हमने छोटे–छोटे पोखरों में मत्स्य पालन का काम शुरू किया ब्लाकों और ग्राम सभाओं के माध्यम से। उसके बाद लार्ज स्केल पर सिंचाई विभाग के माध्यम से वृहद् नालों या पोखरो को उस कार्य हेतु हमने लिया और मत्स्य पालन का काम उससे लिया। तो हमारी सरकार के अधीन आज भी कुछ ऐसी व्यवस्था चल रही है कि हम इसको किस ऊंचाई तक ले जाएं। हमारे उत्तर प्रदेश में एक वर्ग ऐसा भी है, जो इस विभाग से सम्बन्ध रखता है, जिसको मछुवा या मल्लाह कहते हैं। इस बिरादरी के लिए यह आवश्यक है कि उनका हम पूरा ध्यान रखें और इस कार्यक्रम में उनका पूरा सहयोग लें। उसका ज्ञान किसी दशा में कम नहीं है, उनके बारे में जब हम विभाग में विचार करते हैं तो यह ध्यान में रखें कि उसकी ट्रेनिंग उससे कई गुना आगे है। इसलिए उसको प्राथमिकता के आधार पर इस विभाग में रखा जाए।

मान्यवर, अब मैं आगे अन्त्योदय के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। वह मानते हैं यह उनको व्यवस्था है, लेकिन मैं मानता हूं और वास्तविकता भी यही है कि यह हमारी व्यवस्था है, जो हमने ही कार्यक्रम लिया था। उसमें उन्होंने कुछ रखने की व्यवस्था की और कुछ निकालने की बात की। मैं निवेदन करूंगा कि इसमें जो खाद्यान्न योजना चल रही थी, उस पर मंत्री जी को खासकर ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे गोदामों में रखा हुआ गेहूं भारी मात्रा में उस पर खर्च किया गया है। वह हमारी स्कीम थी और आज उसकी स्थिति निहायत दयनीय होती जा रही है। आप अपने बजट में ऐसा प्राविधान करें कि उन सड़कों की जो इसमें तैयार हुई है, कंकरीली बनवायें, अन्यथा बरसात के मौसम में वह सड़कें क्षतिग्रस्त हो जायेंगी और लाखों–लाख टन गल्ला जो हमने उस पर खर्च किया है, बेकार में बर्बाद चला जाएगा। अन्त में मैं आपसे निवेदन यह करना चाहूंगा कि आपने हरिजनों के लिए कुओं की व्यवस्था हेतु जो किया है, उसमें 6 फुट से 7 फुट और चौड़ाई में 3 फुट से 4 फुट कर दिया जाता है, किसी भी हरिजन बस्ती में कुआं खोदा गया, लेकिन पानी नहीं आया। इसलिए आप पेयजल के कुओं के बारे में ऐसी व्यवस्था करें कि यदि हरिजन बस्ती में कुआं खोदा जाए तो उनका शेयर उसमें रखा जाए, उन्हीं की देखरेख में और उन्हीं को मजदूरी देकर वह बने, जिससे उसके निर्माण में उनका पूरा हाथ रहे और किसी किस्म की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे।

[डाक्टर बूज किशोर मिश्र--]

लघु सिंचाई की जो योजना आप चला रहे हैं, उसमें थोड़ी सी त्रुटि अवश्य है। इसमें आपने ब्लाकों के माध्यम से कुछ ऐसे दूकानदारों को रखा है, वह दूकानदार, पम्पिंग सेट खरीदा जाए या न खरीदा जाए, चेक प्राप्त कर लेता है, चेक उसको मिल जाती है और वह भूमि विकास बैंक से उसका भुगतान पा जाता है। गरीब को पम्पिंग सेट मिले या न मिले, लेकिन उस गरीब के नाम पर उतना लोन चढ़ जाता है। अन्त में मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में 350 ऐसे बी0डी0ओज0 हैं, जिनको आप आज भी रेगुलर नहीं कर पाये हैं। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि वह एक श्रेणी हैं, उसको आपको मान्यता देनी चाहिये, उसका स्थानापन्न होना चाहिये। अन्त में एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं। अभी भाई मोहन सिंह जी बोल रहे थे। वे कह रहे थे कि प्रदेश में आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 अधिकारी गांवों में नहीं जाते हैं किन्तु हर विभाग का हेड उनको बना दिया है। यह बात सही है लेकिन इस पर हमें बड़ी ही गहराई से सोचना पड़ेगा। हमें उधर भी निगाह करनी पड़ेगी कि जो लोग गांवों में जाते हैं, वे कितने प्रतिशत गरीबों को राहत पहुंचाते हैं। दलालों से मिलकर वे लोग जनता और सरकार के पैसे का दुरुपयोग करते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट के प्रस्तावों का दिल से समर्थन करते हुए माननीय मोहन सिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का कड़ा विरोध करता हूं।

*श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूं कि मेरे बोलने के समय सदन में माननीय हरिजन समाज कल्याण मंत्री जी भी यहां पर मौजूद हैं क्योंकि यह मसला चौधरी साहब और अम्मार साहब दोनों से ही सम्बन्धित है। इसलिए अगर दोनों ही मेरी बातों को सुन लें तो बहुत अच्छा होगा।

मान्यवर, मुझे ताज्जुब है कि इस साल भी जब कि बजट प्रस्तुत किया जा रहा है और पिछले साल भी जब कि बजट पेश किया गया था सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि ग्राम सभाओं, क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों के चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। पिछली बार एक यह चीज थी कि अशोक मेहता की जो रिपोर्ट है उस पर शासन ने पूरी तरह से विचार नहीं किया था और विचार के उपरान्त ही उस पर निर्णय लिया जायेगा। तो पहले माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहिये था कि अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट पर पूरा विचार हो गया है और ग्राम सभाओं, क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों के चुनावों का यह आधार है। यदि नहीं तो कोई आल्टरनेटिव तरीका यह सरकार सोचती कि इन सार्वजनिक संस्थाओं को समाप्त करके कुछ न कुछ लोकतांत्रिक ढांचा हो जाय। इस बात को माननीय मंत्री जी ने नहीं कहा। आपके बी0 डी0ओज0 जो कि ग्राम्य विकास की रीढ़ की हड्डी हैं, क्या कभी आपने सोचा कि उनके रहने के बारे में क्या व्यवस्था है। वे ब्लाकों पर नहीं रहते हैं। इसके अलावा जितने आपके ए0 डी0 ओज, वी0 एल0 डब्ल्यू0 हैं उनकी भी ब्लाकों पर रहने की कोई व्यवस्था नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संख्या-22 राष्ट्रीय एकीकरण, अनुदान संख्या 55-ग्राम्य विकास, अनुदान संख्या 56-पंचायती राज, अनुदान संख्या 57-क्षेत्रीय विकास, अनुदान संख्या 61-मत्स्य, अनुदान संख्या 90-पंचायती राज-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 95-ग्राम्म विकास-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 96-क्षेत्रीय विकास-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 101-मत्स्य विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 119-राष्ट्रीय एकीकरण-ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या 123-क्षेत्रीय विकास विभाग-ऋण और अग्रिम

श्री त्रिवेनी--

मान्यवर, आपके माध्यम से भाई रियासत हुसैन साहब से एक बात पूछना चाहता हूं कि जब जिला परिषदें फंक्शन कर रही थीं तो उनको तोड़ा किसने था ? इस पर आपकी व्यवस्था भी चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

यह व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन--

यह सभी जानते हैं, मंत्री जी भी और आप भी। तो मैं कह रहा था कि जब ब्लाक स्तर के कर्मचारी और अधिकारी 60-60, 70-70 किलोमीटर पर रहते हैं, उनके बच्चों के वहां पर ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है तो दिल लगाकर कोई बी0 डी0 ओ0, ए0 डी0 ओ0 आदि जो कर्मचारी हैं ग्राम विकास के काम में दिलचस्पी नहीं लेंगे ।

खाद्यान्न योजना के सिलसिले में आपने स्कीम बदल दी । केन्द्र ने इसका दूसरा नाम रख दिया और आपने उसके ज़रिए कोई काम शुरू नहीं किया है । मैं तो चाहता था कि आपने आदेश दे दिया होता कि जो सड़कें बनी हैं, जिन पर मिट्टी डाली गयी थी, उनकी मरम्मत के काम को आरम्भ कर दिया है आपकी योजना के अन्तर्गत । कोई भी सड़क बनने से पहले उसका एप्रूवल होता है । फिर सैंक्शन और एस्टीमेट बनता है । तब उस पर कार्य आरम्भ किया जाता है । हर ब्लाक के अन्दर आपके ए0 डी0 ओज0 और आपको भी ज्यादा से ज्यादा काम कराना चाहिए था क्योंकि उस वक्त देश में 2 नेशनल कैलेमेटीज, एक सैलाब और दूसरा सूखा मौजूद थी । जनता पार्टी ने यह स्कीम चलायी थी लेकिन आज आपको कोई सड़क देखने को नहीं मिलती है । जो सड़कें बनीं वे 6-7 महीने पहले की हैं । सड़कों का एस्टीमेट पास नहीं हुआ, सैंक्शन नहीं हुयी । जो भी सड़कों पर काम हुआ वह बी0 डी0 ओ0, ए0 डी0 ओ0 और रूरल इंजीनियरिंग के जूनियर इंजीनियर्स के जमाने में हुआ था ।

उन्होंने मस्टर रोल बनाया। ये गांव के किसान जो हैं जिन्होंने गल्ला डाला है, जो मजदूर था, जिसने मजदूरी की, उसको गल्ला नहीं मिला । जैसे किसी गांव के आदमी ने किसी एस0 डी0 एम0 को दुआ दिया था कि भगवान करे तुम पटवारी हो जाओ, इसलिए जो मजदूर था, जिसने मजदूरी की, वह जूनियर इंजीनियर जो है, वही सब कुछ है । हमारे पीपल घाट से जो सड़क बनी हुई है, 3 किलोमीटर की, 6 महीने हो गए, उसको गल्ला नहीं मिला । इस बात को देखने की जरूरत है । इसमें बहुत ज्यादा जोर यह दिया गया, जो किताब यह दी गयी है, यह है नेशनल इंटीग्रेशन । जो हमारी मांग है, वह भी बतला दूं । तीन कमांड एरिया हैं । उसका डेवलपमेन्ट एरिया नाम रख दिया गया था । आज जो

[श्री रियासत हुसैन--]

कमांड एरिया की हालत, गंडक कमांड या शारदा सहायक कमांड जो हैं, उसमें सिर्फ कमांड ही कमांड चलता है, उसमें काम कुछ नहीं होता है। आप यह जांच करिए कि उसमें कितना कार्य हुआ है। उसमें कितना भ्रष्टाचार है? जांच में श्रीमन् सब कुछ आ जायगा।

श्रीमन्, नेशनल इंटीग्रेशन की बड़ी शौक हमारे माननीय मंत्री जी को है। जैसे नींद उचट गयी हो और सब तरफ नेशनल इटीग्रेशन की बात हुई हो। बहुत बड़ी लम्बी-चौड़ी बातें की गयी थीं, करोड़ों रुपया आपने इसके ऊपर खर्च किया। लेकिन मैं एक नुस्खा देना चाहता हूं। अगर आप नेशनल इंटीग्रेशन इस देश के अन्दर चाहते हैं श्रीमन् उर्दू भाषण का क्रियेशन केवल नेशनल इंटीग्रेशन के कारण ही हुआ। जब इनकी हुकूमत पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर हो गयी, तो वहां जरूरत इस बात की हुई कि वहां पर एक ऐसी कामन भाषा हो। आज आप उर्दू सबको पढ़ा दीजिए, आपको फिर किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, नेशनल इंटीग्रेशन अपने आपही हो जायगा। आपने सफा 12 के ऊपर जो लिखा है, उसको पढ़कर सुना दूं। "अल्पसंख्यक आयोग ने अल्पसंख्यकों की अन्य समस्यायें जैसे मस्जिद, गिरजाघर, चर्च सम्पत्ति, गुरुद्वारा आदि से सम्बन्धित मामलों का भी समाधान कराया है।" यह आपने एक कमीशन बनाया। श्रीमन मेरी समझ में नहीं आता, कमीशन आपने बनाया, तो क्या आपकी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? जितना मसाला आपने लिखा, वह मस्जिद से हो या गुरुद्वारा से हो, यह जिम्मेदारी किसकी है। यह मुरादाबाद की चारचांद की मस्जिद का जो मसला है, जो आपने माइनारिटी कमीशन बनाया है, उसके सुपुर्द किया? अगर नहीं किया, तो क्यों नहीं किया? मुरादाबाद के अन्दर यह तीसरी बार राइट हुआ, तो वह कम्युनिटी राइट था। 30 अक्तूबर वाली बात, जो 25 अक्तूबर से शुरू हुयी थी और 30 अक्तूबर को करफ्यू लगा। तो 29 तारीख को आल इंडिया माइनारिटी कमीशन के मि0 अन्सारी और बाकुला साहब से खुद बात कर रहा था। उसी दिन 29 तारीख को घटना शुरू हो गयी और डी0 एम0, मुरादाबाद ने जस्टिस अन्सारी से कहा कि भाग जाइए, मेहरबानी करके दिल्ली चले जाइए, अब जरूरत नहीं। शाम को जस्टिस अन्सारी को भगा दिया गया और 30 तारीख को बड़े पैमाने पर करफ्यू लगा दिया गया और डेढ़ महीने तक लगातार करफ्यू रहा। तो या तो किसी चीज को बनाए नहीं और बनाते हैं तो सही तरह से उसका इस्तेमाल करें।

माननीय वर, मैं एक मिसाल देना चाहता हूं चौधरी साहब को खासतौर से मेरे पास एक गांव की जानकारी है। एक गांव है रफातपुर, ब्लाक भोंडा पांडेय। जहां हरिजनों की बस्ती है। वहां लड़कियों के पढ़ने के लिए एक स्कूल मंजूर कराया। उसके बराबर पर एक गांव भैंसया है जो सिटी ब्लाक में है। वहां पर जो बेसिक शिक्षा अधिकारी, महिला, शर्मा जी हैं, जब उनको इस बात का अहसास हुआ कि यह रफातपुर के बच्चे कैसे पढ़ जायं, लेहाजा उन्होंने मौके पर जाकर जो दूसरे गांव के लोग हैं, उनसे षड़यंत्र रचा कि भैंसया में स्कूल बना दिया जाय। इसलिए कि प्राइमरी स्कूल गांव सभा के अन्डर में रहे। उन्होंने इसलिए ऐसा किया ताकि वहां के हरिजन बच्चे न पढ़ जायं। उन्होंने ग्राम सभा भैंसया की जमीन पर प्रस्ताव करा दिया। अभी बना नहीं, लेकिन लिखत-पढ़त चल रही है। वे कह रहे हैं कि यहां बनवाइये। मैंने कहा कि वहां नहीं बनेगा। यह हरिजनों के लिए बनगा तो रफातपुर में बनेगा, ब्लाक भोंडा पांडेय में बनेगा। तो इस तरह की चीजें माननीय वर हैं, जिनके बारे में देखना चाहिए।

श्री मानपाल सिंह एडवोकेट—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ग्राम्य विकास मंत्री जी के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैं हृदय से ग्राम्य विकास मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूं और विपक्ष द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है, उसका विरोध करता हूं।

मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास करने के लिये सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं को चलाया जा रहा है जैसे लघु सिंचाई, राष्ट्रीय बचत, ग्रामीण हरिजन पेयजल योजना, निर्बल वर्ग आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, पुष्टाहार योजना, पंचायती–राज और पंचायतें आदि। मान्यवर, इस वक्त प्रदेश में एक लाख 12 हजार के ऊपर गांव हैं और जब तक इन गांवों का विकास नहीं होगा, तब तक प्रदेश कभी खुशहाल नहीं होगा। मान्यवर, प्रदेश सरकार द्वारा लघु सिंचाई विभाग के द्वारा सिंचन क्षमता को बढ़ाने के लिए निजी नलकूपों को, पम्पिंग सेट को और राहत आदि के लिए और छोटे–छोटे साधनों के लिए छोटे किसानों को 33 1/4% की सहायता दी जा रही है। हांलाकि यह विचार अच्छा है, लेकिन कहीं–कहीं पर सुनने में आया है कि यह अधिकारीगण सही तौर पर पैसा उन गरीबों तक नहीं पहुंचने देते और बीच में काफी गड़बड़ी करते हैं। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में जो भी अनुदान दिया जाए अथवा जो भी काश्तकारों को राहत दी जाय। उसकी प्रत्येक ब्लाक को एक सूची क्षेत्रीय विधायक को भी दी जाए ताकि वह अपना दौरा करते समय, उ को तसदीक कर सके कि पूरी धनराशि जितनी कागज पर है, दी गयी या नहीं। दूसरा एक योजना आर0 इ0 एस0 अर्थात् ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा भी काफी विकास कार्य किया जा रहा है। इस विभाग की अपनी कोई नीति नहीं है, किन्हीं विभिन्न विभागों द्वारा निर्माण कार्य इनको सौंपा जाता है, जिसको यह निष्पादित करते हैं। जैसे 8 किलो0मी0 छोटी–छोटी सड़कें और जूनियर हाई स्कूल्स, प्राईमरी स्कूल्स आदि की बिल्डिगों तथा पंचायत घर और छोटे–छोटे कार्य खडण्जे आदि लगाने का कार्य इनके द्वारा करवाया जाता है।

दूसरी बात यह है कि एटा जिले में इसका दफ्तर कहां है इसका पता मुझको अभी तक नहीं था। एक मीटिंग राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के सम्बन्ध में अभी कुछ दिन पूर्व बुलाई गयी थी, जब उसमें गया तो वहां के अधिकारियों से मिला। मान्यवर, हमारे क्षेत्र कासगंज ब्लाक के अन्तर्गत एक सड़क बनायी गयी थी अमैया से नरायणी तक खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत। खैर सड़क पूरी हो गयी। मण्डी समिति द्वारा उसका भुगतान किया गया। जिसमें तमाम शिकायतें सुनने में आयीं किसी को अभी तक पैसा दिया गया है तो पूरा नहीं मिला और किसी–किसी को अभी वह भी नहीं मिला। इस प्रकार की भ्रष्टाचार की कई शिकायतें अधिकारियों के बारे में मिली हैं। दूसरे मान्यवर, आपके माध्यम से एक बात के लिए और अनुरोध करूंगा कि सोरों ब्लाक में कासगंज–इसमाईलपुर रोड से कमरुआ तक एक सड़क का निर्माण हुआ था, जिसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ और लोग भुगता

[श्री मान पाल सिंह एडवोकेट--]

के लिए इधर-उधर भागे-भागे फिर रहे हैं, इसलिए निवेदन करूंगा कि इन मामलों की शीघ्र जांच कराकर दोषी लोगों को दन्डित किया जाए। अभी मान्यवर, इस पक्ष के माननीय सदस्यों ने और उस पक्ष के माननीय सदस्यों ने इस बात की सहमति प्रकट की है कि चीफ डेवलपमेंट आफिसर (मुख्य विकास अधिकारी) के पद पर खण्ड विकास अधिकारी को ही प्रोन्नत किया जाए, अर्थात् खंड विकास अधिकारी को वहीं रखा जाए क्योंकि उसे वहां के ग्रामीण जीवन का अनुभव रहता है और यदि आप किसी नये आई० ए० एस० को पोस्ट करेंगे तो कुछ समय रहकर फिर इधर उधर कहीं चला जायेगा, उसे वहां के विकास की भी कोई खास दिलचस्पी नहीं होगी और जो पुरानी सड़कें अभी तक पक्की नहीं हुयी हैं, पक्की की जाएं और उनके रख-रखाव के लिए धन की व्यवस्था की जाए । अन्यथा अब जो बरसात आयेगी । उसमें सारी सड़कें खराब होंगी ।

*श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि मुझे आपने इस पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया । मान्यवर, मैं श्री मोहन सिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं यह देश सन् 1947 में आजाद हुआ था और आशा थी कि महात्मा गांधी के स्वप्नों के अनुसार ग्रामों का विकास होगा । और इस देश के गरीब, शोषित और पीड़ित जनता को राहत मिलेगी और गांवों का मुख्य रूप में विकास होगा क्योंकि यह देश गांवों का देश है, किसानों और गरीबों का देश है । लेकिन हर वर्ष आजादी के बाद हम बजट रखते आये हैं, पास करते आये हैं । अगर 50 फीसदी बजट भी सही माने में खर्च होता तो हमारा देश स्वर्ग बन जाता और किसानों की हालत सुधरती, शोषित और पीड़ित जनता को राहत मिलती और देश सोने की चिड़िया बन जाता । लेकिन अगर आंकड़े देखे जायं तो ज्ञात हो सकेगा कि बजट का सही माने में सदुपयोग नहीं हुआ है ।

मान्यवर, पिछले वर्ष हरिजन पेयजल योजना जो कार्यान्वित की गयी थी उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । पिछले साल 1672 कूपों के निर्माण की योजना थी । उसमें केवल 27 पूरे हुए हैं, 50 फीसदी कार्य केवल 166 नलकूप पर हुआ है और 25 फीसदी कार्य 177 पर हुआ है । कितनी पुअर परफार्मेन्स है ? 500 डिग्गी बनाने का प्रस्ताव किया गया था उसका कोई भी जिक्र नहीं है कि कितनी बनी ? 150 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गयी थी उसका प्रयोग सही मानो में नहीं हुआ । तो कौन सा हक है लोकतन्त्र में आपको नया बजट लाने का जब कि पुराना हिसाब-किताब ही आपने साफ नहीं किया है । आपको पुराना हिसाब-किताब देना चाहिये था और आश्वस्त करना चाहिये था क्योंकि आपसे भारी आशायें इस प्रदेश को थीं और इस सदन तथा विशेष रूप से विपक्षी दल को थी । आप अपने दूसरे आकड़े देखें । नया बजट मांगा है उसको आप देखें । निश्चित रूप से यह ग्राम विकास का बजट नहीं है । ग्राम विकास बजट की जगह अगर इसे अधिकारी पोषक बजट की संज्ञा दें तो ज्यादा उपयुक्त होगा । 375 लाख वेतन पर, 313 लाख महंगाई पर, 50 लाख यात्रा भत्ते पर, अन्य भत्तों पर 16 लाख, कार्यालय पर 65 लाख, विज्ञापन पर 50 लाख खर्च होना है और निर्माण कार्य पर 10.02 लाख रुपया खर्च होगा । यह तो लोक-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संख्या 22–राष्ट्रीय एकीकरण, अनुदान संख्या 55–ग्राम्य विकास, अनुदान संख्या 56–पंचायती राज, अनुदान संख्या 57–क्षेत्रीय विकास, अनुदान संख्या 61–मत्स्य, अनुदान संख्या 90–पंचायती राज–पूंजोगत परिव्यय अनुदान संख्या 95–ग्राम्य विकास–पूंजोगत परिव्यय, अनुदान संख्या 96–क्षेत्रीय विकास पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 101–मत्स्य विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 119–राष्ट्रीय एकीकरण–ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या 123–क्षेत्रीय विकास विभाग–ऋण और अग्रिम

तन्त्र का मजाक है कि आप इतनी भारी रकम सरकारी तन्त्र पर खर्च करने जा रहे हैं और निर्माण कार्य पर जो अधिक धनराशि खर्च करनी चाहिये थी उस ओर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया गया । आप उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो शोषित तथा पीड़ित वर्ग कहलाता है । अगर उसका उत्थान होगा तभी ग्रामों का विकास हो सकेगा । एक बात आपने राष्ट्रीय एकीकरण की कही । बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप इस ओर ध्यान दे रहे हैं । इसके लिये आप बधाई के पात्र हैं । आपने अनुसूचित तथा अनुसूचित जन जाति के लिये आंकड़ों में जो आरक्षण की बात कही है वह बहुत पुअर है । क श्रेणी में अनुसूचित जाति के लिये 4·8 प्रतिशत तथा अनुसूचित जन जाति के लिये केवल ·04 प्रतिशत है । समूह 'ख' में अनुसूचित जाति के लिये 4·6 है और अनुसूचित जनजाति का ·25 है । श्रेणी तीन में यह प्रतिशत अनुसूचित जाति का 9·98 है और अनूसूचित जन जाति का ·25 है ।

आप देखें यह आंकड़े बहुत पुअर हैं । पिछड़ी जाति का तो इसमें नाम नहीं लिया गया कि उनका जितना लक्ष्य पूर्ण हुआ है ।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो आपने जिला स्तर पर कमेटी बनाते हैं उन कमेटियों का अध्यक्ष जिलाधीश होता है जो आई० ए० एस० अधिकारी है । हम विधायकों के लिये इससे शर्म की बात नहीं हो सकती है । मेरा अनुरोध है कि इन कमेटियों में पब्लिक मैन में से या विधायकों में से अध्यक्ष बनाये । दूसरी बात मैं यह मांग करता हूं कि जहां पर 3 सौ या 3 सौ से अधिक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं वहां पर सीनियर मुस्लिम स्कूल स्थापित किया जाय । चौथी चीज मैं यह मांग करता हूं कि जो शिक्षण संस्थायें उर्दू की कक्षायें खोलना चाहती है उनको बिला शर्त स्वीकृत दी जाय । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया । ग्राम्य विकास मंत्री ने जो उत्साह बर्धक बजट रखा है उस पर । राष्ट्रीय एकीकरण के सम्बन्ध में जो मंत्री जी ने ध्यान दिया है यह बहुत ही सराहनीय है । उसके पहले कभी भी राष्ट्रीय एकीकरण की तरफ इतना ध्यान कभी नहीं दिया गया । आज देश में तमाम विघटन कारी डिस्इन्टीग्रेशन शक्तियां बढ़ती जा रही है । इस तरफ हमारी सरकार ने ध्यान दिया । इस सम्बन्ध में आगरे में जो सुलहकुल का कार्यक्रम हुआ वह बहुत ही शानदार कार्यक्रम है । राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को जगाने का यह एक सुन्दर कार्यक्रम है । इस कार्यक्रम में श्रीमती गांधी भी पधारी थीं । ग्राम्य विकास की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इसका नाम बड़ा सुन्दर है ग्राम्य विकास लेकिन जितना ध्यान हमारी सरकार को जिस गम्भीरता से इस ओर ध्यान जाना चाहिये, नहीं जा पाता है । इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रदेशीय सरकार ने बड़ी अच्छी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--]

स्कीमें, पोलिशी चलाई हैं गरीब और निर्बल वर्ग के उत्थान के लिये। लेकिन उसका कार्यान्वयन नहीं हो पाता है। आई० आर० डी० स्कीम, अन्त्योदय स्कीम, स्पेशल कम्पोनेन्ट स्कीम आदि निश्चित रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति को उठाने के लिये, निर्बल वर्ग को रोजगार की योजना ट्राई सम योजना, सहकारिता की योजना आदि ब्लाक स्तर पर है। ब्लाक पर हमारे अधिकारी और कर्मचारी जो इस कार्य को देख रहे हैं उनके ऊपर कार्यभार बहुत हो गया है। वहां पर स्टाफ की आवश्यकता है। ब्लाक पर एडीशनल वी० डी० ओ० और ए० डी० ओ० होना चाहिये अलग से जो स्कीमें आई हैं इनको कार्यान्वित करने के लिये। इन योजनाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिये अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता है। इसी सन्दर्भ में आई० आर० डी० स्कीम जो किसानों के लिये है उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उससे किसान आज कितना परेशान है। गांव का भोलाभाला किसान उसको ऋण मिल जाता है स्वीकृत हो जाता है। किसान बैंकों का चक्कर काटता है, ब्लाक का चक्कर काटता है पशुधन अधिकारी के चक्कर लगाता है। इस तरह के केस हमारी नजर में आये हमारे कान्टीट्यूएन्सी में 6-7 महीने हो गये गरीब व्यक्ति को ऋण मिल चुका है। मेरा सुझाव है कि जो ऋण उसको मिले चाहे वह भैंस खरीदने के लिये हो चाहे, बुग्गी गाड़ी खरीदने के लिये हो चाहे बैल खरीदने के लिये हो .. तो उसे न तो उसे वह चीज उपलब्ध होती है जिस चीज के लिए ऋण मांगा था और न ही ऋण। नतीजा होता है कि उसका ब्याज बढ़ता जाता है। तहसील स्तर पर रिकवरी के आदेश पहुंच गये है, इस तरफ भी हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमारा किसी भी प्रकार से बैंकों पर नियंत्रण होना चाहिए। यह प्रदेशीय सरकार के लिए परमावश्यक है जिससे ब्लाक के अधिकारी चाहे वी० डी० ओ०, ए० डी० ओ० वी० एल० डब्लू० और किसानों को बैंकों के चक्कर न लगाने पड़ें। भैंस की कीमत तीन हजार तय होती है वह ढ़ाई हजार की है लेकिन देना पड़ता है उसे तीन हजार ही। इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। ब्लाक में जो कर्मचारी हैं उनका कोई सर्विस कैडर नहीं होता, प्रोन्नति का कोई रास्ता नहीं होता, वह समझते हैं कि आगे बढ़ने का कोई मौका है नहीं इसलिए उनमें करप्शन फैल जाता है। मैं जानता हूं 28-28 साल हो गये हैं उनको आजतक उनकी कोई प्रोन्नति नहीं हुई है। अतः और सर्विसेज की तरह इसमें भी कैडर होना चाहिए। यह आवश्यक है कि जो वहां के कर्मचारी हैं वही वहां के अफसर बनें यह नहीं कि आई० ए० एस०, आई० पी० एस०। ये अधिकारी नहीं जानते कि पहले पानी के बाद, दूसरे पानी के बाद कौन-कौन सी खाद देनी चाहिए। कब पानी लगाना चाहिए, इसलिए उनको नहीं होना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य आप बैठें।

*श्री प्रदीप कुमार यादव--

माननीय मोहन सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। 47 में मुल्क आजाद हुआ और आजादी को आये 33 साल हो रहे हैं और जिस ग्राम विकास का बजट है इस सिलसिले में कहना चाहता हूं कि देश और प्रदेश की 86 फीसदी जनता गांवों में रहती है इसलिए इस बजट का गांवों के लोगों से गहरा संबंध है। ग्राम पंचायतें ग्राम के विकास में बहुत ही उपयोगी हैं और गांधी जी अपने जीवन काल में सोचते थे कि ग्राम पंचायतें जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं गांवों में वह लोकतंत्र की नीव हैं ।

मान्यवर, गांधी जी के चले जाने के बाद जो उनके मन में ग्राम विकास का सपना था, कांग्रेसी सरकार ने उसको पूरा नहीं किया । मैं तो कहना चाहता हूं कि शासन में इसके स्वरूप का निखार होना चाहिये था लेकिन निखार के बजाय इसका स्वरूप बराबर बिगड़ता चला गया है चाहे वे ग्राम पंचायतें हों या ग्राम सभायें हों, यह कायम जरूर हैं कागज पर, लेकिन, इनका जो काम करने का तरीका है, वह ऐसा हैं जिसके चलते हुए कभी भी ग्राम की समस्यायें सुलझ नहीं सकती हैं । काफी दिनों से ग्राम पंचायतों के चुनाव होने को हैं । बार-बार सरकार आश्वासन देती है कि ग्राम सभाओं के चुनाव यथाशीघ्र करा दिये जायेंगे लेकिन स्पष्ट रूप से घोषणा इसके सिलसिले में नहीं की । इसका नतीजा यह हुआ कि गांव की हमारी पंचायत बिल्कुल निष्क्रिय है क्योंकि जो प्रधान वगैरह चुने जाते हैं उनके हाथ में कोई अधिकार नहीं होते हैं और अगर कुछ अधिकार हों भी तो गांव पंचायत में विकास करने के लिए आर्थिक समस्यायें हैं और आर्थिक कठिनाई की वजह से आर्थिक विकास नहीं कर पाते हैं ।

माननीय मन्त्री जी से मेरा यह सुझाव है कि ग्राम पंचायतों का चुनाव यथाशीघ्र करायें और साथ ही साथ उसमें इस बात का भी प्राविधान रखें कि अगर वहां का अवाम उसको पसन्द नहीं करता है तो अविश्वास के प्रस्ताव को लाने का तरीका "टू थर्ड मैजोरिटी" लाने का प्रश्न है, "टू थर्ड मैजोरिटी" आये, अगर यह सिलसिला चलता रहा तो कभी किसी ग्राम प्रधान के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव आ ही नहीं सकता । लगातार प्रस्ताव रखे जाते हैं लेकिन कोरम के अभाव में पूरे नहीं होते हैं । सरकार चाहती है कि ग्रामों का सुधार हो ग्राम प्रधान को हटाने की प्रक्रिया में सुधार होना चाहिये । गांव का विकास करने के लिये यह आवश्यक है । ब्लाकों के चुनाव काफी अरसे से नहीं हुए और जब यह चुनाव नहीं होते हैं तो चाहे वह ब्लाक के बी० डी० ओ० हों या ए० डी० ओ० हों, स्वच्छन्द रहते हैं । उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं रहता है । इसलिये यह आवश्यक है कि चुनी हुई क्षेत्र समितियां हों और उनका अंकुश बी० डी० ओ० पर हो । साथ ही साथ ब्लाक प्रमुख को उनके कैरेक्टर रोल लिखने का पूरा अधिकार हो तभी बी० डी० ओ० उनकी देख-रेख में ठीक से काम कर सकता है । इसके लिये माननीय मन्त्री जी को निश्चित रूप से आज घोषणा करनी चाहिये ।

प्रत्येक गांव का सीधा सम्बन्ध जिला परिषद् से है । जिला परिषद का भी चुनाव नहीं हुआ है और वहां का प्रशासन बिल्कुल निष्क्रय और अपंग है, जिले के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और साथ ही साथ गांव में जो अस्पताल चल रहे हैं उनकी बड़ी दुर्दशा है । उनको आवश्यकतानुसार दवायें नहीं मिलती हैं । मैं अपने क्षेत्र रुदौली की तरफ आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी का ध्यान ले जाना चाहता हूं । रुदौली में नरौली एक ग्राम सभा है । उसको जिला परिषद का एक अस्पताल बहुत पुराना है, लेकिन 3 साल से उसमें

[श्री प्रदीप कुमार यादव---]

कोई डाक्टर नहीं है, कम्पाउन्डर ही उसकी देखरेख करते हैं । मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चहता हूं कि इस सम्बन्ध में फौरन कार्यवाही की जाय । जब वहां पर भुखमरी फैली हुई थी और लोगों के खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी तो सरकार ने खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत गांव को सड़क से जोड़ने का काम शुरू किया, उसका परिणाम यह हुआ कि जिले का हर हिस्सा बड़ी बड़ी सड़कों से जुड़ गया । बीच म काफी बरसात हुई, उसके कारण सड़कें बह गयीं और टूट गयीं । पुलियों के टूट जाने की वजह से किसानों के घरों में काफी पानी भर गया । इस सिलसिले में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत जो सड़कें बनी हैं, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाय । साथ ही साथ जहां पर कोई पुलिया की व्यवस्था नहीं है, वहां पर पुलिया की व्यवस्था करायी जाय । माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में इस बात की घोषणा की है कि गांवों में हरिजन बस्तियों को बिजली दी जायगी । मान्यवर, जितने लोग कनेक्शन ले रहे हैं उनको बिजली नहीं मिली है । हरिजन बस्तियों की लाइन, खम्भे, तार खिचवाने से क्या फायदा जब आप बिजली नहीं दे पायेंगे । तो मान्यवर, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पहले बिजली देने की व्यवस्था करें उसके बाद आगे की कार्यवाही करें ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य कृपया बैठें ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मैं इन शब्दों के साथ माननीय मोहन सिंह द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्रीमती कमला साहनी--

मान्यवर, आपने मुझे इस बजट पर बोलने के लिये अवसर दिया इसके लिये मैं आपकी आभारी हूं । जो बजट रखा गया है उसका मैं हृदय से समर्थन करती हूं । माननीय मोहन सिंह द्वारा जो बदसूरत कटौती का प्रस्ताव रखा गया है वह उनके अनुरूप नहीं है और मैं निवेदन करती हूं कि वह इसको वापस ले लें । मान्यवर, हिन्दुस्तान में 85 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है । बिना गांवों के सम्यक् विकास के, गांवों के उत्थान के, गांवों की प्रगति के इस देश का विकास नहीं हो सकता है । इस चीज को हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने महसूस किया था और उन्होंने विकास खंडों की योजना बनायी थी और उसे कार्यान्वित किया था । मान्यवर, सालों से हमारा शासन, कांग्रेस का शासन हमारे गांवों के विकास के लिये विकास खंडों द्वारा प्रयत्नशील है । गांवों का विकास हुआ और वे लोग जिन्होंने बस और ट्रेन की शक्ल नहीं देखी थी जो नहीं जानते थे कि ट्रेन कैसी होती है, बस कैसी होती है वे लोग आज प्रगति कर रहे हैं उनके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और वे प्रगति के पथ पर चल रहे हैं ।

मान्यवर, 3 सालों में, जब जनता पार्टी सत्ता में आयी तो गांवों के विकास का क म बिल्कुल ठप हो गया और इस समय श्रीमन् हमारा रखा हुआ जो अनाज था, गेहूं था, हमने जो गेहूं जमा किया था उसको लट मची । जैसे डकैती के माल का बंटवारा हो रहा है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संख्या 22-राष्ट्रीय एकीकरण, अनुदान संख्या 55-ग्राम्य विकास, अनुदान संख्या 56-पंचायती राज, अनुदान संख्या 57-क्षेत्रीय विकास, अनुदान संख्या 61-मत्स्य, अनुदान संख्या 90-पंचायती राज,-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 95-ग्राम्य विकास-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 96-क्षेत्रीय विकास-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 101-मत्स्य विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 119-राष्ट्रीय एकीकरण-ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या 123-क्षेत्रीय विकास विभाग-ऋण और अग्रिम

(मेजों के थपथपाने की आवाजें ।)

(3 बजकर 17 मिनट)

श्रीमती कमला साहनी--

माननीय, देखिये मेरे समय का जो यह लोग नुकसान कर रहे हैं वह देना पड़ेगा । माननीय, उन तीन सालों में टूटी-फूटी अपंग सड़कें बनी हैं जो कभी भी मंजिल पर नहीं पहुंचाती हैं और आदमी का पैदल चलना भी दुश्वार है, हमारे शासन में इसको दुरुस्त किया जा रहा है ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

माननीय, जरा विरोधीपक्ष से कहें कि कमला जी को छेड़ें नहीं ।

श्रीमती कमला साहनी--

माननीय, ग्राम्य विकास के लिये, हरिजनों की तरक्की के लिये, हरिजनों के उत्थान के लिये उनके विकास की बात की गयी है । अन्त्योदय कार्यक्रम और कम्पोनेंड प्लान इसी के तहत हैं । इन योजनाओं के द्वारा तमाम लोगों को लाभान्वित करने की योजनायें चल रही हैं । सबसे पहले मैं पानी की बात करती हूं क्योंकि पानी की सबसे बड़ी आवश्यकता आज है । "पानी गये न ऊबरे मोती मानुष चून ।" मैं कहना चाहती हूं कि हरिजनों के लिये पानी की व्यवस्था होनी चाहिये ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

पानी हो तो मीठा हो मगर खारा न हो ।

श्रीमती कमला साहनी--

माननीय, गांवों में हरिजनों के लिये कुओं का निर्माण हुआ है और नल लगे हैं जिनसे हरिजन लोग लाभान्वित हुये हैं । मैं इस सम्बन्ध में शासन को सुझाव देना चाहती हूं कि जितने भी गांवों में हरिजनों के लिये कुयें बने हैं वहां पर उस गांव के हरिजनों और प्रधानों को लेकर एक समिति बनायी जाय और उसके निर्माण का काम उनके ऊपर छोड़ा जाय । क्योंकि ब्लाक के द्वारा, ब्लाक के कर्मचारियों के द्वारा जहां पर जो कुयें बने हैं, मेरे क्षेत्र में अधिकतर कुयें ऐसे हैं, जहां पर भगाड़ खोद कर डाल दी गयी है । उसमें बच्चे गिर जाते हैं, जानवर गिर जाते हैं और उससे काफी छति होती है इसलिये मैं सुझाव देना चाहती हूं कि जो गांवों में कुयें बने उसके लिये एक समिति बनायी जाय जो निरीक्षण करे । इस संदर्भ में एक और निवेदन करना चाहूंगी कि चूंकि पूर्वी जिलों में पानी का स्तर ऊंचा है इसलिये कुओं के बजाय हैंड पाइप या नल दिये जायं तो अच्छा रहेगा । क्योंकि एक कुयें के लिये 4,750 रुपये दिये जा रहे हैं और इतने रुपयें में काफी नल दिये जा सकते हैं जिससे काफी लोग लाभान्वित हो सकते हैं ।

[श्रीमती कमला साहनी—]

मान्यवर, अन्त्योदय योजना के सम्बन्ध में कहना चाहती हूं कि हरिजनों और गरीबों के उत्थान के लिये शासनद्वारा अंत्योदय योजना में काफी कुछ किया जा रहा है। इसमें उद्योग धंधों के लिये और अन्य कामों के लिये पैसा उनको दिया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ यह गलत है कि इस योजना में जो पैसा दिया जाय वह गलत ढंग से जाय जैसे हरिजनों को जानवरों के खरीदने के लिये, बैलगाड़ी, सुअर, बैल और भैंस का खरीद उनके लिये सरकारी कर्मचारियों द्वारा की जाती है जिससे 1500 की भैंस तीन हजार रुपये में दी जाती है और इस प्रकार 1500 रुपये की दलाली हो जाती है। इसलिये निवेदन है कि जो पैसा उनको दिया जाय वह उनको सीधे हरिजनों या गरीब लोगों के हाथ में दिया जाय जिससे वह अपने ढंग से खरीददारी कर सकें लेकिन उनसे लिखवा लिया जाय कि 2 महीने में खरीदी हुई चीज दिखला दें। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उनको पैसा वापस करना पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये।

मान्यवर, ट्राइसेन की योजना जो चालू की गयी है वह अच्छी योजना है जिसके लिये सरकार बधाई की पात्र है। इसमें बच्चों को आगे बढ़ाने के लिये व्यवस्था है जिसमें ट्रेनिंग करके वह बच्चे अपने उद्योग धंधे लगा सकते हैं किन्तु इसका प्रचार होना चाहिये क्योंकि गांवों में अभी इसका प्रचार नहीं हुआ है।

मान्यवर, मत्स्य विभाग के सम्बन्ध में कहना चाहती हूं कि गांवों में पट्टा दिया जाता है लेकिन वहां कोई भी व्यक्ति पट्टा ले सकता है। इसलिये होना यह चाहिये कि जो वास्तव में मल्लाह हैं उनको ही पट्टे दिये जायं दूसरे व्यक्तियों को नहीं जिससे गरीबों का हित न मारा जाना चाहिये। मान्यवर, मत्स्य विभाग में एक मछुआ का पोस्ट है जिसमें मछुआ लोगों के अलावा दूसरे वर्ग के लोगों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिये। क्योंकि मछुआ लोगों की नियुक्ति नहीं होती है।

मान्यवर, राष्ट्रीय एकीकरण के लिये प्राइमरी स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था हो और वहां पर कबीर का पाठ, अब्दुल हमीद का पाठ पढ़ाया जाय जिससे राष्ट्रीय एकीकरण की भावना बच्चों में पैदा हो सके।

मान्यवर, आपने मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान पर मुझे बोलने का समय दिया उसके लिये मैं आपकी आभारी हूं।

*श्री धनीराम वर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने हमें ग्राम्य विकास एवं राष्ट्रीय एकीकरण के बजट पर कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, अभी इस पक्ष और उस पक्ष से बहुत सी बातें इन विभागों से सम्बन्धित सदन में रखी गयीं। अभी आपसे कहा गया कि पिछली सरकार ने सारा का सारा गेहूं बरबाद कर दिया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या यह गेहूं आपकी सरकार द्वारा पैदा करके रखा गया था? आपने यह गेहूं विदेशों से मंगा कर बफर स्टाक में रखा। जब से हमारी सरकार आयी, उसने गेहूं का उत्पादन बढ़ाया। मैं आपके माध्यम से इनसे कहना चाहता हूं कि उन्होंने उत्पादन नहीं बढ़ाया। इन्होंने विदेशों से मंगाकर उसे अपने बफर स्टाक में रख दिया। जबसे जनता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संख्या 22–राष्ट्रीय एकीकरण. अनुदान संख्या 55–ग्राम्य विकास, अनुदान संख्या 56–पंचायती राज, अनुदान संख्या 57–क्षेत्रीय विकास, अनुदान संख्या 61–मत्स्य, अनुदान संख्या 90–पंचायती राज–पूंजीगत परिव्यय अनुदान संख्या 95–ग्राम्य विकास–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 96–क्षेत्रीय विकास–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 101–मत्स्य विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 119–राष्ट्रीय एकीकरण–ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या 123– क्षेत्रीय विकास विभाग–ऋण और अग्रिम

सरकार आयी उसके बाद से प्रदेश में उत्पादन बढ़ा, उसने अपने यहां उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया, उसने विदेशों से कुछ नहीं मंगाया, बड़ी डींग हांकते हैं कि हम विकास कर रहे हैं ।

मान्यवर, 33 वर्षों तक इनका राज्य रहा, आप ही बतायें कि गांव की जो हालत पहले थी वह क्या आज नहीं है । वहां कौन सा विकास हुआ है ? कोई पेय जल की व्यवस्था कोई सार्थक नहीं हुई । पिछले साल 1980–81 में पेय जल व्यवस्था हेतु हरिजनों के लिये कुओं के निर्माण हेतु आपने हमारे क्षेत्र के अन्दर एक भी कुआं नहीं बनवाया । मान्यवर, केवल मरम्मत के लिये थोड़ा सा धन दिया । पिछली सरकार ने सूखे के समय जो सफाई करायी आपने उस सफाई के लिये भी धन मुहैय्या नहीं किया ।

आपने खेती के लिये कोई ऐसी योजना सामने नहीं रखी जिससे किसान खेती कर सके और कुछ अर्जित कर सके जिससे की वह अपनी प्रगति कर सके । मान्यवर, खेती तो एक सीजनल धन्धा है, जब तक आप गांव में कुटीर उद्योग–धन्धे स्थापित नहीं करेंगे, उनकी प्रगति नहीं हो सकती है । आपने 3 हजार की रकम आबंटित की उद्योग–धन्धों पर खर्च करने के लिये । इसका मतलब यह होगा कि इससे कुछ लोगों के साथ आप पक्षपात करेंगे । जब तक आप उद्योग–धन्धों को शुरू नहीं करेंगे पंचायत स्तर पर, तब तक कुछ विकास होने वाला नहीं है । पंचायत स्तर पर कुटीर उद्योग–धन्धा खुले जिससे कि गांव के पढ़े–लिखे बच्चे उसमें जा कर कुछ रोजगार प्राप्त कर सकें और गांव की प्रगति हो सके ।

मान्यवर, कई वर्ष हो गये कोई ग्राम पंचायत के चुनाव नहीं कराये गये, ब्लाकों के चुनाव नहीं कराये गये, जिला परिषदों के चुनाव नहीं कराये गये । सीधी सी बात है कि आप चुनाव क्यों करायें, आप तो अफसरशाही के बल पर शासन को चला रहे हैं । आप जनतान्त्रिक प्रणाली का गला घोट रहे हैं । आप को क्यों अफसरों पर विश्वास है ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने गांव में आने–जाने के लिये कुछ थोड़े से रास्ते बनवाये, उन पर मिट्टी डलवाई । मैं आपसे मांग करता हूं कि आप उस मिट्टी जो इधर–उधर हो गयी है, उसकी मरम्मत करा दीजिये । आपने क्यों नहीं यह किया । आपने किसी भी ब्लाक की एक किलो मीटर सड़क नहीं बनवाई, खडंजा के नाम पर कहीं–कहीं एक–आध किलो मीटर की सड़क बिछवा दी, इससे अधिक कोई काम आपने नहीं करवाया ।

मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में मैं यह मानता हूं कि जब तक देहात में शिक्षा का प्रसार नहीं होगा तब तक शिक्षा के सामने गांव के बच्चे कैसे पहुंच सकेंगे । शहरों में शिक्षित बच्चे 85 प्रतिशत हैं जब कि देहातों में शिक्षित बच्चों की संख्या 15 प्रतिशत से अधिक नहीं है । देहात के 15 परसेन्ट बच्चे नौकरियों में लगे हुये हैं । उस देहात की आबादी जहां पर शिक्षित बच्चे 15 परसेन्ट

[श्री धनी राम वर्मा--]

ही हैं शहरों के मुकाबले जहां के बच्चे 85 परसेन्ट शिक्षित हैं और नौकरियों में लगे हुये हैं। कभी उन्नति नहीं कर सकते। मान्यवर, जब तक कि यह भेद-भाव दूर नहीं किया जायेगा तब तक गांव के बच्चे के लिये शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जायेगी, शहर और देहात, दो कैटेगरी में नहीं बटेंगे तो 70 प्रतिशत देहात के रहने वालों को आप नौकरियां दें, नौकरियों में जब तक देहात के आदमी नहीं आयेगा, तो ग्राम्य का विकास नहीं होगा।

मान्यवर, खेती एक धन्धा है और इस धन्धे से विकास नहीं हो सकता है। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि आपने गांवों में ब्लाकों के माध्यम से विकास का एक सूत्रपात किया लेकिन आप देखेंगे कि ब्लाक के माध्यम से जो गाय, भैंस, बकरी, आदि खरीदी जाती है उसमें कितना भ्रष्टाचार होता है। मैं चाहता हूं कि पशु आदि खरीदने के लिये किसानों को नगद धनराशि दी जाय और जब वह पशु खरीद ले तो खरीदने के पश्चात जो बी० डी० ओ० हो या ए० डी० ओ० हो वह उसकी तफतीश कर ले। जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं की जायेगी तब तक इस तरीके का भ्रष्टाचार बना रहेगा। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि निर्बल वर्ग के उत्थान के लिये कोई भी मजबूत योजना आपने इस बजट में नहीं रखी है जिससे निर्बल वर्ग अपना उत्थान कर सके। मान्यवर, गांव के विकास के लिये बहुत आवश्यक है पेय जल की व्यवस्था और सड़कें तथा हरिजनों के लिये आवास व्यवस्था और पेय जल की व्यवस्था की जाय और गांव की सड़कों से जोड़ा जाय तभी गांव का सर्वांगीण विकास हो सकता है। आपकी सारी योजनायें केवल कागजों पर हैं और थोथी तथा झूठी हैं। इन्हें आप कार्य रूप में परिणत कीजिये तभी देश तथा प्रदेश का विकास हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती का प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(इस समय 3 बजकर 31 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुये।)

*श्री राम औतार दीक्षित--

अधिष्ठाता, महोदय, आपने पंचायती राज ग्राम्य विकास बजट पर बोलने का मुझे अवसर दिया इसके लिये मैं आपका अभारी हूं। साथ ही साथ मन्त्री जी द्वारा रखे गये पंचायती राज ग्राम्य विकास के बजट का मैं समर्थन करता हूं। गांधी जी ने भारतवर्ष में ग्राम्य विकास की कल्पना की थी। गांधी जी ने जो हिन्दुस्तान का ही नहीं दुनिया का आज के युग में सबसे बड़ा आदमी है उसने ग्राम्य बिकास और पंचायती राज की जो कल्पना की थी उसके पीछे यही तथ्य था कि हिन्दुस्तान गांव का देश है। इस गांव के देश की तरक्की तभी हो सकती है जब यहां के गांव तरक्की करें। गांधी जी ने जिस पंचायती राज की कल्पना की थी, यदि उनका वह दर्शन सार्थक हुआ होता, यदि आज उनके ही अनुरूप यहां की पंचायती राज सफल हुई होती तो आज अन्यान्य वर्ग की जो समस्यायें प्रदेश में खड़ी हैं, दिखाई नहीं पड़ती। आज अराजकता की बात कही जाती है, बल प्रयोग की बात कही जाती है। गांधी जी का दर्शन पंचायती राज की कल्पना के साथ जुड़ा हुआ था। आज मन्त्री जी ने जो बजट रखा है कल्पना उनकी भी उसी रूप में है लेकिन वह सार्थक कितनी सिद्ध हुई है, कितने गांवों तक जाती है, इस बारे में हमारे साथियों ने, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के लोगों ने, अपने-अपने विचार प्रकट किये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं, अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान पंचायती राज के अन्तर्गत पंचायती उद्योग की तरफ ले जाना चाहता हूं। मेरा अपना विश्वास है और मैंने अपने निकट के जिलों में पंचायती राज के उद्योगों को बड़े निकट से देखा। मेरा अपना विश्वास नहीं, मैं इस मामले में बिल्कुल सहमत हूं कि पंचायती उद्योग केवल नाम मात्र के लिये ही लगाये गये हैं। एक बात मैं अपने हरदोई जनपद की और कहता हूं। वहां पर पंचायत उद्योग का बोर्ड लगा हुआ है, वहां पर पंचायत उद्योग के नाम पर कुछ छप्पर पड़े हैं लेकिन उसमें पंचायत उद्योग क्या होता है, कौन सा उद्योग उसमें काम करता है मैंने आज तक किसी उद्योग को अपनी आंखों से नहीं देखा। साथ ही साथ में दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जिस वक्त प्राइमरी स्कूलों के लिए, जूनियर हाई स्कूलों के लिए टाट पट्टी, ब्लैक बोर्ड, कुर्सी आदि की सप्लाई का प्रश्न आता है तब पंचायत उद्योग सब से आगे आ जाता है और वहां पंचायत उद्योग के अधिकारी सबसे ज्यादा इस बात की कोशिश करते हैं कि हमको सबसे पहले लाभ मिल जाय। मेरी समझ में नहीं आता कि जब वहां पर कोई उद्योग नहीं है, कोई उद्योग वहां पर काम नहीं कर रहा है तो पंचायत उद्योग के माध्यम से टाट पट्टी, ब्लैक बोर्ड, कुर्सी, लोटा, जो भी चीज हो, प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूलों के लिए सप्लाई करने का क्या औचित्य है। मैं इस पक्ष का नहीं हूं कि इन चीजों की सप्लाई पंचायत उद्योग के द्वारा न हो। निश्चय ही यदि पंचायत उद्योग के मारफत वहां पर माल तैयार किया जाता है तो इन चीजों की सप्लाई पंचायत उद्योग के मारफत से ही करनी चाहिए लेकिन थोथे पंचायत उद्योग के नाम पर, कपोलकल्पित कर देने से ही, पंचायत उद्योग के नाम पर जो यह तमाम सप्लाई का काम किया जाता है, यह नहीं होना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों पर रोक लगायें, ऐसे लोगों को ताड़ना दें, ऐसे लोगों के कार्य–कलापों का परीक्षण करें और यदि मेरे तथ्य सही पाये जायं तो ऐसे लोगों को दंडित भी किया जाय।

दूसरी बात इसी सन्दर्भ में कहना चाहता हूं कि जहां तक हरिजन पेय जल की योजना है इसमें कोई शक नहीं है कि यह योजना बहुत ही सामयिक और आवश्यक है। इस ओर हमारी सरकार ने काफी काम भी किया है। लेकिन इसके बावजूद अभी भी यह समस्या हमारे सामने मुंह बाये खड़ी है। हमारी हरिजन बस्तियों में पानी पीने के लिए कुयें उपलब्ध नहीं हैं। 32–33 साल की आजादी के बाद भी हरिजनों के सामने पानी पीने की समस्या है। अभी भी हमारे हरिजनों के लिए नियत स्थान पर कुयें बनाने की आवश्यकता है। तीसरी बात मैं ब्लाक . .

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, मुझे दो मिनट और चाहिए। अभी तो भूमिका ही शुरू हुई है। इसी सन्दर्भ में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आज तक ब्लाक का गठन जिस तरह से हुआ है उसको मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं समझ पाया। उदाहरण के लिए ब्लाक में बी० डी० ओ० होता है। बी० डी० ओ० के अन्डर,

[श्री राम औतार दीक्षित--]

अन्डर तो नहीं कहना चाहिए उसके सहयोग के लिए ए0 डी0 ओ0 एग्रीकल्चर ए0 डी0 ओ0 कोआपरेटिव, ए0 डी0 ओ0 माइनर इरीगेशन, पंचायत और अनेकानेक प्रकार के ए0 डी0 ओ0 काम करने वाले होते हैं जिनका लिंक डाइरेक्ट डिस्ट्रिक्ट आफिस से होता है । कोई भी बी0 डी0 ओ0 के सबार्डिनेशन में नहीं है । इस मामले में आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि किसी भी काम के लिए किसी भी व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिये तो उसके ऊपर रेसपान्सिबिल्टी फिक्स करनी चाहिए भले ही पांच गांव, आठ गांव, एक ए0 डी0 ओ0 को दिए जायं । एक न्याय पंचायत एक ए0 डी0 ओ0 को दे दी जाय । वह उस पूरे न्याय पंचायत के लिए जिम्मेदार होना चाहिए चाहे वह कोआपरेटिव का काम हो, चाहे माइनर इरीगेशन सम्बन्धी काम हो, चाहे एग्रीकल्चर सम्बन्धी काम हो, उसकी रिस्पान्सिबिल्टी फिक्स कर देनी चाहिए । साथ ही साथ में एक बात और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ग्राम सेवक हैं, पंचायत सेवक हैं, इन तमाम सेवकों की नियुक्ति हमारे यहां की गई है । इन सेवकों को केवल एक गांव दे दिया जाय । वे केवल एक गांव की ही सेविकाई करेंगे । उनके अन्तर्गत चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे कोआपरेटिव हो, चाहे माइनर इरीगेशन हो, चाहे गांव की सफाई का सवाल हो, गांव के अन्दर सड़क बनाने का सवाल हो, गांव के अन्दर रोजमर्रा की जो समस्या आती है बीमारी आदि की समस्या हो । बहरहाल उस एक आदमी पर केवल जिम्मेदारी फिक्स करने की आवश्यकता है । तभी गांव का विकास होगा और तभी ग्राम्य विकास सफलीभूत हो सकेगा ।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, आप लाल बत्ती दिखा रहे हैं, इसलिए मैं सिर्फ एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि निर्बल वर्ग के लिए जो आवास योजना बजट में रखी गई है वह निश्चय ही एक अच्छी योजना है क्योंकि हमारे गांव के रहने वाले कमजोर और गरीब आदमी भी रहना सीख पायें । इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे प्रत्येक गांव में 10 मकान ही एक माडल हाउसेज के रूप में बनायें तो वह एक आदर्श होगा निर्बल वर्ग के लिए । इससे उनका रहन-सहन भी अच्छा होगा और स्वयं मकान बनाना भी वे सीख जायेंगे । इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री मित्रसेन--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री द्वारा जो ग्राम्य विकास का बजट रखा गया है और उसमें जो कमजोरियां हैं उसके सम्बन्ध में जो हैं, उनको मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं और साथ ही साथ हमारे मोहन सिंह जी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, हमारे देश की आस्था लोकतंत्र में है और उसके साथ ही साथ हमने शासन के विकेन्द्रीकरण की बात मानी थी और सैद्धान्तिक रूप से उसको स्वीकार किया था । उसी लोकतंत्र के नाम पर ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों और क्षेत्र समितियों का गठन किया गया था । मान्यवर, माननीय मंत्री जी कहीं बाहर से नहीं आये हैं । ग्राम पंचायतों, न्याय पंचायतों और क्षेत्र समितियों का क्या हस्र हो रहा है, वे कितनी निष्प्राण और निष्क्रिय हो गई हैं, इसका क्या कारण है, कैसे वे पुनर्जीवित की जा सकती हैं, इस विषय में मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, पंचायतों के माध्यम से हमने गांवों की जनता की आवाज और उनके दुखदर्द को और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए किसी न किसी प्रकार से रास्ता निकाल दिया था और इन पंचायतों के जरिये हमने उनकी समस्याओं के साथ निपटने का प्रयास किया था, उनके लिए सुधार की बात सोची थी, क्षेत्र समितियों के जरिये उनके विकास की बात सोची थी लेकिन आज हम देखते हैं कि जिस तरह से ये संगठन आज सरकारी तंत्र के कब्जे में हो गये हैं उनसे लगता है कि कुछ ही दिनों के अन्दर हमारे देश और प्रदेश के अन्दर इन के प्रति जनता की आस्था ही टूट जायेगी। ग्राम्य विकास योजनाओं के जरिए जितने भी कार्यक्रम दिये जाते हैं उनकी बड़ी सुन्दर और अच्छी कल्पना है और परिणाम भी उसके अच्छे निकल सकते हैं लेकिन आज जो हमारे देश और प्रदेश की परिस्थिति है, हमारे अधिकारियों के जो तौर-तरीके हैं उनसे ऐसा लगता है कि जितनी भी योजनायें गांव की जनता के लिए जाती हैं वे बहुत कुछ आसमान पर टंगी रह जाती हैं, जमीन पर आती ही नहीं हैं।

यदि माननीय मंत्री जी ध्यान दें तो मैं एक बात और कहना चाहता हूं। गांवों में जितने भी कर्जे दिये जाते हैं चाहे वे सिंचाई के नाम पर हो, पंचायत के नाम पर हो, पम्पिंग सेट के नाम पर हों उसमें जो सब्सिडी के रूप में दी जाती है वह वर्षों तक बैंकों में एडजेस्ट नहीं कराई जाती है। उसमें जो छूट सरकार के खाते से दी जानी चाहिए वह बैंक में नहीं जाती है। मान लिया जाय कि 50 प्रतिशत छूट दी गई है और अगर इसका समायोजन नहीं हुआ है तो कर्जा और बढ़ जाता है। ब्लाक स्तर पर जितने भी इस तरह के कर्जे दिये जाते हैं उनमें छूट का पैसा एडजेस्ट न होने से किसानों को ज्यादा पैसा देना पड़ता है। इस तरह की बहुत सी शिकायतें हैं। इसी तरह से गांवों में अन्त्योदय योजना चली और उससे जो लाभ अपेक्षित था वह लोगों को नहीं मिल पाया। श्रीमन्, इस सिलसिले में मैं कह रहा था कि इन चुनावों के सम्बन्ध में अशोक मेहता समिति के जो सुझाव थे उन्हें सरकार को मानना चाहिये।

निर्बल वर्ग के आवास की जो योजना है जिसके बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि इसमें दो हजार की राशि बहुत कम है। मैं कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष की महंगाई की और इस वर्ष की महंगाई को आप देख लीजिए। ईंट, सीमेंट, मजदूरी आदि सारी चीजों के दाम कितने बढ़ गये हैं। तो यह दो हजार रुपये में निर्बल वर्ग के लिए आवास की योजना बिल्कुल निष्क्रिय है उससे कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए इसमें ज्यादा पैसा दिया जाना चाहिए जिससे योजना को ठीक से लागू किया जा सके।

तीसरी बात जो ग्रामीण अभियंत्रण की कही गयी है तथा पेय जल की कही गयी है, उसमें मैं कहना चाहता हूं कि पेय जल में बहुत धांधली हुई है जहां पर 25 फुट पाइप लगा उसे 60 फुट दिखाया गया है जिसकी जांच अभी तक नहीं हुई है। सूखे के समय में पेयजल के लिये तेजी से हैंड पाइप लगाये गये जितना पाइप लगा उससे ज्यादा दिखा दिया गया। कहीं पर जमीन पर गाड़े ही नहीं गये

[श्री मित्रसेन--]

अगर गाड़े भी गये तो 10, 5 फुट गाड़ दिए बाकी वैसे ही पड़े रहे । इस प्रकार इसमें बहुत घपला हुआ है ।

इस योजना में अधिकारियों का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है क्योंकि यह योजना ऐसी है जिसका ग्रामीण जनता से सीधा सम्बन्ध है इसलिए जिन अधिकारियों को ग्रामीण जनता के विकास की जानकारी है उनको पदोन्नति देने की बात है जो कि इस योजना को सही दिशा निर्देशन दे सकेंगे । लेकिन ऐसा न करके आई० ए० एस० और पी० सी० एस० के अधिकारियों को इसमें बैठा दिया गया है । मैं कहना चाहता हूं कि आप देखें कि 56 जिलों में कितने विकास अधिकारियों को इसमें लगाया गया, कितने बी० डी० ओ० को लगाया गया । आप देख लीजिए सभी पदों पर जिलास्तर के अधिकारियों का प्रभुत्व होता जा रहा है । मैं चाहूंगा मंत्री जी इस योजना को सफल बनाने के लिए नये सिरे से नयी दिशा देंगे तो इसका बहुत बड़ा योगदान होगा । इन शब्दों के साथ में माननीय मोहन सिंह जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री परागी लाल चौधरी--

मान्यवर, जो आपने ग्राम्य विकास की मांगों पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं । माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी ने जो ग्रामीण विकास का बजट प्रस्तुत किया है वह बहुत सराहनीय है मैं उसका स्वागत करता हूं और भाई मोहन सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका मैं विरोध करता हूं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए बजट में अपने विचार व्यक्त किये उसमें मैं कुछ चीजों की तरफ मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं । उसमें यह जो स्पेशल कंपोनेंट ग्रांट के अन्तर्गत 5 हजार रुपये की योजना उद्योग स्थापित करने के लिए रखी है जिसमें 1/3 अनुदान के रूप में दिया जाता है उससे कोई भी उद्योग लगाना मुश्किल है, इतने कम पैसे में कोई उद्योग नहीं चल सकता है । इसलिए मान्यवर, मेरा सुझाव है कि इसे कम से कम 20 हजार या 25 हजार रुपया कर दिया जाय ।

दूसरी बात बैंकों द्वारा लोन देने की है । जिनके पास जायदाद नहीं होती है उनको लोन भी नहीं मिल पाता है क्योंकि वह सिक्योरिटी के रूप में कुछ नहीं दे सकते हैं और भागदौड़ करने के बाद भी उनको हताश होकर बैठना पड़ता है । मेरा सुझाव है कि इसके लिए बैंकों को भागीदार बनाया जाय और बैंकों की जिम्मेदारी इसमें रखी जाय कि वह गरीबों को पैसा दें । अगर गरीबों को पैसा नहीं मिल पाता है तो बैंकों से भी पूछतांछ की जाय । अगली बात, यही स्थिति ग्रामीण रोजगार योजना की है । अभी तक इसका लाभ बिचौलिये उठाते रहे हैं । निर्बल और हरिजन लोग मजदूरी ही पाते रहे हैं और इन लोगों को इसका लाभ नहीं मिलता है । इसके लिए आवश्यक है कि बिचौलियों को हटाया जाए और पिछड़े क्षेत्रों में यह योजना तेजी से चलाई जाए, बिचौलियों को शीघ्र हटाया जाए और बिचौलियों को माध्यम बनाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए । इस कार्य में यदि और देर लगायेंगे तो लाखों लोग भूखों मरने लगेंगे । जो दूसरी योजनाएं उनके लाभ के लिए आप चला रहे हैं, उससे भी सम्पन्न और सम्भ्रान्त लोग ही लाभ उठा पाते हैं । पात्र व्यक्ति के पास योजना पहुंची भी नहीं है । यदि कोई निर्बल और हरिजन वर्ग का व्यक्ति इससे लाभ उठाना भी चाहे तो इसमें

संख्या 22–राष्ट्रीय एकीकरण, अनुदान संख्या 55–ग्राम्य विकास, अनुदान संख्या 56–पंचायती राज, अनुदान संख्या 57–क्षेत्रीय विकास, अनुदान संख्या 61–मत्स्य, अनुदान संख्या 90–पंचायती राज–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 95–ग्राम्य विकास–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 96–क्षेत्रीय विकास–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 101–मत्स्य विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 119–राष्ट्रीय एकीकरण–ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या 123–क्षेत्रीय विकास विभाग–ऋण और अग्रिम

इतनी औपचारिकताएं हैं कि वह उन्हें पूरी नहीं कर पाता है और परेशान होकर हिम्मत हार कर अलग रहता है। उसका फायदा उठाने का वह साहस ही नहीं जुटा पाता है। इसलिए आवश्यक है कि आप उसको आसान करें, जिससे वह उससे पूरी तरह से लाभान्वित हो सकें।

इसी तरह से अब अन्त्योदय योजना की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें शासन ने पूरा भार बकों पर डाल रखा है। बैंक उतना रुपया भी नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जैसे पिछले वर्षों में शासन अपने द्वारा रुपया दिया करती थी, उसी प्रकार से दिया जाए। हरिजनों के लिए पेयजल कूपों की गति इतनी धीमी है कि उसी प्रकार चलने पर हम अगले 30 वर्षों में भी उनको पानी नहीं मुहैय्या करा पायेंगे। मैं चाहूंगा कि शासन यह सुनिश्चित करे कि अगले तीन वर्षों में समस्त निर्बलों और हरिजनों को पेयजल उपलब्ध हो जाय। इसके साथ मैं मंत्री जी के बजट का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि यह बजट प्रदेश की गरीबी दूर करने में सक्षम सिद्ध होगा।

*श्री धरमपाल–

माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध और श्री मोहन सिंह जी के कटौती के प्रस्ताव का मैं समर्थन करते हुए बोलने को खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले तो मैं अपनी संवेदना मंत्री जी के प्रति प्रकट कर रहा हूं। इसका कारण यह है कि इतने गोरे–चिकटे मंत्री और कितना ऊबड़–खाबड़ उनका विभाग, कितना ही अत्याचार किया है मुख्य मंत्री ने आपके साथ। गांधी जी के पंचायती राज की कल्पना करते हुए इस सरकार ने पंचायती राज को आई० ए० एस० राज कर दिया है। पंचायतीराज कहीं दिखाई नहीं पड़ता है और पंच कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। प्रदेश में अनेक वर्षों से जिला परिषदें भंग हैं और क्षेत्र समितियां भंग हैं। तो क्या पंचायतराज की कल्पना यही है कि आप ब्यूरोक्रैट्स को पंचायत राज का सबसे बड़ा अधिकारी बनायें। प्रदेश के अन्दर सबसे बड़ा लीडर आई० ए० एस० है। कोआपरेटिव बैंक का अध्यक्ष वह, नगरपालिका और महापालिका का अध्यक्ष वह और इसी तरह से जिला परिषदों का अध्यक्ष वह तो आपने जनप्रतिनिधियों के सारे अधिकार और कार्य आई० ए० एस० अधिकारियों को सौंप दिये हैं। तो आप इनसे इन्हें चलवा लीजिए या प्रशासन करा लीजिए। इसी कारण आप इन दोनों क्षेत्रों में फेल हैं। न जनकल्याण हो रहा है और न व्यवस्था में सुधार हो रहा है। करोड़ों रुपये की योजनाएं घर बैठे पता नहीं कैसे बना दी जाती हैं। पिछले वर्ष हरिजन कूपों के नाम पर करोड़ों रुपया हमारे बहराइच जनपद का बी० डी० ओ० खा कर बैठ गया––नेगी साहब करोड़ों रुपया इस मद का लेकर बैठ गये, लेकिन आप उनका कुछ नहीं कर पाये हैं। क्योंकि वह नेगी जी यहां एक मंत्री के रिश्तेदार हैं, उनका कुछ नहीं हो पाया। हमारे जिले

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री धरमपाल--]

में एक भी हरिजन कूप नहीं बना । वह 278 कूप का पैसा डकार कर बैठ गये । किसी तरह से कांग्रेस के लोगों ने कोशिश करके वहां से उनका ट्रांसफर कराया । लेकिन उस पर भी बाद में कुछ नहीं हुआ और अन्त में कांग्रेस के विधायक सर पकड़ कर बैठ गये । मुझे इस पर कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि यह तो आपको देखना है कि आप किस प्रकार से प्रशासन को चलाते हैं । लेकिन अगर आपको गांधी जी के स्वप्नों को साकार करना है तो आपको ग्राम्य विकास की ओर ध्यान देना होगा । आज गांवों के नागरिक शहरों की ओर भाग रहे हैं और गांवों में दिन प्रतिदिन गन्दगी बढ़ती जा रही है ।

आपने आजादी के 30 वर्षों में गांवों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया । आज पंचायतों की हालत को आप देखिए, किसानों की हालत को देखिए ? किसी भी ग्राम सभा के अन्दर, कुछ को छोड़ कर, आप उनके पास 10 रुपये का कोष तक नहीं पायेंगे । यह है आपका प्रशासन ? किसी भी गांव सभा ने गत 10 वर्षों में किसी भी सड़क का निर्माण नहीं कराया है । हमारे ग्राम्य विकास मंत्री चिकने चुपड़े, शहर के रहने वाले हैं, इन्हें गांवों में जाने की जरूरत भी क्या है । मेरी उनसे प्रार्थना है कि वे हमारे साथ गांव में चलें और देखें कि गांवों में क्या दुर्दशा है । प्रदेश के गांवों में कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें एक भी नाली हो, कोई भी ग्राम समाज ऐसा नहीं है जो ठीक तरह से फंक्शन कर रही हो । ग्रामीण विकास के लिए बी० डी० ओज को रुपया दे दिया जाता है लेकिन जितना रुपया ब्लाकों में दिया जाता है वह सरकारी तन्त्र के द्वारा इनकी पार्टी के कोष में चला जाता है इससे गांवों का कोई विकास का कार्य नहीं हो पाता है । आपने 33 वर्षों की अवधि में किसी भी गांव को सड़क से नहीं जोड़ा है । आखिर आप क्या कर रहे हैं ? मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ दें तभी वे उन्नति कर सकते हैं ।

आपके विभाग में एक ग्रामीण अभियन्त्रण योजना चल रही है । जिसमें इतना बड़ा करप्शन है कि बिना टेन्डर मंगाये ही वर्क चलाये जा रहे हैं । यह नहीं होना चाहिये, कम से कम सोप जैसे साफ सुथरे मंत्री से निवेदन है कि वे मेरी बातों की ओर ध्यान दें ।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मोहन सिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री त्रिवेनी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पंचायती राज, ग्राम्य विकास, राष्ट्रीय एकीकरण तथा सूचना मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

(इस समय 3 बजकर 58 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उन्होंने देखा है कि ग्रामीणों की आवश्यकता क्या है और ग्रामीण जीवन क्या है उसको ही मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बजट पेश किया है । मान्यवर, आपके माध्यम से मुझे अपने विरोध पक्ष के भाइयों से यह भी कहना है कि वे ऐसी बातें न कहा करें जो सत्य से परे हों और जिसकी कोई बुनियाद ही न हो । विरोध पक्ष के एक माननीय सदस्य ने अभी कहा कि गांवों में कोई सड़क बनी ही नहीं जबकि प्रदेश में 34 हजार किलोमीटर

सड़क बनी हैं। अगर मेरे भाई देहात में जाते तो उन्हें मालूम होता कि वास्तव में स्थिति क्या है। यह उनका कसूर है या मेरा? भाई मोहन सिंह जी ने कटौती का प्रस्ताव रखते हुए चुनाव की बड़ी जोरदार मांग की लेकिन मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं कि जब जिला परिषद् के चुनाव हुए और उनमें जन प्रतिनिधि चुनकर आये तो भाई मोहन सिंह की ही सरकार ने उनको बर्खास्त कर दिया। उन्हें काम नहीं करने दिया और वह बात सही है। सही बात को वह मानेंगे कि जन प्रतिनिधि चुने गये, जिला परिषद् के अध्यक्ष, ब्लाक प्रमुख चुने गए। लेकिन मान्यवर, उनको पता नहीं क्या द्वेष था ग्राम्य विकास से, पंचायती–राज से कि सबको भंग कर दिया। मान्यवर, यह कहना उनका इन्साफ नहीं है कि आप शीघ्र चुनाव करा दीजिए।

अभी 7–8 महीना हुआ हमारी सरकार बनी है और उस पर विचार हो रहा है कि उसका चुनाव कराया जाय, उसकी प्रणाली क्या हो, अब इतनी जल्दी तो चुनाव नहीं हो सकता। लेकिन हमारे मंत्री जी जमहूरियत के प्रतीक हैं, वह चाहते हैं कि चुनाव कराया जाय और यही नहीं आप तो जब एक बार, हम कहना नहीं चाहते थे, माननीय चौधरी चरण सिंह, इनके बुजुर्ग नेता, वह एक बार 167 ब्लाकों को तोड़ दिया था, 67 में जब उनकी संविद सरकार कायम हुई थी। तो हाई कोर्ट में रिट हो गयी और मामला 1 साल के लिए रुक गया, उस समय मैं भी प्रमुख था। हम लोग स्टे में एक साल तक काम करते रहे। उसके बाद सरकार को तो अधिकार है ही, उसके बाद उन्होंने तोड़ दिया। ग्रामीण चीजों को देखते हुए, उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए, बजट और लम्बा होना चाहिए और बजट जितना ही ग्रामीण विकास को दिया जाय उतना ही ग्रामों को लाभ पहुंचेगा। मान्यवर, इनकी माइनर इरीगेशन जो है, उसमें बहुत गरीबों को लाभ पहुंचा है और यह बात सही है कि गरीब भी अपना एक छोटा मोटा साधन ग्राम्य विकास के जरिये बना लिया, इसके लिए मैं उनको तथा उनके विभाग को बधाई दूंगा। जब कहीं हमारी गल्ती हो जाती है, तो उन गलतियों को तो आप देखते हैं, लेकिन अच्छाइयों को नहीं देखते हैं। जब अच्छाई हो, तो उसकी उन्हें प्रशंसा करनी चाहिए। गरीब लोगों के लिए मकान बनाये जा रहे हैं, जो हमारे मोहन सिंह जी न कहा इस बात का समर्थन मैं भी करूंगा कि जो ग्रामीण विकास के द्वारा मकान बनाये जा रहे हैं, वह जो मकान हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के द्वारा बने हैं, उससे ये अच्छे हैं। तो मान्यवर, इसमें ज्यादा बजट होना चाहिए और अधिक बजट होगा तो गरीबों का कल्याण होगा। उनकी झोपड़ी को हम एक छोटे मकान के रूप में देख सकेंगे।

एक बात यह है कि जो यह अन्त्योदय योजना चल रही है, इस योजना के बारे में भाई मोहन सिंह जी ने कहा कि हमारी सरकार ने इसको चालू किया 1974 में जब माननीय नारायण दत्त तिवारी जी, मुख्य मंत्री थे, उस समय की यह उनकी योजना चलाई हुई थी, भाई मोहन सिंह की सरकार ने उसे रद्द न करके उसको चालू किया। यह सही है। लेकिन यह कांग्रेस सरकार की चलाई हुई योजना है। भाई मोहन सिंह भूल रहे हैं। एक बात मुझे और कहनी है कि यह

[श्री त्रिवेनी---]

बात सही ह कि आई० ए० एस०, पी० सी० एस० का जो बड़ा जिक्र आया और इनकी बड़ी आलोचना की दृष्टि से हमारे विरोधी भाई देखते हैं। तो आई० ए० एस०, पी० सी० एस० आज शासन में हैं, उनके बारे में यह कह देना कि वह सभी लोग खराब हैं, वह काम नहीं कर सकते, यह बात इन्साफ की नहीं है। यह बात दुर्भावना से भरी है इसको लेकर कुछ लोग कहते हैं, जो ग्राम्य विकास में रहते हैं, जो हमारे साथी उसमें काम करते हैं, उनको प्रोमोशन मिलना चाहिए, उनको तरक्की मिलनी चाहिए जो कि दिन रात ग्रामीणों के बीच में रह कर विकास का कार्य कर रहे हैं, उनको भी देखना चाहिए। हम किसी अधिकारी की प्रशंसा करें और किसी अधिकारी को दुर्भावना की दृष्टि से देखें, यह उचित नहीं है। इसको माननीय, मैं समझता हूं कि भाई मोहन सिंह जब प्रशासन में आयेंगे तो उनको भी महसूस करना पड़ेगा। कभी आयेंगी। एक बार आये थे तो जनता ने देख लिया। फिर कभी आयेंगे तो उनको भी मुश्किल हो जायेगा।

श्रीमन्, उनके लिये भी कठिनाई होगी। जो उनका प्रशासन चला, उससे जनता परिचित है कि इनमें शासन की क्षमता है कि नहीं। इस चीज को देखने के लिये कि ये प्रशासन चला सकते हैं कि नहीं, उसके लिये जनता ने इनको आशीर्वाद दिया था। असेम्बली में ले आयी और पार्लियामेन्ट में ले आयी। लेकिन 3 वर्ष क्या 30 महीनें भी प्रशासन नहीं चला सके। यह उनके प्रजातन्त्र का सच्चा सबूत ह। और अब शायद मोहन सिंह जो हमारे पार्टी में आ जाय, यह तो नहीं कह सकता लेकिन माननीय मोहन सिंह जो समाजवादी विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति हैं। वे कांग्रेस (आई) में जांय, तो उनके लिये अच्छा रहेगा। लेकिन जहां इस समय है, वहां फासिस्ट और संकुचित विचारों को लेकर लोग बैठे हैं और वहां विस्तृत माइन्ड नहीं है मोहन सिंह जैसे लोगों का रहना उचित नहीं है।

अन्त में, मान्यवर, मैं इस बजट का जोरदार समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव है, उसका जोरदार विरोध करता हूं। मेरा ख्याल है कि माननीय मोहन सिंह जो उसको वापस ले लेंगे और इस प्रस्ताव का जोरदार समर्थन करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

*श्री नन्दराम---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया कि मैं गांवों की विकास योजनाओं के बारे में बोल सकूं: मान्यवर, हमारे फरीदपुर 50 क्षेत्र, बरेली, जहां से मैं चुनकर आया हूं, वहां पर ब्लाक भुता, जो कुआं डांड में बना है, बहुत पिछड़ा है। वहां पर न सड़कें हैं, न डिस्पेंसरी है। इसके कारण वहां की जनता परेशान है। फरीदपुर से बीसल रोड, 30 किलोमीटर की बनी पड़ी है लेकिन पुल न होने के कारण वह बेकार है और ब्लाक को नहीं पहुंच सकते। वहां की जनता बहुत परेशान हो रही है इस सम्बन्ध में कहना है कि गांव ढकनी के पास बहबुल पनगइली और अकसरैया नालों पर अगर पुल बनवा दिया जाय तो ब्लाक की स्थिति सुधर जायेगी और उस इलाके का सुधार हो जायेगा। सड़क बनी पड़ी है लेकिन पुल के न होने के कारण बेकार है और ब्लाक को जा नहीं पाते। खाद के लिये और न दूसरी चीजों के लिये जा पाते हैं। अगर वहां पुल बनवा दिया जाय उन छोटे-छोटे नालों के ऊपर तो वहां की जनता की परेशानी कम हो जायेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसी तरह से वहां 3-8 किलोमीटर तक कोई अस्पताल पब्लिक के लिये नहीं है। इसलिये, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वहां पर एक अस्पताल बनवा दिया जाय तो वहां की जनता के लिये बहुत बड़ा कल्याण का काम हो जायेगा।

अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं कि जब वहां नहरें कट जाती हैं, उससे सारी फसल लोगों की मारी जातीं हैं। लेकिन बजाय मुआवजा देने के उन बेचारों को तवान देना पड़ता है।

अन्त म जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, माननीय मोहन सिंह जी ने, उसका समर्थन करता हूं।

श्री सतीश अजमानी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मै माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और विरोधी दल के द्वारा रखे हुये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं...।

मान्यवर, अभी विरोधी दल द्वारा यह बात कही गयी कि इस बार बजट में पैसा पहले से कम रखा गया है, माननीय सदस्यों से मैं एक बात बताना चाहता हूं कि वह हर चीज का मूल्यांकन पैसे से न करें अभी पिछले अपने ढाई तीन साल के शासन में जो उन्होंने पैसे से हर चीज को तौला है, नापा है, वही चीज ध्यान में अभी भी बनी हुई है। मैं माननीय नेता विरोधी दल के सदस्यों को अवगत करा देना चाहता हूं कि जितना अच्छा कार्य वह बड़े बजट में नहीं कर सके उससे अच्छा कार्य हम इस कम बजट में करके दिखायेंगे रही बात काम की हाल ही में हमारे यहां एक अनाज योजना बनी। यह योजना हमारी सरकार की थी काम के बदले अनाज उसका रख-रखाव हमारी सरकार का था और श्रीमती इन्दिरा गांधी जी का नेतृत्व था। हम आपके बहुत धन्यवादी हैं जो श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा बनाई गई रूप-रेखा को लागू किया इससे पूर्व में आपकी जो सरकार थी उसमें हर काम में एक हिस्सा हुआ करता था 3/4 का और वहां के कर्मचारी कहते थे कि हम क्या करें हमको ऊपर तक हिस्सा पहुंचाना पड़ता है। अब यह हिस्सा कहां तक चलता था, मन्त्री पद तक या उच्च अधिकारियों तक यह तो आप लोग ही जाने। यहां पर 85 प्रतिशत जनता गांवों की रहने वाली है। अगर उस समय वह सारी योजनाएं सही तौर पर लागू हुयी होती, घपलेबाजी न हुई होती तो शायद आप लोग अपने पुराने घर में इतनी जल्दी वापस न लौटते। रही बात राष्ट्रीय एकीकरण की जो बात अभी चल रही थी।

इस सम्बन्ध में मैं माननीय मन्त्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि इसका अध्ययन कार्य प्राइमरी स्कूलों से ही शुरू करवाया जाए और विद्यार्थीगण शुरू से ही इसका अध्ययन करें। ताकि शुरू से ही इसकी रूप रेखा उनके सामने

[श्री सतीश अजमानी---]

रहे । और जहां तक बात मछली उद्योग की बात है हमारे क्षेत्र में सन् 77-78 में जो तालाब और कुएं बने थे । उन कुओं में आज जो विरोधी दल इतना ऊंचा बोलते हैं यदि कोई भी विरोधी दल का नेता हमारे क्षेत्र में चलने का तैयार हो, तो मैं उन्हें दिखा सकता हूं कि सन् 77-78 में आपके कामों को कि वहां की सारी की सारी योजना और रख-रखाव को आप लोगों ने तहस-नहस कर दिया । सारे तालाब मिट्टी से दुबारा भर चुके हैं । इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां तालाबों की सारी साईडें पक्की करायें और हमारे क्षेत्र निघासन में जो नये कुएं बने हैं उनका पानी पीने के काबिल नहीं है, कोई विरोधी दल का नेता चले मेरे क्षेत्र में हम उसे वहां की सन 77-78 की योजनाओं में की गई बर्बादी दिखाएं और यदि आपको न दिखा सका तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, वरना आप लोगों में कोई इस्तीफा देने को तैयार हो रही आप लोगों के शासन के दौरान कार्य की तत्परता और सरकारी मशीनरी की तत्परता तो उसका कारण यह नहीं था कि गरीब जनता की मदद और उनके साथ सहयोग की नियत रही हो, बल्कि यह नियत थी कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा घपला कर जेब भरी जाए ।

मान्यवर, एक सुझाव है माननीय मन्त्री जी को, माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा वह यहां कि फायर ब्रिगेड की सहूलियत लखीमपुर खीरी में है, जिसकी दूरी हमारे क्षत्र से काफी दूर है और जिससे लगभग 200 किलो० मी० की दूरी पर पड़ता है । और गांवों में मकान ज्यादातर घास-फूस के होते हैं । जब तक इतनी दूरी से फायर ब्रिगेड वाले आवेंगे, तब तक तो कई गांवों का सफाया हो चुका होगा । कल ही मुझे एक सूचना मिली है कि मरैया गांव में आग लगी जो घास-फूस का था, पूरा का पूरा गांव जल गया । तो मेरा निवेदन है कि हर तहसील में ब्लाक स्तर पर फायर ब्रिगेड का होना जरूरी है जहां घास-फूस के घर होते हैं ताकि गरीब जनता उनका फायदा उठा सके । जिलों में तो पक्के मकान होते हैं वहां पर फायर ब्रिगेड भले ही न हों लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में उनका होना नितान्त आवश्यक है ।

(श्री हरगोविन्द वर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री दल गंजन सिंह---

मुझे बोलने का समय नहीं दिया गया इसलिये सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री दल गंजन सिंह सदन त्याग कर चले गए ।)

*श्री हरगोविन्द वर्मा---

मान्यवर, मोहन सिंह ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं । यह जो ग्राम्य विकास तथा ग्राम पंचायत का बजट है जिस पर चर्चा चल रही है उस सम्बन्ध में विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि गांव का विकास कैसे होगा । दो तीन मुद्दे हैं जिन पर सरकार गौर करेगी तो गांव का विकास अवश्य होगा । पहला मुद्दा तो यह है कि गांव तक सड़क जाना चाहिये, दूसरा मुद्दा है कि सिंचाई तथा बिजली की व्यवस्था हो । तीसरा मुद्दा है कि लोगों को शिक्षा दी जाय तथा बेरोजगारी दूर करने के लिये वहां पर लोगों को काम दिया जाय । चौथा मुद्दा यह है कि वहां के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिये अस्पताल बनाये जायं । इसके लिये विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी ताकि ये सारे काम वहां ठीक से हो सकें । पहली बात यह है कि केन्द्रीय तथा प्रदेश सरकार का जो बजट है अधिक से अधिक मात्रा में गांव पर खर्च किया जाय इसकी योजना बनाई जाय । हमारी प्रधान मन्त्री ने अभी हाल में यह घोषणा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की थी कि वह छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 25 फीसदी बजट गांवों के विकास के लिये खर्च करेंगी । लेकिन मन्त्री जी ने अभी बतलाया कि 90 फीसदी लोग गांव में रहते हैं । तो 90 फीसदी जनता के लिये 25 फीसदी बजट क्या तरक्की ला सकता है जब कि सदियों से इन गांवों को लूट हो रही है ।

मेरा यह सुझाव है कि जहां की आमदनी हो उसे वहीं खर्च नहीं किया जायगा तो वहां की तरक्की नहीं हो सकेगी । इसलिये गांव की आमदनी गांव पर ही खर्च की जाय तभी निश्चित रूप से गांव की तरक्की हो सकेगी । एक सुझाव यह है कि गांव में तरह-तरह के कर्मचारी लगे हुए हैं जैसे सचिव, ग्राम सेवक, पंचायत सेवक, सुपरवाइजर तथा लेखपाल आदि मेरा सुझाव है कि एक ही कर्मचारी एक गांव में रखा जाय, सारे काम वही देखे और इस तरह काफी

(4 बजकर 17 मिनट)

रुपया गांव पर खर्च हो सकेगा । एक ही कर्मचारी जिम्मेदार होगा एक गांव के लिये और सारे व्यक्ति उससे ही जाकर जानकारी हासिल करेंगे । पिछले वर्ष जो बजट पेश किया गया था उससे कम बजट इस वर्ष पेश किया गया है और फिर इस बजट का अधिकांश पैसा अधिकारियों और कर्मचारियों पर खर्च होगा । इस प्रकार से इतना कम बजट बचता है कि उससे गांव को लाभ नहीं हो पाता है । फिर मन्त्री जी विकास गोष्ठी के नाम पर काफी खर्च कर देते हैं । कहीं ऐसा न हो कि इसमें भी पैसा उसी तरह से चला जाय । अंगरौरा गांव में दो महीने पहले 16, 17 तथा 18 दिसम्बर को एक विकास गोष्ठी के नाम से सम्मेलन हुआ जिसमें बाराबंकी, बहराइच, लखीमपुर तथा सीतापुर आदि के सभी अधिकारी व कर्मचारी एकत्रित हुए । मेरा अनुमान है कि ढाई तीन हजार लोग इकट्ठा हुए होंगे । 50 रुपया फी मुर्गा उस इलाके में बिका । अखबारों में शाया हुआ कि 400 मुर्गे रोज लखनऊ में अंगरौरा गांव भेजे गये । कितना पैसा खर्च हुआ होगा इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है ? 25 लाख रुपया उस विकास गोष्ठी पर खर्च किया गया । अगर मन्त्री जी सड़क बनवाने में उस रुपये को खर्च करते तो बहुत विकास हो सकता था लेकिन मैं तो यह कहना चाहूंगा माननीय मन्त्री जी रंगीले मन्त्री रहे हैं जरा उसको छोड़कर गांव के विकास के लिये कुछ करें तो निश्चित रूप से प्रदेश और देश का काम ठीक होगा । माननीय मन्त्री जी के पीछे दल-दल बन गया है उसको देख लें तो बहुत विकास हो जायेगा । माननीय मन्त्री जी महमूदाबाद क्षेत्र को देख लें तो उस क्षेत्र में 50 से अधिक गांव सभायें हैं जो दल-बल हो गई हैं उनको मन्त्री जी ठीक करा दें तो निश्चित रूप से विकास हो सकेगा । मैं माननीय मन्त्री जी से आशा करता हूं कि वह प्रदेश का विकास तो करेंगे ही साथ ही साथ महमूदाबाद का विकास कर दें जहां दल-दल बन गया है । अन्त में मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन इसलिये करता हूं कि रंगरेलियों में आपका पैसा न खर्च हो माननीय मोहन सिंह का प्रस्ताव उपयुक्त है नहीं तो इसका दुरुपयोग होगा ।

श्री चन्द्रशेखर त्रिवेदी—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ग्राम्य विकास विभाग के बजट पर कुछ कहने का अवसर दिया। मैं पंचायतीराज मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और माननीय मोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मैं पंचायतीराज मन्त्री का आभारी हूं और बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस विभाग को समझा और विशेषतौर से राष्ट्रीय एकीकरण विभाग को जो सोते हुये विभाग को जगाया और आगरे में जो सुलहकुल का जलशा हुआ और मुझे दुख: इस बात का है कि माननीय मोहन सिंह ने उसे कुलहकुल का नाम दिया। मोहन सिंह कटौती के प्रस्ताव पर बोल रहे थे वह बहुत अच्छे पार्लियामिंटेरियन हैं उनका भाषण ऐसा लगा जैसे रटा-रटाया भाषण था और उन्होंने उसको पढ़ दिया। उनके भाषण में कोई ठोस सुझाव नहीं था सिवाय इसके लिये हर बजट में यह कहने के इसमें इतना रुपया बढ़ा दिया जाय इसमें इस विभाग में रुपया बढ़ा दिया जाय।

एक शिकायत भाई रियासत हुसैन ने किया कि उत्तर प्रदेश के जिला परिषदें तथा क्षेत्र समितियां सब भंग हैं। सरकार सरकारी तंत्र से काम करना चाहती है। मैं मोहन सिंह से पूछना चाहता हूं कि यह पाप किसका है, दोष किसका है। यह पाप, यह दोष आपका है। 3 वर्ष में आप प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाले प्रतिनिधियों को नामिनेट नहीं कर सके और हमसे उम्मीद करते हैं कि हम आठ महीने में कर दें। अगर हमारी सरकार नामिनेशन कर दें तो आप एतराज करेंगे कि अपनी पार्टी के लोगों को नामिनेट कर दिया। जहां तक चुनाव की बात है आप धैर्य रखें वह होगा। मान्यवर, माननीय वर्मा जी कह रहे थे कि ग्राम्य विकास विभाग और पंचायती राज अलग हैं। शायद उन्होंने समझने का प्रयास नहीं किया यह एक दूसरे के पूरक हैं। मैं समझता हूं कि गांव के विकास के 3 साधन है सड़क, बिजली, पानी इसके बिना गांव की तरक्की नहीं हो सकती है। पंचायती राज की बात है बहुत दिनों से यह विचार चल रहा है कि महाराष्ट्र पैटर्न यहां पर लागू किया जाय। मैं माननीय मत्री जी से निवेदन करूंगा कि उसको देखें और महाराष्ट्र पैटर्न को लागू करें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पंचायतीराज की बड़ी दुर्दशा है। यहां पर थीरी टायर सोल सिस्टम है। ब्लाक, जिला परिषद, ग्राम पंचायतें। जिला परिषदों की हालत बड़ी ही दुर्दशाग्रस्त है। सड़कें जो मान्यवर थी वह रुरल इंजीनियरिंग सर्विसेज या पी0 डब्लू0 डी0 या दूसरे विभागों को चली गयीं। जिला परिषदों के पास कुछ नहीं रह गयीं। अस्पतालों का प्रान्तीयकरण होता जा रहा है। उनके पास वह भी नहीं हैं। कुछ कर लगाने आदि का काम ही उनके पास रह गया है। टैक्स वसूलने की जगहों पर जब सरकारी कर्मचारी जिला परिषदों में नियुक्त हो जाते हैं तो उनसे एक पैसा टैक्स के रूप में वसूल नहीं होता। अत: जो भी अधिकारी कर्मचारी वहां नियुक्त किया जाये उसका निवास उस जिले में अवश्य हो। महापालिकाओं में कोई घाटा होता है तो सरकार उसको पूरा करने के लिए धन देती है तो जिला परिषदों के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है। क्यों नहीं उनको अनुदान दिया जाता। कुछ ब्लाक के बारे में कहना चाहता हूं। बी0 डी0 ओ0 हैं, उनके बारे में ध्यान देने की जरूरत है। सारे ब्लाक का काम उनके ऊपर है लेकिन उनके प्रोमोशन एवेन्यूज नहीं हैं। वह अच्छे होने चाहिए। शारदा सहायक के बारे में कहना चाहता हूं। जहां से निकली है उसके दोनों तरफ चार-चार, पांच-पांच खेत पानी से भरे रहते हैं। मैं चाहता हूं कि उनको निकालने के लिए अगर दोनों तरफ

नालो बना दी जाय तो खेती का बड़ा फायदा हो सकता है । इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं ।

*श्री अकबाल हुसैन––

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । श्री मोहन सिंह द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं । ग्राम्य विकास मंत्री ने इस बजट में ग्रामीण रोजगार की बहुत चर्चा की । पूरे प्रदेश में आज तक इस योजना के अन्तर्गत कहीं पर भी काम नहीं शुरू हो पाया है । बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि 10 करोड़ आदमियों में कम से कम गांव के मजदूरों को रोजगार देना चाहिए था और पिछली सरकारों ने जो दिया था वह आप समाप्त कर रहे हैं । इसके लिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस दिशा में कम से कम कोई प्रभावशाली कदम उठाकर इस गैप को शीघ्र ही खतम कर दें । जो आपने राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में काम किया है उसमें कुछ बातें जरूर अच्छी हैं जिससे हमारे प्रदेश के राष्ट्रीय एकीकरण को सुदृढ़ बनाने में, मजबूत बनाने में सहायता मिली है । लेकिन मैं इसके साथ–साथ कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक का जो आयोग गठित किया था और जिसकी अध्यक्षा महोदय इस सदन में मौजूद हैं, के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि उसका कार्य ठीक से नहीं हो पाया है ।

उर्दू के सम्बन्ध में जो आपने किया है और चुनाव में जनता के सामने वायदा किया है कि उर्दू को इस प्रदेश की दूसरी जबान बनायेंगे, एक साल का अर्सा गुजर रहा है लेकिन इस दिशा में कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाया है । इसके सम्बन्ध में यह भी कहा गया कि 6 हजार उर्दू अध्यापकों को स्थायी कर दिया है । इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि नगरपालिकाओं में बहुत से स्कूल हैं जहां पर उर्दू अध्यापक और अध्यापिकाओं के स्थान रिक्त हैं । एक तरह से फैजाबाद और गोण्डा की बात कहता हूं वहां पर उर्दू अध्यापक और अध्यापिकाओं के पद रिक्त हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में जो आपने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सेवाओं में प्रतिनिधित्व को सूची प्रकाशित की है, राष्ट्रीय एकीकरण के सम्बन्ध में आपने यह कहा है कि अनुसूचित जाति के लिये 18 प्रतिशत और कहीं–कहीं पर 30 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था कर रखी है । हमारे संविधान में भी व्यवस्था है, आपने भी वादा किया है लेकिन आपने जो पुस्तिका दी है उसके पहले और पिछले पृष्ठ पर "शून्य" आपने दिखाया है । मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप इस राष्ट्र को एक सूत्र में बांधना चाहते हैं तो इन सभी चीजों पर प्रभावशाली ढंग से विचार करना होगा । ग्राम सभा के ग्राम प्रधानों को जो चुनकर आते हैं, उनको मात्र एस० डी० एम० महोदय किसी एक कारण पर या बिना किसी कारण के निलम्बित कर देते हैं, इसको दूर करने के लिये आपको अधिनियम में अवश्यक संशोधन करना चाहिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अकबाल हुसैन--]

मत्स्य पालन के सम्बन्ध में मुख्य बात कहना चाहता हूं कि आपकी पुस्तक के अनुसार 1979-80 में मत्स्य के जरिये 62 लाख रुपये की आय की गयी थी' आपने जब से शासन सम्भाला है, यह आय 62 लाख के बजाय 38 लाख रु0 हो गयी है। इसे आपने 1975-76 की स्थिति में पहुंचा दिया है। बड़ी मछलियों ने, उन्होंने छोटी मछलियों को खा लिया और प्रदेश को 35 लाख रु0 का घाटा हुआ है। इसके लिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि तालाब जो हैं, उसमें मत्स्य पालन की व्यवस्था और गांव सभाओं की जो ऐसी जमीन है, जहां बोया नहीं जा सकता है, उस पर वृक्षारोपण की व्यवस्था कर दें। इन शब्दों के साथ गैसड़ी क्षेत्र में जो गांव एक-दूसरे से मिले हुए हैं, जहां पर खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सड़के बनायी गयी थीं, उन पर खड़ंजा डालने का काम पूरा करा दिया जाय। वहां पर जो दैवी आपदा आयी थीं, 19 तारीख को आपने चिट्ठी लिखी थी कि रिलीफ वर्क शुरू करा दिया जाय, लेकिन इतने दिन गुजर जाने के बाद भी रिलीफ वर्क क्रियान्वित नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री अकबाल हुसैन--

मान्यवर, एक मिनट और दे दें। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो आपने आदेश दिये हैं और जो रोजगार के लिये व्यवस्था की है, उसको आप करा दें।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया है, आप कृपया बैठें।

*श्री दामोदर शर्मा--

मान्यवर, आपने जो मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं.....

श्री शम्भनाथ--

मान्यवर, मैं इस पर बोलना चाहता हूं, मैंने लिखकर दिया है।

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

मैं जब किसी को बुला लेता हूं तो उस पर विचार व्यक्त करने का अधिकार किसी माननीय सदस्य को नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा और फिर कह रहा हूं कुछ सहायता जो आपके दल से सुझाव आते हैं, उनसे भी लेता हूं। कृपया यह प्रयास आप अपने दल से कर लिया करें। मैं जब किसी को बुलाता हूं तो आप मुझे समझाने की कोशिश करते है।]

श्री शम्भूनाथ--

मान्यवर, मैं इस पर बोलना चाहता हूं।

(श्री दामोदर शर्मा का नाम पुनः पुकारे जाने पर) (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ऊदल––

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष––

पहले मेरे व्यवस्था के प्रश्न को आप सुनिये ।

श्री ऊदल––

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । श्रीमन् अभी आपने एक कागज को पढ़ कर यह कह दिया कि आप अपने दल के अन्दर बोलने के सम्बन्ध में विचार कर लें मैं उसके विपरीत नहीं जा सकता ।

श्री अध्यक्ष––

एक बात आप मेरी सुन लें तब व्यवस्था का प्रश्न उठायें । मैंने यह कहा कि मैं सुचारु रूप से सदन चलाने के लिए आपके दल से भी सहयोग लेता हूं । मैंने यह नहीं कहा है कि मैं इसके विपरीत नहीं चल सकता ।

श्री दामोदर शर्मा––

मान्यवर, देश की 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है ।

(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह विष्ट––

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । सुन लीजिए ।

श्री दामोदर शर्मा––

गांवों के विकास के लिए जो मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है वह निश्चय ही क्रांतिकारी बजट है ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट––

मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव पर जिनका नाम है उनको बोलने का मौका दीजिए ।

श्री दामोदर शर्मा––

मैं मंत्री जी को हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान जो है, उस सम्बन्ध में मेरा निश्चित विश्वास है कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अन्दर हमारे जो देहात हैं और जहां बापू और नेहरू की आत्मा बसती है, वह अवश्य ही इस प्लान के अन्तर्गत तरक्की करेंगे । मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हू कि आज जो गांव सभा की इकाइयां हैं उनकी आज जर्जर दशा है और इस जर्जर दशा की वजह से गांव के प्रधानों के पास पैसा नहीं है जिससे वह न तो खड़ंजा लगा सकते हैं और न कुयें ही बनवा सकते हैं । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी

[श्री दामोदर शर्मा--]

को सुझाव देना चाहता हूं कि वह इसमें कुछ प्राविधान करें जिससे गांव सभाओं को पैसा मिल जाय और वह अपने ढंग के खड़ंजा बनवायें और कुयें बनवायें वह अपने ढंग से वह पैसा खर्च कर सकें जिससे ग्राम प्रधानों को महसूस होगा कि इस उत्तर प्रदेश के शासन में मेरी कुछ पूछ है।

मान्यवर, राष्ट्रीय ग्रामीण योजना का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। उसके सम्बन्ध में जिला लेविल पर कमेटी बनायी गयी है। 885 ब्लाक हैं मेरा सुझाव है कि उसमें ब्लाक स्तर पर एक कमेटी बनायी जाय। मान्यवर, आई० आर० डी० और ट्राइसम योजना शुरू की गयी जिसके लिए सरकार बधायी की पात्र है। इसके अन्तर्गत कर्जा दिलाने की बात होती है तो ग्राम सेवक से लेकर बी० डी० ओज० तक का हिस्सा होता है और भ्रष्टाचार हो रहा है। मेरे जिले मेरठ के खरखौंदा ब्लाक में लोगों को परेशानी हो रही है। लोग हरियाणा भैंस लेने के लिए जाते हैं जिससे उनका काफी पैसा खर्च होता है। ग्राम सेवक से लेकर बी० डी० ओज० तक भैंस, बुग्गी आदि खरीदने के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। किसानों को भूमि विकास बैंक से कर्ज नहीं दिया जा रहा है। मैंने इसके पूर्व भी बजट में कहा था कि जब तक गांवों का उत्थान नहीं होगा वहां पर उत्पादन केन्द्र नहीं खुलेंगे तब तक किसान की प्रगति नहीं होगी और गांवों का उत्थान नहीं होगा।

मान्यवर, जितनी भी खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सड़कें बनी हैं उन सबके अन्दर मजदूरी बाकी है और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पहले उनका भुगतान कराया जाय। यह भी सड़कें जो बनी हैं वह खराब हैं, उनको पक्की कराने की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, सबसे बड़ी बात इस देश में राष्ट्रीय एकीकरण की है। डाक्टर अम्मार रिजवी ने यादगारे सुलहकुल की बात आगरे में की, मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो लोग हिन्दू अपने आपको कहते हैं वे शुद्ध हिन्दू हैं और जो मुसलमान हैं वह शुद्ध मुसलमान हैं। इतिहास के पन्ने इस बात के साक्षी हैं कि दोनों कौमें एक हैं चूंकि इतिहास में ऐसा समय आया है जबकि हिन्दू रानियां मुसलमान बादशाहों के यहां रहीं हैं। हमारा और आपका खून एक है क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें भी वही आर० बी० सी० होते हैं जो हिन्दू और मुसलमान में एक समान होते हैं कोई अन्तर नहीं है। अतः मैं इस सदन के अन्दर मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने यादगारे सुलहकुल जैसे प्रोग्राम से हिन्दू-मुसलमान एकता को बढ़ावा मिला है। इसके माध्यम से देश और प्रदेश में राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत होगी। इसी के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

समय हो चुका है। अब श्री मोहन सिंह जी बोलेंगे।

*श्री मोहन सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं पक्ष और विपक्ष सभी सदस्यों का आभारी हूं कि जिन्होंने इस कटौती के प्रस्ताव पर अपने मूल्यवान सुझाव इस आदरणीय सदन के समक्ष रखे। हमारे परम बुजुर्ग और सदन के वरिष्ठतम सदस्य श्री त्रिवेनी राय ने अपने हिसाब से मेरे भाषण का अर्थ लगा लिया। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं था कि आई० ए० एस० और पी० सी० एस० को डंडा मारकर इस प्रदेश और देश से

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संख्या 22-राष्ट्रीय एकीकरण, अनुदान संख्या 55-ग्राम्य विकास, अनुदान संख्या 56-पंचायती राज, अनुदान संख्या 57-क्षेत्रीय विकास, अनुदान संख्या 61-मत्स्य, अनुदान संख्या 90-पंचायती राज-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 95-ग्राम्य विकास-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 96-क्षेत्रीय विकास-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 101-मत्स्य विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 119-राष्ट्रीय एकीकरण-ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या 123-क्षेत्रीय विकास विभाग-ऋण और अग्रिम

भगा दिया जाय। मेरा आशय था कि जहां उनकी नियुक्ति अनावश्यक है वहां उनको रखकर जो विभागीय अधिकारी हैं उसकी प्रोन्नति के दरवाजे बन्द करके विभागीय अधिकारियों में निराशा का वातावरण पैदा होता है इसलिए उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिये। जैसे आपने किसी वरिष्ठ आई० ए० एस० अधिकारी को कृषि उत्पादन आयुक्त बना दिया जिसको कई विभागों का अधिकार मिल गया नीतिगत। तो मैं नहीं समझता कि आपके विभाग में अलग से सचिव रखने की आवश्यकता है, मैं उसको अनावश्यक समझता हूं। इसलिए जो परियोजनायें हैं उनमें प्रशासक आई० ए० एस० रख दिया तो उसमें कोई एतराज नहीं है लेकिन उसके नीचे भी आई० ए० एस० जैसे उप विकास आयुक्त आदि आई० ए० एस० हों तो उसमें आपत्ति है। जो कमान्ड एरिया हैं उनके लिए मान्यवर, 22 करोड़ रुपये मांगा है अनुदान में अधिकांश रुपये यह बड़े अधिकारियों की पल्टन जो है उस पर खर्च होगा।

मान्यवर, सिंचाई विभाग की ओर से जो नहरें बनायी जाती हैं तो तकनीकी ज्ञान तो सिंचाई विभाग में इंजीनियरों के पास होता है लेकिन मैजिस्टेरियल पावर उनके पास नहीं होता है जिससे परियोजना की दृष्टि व्यापक नहीं होती है। इसलिए यदि तकनीनी ज्ञान के साथ-साथ मैजिस्ट्रेरियल पावर भी उनको मिल जाय तो परियोजना और कमांड की जो दृष्टि है वह व्यापक हो सकेगी।

मान्यवर, इसके साथ ही साथ श्री चन्द्र शेखर त्रिवेदी ने और अन्य माननीय सदस्यों ने जो चुनाव के सम्बन्ध में सुझाव दिये उसमें मात्र उदाहरण देकर कि जिला परिषदों को जनता सरकार ने भंग कर दिया और उनके चुनाव नहीं करायेंगे तो उसके सम्बन्ध में मैं नहीं कहना चाहूंगा लेकिन मैं केवल यह कह सकता हूं कि किसी पुरानी सरकार के गन्दे काम हैं वह आपके लिए उदाहरण नहीं बनने चाहिये और हर सरकार को अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिये न कि गन्दे कामों की दोहाई देकर और गन्दे काम करते रहें। इससे आपकी प्रतिष्ठा धूमिल होती है और कोई अच्छे काम नहीं होते हैं।

मान्यवर, आपने जिला परिषदों में कर अधिकारियों को कुछ आदेश दिये थे। मुझे अफसोस होता है कि श्री अम्मार रिजवी जैसे अनुभवी मंत्री के आदेशों का पालन उनके विभाग के अधिकारी नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि अन्य मंत्रियों की क्या गति होगी। यह एक उदाहरण है जो मकड़ी के जाले की तरह अधिकारियों की घेरा बन्दी है। यह इसको तोड़ने का काम नहीं करेंगे तो ग्रामीण विकास के कार्यों में आपको सफलता नहीं मिलने वाली है।

इसके साथ ही साथ मान्यवर, जो हमारे 3-4 जिले हैं जैसे आगरा है, मथुरा है, अलीगढ़ है, जोधपुर है, यहां मीठे पानी की समस्या बड़ी जबरदस्त है। अभी हम लोगों की पब्लिक अंडर टेकिंग कमेटी गयी थी इन्हीं जिलों में तो वहां पर यह खारे पानी की समस्या सामने आयी। मान्यवर, कृषि के लिए भी और मानव के उपयोग के लिए भी मीठे पानी की बहुत आवश्यकता है। वहां किसान हम लोगों के सामने आये और यह सवाल हम लोगों के सामने रखा।

[श्री मोहन सिंह--]

सेन्ट्रल वाटर कमीशन ने आगरा जिले का सर्वे करके वहां मीठे पानी को निकालने की योजना बनाई है। मैं यह चाहता हूं कि इन तीन-चार जिलों में ग्राम वाटर सर्वे करा के मीठे पानी की जो एक समस्या है आगरा जिले की उसे खतम करना होगा। उसके लिए चाहे 4-5 रिंग वाटर मशीनें दी जायं। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूं कि ग्राम्य विकास करके आप जनता का बड़ा हित करेंगे और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं और माननीय मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि वे माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये प्रस्तावों और सुझावों को स्वीकार करके उन्हें कारगर रूप देंगे।

*श्री अम्मार रिजवी—

अध्यक्ष महोदय, मैं सभी सम्मानित सदस्यों का बड़ा आभारी हूं विशेषकर श्री मोहन सिंह जी का जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिये। मान्यवर, कुछ बातें इस बीच में सामने आयीं जो मुख्य-मुख्य हैं उसके अन्दर ग्राम्य विकास अधिकारियों का प्रतिनिधित्व कम है। यह बात स्वयं विभाग के विचाराधीन है, इस तरफ भी कई कदम उठाये गये हैं। कई जगहों पर जहां तक ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को होना चाहिये और इससे पहले जहां आई० ए० एस० आफिसर हैं, इस दिशा में हम लोग कुछ और भी सोच रहे हैं कि डेली वर्कर को जहां तक देने लायक होगा, जितनी उस विभाग के लिए लोगों को आवश्यकता है, वहां उस विभाग के लोगों को रखा जायेगा ताकि काम सुचारू रूप से चल सके।

मान्यवर, एक बात और कही गयी कमान्ड एरिया के बारे में कि वहां पर आई० ए० एस० और पी० सी० एस० आफिसर भरे हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वहां पर केवल 6 आई० ए० एस० आफिसर और 3 पी० सी० एस० आफिसर हैं और 24 ग्राम्य विकास के लोग हैं उसके अन्दर। इसके बावजूद भी हम लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा ग्राम्य विकास के लोगों को रखा जा सके। बी० डी० ओ० के सम्बन्ध में यह बात कही गयी, वह मामला शासन के विचाराधीन है और कोशिश यही है कि सारी सर्विसेज के अन्दर इस बात का ध्यान रखा जाय कि जो पदोन्नति के, प्रमोशन के चान्सेज हैं वह अधिक से अधिक उनके लिये खोल दिये जायं और जो इनमें अनुभवी लोग हैं उनसे हम काफी फायदा उठा सकें।

मान्यवर, सीपेज की बात आयी कि शारदा सहायक से काफी सीपेज हो रहा है, इसमें सिंचाई विभाग से बात की गयी थी। 30 मार्च से शारदा सहायक और दूसरे कमाण्ड इसे बन्द करने का काम कर रहे हैं और जहां-जहां सीपेज है वहां ड्रेन बनवाने का काम किया जायेगा।

नेशनल इन्टीग्रेशन में जहां पहले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसका अध्यक्ष हुआ करता था अब उसमें हमारे जन प्रतिनिधि उसके अध्यक्ष बनेंगे।

(मेजों की थपथपाहट और हर्ष ध्वनि)

हमारे जिन सम्मानित सदस्य ने यह बात उठायी, वह इस समय हैं नहीं परन्तु मैं इस सम्मानित सदन के माध्यम से उनको यह बात सूचित करना चाहता हूं कि अब जन प्रतिनिधि वहां अध्यक्ष रहेगा। परन्तु यह क्रम अलफाबेटिकली चला करेगा, यह काम रोटेशन से होगा, अब वहां जिलाधिकारी नहीं रहेगा। वहां का अध्यक्ष अब जन प्रतिनिधि ही होगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, अभी चुनावों का भी जिक्र किया गया। जिला परिषदों के चुनाव के बारे में या दूसरी इकाइयों के चुनाव के बारे में बात कही गयी। किसी जगह किन कारणों से चुनाव नहीं हुए। मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि चुनाव न कराये जायं, चुनाव कराये जाने थे, परन्तु कुछ न कुछ रुकावटें आती ही रहीं। जैसे अभी सेन्सेज की बात आ गयी। नियत हमारी साफ है। अगर नियत साफ नहीं होती तो इसके पहले बहुत कुछ कार्यवाही जो थी वह हो चुकी होती। इसलिए माननीय मोहन सिंह जी को नियत पर सुबहा नहीं करना चाहिए। यह भी कहा गया कि हम अन्त्योदय को खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं है सिक्स्थ प्लान में हमने 30 करोड़ इसके लिए रखा है। जिस काम से जनता का हित होगा हम वैसे किसी काम को खत्म करने नहीं जा रहे हैं बल्कि बढ़ावा दिया रहा है। कुछ बातें ग्राम्य विकास की जो गोष्ठियां होती हैं उस सम्बन्ध में भी हमारे भाई ने कहीं तो जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, हर दृष्टि से जो पिछड़ा क्षेत्र है, किसी ब्लाक का सबसे पिछड़ा क्षेत्र जो है वहां लोगों को बुलाकर सब बातें तय की जायेंगी ताकि विकास का कार्य वहां पर हो सके। इसी के साथ–साथ अहमीरा की बात कही गई वहां 6–7 नदियां हैं और वहां पर साल में दस महीने पानी भरा रहता है। वहां पर ग्रामीण अभियंत्रण ने एक रोड बनाई, वहां पर विकास गोष्ठी हुई और उसमें केवल वहां के लोग ही नहीं थे, हमारे साथी भी गए थे, पत्रकार भी गए थे। यह आरोप लगाया गया कि वहां ये लोग ऐश करने गए थे।

मान्यवर, इस आंधी, पानी और रेते में ऐश करने कोई क्यों जायेगा और इस बात को आपने भी स्वीकार किया है, स्वयं अपनी बात का खंडन किया है। खाने आदि के बारे में भी कहा गया कि लखनऊ से गया था तो यह बात नहीं है, वहां के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने सारा प्रबन्ध किया था। यह आरोप बिल्कुल निराधार है और सत्य से परे हैं लेकिन उनको शायद गुर्गे याद आते हैं। बिल्ली को ख्वाब में आप जानते हैं क्या चीज नजर आती है। यहां पर जो सुझाव दिए गए उन तमाम सुझावों से मुझे बहुत ही फायदा पहुंचा है, हमारे विभाग को फायदा पहुंचा है। बहुत सी चीजें ऐसी कही गईं जो हमें पता नहीं थीं। जो हमारे माननीय सदस्यों ने मार्ग दर्शन किया है और जो यहां की समस्यायें हैं, जो ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोग हैं उनकी समस्यायें जो हैं उनके लिए ऐसे कार्य किये जायेंगे जिससे उन्हें दूर किया जा सके। अभी हमारे माननीय सदस्य श्री सतीश आजमानी जी ने जो कहा उस सिलसिले में यह है कि जितना कार्य वहां होगा, उस ग्राम सभा में उसमें एक तो प्रधान अवश्य रहेगा। यदि निर्बल बस्ती में कार्य हो रहा है तो वहां के लोगों की एक कमेटी होगी जो उसका सुपरविजन करेंगे।

मान्यवर, कर अधिकारी के सिलसिले में माननीय मोहन सिंह ने एक बात कही कि आदेशों का पालन नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं है। जो आदेश पारित हो गए हैं उन आदेशों का कार्यान्वयन होगा उसमें कुछ विलम्ब हो सकता है। एक तो आजकल सदन चल रहा है तथा कुछ और भी कारण हो सकते हैं जिनसे विलम्ब हो सकता है लेकिन जो आदेश हैं उनका पालन जरूर होगा। अभी अकबाल साहब ने कहा था कि 19 का कोई आदेश था उस पर अभी तक पालन नहीं हुआ है।

[श्री अम्मार रिजवी---]

19 को उनसे मेरी मुलाकात हुई थी । आदेश किये गये । उसको वहां तक पहुंचने में समय लग सकता है । जिस क्षेत्र में उनसे बात हुई है, वहां रिलीफ वर्क होगा मत्स्य विभाग के सिलसिले में दो शब्द कहना चाहूंगा वह यह कि मत्स्य विभाग में नौकरियों में इस बात पर निर्णय लिया गया है कि जो लोग इस ट्रेड में रहे हैं, जो मल्लाह जाति के हैं । उसके अन्दर उनको वरीयता दी जायगी । साथ ही साथ जो ठेके दिये जाते हैं उसके अंदर जहां पर मल्लाह जाति के लोग मौजूद हैं और स्वयं ठेके लेना चाहते हैं तीन साल के ऐवरेज की इनकम पर उनको ठेके देंगे और इस तरह से उनका प्रोटेक्शन कर सकेंगे । इस बात का प्रयास कर रहे हैं ।

माननीय, यह जैसा मैंने निवेदन किया है, मैं समझता हूं कि जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है माननीय मोहन सिंह जी ने खुद उन्होंने कहा था कि दिल से नहीं पेश किया है और आत्मा उनकी मना कर रही होगी....

एक सदस्य---

दिल की बात आप आसानी से समझ लेते हैं....

श्री अम्मार रिजवी---

आपने आत्मा की आवाज सुनी है । इस वक्त भी आत्मा की आवाज सुनेंगे और इन गरीब किसानों पर, ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोगों पर, इन मजदूरों पर, रहम करते हुये अपना एक रुपया वाला कटौती का प्रस्ताव वापस कर लेंगे ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय मोहन सिंह जी, आप प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

(श्री मोहन सिंह के इन्कार करने पर)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 22---राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 22---राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 55---ग्राम्य विकास विभाग के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनदान संख्या 55---ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने

अनुदान संख्या 22-राष्ट्रीय एकीकरण।, अनुदान संख्या 55-ग्राम्य विकास, अनुदान संख्या 56-पंचायती राज, अनुदान संख्या 57-क्षेत्रीय विकास, अनुदान संख्या 6:-मत्स्य, अनुदान, संख्या 90-पंचायती राज-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 95-ग्राम्य विकास-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 96-क्षेत्रीय विकास पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 101-मत्स्य विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 119-राष्ट्रीय एकीकरण--ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या 123-क्षेत्रीय विकास विभाग-ऋण और अग्रिम

लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 49,51,45,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 56--पंचायती राज विभाग के अधीन मांग को राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 56--पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,56,42,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 57-क्षेत्रीय विकास विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 57-क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 67,14,61,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 61-मत्स्य विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 61--मत्स्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,25,64,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 90--पंचायती राज विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अधीन मांग को राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 90-पंचायती राज विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 79,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 95--ग्राम्य विकास विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अधीन मांग को राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 95--ग्राम्य विकास विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 65,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 96--क्षेत्रीय विकास विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 96--क्षेत्रीय विकास विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान

संख्या 22--राष्ट्रीय एकीकरण अनुदान संख्या 55--ग्राम्य विकास, अनुदान संख्या 56--पंचायती राज, अनुदान संख्या 57--क्षेत्रीय विकास, अनुदान संख्या 61--मत्स्य, अनुदान संख्या 90--पंचायती राज--पूंजीगत परिव्यय अनुदान संख्या 95--ग्राम्य विकास, पूंजीगय परिव्यय, अनुदान संख्या 96--क्षेत्रीय विकास पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 101--मत्स्य विभाग--पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 119--राष्ट्रीय एकीकरण--ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या 123--क्षेत्रीय विकास विभाग--ऋण और अग्रिम

द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 45,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 101-मत्स्य विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अधीन मांग को राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 101-मत्स्य विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 92,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 119-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 119-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग-ऋण और अग्रिम के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकान के लिए आवश्यक धनराशि को पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,38,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 123-क्षेत्रीय विकास विभाग-ऋण और अग्रिम के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 123-क्षेत्रीय विकास विभाग-ऋण और अग्रिम के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,12,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मसरूर जाफरी, सदस्य, विधान सभा की रिहाई की सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक सूचना माननीय सदस्यों को देनी है । जिला मैजिस्ट्रेट, गोंडा ने अपने वायरलेस संदेश, दिनांक 2 मार्च, 1981, जो आज 3 मार्च, 1981 को प्राप्त हुआ, में यह सूचित किया है कि एस0डी0एम0, उतरौला, जिला गोंडा ने यह सूचना भेजी है कि श्री मसरूर जाफरी, सदस्य, विधान सभा जो 28 फरवरी, 1981 को गिरफ्तार किए गए थे, न्यायालय द्वारा 2 मार्च, 1981 को रिहा कर दिये गये ।

अधीक्षक, जिला कारागार, गोंडा के वायरलेस संदेश, दिनांक 2 मार्च, 1981, जो आज 3 मार्च, 1981 को प्राप्त हुआ, के अनुसार श्री मसरूर जाफरी, सदस्य, विधान सभा दिनांक 2 मार्च, 1981 को एस0डी0एम0, उतरौला के न्यायालय के समक्ष रिहा कर दिए गए।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 की कुल 8 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें से श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री जटाशंकर सिंह, श्री राम लाल, श्री हरवंश सहाय एवं श्री नन्द किशोर सिंह, श्री किरन पाल सिंह एवं श्री विजय सिंह राणा की सूचना 26 फरवरी, 1981 को मेरठ में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पीटे जाने से ट्रक ड्राइवर श्री रमेश की मृत्यु के सम्बन्ध में है, स्वीकृत की हैं । शेष सब अस्वीकृत हैं ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, दाह संस्कार के सम्बन्ध में कोई सूचना है ।

श्री अध्यक्ष--

मद संख्या 11 लेता हूं ।

विद्युत चोरी के सम्बन्ध में लखनऊ विद्युत प्रदेय उपक्रम द्वारा चलाये गये अभियान में पकड़े गये अधिकारियों व कर्मचारियों के विषय में 20 फरवरी, 1981 के तारांकित प्रश्न 7 नत्थी (ख) के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

(5 बजकर 6 मिनट)

श्री मित्र सेन--

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से यह जो लखनऊ में माह नवम्बर में उच्च अधिकारियों द्वारा बिजली चोरी का मामला सदन में प्रस्तुत हुआ।

प्रश्न काल में उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं । इस प्रदेश की राजधानी लखनऊ मुख्यालय में रहनेवाले 38 उच्च अधिकारियों द्वारा बिजली की चोरी का मामला प्रकाश में आया है । उससे प्रदेश सरकार की छवि धूमिल हुई है और जो कानून के रक्षक हैं उन्हीं के माध्यम से चोरी का मामला सामने आया उससे हमारे प्रदेश का सर शर्म से झुक जाता है । इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया था और कहा था कि अपराधियों के अतिरिक्त आर्थिक अपराधी कभी भी कानून की नजर से बच नहीं पायेंगे और आगे आर्थिक अपराधियों के बारे में मुख्य मन्त्री ने कहा था कि उनके लिए जगह सिर्फ जेल में है । तो आर्थिक अपराधियों में और कोई हो तो बात दूसरी है, लेकिन यदि अधिकारी लोग आर्थिक अपराधी हों तो यह एक गम्भीर विषय हो जाता है । यदि कोई सत्ता के बाहर आर्थिक अपराध करता है तो उसको दूसरी श्रणी में लिया जा सकता है, लेकिन अगर सरकार के अग्रणी लोग, शासन के जिम्मेदार लोग आर्थिक अपराधी की केटेगरी में आते हैं तो ऐसे लोगों के प्रति इस प्रदेश की जनता क्या विश्वास करे, कैसे विश्वास करे और कैसे ऐसी चोरियों का निराकरण हो सकेगा । हमारे सामने और सदन में बराबर इस तरह के प्रश्न उठा करते हैं, 109 लाख की चोरी मिली है । यह जो घटना हुई है, इसमें राजपत्रित अधिकारी से नीचे कोई है नहीं । जो लोग पकड़े गये हैं, उनमें से सारे लोग सामने नहीं आये हैं, कुछ लोग छोड़ दिये गये हैं । पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, आई0ए0एस0 और आई0पी0एस0 अधिकारी इसमें से बच निकले हैं ।

इस तरह की तमाम कालोनियां, जो राजधानी में हैं, उनमें इस तरह की चोरी हो रही है । तो प्रदेश सरकार को अपना नियम बनाकर इन अधिकारियों के खिलाफ कोई ऐसी कार्यवाही करनी चाहिये, जिससे प्रदेश की जनता के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत हो सके और कानून की नजर में कोई बच नहीं पाये । एक तरफ तो छोटे आदमी चोरी करें तो उन्हें जेल के सीखचों में बन्द किया जाता है, दूसरी तरफ कानून के परिपालन कानून की उपेक्षा करके स्वयं इस तरह का लाभ उठाते हैं । ऐसे अफसरों का क्या विश्वास किया जाय । हमारे प्रदेश और देश की जनता आशा करती है कि इन आर्थिक चोरों का कोई प्रतिकार होगा और उनको सजा मिलेगी । जिस तरह प्रश्नोत्तर में जवाब दिया गया गया है, कि उनको न एफ0 आई0 आर0 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया, न जेल भेजा गया, न उनकी कोई जमानत हुई है, यह स्थिति बहुत असन्तोषजनक है । इसलिए मैं चाहता हूं कि इस माननीय सदन में सरकार अपना एक निश्चित वक्तव्य दे ।

(विद्युत् उप मंत्री) श्री सुनील शास्त्री--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में विद्युत् मंत्री जी ने क्वेश्चन-आवर में यहां पर स्पष्ट रूप से बता दिया था कि हमारे विभाग द्वारा जो अभियान चलाया गया था, उसमें 38 आदमियों के विरुद्ध विद्युत् की चोरी पकड़ी गई थी और उसके बाद हमारे विभाग से तुरन्त एफ0 आई0 आर0 पुलिस में लाज किया । साथ ही साथ जो कार्य था असिसमेन्ट का उसे भी हमारे विभाग ने पूरा किया । जिन अधिकारियों को दोषी पाया गया था, उनके पास असेसमेन्ट भेज दिया गया । हमारे विभाग की जहां बात है, हमने पूरी कार्यवाही उन 38 आदमियों के विरुद्ध कर ली है, जिनको विद्युत् की चोरी में दोषी पाया गया था ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

अध्यक्ष जी, एक गम्भीर मामला जो छोटे रूप में लिया गया, यह कोई अच्छी बात नहीं है । मान्यवर, प्रजातन्त्र तो दो ही लोग भली प्रकार चलाते हैं । एक तो हम लोग जो यहां बैठे हैं, जो विधेयक बनाते हैं और दूसरे उस गैलरी में बैठे हुए लोग ... ।

श्री अध्यक्ष--

आप गैलरी की बात न करें । अपनी कहें ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

जो उन विधानों का पालन कराते हैं । 38 अधिकारी पकड़े गये, अधिकतर उसमें आई० ए० एस० व पी० सी० एस० अधिकारी हैं । वे अधिकारी आज भी यहां पर तैनात हैं और इतने दिनों के बाद भी सिर्फ 12 आदमियों के खिलाफ ही चार्जशीट लगायी गयी है और जो रिकवरी निकाली गयी वह वसूल की गयी या नहीं जब कि छोटे-छोटे काश्तकारों से बिजली की वसूली तहसील के माध्यम से करायी जाती है और उनको जेलों में बन्द कराया जाता है ।/ क्या सरकार उन दोषी व्यक्तियों से 7 दिनों के अन्दर रुपया वसूल करेगी ? यदि नहीं तो क्या उनको जेल में बन्द करायेगी ? क्या सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी और उन्हें तुरन्त लखनऊ से तैनाती हटवाकर किसी दूसरी जगह भेजेगी क्योंकि वे वहां रहकर जोर डलवा रहे हैं सरकार के ऊपर ?/

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं सरकार का ध्यान केवल 4 बिन्दुओं की तरफ आकर्षित करते हुए उनके उत्तर की अपेक्षा करूंगा । जो लोग बिजली की चोरी करते हुए पकड़े गये हैं उनके खिलाफ कार्यवाही तो अवश्य होनी ही चाहये लेकिन क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जिस समय इस कालोनी में लोग बसने के लिए गये उस समय वहां पर क्या बिजली लगी हुयी थी ? क्या उन्होंने वहां पर जाने पर मीटर और कनेक्शन्स के लिए प्रार्थना-पत्र दिये थे ? क्या यह भी सही है कि कई महीनों तक लखनऊ की बिजली सप्लाई कम्पनी (लेसु) के सामने कौन सा ऐसा संकट था कि उन लोगों को कनेक्शन्स नहीं मिले । तीसरी बात यह है कि रेड होने के दूसरे ही दिन 2-3 दिन में कनेक्शन्स लिए गये, मीटर लग गये । उसका पैसा जमा हो गया ? क्या यह भी सही है कि काफी लोगों के यहां पर रेड हुये थे और क्या उनमें से काफी अधिकारी ऐसे थे जिनका सम्बन्ध पुलिस से है चाहे वह सचिवालय के अधिकारी हों या आई० जी० के । उनके नाम एफ० आई० आर० से निकाल दिये गये । इन प्रश्नों के बारे में मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर चाहूंगा । यह बात तो समझ में आती है कि इन अधिकारियों का दोष था लेकिन साथ ही साथ विद्युत परिषद के अधिकारियों का भी षड्यंत्र और स्कैन्डल है जो इस प्रकार से बिजली सप्लाई हो रही है । यही ही नहीं पूरे प्रदेश में बिजली विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है । मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी देने की कृपा करें ?

श्री रियासत हुसैन--

जैसा कि अभी माननीय गुप्ता जी ने कहा जो 38 आदमी बिजली की चोरी में पकड़ गये क्या यह सही है कि पुलिस के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ एफ०

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आई0 आर0 लाज नहीं की गयी और जो लोग पकड़े गये एस्कवैड के द्वारा अब तक अधिकारियों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, एक बात उसमें यह भी है कि ये जो फलैट्स हैं, बंगले हैं, वे राज्य सम्पत्ति विभाग से सम्बन्धित हैं और राज्य सम्पत्ति विभाग भी इसके लिए जिम्मेदार है कि वे सभी बंगलों में मीटर लगवायें जिससे पता चल सके कि फो मीटर क्या कन्जम्पशन है । वे भी मीटर न लगवाने में कुछ हद तक दोषी हैं तो क्या इस सम्बन्ध में पूरी सूचना संग्रहीत करके बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री धर्म सिंह--

जैसा कि माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है कि 38 अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट लाज करा दी गयी तो क्या इस सम्बन्ध में जो अपराधी पाये गये उनके विरुद्ध कोई डिपार्टमेन्टल ऐक्शन भी लिया गया या नहीं ?

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, बिजली विभाग में केवल यहीं नहीं सारे उत्तर प्रदेश में बिजली की चोरी जम कर होती है और बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी और ठेकेदार इसमें सम्मिलित होते हैं और वे पुलिस की शह पर चोरी किया करते हैं । अभी हाल में अलीगंज में 3 डी0 एस0 पी0 के खिलाफ मामले थे । उनमें एक श्री विनय वर्मा, दूसरे अजय सक्सेना, तीसरे श्री ओ0 पी0 नागर और एक ज्वाइन्ट सेक्रेटरी, श्री एस0 पी0 सिंह हैं । उनके खिलाफ कोई एफ0 आई0 आर0 नहीं लिखायी गयी और न कोई कार्यवाही ही उनके खिलाफ की गयी है । एफ0 आई आर0 भी नहीं दर्ज कराई गयी जब कि वह चोरी में पकड़े गये थे । डी0 एम0 कम्पाउन्ड में भी छापा पड़ा था, वहां पी0 सी0 एस0 और आई0 ए0 एस0 के खिलाफ एफ0 आई0 आर0 लिखने तक तो कार्यवाही की गयी, लेकिन उनके खिलाफ और कार्यवाही नहीं की गयी । मैं पूछना चाहता हूं कि इसको विस्तार से बता दिया जाय ?

श्री कुबेर भण्डारी--

मान्यवर, अब तक आई0 ए0 एस0 अधिकारियों को बिजली की चोरी करने का अधिकार था, अब क्या पुलिस के अधिकारियों को भी इसके लिए छूट दे दी गयी है ?

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी--

क्या माननीय मंत्री जी या उनके विभाग को ऐसी शिकायत मिली है कि 30 रुपये के बिल के बजाय 200 रुपये का बिल बना कर विद्युत् विभाग द्वारा कुछ व्यक्तियों को दिया गया और इसके लिये दोषी व्यक्ति को क्या सजा दे दी गयी है ?

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, 11 नवम्बर के "आज" समाचार पत्र में जो बिजली की चोरी के बारे में रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी और जहां छापा पड़ा था, उस ओर मैं

[श्री श्याम लाल बाजपेयी--]

माननीय मंत्री जी का ध्यान एक घटना की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि मान्यवर, मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से शिकायत की कि बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक के यहां बगैर मीटर के बिजली जलाई जा रही हैं, कृपया आप रेड करायें । उन्होंने मेरी बात मानी, विभाग को आदेश दिया और जो आपके बिजली विभाग में एक सेल बनाया गया ह, उसमें भी पुलिस के लोग हैं और जब तक कि रेड करने वहां जायं, उससे पहले फोन हो गया और सारा मामला ठीक कर दिया गया । मान्यवर, इस प्रदेश में क्या उन गरीब किसानों... ।

श्री अध्यक्ष--

यह लखनऊ का मामला हैं, आप किसान पर क्यों जा रहे हैं ?

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, मैं लखनऊ पर ही आ रहा हूं । तो मैं मान्यवर, यह कह रहा था कि इस प्रदेश में क्या उन गरीब किसानों के लिए ही सारे कानून हैं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बड़ी कृपा की रेड तो करवाया, मगर जो कानून के स्वामी कहते हैं, उन अपराधी पुलिस अफसरों ने अब तक क्या कार्यवाही की हैं ? सब से बड़े कलंक की बात हैं, माननीय मंत्री जी यहां पर गरीबों के लिए तो आपके सारे कानून हैं, लेकिन इन अफसरों के लिए कोई कानून कारगर नहीं होता हैं और जो कुछ करे पुलिस वह करती चली जा रही हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिन अफसरों ने यह गुनाह किया हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही आपने की, इसकी सूचना सदन को देने की कृपा करें ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, इस चर्चा में जिन सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, उसकी ओर दृष्टि डालें, तो यह बात आती है कि सबका स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी दे दें और आगे क्या कार्यवाही कर रहे हैं, यह भी बता दें ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो सके । इसका मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, जैसा कि अभी हमारे साथी रियासत हुसैन जी ने कहा, उनकी बात को मैं यहां पर सदन में आपके समक्ष रख रहा हूं कि चोरी के मामले 38 अधिकारियों के खिलाफ थे और सभी अधिकारियों के खिलाफ एफ0 आई0 आर0 लाज किया गया और आज तक उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही हैं, केवल एक अधिकारी, जिसके विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 लाज किया गया था, उससे पहले ही उस अधिकारी ने एक एफ0 आई0 आर0 लाज किया था कि उनका मीटर चोरी चला गया, इसलिए हमारे विभाग के अधिकारी ने उस एफ0 आई0 आर0 को वापस ले लिया । उस अधिकारी का नाम हैं--बलकिशन सिंह इसी तरह से जो माननीय गुप्ता जी ने सुझाव रखा हैं, उसके बारे में कहना चाहता हूं कि हमारी जो नयी कलोनी थी, उसमें मीटर तभी लगता हैं जब उसमें अधिकारी दे कि हम जाकर रहने लगे या जिसके नाम एलाट हुयी हैं, वहां पर पहुंच जाय और लिखकर दें उस मकान में रहने लगे ह, तो उसके पश्चात् मीटर की व्यवस्था हमारे विभाग द्वारा की जाती हैं । तो ऐसे 7 अधिकारियों का लिखित आ गया था । उनके मीटर के सम्बन्ध में हमारे पास आया था और हमारे विभाग ने वहां पर मीटर बाद में लगा दिया ।

इसके अतिरिक्त जहां पर कार्यवाही का सवाल है, मैं पुनः माननीय सदस्यगण को बताना चाहता हू कि पूरी कार्यवाही उनके विरुद्ध की जा रही है--वह चाहे अधिकारी हो या कोई भी हो। अगर उसने विद्युत् की चोरी की है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी और वह कार्यवाही की जा रही है।

श्री धरम पॉल--

माननीय, वे विद्युत् की चोरी में रंगे हाथ पकड़े गये हैं, उनके खिलाफ एफ० आई० आर० है और आप कह रहे हैं कि अगर पाये गये ?

श्री सुनील शास्त्री--

माननीय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि अगर से मेरा मतलब है कि केवल इन्हीं अधिकारियों से नहीं, अगर से मतलब है कि आगे आने वाले समय में भी यदि कोई भी व्यक्ति विद्युत् चोरी करते हुए पकड़ा जायेगा, तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

माननीय, ये जो 38 अधिकारी हैं, उनमें जिनके विरुद्ध पुलिस ने विवेचना कर दी है, उनमें न्यायालय में कार्यवाही चल रही है और बाकी जो अधिकारी हैं, उनके विरुद्ध विवेचना जारी है और जैसे ही पुलिस अपनी विवेचना पूरी कर लेगी, वे मामले कोर्ट में जायेंगे और इन सभी अधिकारियों के विरुद्ध जब कोर्ट से फैसला होकर आदेश मिलेगा, तो उसके ऊपर हमारा शासन कार्यवाही करेगा।

श्रीमन्, मैं बता दूं कि 15 अधिकारियों के विरुद्ध असेसमेंट किया गया था और बाकी का चल रहा है। उसमें जो 15 के विरुद्ध असेसमेंट किया गया था, पन्द्रहों अधिकारियों ने उस पैसे को विद्युत् विभाग में जमा कर दिया है और यह 3,041 रुपया था। उन्होंने इसको विभाग में जमा कर दिया है और बाकी अधिकारियों के विरुद्ध असेसमेंट जारी है और बहुत ही शीघ्र असेसमेंट के पश्चात् उनसे भी वसूली करेंगे।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 3 मार्च, 1981 की बैठक में सदन के 4 मार्च, 1981 से 9 अप्रैल, 1981 तक के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित संशोधन एवं परिवर्द्धन की सिफारिश की है :--

1--4 मार्च से 8 मार्च, 1981 तक बैठक न हो,

2--शनिवार दिनांक 14 मार्च, 1981 को सदन का उपवेशन हो और निम्नलिखित कार्य हो :

(क) वित्तीय वर्ष 1980-81 के द्वितीय अनपूरक अनुदानों तथा

(ख) वित्तीय वर्ष 1974-75, 1975-76 एवं 1976-77 के अतिरिक्त अनुदानों पर सामान्य चर्चा, मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयकों के पुरःस्थापन, उन पर विचार एवं उनका पारण।

[श्री अध्यक्ष--]

3--दिनांक 18 मार्च व 19 मार्च, 1981 को भी बैठक न हो और इस प्रकार दिनांक 18 मार्च से 22 मार्च, 1981 तक सदन की बैठक न हो,

4--दिनांक 25 मार्च, 1981 को सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर विचार तथा मतदान हो,

5--दिनांक 26 मार्च, 1981 को उद्योग विभाग के सम्बन्धित अनुदानों पर विचार तथा मतदान हो,

6--दिनांक 27 मार्च, 1981 को सांस्कृतिक कार्य विभाग, सूचना विभाग तथा पर्यटन विभाग से सम्बन्धित अनुदानों की मांगो पर विचार तथा मतदान आधा दिन हो तथा परिवहन विभाग से सम्बन्धित मांगों पर मतदान आधा दिन हो,

7--दिनांक 30 मार्च, 1981 को विद्युत् विभाग से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर विचार तथा मतदान हो,

8--दिनांक 31 मार्च, 1981 को निम्नलिखित कार्य हों :

(1) अपराह्न 4 बजे तक--वित्तीय वर्ष 1981-82 के आय-व्ययक की उन मांगों पर मतदान, जो वर्तमान कार्य-क्रम के अनुसार 25 मार्च, 1981 के लिए निर्धारित थी ।

(2) अपराह्न 4 बजे से--उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1981 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

9--दिनांक 1 अप्रैल, 1981, 2 अप्रैल, 1981 और 3 अप्रैल, 1981 को असरकारी दिवस हो,

10--दिनांक 6 अप्रैल, 1981 को निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनके पारण सम्बन्धी प्रस्ताव लिये जायं :--

(1) उत्तर प्रदेश स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) विधेयक, 1981,

(2) विद्युत् विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1980,

(3) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1980 ।

11--दिनांक 7 अप्रैल, 1981 को निम्नलिखित कार्य लिये जायें :

(क) इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1981 पर विचार एवं उसके पारण के प्रस्ताव,

(ख) उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 पर विचार एवं उसके पारण का प्रस्ताव,

(ग) उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (संशोधन) विधेयक, 1980, जो इस सदन द्वारा 18 सितम्बर, 1980 को पारित होने के उपरांत उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ भेजा गया था और जिस पर विचार करने का प्रस्ताव विधान परिषद् की 4 अक्तूबर, 1980 की बैठक में अस्वीकृत हो गया था, को जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित करने का प्रस्ताव,

(घ) उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) (संशोधन) विधेयक, 1981 पर विचार एवं उसके पारण के प्रस्ताव ।

12---दिनांक 8 अप्रैल, 1981 को निम्नलिखित कार्य हों :

(1) उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उपलोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1981 पर विचार एवं उसके पारण के प्रस्ताव,

(2) देश की वन सम्पदा का वनोन्मूलन रोकने और नागर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षों के निपातन और उससे सम्बद्ध अथवा आनुषंगिक तथा प्रासंगिक सभी विषयों का संसद् द्वारा विधि के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य विनियमित किये जाने के विषय में सरकारी संकल्प का प्रस्तुतीकरण तथा उस पर विचार,

(3) उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान के अधिकारियों द्वारा करीब 4 करोड़ रुपये की औषधियों का घपला पकड़े जाने और दवाओं के नाम पर अप्रमाणिक पदार्थ अस्पतालों को दिये जाने के सम्बन्ध में श्री जनार्दन प्रसाद ओझा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर एक घंटे का चर्चा ।

13---दिनांक 9, अप्रैल, 1981 को असरकारी दिवस हो ।

(विद्युत् उप मंत्री) श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी, सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं । 9 मार्च, 1981 को 11 बजे पूर्वाह्न में फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 31 मिनट पर सोमवार, 9 मार्च, 1981 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
3 मार्च, 1981

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्त संख्या 15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 934 पर)

क्रम सं0	विद्यालय का नाम	क्षेत्र का नाम	व्यय की गई धनराशि
			रु0
1	जूनियर हाई स्कूल, शाहपुर	बेलघाट	5,000
2	,, ,, धानी	धानी	5,000
3	,, ,, सुनौरा	धानी	5,000
4	कन्या जू0 हा0 स्कूल, धानी	धानी	2,000
5	जूनियर हाई स्कूल, डोहरिया बाजार	जंगलकौडिया	3,000
6	,, ,, जंगलकौडिया	तदेव	5,000
7	,, ,, भाटी तिवारी	जंगल कौडिया	4,300
8	,, ,, विशुनपुर	ब्रह्मपुर	5,000
9	,, ,, ब्रह्मपुर	ब्रह्मपुर	5,000
10	,, ,, पटना	बड़हलगंज	5,000
11	,, ,, छपिया	तदेव	5,000
12	,, ,, चारपान	कौड़ीराम	3,000
13	,, ,, कोठा	तदेव	3,000
14	,, ,, सोनवापार	तदेव	3,000
15	कन्या ,, कोठा	तदेव	1,000
16	,, ,, महाराजगंज	चरगांवा	5,000
17	,, ,, चौमुखा	घुघली	5,000
18	,, ,, नेतवर	कैम्पियरगंज	5,000
19	,, ,, फरदहनी	पाली	5,000
20	,, ,, खजनी	खजनी	5,000
21	,, ,, भीती भिगवानपुर	पिपरौली	5,000
22	प्राइमरी पाठशाला, मोहरीपुर	चरगांवा	2,000
23	कन्या क्रमोत्तर, सेमरा	तदेव	2,000

क्रम सं0	विद्यालय का नाम	क्षेत्र का नाम	व्यय की गई धनराशि
			रु0
24	प्राइमरी पाठशाला, कैम्पियरगंज	कैम्पियरगंज	1,000
25	,, ,, लुहुसो	पिपराइच	1,500
26	,, ,, फरेन्दा	फरेन्दा	1,500
27	,, ,, महराजगंज	महराजगंज	1,500
28	,, ,, घुघुली	घुघुली	1,500
29	,, ,, जंगलकौडिया	जंगलकौडिया	500
30	,, ,, सिमरी सिसवां	सिसवा	500
31	,, ,, सोनरा महराज-गंज	महराजगंज	500
32	,, ,, रामपुरवा	महराजगंज	500
33	जूनियर हाई स्कूल, महराजगंज	महराजगंज	965
34	प्रा0 पा0, बदेवली बाबू	बांसगांव	50
35	प्रा0 पा0, जेतपुर	पिपरौली	500
36	जू0 हा0, डुमरीकोट	सरदारनगर	1,000
37	,, ,, भुसावर	थाना	500
38	,, ,, जगदीशपुर भलुवान	कौडीराम	1,000
39	कन्या जू0 हा0, बड़हलगंज	बड़हलगंज	500
40	,, गुलरिया	भटहट	500
41	जूनियर हा0, अलहदादपुर	नगर	500
42	प्रा0 पा0, अलीनगर	नगर	1,000
43	ब0 प्रा0 पा0, करजहा	कौडीराम	1,000
44	,, विशुनपुर	ब्रह्मपुर	1,000
45	,, राजधानी	ब्रह्मपुर	1,000
46	,, चारपान	कौड़ीराम	1,000
47	,, मझगांवा	जंगलकौडिया	1 000
48	,, रावतपार	कौड़ीराम	1,000

क्रम–सं0	विद्यालय का नाम	क्षेत्र का नाम	व्यय की गई धनराशि
49	बे0प्रा0पा0, सोपाईघाट	बेलघाट	500
50	,, पटना	बड़हलगंज	500
51	,, कुसहरा	जंगलकौडिया	1,000
52	,, डेरवा	बड़हलगंज	500
53	,, अवईपाकड़	जंगलकौडिया	500
54	,, शंकरपुर सेवई	चरगावां	1,000
55	,, खजनी	खजनी	1,200
56	,, मझरिया	खजनी	500
57	,, सुनौरा	धानी	500
58	,, धानी	धानी	1,500
59	,, गोहरा	पाली	1,000
60	,, चडाव	पाली	200
61	,, चौमुखा	घुघुली	1000
62	,, लहसरी	खोराबार	500
63	,, कुद्दू बाजार	खोराबार	500
64	,, ब्रिजमनगंज	ब्रिजमनगंज	500
65	,, मीरपुर	जंगलकौडिया	1,000
66	,, पिपराइच	पिपराइच	1,000
67	,, शाहपुर	बेलघाट	500
68	,, रामपुर गोपालपुर	चरगांवा	500
69	,, सिधौली	पिपराइच	500
70	,, बेल बीटिका	घुघुली	1,000
71	,, भाटी भगवानपुर	पिपरौली	500
72	,, भउवापार	पिपरौली	506
73	,, तर्कुवलिया	जंगलकोडिया	500
74	,, पखवा बाजार	बेलघाट	500
75	,, करमहाकला	जंगलकौडिया	1,000
76	,, मेदनीपुर	घुघुली	1,000
77	,, कुरावल	बेलघाट	500
78	,, जिन्हापुर	जंगलकौडिया	1,000
79	,, बेलवा तिवारी	घुघुली	1,000
80	,, मंगलपुर पटखौली	घुघुली	1,000

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 32 का उत्तर पीछे पृ0 940 पर)

दिनांक 5-12-80 को उत्तर प्रदेश निवास के कक्ष, जिन महानुभावों के नाम आवंटित थे तथा वे जो पहले से ही कक्षों में रह रहे थे, उनके नामों की सूची--

कक्ष संख्या	अतिथियों के नाम	
1 } 2 }	माननीय मुख्य मंत्री जी, उ0 प्र0	
3	श्री ए0 आर0 नश्तर, उद्योग मंत्री, उ0 प्र0	
4	श्री अम्मार रिजवी, पंचायती राज मंत्री	
5	श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी, राज्य मंत्री, पर्वतीय विकास	
6	श्री अजीत सिंह सेठी, राज्य मंत्री, खाद्य	
7	श्री त्रिभुवन प्रसाद, मुख्य सचिव	
8	श्री हरी सिंह, राज्य मंत्री, स्वास्थ्य	
9	श्री धर्मवीर, संसद सदस्य (राज्य सभा) तथा अध्यक्ष, उ0 प्र0 [कांग्रेस कमेटी (आई)	
10	श्री मोहम्मद अमीन अन्सारी, राज्य मंत्री, उद्योग	
11	माननीय मंत्रियों के पी0 ए0	
12	कार्यालय	
13	श्री चन्द्रशेखर चौरसिया, स0 वि0 स0	4-12-80 से
14	चिकित्सालय	
15	श्री मुईद अहमद, स0 वि0 स0	4-12-80 से
16	श्री के0 के0 शुक्ला, स0 वि0 स0	2-12-80 से
17	श्री एच0 आर आबदी, स0 वि0 प0	2-12-80 से
18	श्री नागेन्द्र नाथ सिंह, स0 वि0 प0	4-12-80 से
19	जस्टिस श्री एच0 एम0 बेग	4-12-80 से
20	श्री प्रियदर्शी जैतली, स0 वि0 प0	5-12-80 से
21	श्री उमाकान्त मिश्रा, स0 वि0 प0	4-12-80 से
22	श्री एम0 के0 गोयल, स0 वि0 प0	4-12-80 से
23	श्री एस0 डी0 श्रीवास्तव, आई0 ए0 एस0	
24	कुमारी सरस्वती अम्माल, स0 वि0 प0	4-12-80 से

क्रम-संख्या	अतिथियों के नाम	
25	श्री ओम प्रकाश, स0 वि0 स0	4-12-80 से
26	श्री बुद्ध पाल सिंह, स0 वि0 स0	3-12-80 से
27	श्री आजाद कुमार कर्दम, स0 वि0 स0	3-12-80 से
28	श्रीमती सुनीता चौहान, स0 वि0 स0	4-12-80 से
29	श्री एम0 पी0 सिंह, स0 वि0 स0	1-12-80 से
30	श्री राम नरेश शुक्ला, स0 वि0 स0	4-12-80 से
31	श्री विजय कुमार त्रिपाठी, स0 वि0 स0	4-12-80 से

उपर्युक्त के अतिरिक्त, जिन महानुभावों ने उत्तर प्रदेश निवास में अपने रहने की व्यवस्था अन्य महानुभावों के साथ स्वयं कर ली थी, वे निम्न हैं :—

1—श्री हरदेव, स0 वि0 स0 — कक्ष संख्या 15

2—श्री रमेश चन्द्र शुक्ला, स0 वि0 स0 — कक्ष संख्या 16

3—श्री एच0 आर0 नोमानी, स0 वि0 प0 — कक्ष संख्या 17

4—श्री अम्बिका सिंह, स0 वि0 स0 — कक्ष संख्या 18

5—डा0 वितोद कुमार तिवारी, स0 वि0 स0 — कक्ष संख्या 18

6—श्री गोपीनाथ दीक्षित, स0 वि0 स0 — कक्ष संख्या 21

7—श्री सईदुल हसन, स0 वि0 प0 — कक्ष संख्या 26

8—श्री स्वामी नेमपाल सिंह, स0 वि0 स0 — कक्ष संख्या 26

9—श्री कुमारी अल्मेलु अम्माल, स0 वि0 स0 — कक्ष संख्या 24

10—श्रीमती प्रेमवती तिवारी, स0 वि0 स0 — कक्ष संख्या 28

11—श्रीमती कमला साहनी, स0 वि0 स0 — कक्ष संख्या 28

12—श्रीमती कमला देवी, स0 वि0 स0 — कक्ष संख्या 20

13—श्री पी0 के0 शर्मा, स0 वि0 स0 — कक्ष संख्या 30

14—श्री लाल प्रताप सिंह, स0 वि0 स0 — कक्ष संख्या 30

15—श्री अशफाक अहमद, स0 वि0 स0 — कक्ष संख्या 17

अनुबन्ध 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 127 का उत्तर पीछे पृष्ठ 976 पर)

वर्ष 1980-81 में जिलों को अग्रिम के रूप में वितरित धनराशि

क्रम-सं0	जनपद का नाम	कुल स्वीकृत अग्रिम धन
1	2	3
		(लाख रु0 में)
1	वाराणसी	3,21,456
2	मिर्जापुर	2,10,800
3	गाजीपुर	2,59,350
4	बलिया	2,10 800
5	जौनपुर	2,17,500
6	गोरखपुर	2,47,200
7	बस्ती	2,76,750
8	देवरिया	2,27,200
9	आजमगढ़	2,44,750
10	इलाहाबाद	4,41,450
11	फतेहपुर	2,78,500
12	कानपुर	3,53,600
13	इटावा	2,28,300
14	फर्रुखाबाद	2,70,200
15	झांसी	2,85,350
16	ललितपुर	2,61,150
17	बांदा	2,35,950
18	जालौन	2,15,100
19	हमीरपुर	3,28,000
20	लखनऊ	14,71,186
21	उन्नाव	3,10,500
22	रायबरेली	7,17,800

1	2	3
		(लाख रु० में)
23	सीतापुर	2,59,000
24	लखीमपुर खीरी	2,37,570
25	हरदोई	1,55,950
26	बाराबंकी	1,62,300
27	फैजाबाद	2,11,702
28	सुल्तानपुर	4,74,100
29	गोंडा	1,68,600
30	बहराइच	2,00,070
31	प्रतापगढ़	1,58,500
32	बरेली	2,29,500
33	पीलीभीत	1,52,900
34	रामपुर	1,38,700
35	मुरादाबाद	2,78,320
36	बिजनौर	5,31,560
37	बदायूं	1,34,350
38	शाहजहांपुर	1,01,600
39	मेरठ	3,49,600
40	मुजफ्फरनगर	2,40,900
41	सहारनपुर	2,56,500
42	देहरादून	1,35,200
43	बुलन्दशहर	4,57,450
44	आगरा	2,70,950
45	मथुरा	2,08,000
46	अलीगढ़	2,89,670
47	एटा	2,25,570
48	मैनपुरी	1,70,300

1	2	3
		(लाख रु० में)
49	गाजियाबाद	2,04,300
50	अल्मोड़ा	0,51,600
51	पिथौरागढ़	0,44,500
52	पौड़ीगढ़वाल	0,69,200
53	नैनीताल	2,14,000
54	चमोली	0,28,900
55	उत्तरकाशी	0,26,300
56	टेहरीगढ़वाल	0,66,350
	योग ..	1,57,40,944

सत्यमेव जयते

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 158 का उत्तर पीछे पृष्ठ 990 पर)

सदस्यता शुल्क की धनराशि जमा करने वाले सदस्यों के नाम निम्नवत् हैं--

(1) श्री दल सिंगार यादव

(2) श्री आफताब बेग

(3) श्री सत्य प्रकाश मिश्र

(4) श्री कुबेर मिश्र

(5) श्री अतीक रहमान फारूकी

(6) श्री जय प्रकाश पांडेय

(7) श्री रामधनी साहू

(8) श्री ओम प्रकाश मिश्र

(9) श्री रमाशंकर सिंह

(10) श्री सुदर्शन सिंह

(11) श्री गरीब सिंह

(12) श्री लक्ष्मीकान्त मिश्र

(13) श्री उमाशंकर सिंह

(14) श्री राम जन्म सिंह

(15) श्री राम सिंगार सिंह

(16) श्री राम बचन यादव

(17) श्री खरपत साहू

(18) श्री राम विनय सिंह

उत्तर प्रदेश विधान सभा